खण्ड-329, अंक-2
मंगलवार, 26 आश्विन, शक संवत् 1899
(18 अक्टूबर, 1977 ई0)

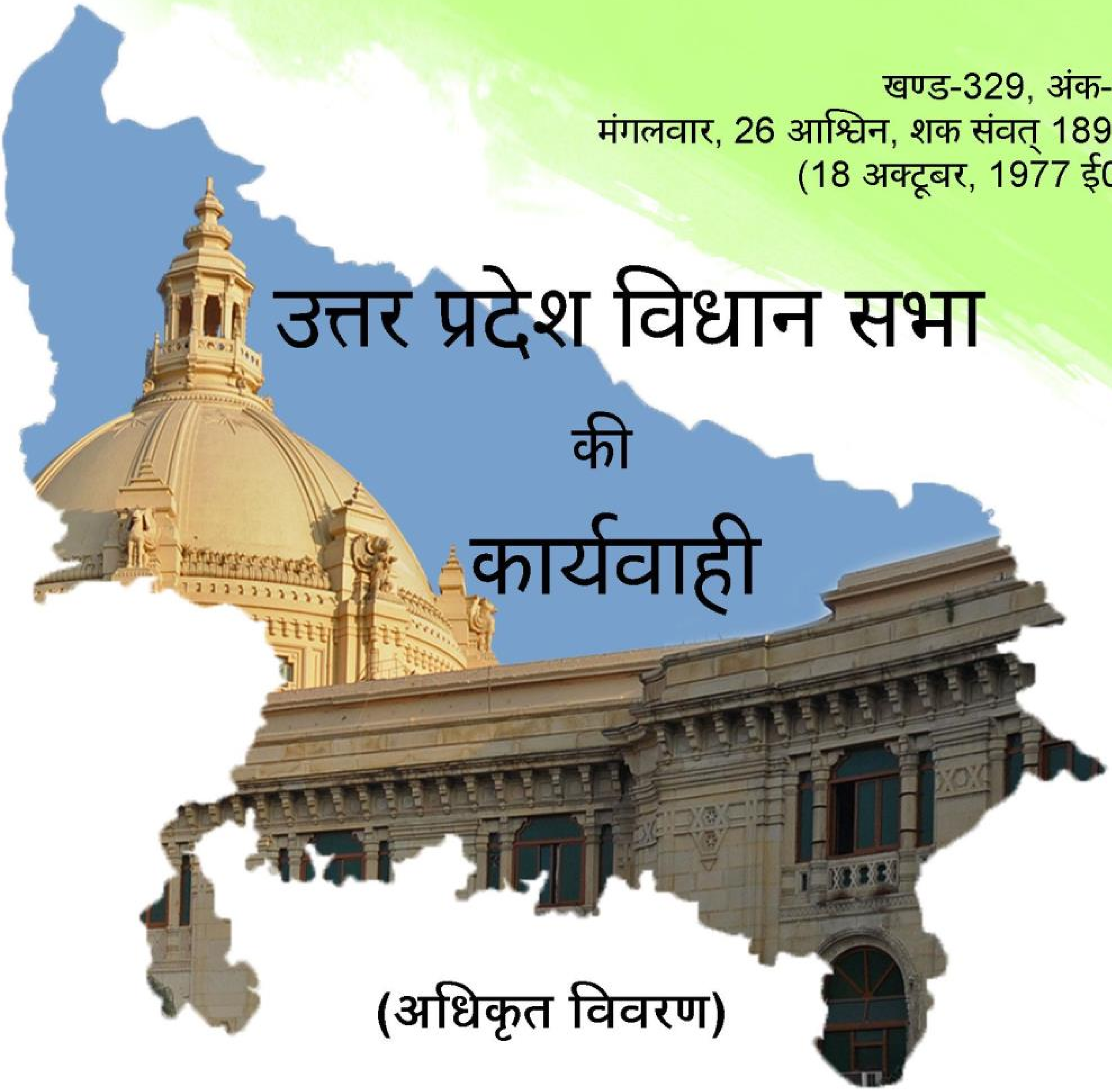

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 329 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ सं०
दैनिक नेशनल हेराल्ड, नवजीवन तथा कौमी आवाज समाचार-पत्रों के कुछ कर्मचारियों की उनके मालिकों द्वारा सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	250–256
कासगंज, एटा में कांग्रेस का झंडा फहराने तथा नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	256–264
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	264–290
मेरठ हाई कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	290–313
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति तथा कुल सचिव में चल रही गुट-बन्दी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त) ..	313–334
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	334
ग्राम मबाना, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगा देने तथा मुसलमानों की ईदगाह तोड़ डालने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	334–336
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	336
ग्राम मबाना, जिला रामपुर के बहु संख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगा देने तथा मुसलमानों की ईदगाह तोड़ डालने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	337–340
जनपद एटा के ग्राम नगला गुलरिया के 5 हरिजनों को कुख्यात डकैत अलवर के गिरोह द्वारा नदी में फेंक कर हत्या कर देने तथा ग्राम अकबरपुर कोट में अमरपाल को गोली से मारने तथा 6 अन्य व्यक्तियों की हत्या करने की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	340–346
मेरठ जिला जेल में अधिकारियों तथा कैदियों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	347–354
दैनिक आज व जागरण के मालिकों व व्यवस्थापकों द्वारा कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन	355
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निलम्बन के विषय में 10 अक्तूबर, 1977 को पूछ गए तारांकित प्रश्न सख्या 1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	355–360
नत्थियाँ	361–384

विधान सभा
मध्य प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार 18, अक्तूबर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--351

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल ,श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री (जिला जौनपुर)
छोटेलाल, श्री (जिला फतेहपुर)
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जीहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुखी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री

मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाँडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री,
रेवती रमण सिंह श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हेमराज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्दावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 अक्तूबर, 1977

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले की तहसील अनूपशहर के तहवीलदार, श्री हरीशचन्द्र अग्रवाल की पेंशन तथा ग्रेच्युटी

**1—श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नारायण सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के तहवीलदारों को सरकारी सेवक मानते हुए समस्त उपलब्धियों को दिए जाने का निर्णय दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बताएगी कि 1967 में सेवा निवृत्त स्वर्गीय श्री हरीशचन्द्र अग्रवाल, तहवीलदार, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के परिवार को उनको मिलने वाली पेन्शन तथा ग्रेच्युटी का अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक भुगतान कर दिया जायगा ? यदि नहीं किया जाएगा,तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

उक्त अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8 मार्च, 1964 को तहवीलदारों को "राज्य के सेवक" होने का निर्णय दिया था, परन्तु उनकी उपलब्धियों के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया था।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत तहवीलदारों को पेन्शन देय नहीं है। चूंकि स्वर्गीय श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल तहवीलदार के पद पर अस्थाई थे इसलिए उन्हें ग्रेच्युटी भी अनुमन्य नहीं थी।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब श्री अग्रवाल साहब की पत्नी और उनके लड़के, उनसे मिले तो कोई ऐसा पत्र उन्हें मिला और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में दे दिया जायगा ?

श्री मधुकर दिघे—

इसमें कुछ बातें ऐसी हैं वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, उपार्जित अवकाश तो मिलता ही है। इन्हें पेन्शन के स्थान पर ग्रेच्युटी मिलती है। जहां तक नगर प्रतिकर भत्ता आदि के सिलसिले में यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार हो रहा है और उनकी तरह के जितने और लोग हैं, उनके सम्बन्ध में जब निर्णय हो जायगा तब इनको भी मिल जायगा।

श्री मुकीमुर्रहमान—

वर्ष 1965 मे यहाँ से एक आदेश जारी हुआ था कि चपरासियों, कानूनगो और ट्रेजरी के एसिस्टेन्ट एकाउन्टन्ट्स आदि को दिया गया, तो क्या खाली खजान्ची को ही छोड़ दिया गया है ?

श्री मधुकर दिघे—

पेन्शन, ग्रेच्यूटी और अन्य प्रकार की सुविधायें देने में यह जरूरी नहीं है कि जिनको सरकारी सेवा में मान लिया जाता है, उनको एक ही प्रकार से देय हो जाता है। जहाँ तक ग्रच्यूटी देने का सम्बन्ध है इनकी सर्विसेज बहुत लम्बी है। पहले यह काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तो होता रहा, लेकिन चूंकि रिकार्ड नहीं मिल पाए इसलिए उन्हें ग्रेच्यूटी नहीं मिली। जब कागजात मिल जायेंगे, तो ग्रेच्यूटी भी मिल जायेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों के क्या कोई सर्विस रूल्स बने हुए हैं और उनमें पेन्शन व ग्रेच्यूटी आदि क्या-क्या चीजें सम्मिलित हैं? यदि हाँ, तो इनको न मिलने के क्या कारण हैं?

श्री मधुकर दिघे—

कुछ विभागीय लोगों को ग्रेच्यूटी मिलती है—10 वर्ष की स्थायी सर्विस के बाद और उसके ऊपर कुछ लोगों को ग्रेच्युटी और पेन्शन भी मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार इनको ग्रेच्यूटी देय है और पर्टिक युलरली जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उनको ग्रेच्युटी भी नहीं मिली है। उनका स्थायीकरण भी नहीं हुआ है। अब मैंने जाँच की तो पता चला कि 45 वर्ष के बाद भी स्थायी नहीं हुए, अब चूंकि ध्यान में लाया गया है तो कागजात ही पता नहीं चल रहे हैं कि कहाँ हैं। स्थायीकरण न होने की बात भी ली जा रही है और यह भी कि ग्रेच्युटी कैसे दी जाय।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण इनके कागजात गायब हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री मधुकर दिघे—

पहले यह पता तो चल जाय कि कागजात गए कहाँ और कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि कोई अफसर जो इसके लिए जिम्मेदार थे, रिटायरमेन्ट पर चले गए हों या घर चले गए हों।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं बताना चाहता हूं कि कागजात हैं कहाँ। बुलन्दशहर के डी० एम० के क्लर्क ऊदल सिंह ने वह फाइल, जो पेन्शन के मुताल्लिक थी, वह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भेजी और वहाँ सेकेन्ड आफिसर फाइनन्स पी० एन० सक्सेना के पास गयी, उसके बाद वह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कहीं नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

आपने खूब पता लगाया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मृतक हैं उनको छोड़िए, लेकिन जो जिन्दा हैं और यह मामला सभी जिलों से सम्बन्धित है, आप उनकी फाइलें मंगायेंगे और उनके बारे में

कोई निर्णय लेगें कि उनको स्थायी कर दिया जाय और जो सुविधाएं उनको जबसे मिल सकती हैं तबसे उनको दिलायी जायं ?

श्री मधुकर दिघे—

मैं आश्वासन दे चुका हूं कि जिनको नहीं मिल रहा है उस पर विचार कर रहा हूं। पुराने शासन ने कुछ विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कर रहा हूं। फाइल गायब होने की बात यह है कि लगातार यह कोशिश की गयी कि जिलाधिकारी बुलन्दशहर इनके बारें में सूचित करे कि ग्रेच्युटी क्यों नहीं दी गयी, तो पता चला कि कागज नहीं मिल रहे हैं जिसमें स्थायीकरण के सम्बन्ध में जो प्रविष्टि होनी चाहिए, वह नहीं है। बावजूद इसके कि यह देखा गया कि जो वेतनमान मिलता है, वह भी और इन्क्रीमेन्ट मिलता रहा है। तो इन्क्रीमेन्ट की प्रविष्टि हो चाहे न हो विभाग में वह कर्मचारी काम करता रहा लगातार। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके कागजात का पता लगा कर के ग्रेच्युटी दी जायगी।

विवाह हेतु चीनी के परमिट

**2—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शादी, विवाह के अवसर पर जो शक्कर परमिट जारी किए जाते थे वह गत अप्रैल, 1977 से बन्द कर दिए गए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार के परमिटों को जारी करने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिशचन्द्र)—

जी नहीं। फरवरी 1976 में जारी किए गए शासनादेश के अन्तर्गत जिलाधिकारीगण केवल उतनी ही चीनी के परमिट विवाहोत्सवों के लिए सामान्यता दे सकते हैं जो नियमित मासिक वितरण के उपरान्त बचे। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री दशरथ सिंह—

क्या मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपभोक्ताओं को जो मासिक चीनी, शहरी तथा देहाती क्षेत्र में एक किलो तथा आधा किलो के हिसाब से दी जाती है उसको बाँटने के बाद शादी विवाह आदि उत्सवों के लिए चीनी बचती ही नहीं ? यदि हाँ, तो क्या अगले वर्ष के लिए कोई विवाहोत्सव के लिए चीनी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

माननीय सदस्य के इस कथन में सच्चाई हैं कि जो 1976 का शासनादेश है, उसको ध्यान में रखते हुए इस समय जो वितरण की व्यवस्था है कि निथमित चीनी वितरण से बचे और जिलाधीश दे सकें तो यह कहने में सच्चाई है कि नहीं के बराबर वह है और दूसरी व्यवस्था जो उनका पूछना है कि क्या सम्भव हो सकती है आगे के लिए, तो मेरे सामने यह जरूर है कि जो मैं केन्द्र से कोशिश में लगा हूं कि 28 हजार मीट्रिक टन प्रति मास जो चीनी का आवंटन है, इससे अधिक चीनी का आवंटन हो। उस अधिक चीनी के आवंटन के बाद यह जरूर है कि विवाहोत्सव आदि ऐसे विशेष अवसरों के लिए एक अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाय जिससे इसकी व्यवस्था की जा सके।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

काँग्रेसी राज में पहले विवाह आदि के लिए परमिट काटने का अधिकार कलेक्टर और डी0एस0ओ0 को था। तो क्या अब वह व्यवस्था बिल्कुल बन्द कर दी गयी है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

फरवरी, 1976 तक जो व्यवस्था थी उसमें जिले का ही कोटा टोटल आवंटित हो जाता था। जिलाधिकारी उसे ग्राम में, शहर में विवाह में कहीं और कैसे दी जाय इसकी व्यवस्था कर लेते थे। जो मैंने फाइल देखी है उससे प्रकट हुआ है कि ऐसे अवसरों पर गाँव की चीनी को काट कर शहर की व्यवस्था कर दी जाती थी। परन्तु फरवरी, 1976 के बाद एक कैबिनेट निर्णय हुआ जिसमें यहीं से गाँव और शहर का अलग से आवंटन होता है, उसकी मात्रा निर्धारित हुई जिसके केन्द्र से आदेश आए थे। इसलिए वह चीज अभी चल रही है। माननीय सदस्य ने जो पूछा, फरवरी, 1976 तक जिले का एक निश्चित कोटा जाता था। उसमें जिलाधिकारी जैसी वहाँ की स्थिति होती थी, उसके अनुसार व्यवस्था करते थे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान भारत सरकार के खाद्य विभाग के राज्य मन्त्री श्री भानु प्रताप सिंह के उस बयान की ओर गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अब खुले बाजार और कन्ट्रोल की चीनी के भाव में कोई अन्तर नहीं रहेगा, मतलब कन्ट्रोल खत्म किया जायगा ? अगर माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन ने भी अपनी कोई राय भारत सरकार के पास भेजी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रश्न से तो नहीं निकलता है। यह पृथक प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसकी जितनी जानकारी उन्हें है, वही मैं समझता हूं, पूर्ण है। यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है कि चीनी के दो मूल्य रख जायं या न रखे जायं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

यह जो शादी विवाह के लिए स्पेशल कोटा निर्धारित करने के लिए केन्द्र से संस्तुति माँगी गयी है, यह कितने समय तक निर्धारित कर दिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र—

केन्द्र से इसके सम्बन्ध में संस्तुति मांगने या कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने निवेदन किया कि जो 28 हजार मीट्रिक टन प्रति मास चीनी का आवंटन है, इससे अधिक की हमारी माँग चल रही है। वह प्रश्न विचाराधीन है। ऐसा कुछ आश्वासन मिल चुका है कि कुछ कोटा बढ़ जायगा। वह बढ़ी हुई मात्रा के बाद शादी विवाह ऐसे विशेष अवसरों के लिए एक आरक्षित कोटा कर लिया जायगा।

श्री गुरू प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

पहले कांग्रेस के समय में शादी विवाह में प्रार्थी जब प्रार्थना-पत्र देता था, तो अधिकारी,लेखपाल और कानूनगो को लिख देते थे कि तुम इन्क्वायरी करो। इसमें बहुत दिन लगते हैं और भ्रष्टाचार का एक स्रोत पैदा होता है। तो क्या मन्त्री जी इसको खत्म करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

वैसे वर्तमान सरकार ऐसी पद्धति (प्रक्रिया) में जिसमें जनता को कठिनाई होती रहती थी, बहुत जगहों पर परिवर्तन कर रही है । जो विचार आपने रखा है मैं इसका अध्ययन करके देखूंगा कि उसमें जो लोगों को कठिनाइयाँ होती रही हैं, वह दूर की जा सकें।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि दशहरा दुर्गा पूजा, दीपावली आ रही है, पहले यह था कि विशेष कोटा मिलता था इन त्योहारों पर, तो क्या हमारी सरकार इन त्योहारों पर, शादी विवाह में तो नहीं मिल रहा है, इसमें विशेष कोटा देकर जनता को चीनी देगी ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि पहले दी जाती थी, यह प्रश्न उचित नहीं होगा, मैंने कहा कि कहीं से काटकर दी जाती थी,अब यह गाँव से काटकर शहर को दे दी जाय,यह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि दुर्गा पूजा या दीपावली, इन विशेष अवसरों के लिए आप कोई विशेष कोटा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मैं उसी बात को आगे कह रहा हूं। केन्द्र ने कुछ अतिरिक्त चीनी दी है, जिसके अनुसार गाँव,शहर दोनों को 300 ग्राम प्रति परिवार का आवंटन हुआ है,वह चीनी 300 ग्राम प्रति परिवार इस समय दी जायगी।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देहात में जो चीनी बंटती है, वह बहुत से दूकानदार नहीं देते हैं,उनके खिलाफ जो कार्यवाही विभाग करता है, तो वह कोर्ट से स्टे ले आता है,तो ऐसे दूकानदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

यह दूकानों की जो गड़बड़ियाँ हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके दूकानों में जो सुधार करने की बात है,वह मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों के सामने हैं, बहुत से लोगों के नाम अभी नहीं आ पाए हैं, फिर भी मैं समिति का गठन करता जा रहा हूं। जो शासनिक कार्यवाही है, उसमें अपील करने का उन्हें अधिकार है लेकिन सस्पेन्ड होने के बाद, निरस्तीकरण के बाद जो अपील का अधिकार है वह कार्यवाही चलती रहती है लेकिन बीच में उपभोक्ताओं को चीनी मिल सके इसकी अतिरिक्त व्यवस्था शासन की तरफ से हो जाती है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो आपके उत्तर में था कि वितरण प्रणाली से बची हुई चीनी को शादी विवाह में दिया जाता है जब कि शादी नवम्बर, से शुरू होकर जून के लास्ट तक होती है, क्या मन्त्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि जिस बीच में शादी न हों, उस बचत के वितरण की व्यवस्था में कोई आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं। अगर कोटा ज्यादा होगा तभी तो देंगे।

बी०टी०सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति की मांग

**3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

द्वितीय विधान सभा के दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 66(नत्थी 'घ') के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में बी0टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है, उन जिलों को प्राथमिकता देने के विषय में (सम्बन्धित जिलों में अधिक स्कूल खोलकर या अन्य प्रकार से) सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं तो ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है और उसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से ही विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन सहायक अध्यापकों के 10,900 रिक्त पदों के भरने हेतु 4 अगस्त, 1977 को आदेश प्रसारित किए गए हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या के आधार पर रिक्तियों का भरा जाना सम्भव नहीं है और न ही उन जिलों में उक्त आधार पर अधिक स्कूल खोला जाना सम्भव है क्योंकि स्कूल तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की संस्तुतियों के आधार पर खोला जाना प्रस्तावित है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आप देखें कि मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले के बारे में तो मन्त्री जी ने कह दिया ऐसा सम्भव नहीं है, लेकिन उसके आगे मेरा सवाल था यदि नहीं, तो ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है और उसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायगा ? इसका मन्त्री जी ने उत्तर नहीं दिया। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इसका उत्तर दिला दें, तो मैं सप्लीमेन्टरी करूं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह जो प्रशिक्षित बी0 टी0 सी अध्यापक हैं, अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार और सर्वेक्षण के अनुसार सरकार विद्यालय खोलती जायगी और जब विद्यालय खुलते जायेंगे, तो उन्हें स्थान मिलता जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि कुछ जिलों में इस तरह के प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक हैं और कुछ जिलों में उसके मुकाबले कम है। तो क्या आप

वाले जमाने में हमारी सरकार जो स्कूल खोलेगी, तो उनको खोलते समय इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है वहाँ ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रतिबन्ध किया है कि एक जिले के प्रशिक्षित दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जब सरकार की योजना है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय तो क्या इस तरह की योजना बनाकर आदेश देंगे कि जहाँ पर ज्यादा बी0टी0 सी0 ट्रेन्ड हैं, वहाँ के ज्यादा लोग भर्ती किए जायेंगे ताकि लोगों को अधिक रोजगार मिल सके ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह विद्यालय ट्रैनीज के आधार पर नहीं खोले जायेंगे अपितु विद्यालय की कहाँ आवश्यकता है, उसके अनुसार खोले जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि 10 हजार रिक्त स्थान भरने के लिए हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए गए हैं, तो क्या इसके लिए कोई तिथि निश्चित की है कि इस तारीख तक निश्चित स्थान भर दिए जायें और सूचना शासन को भिजवा दी जाय ?

श्री काली चरण—

यह आदेश तत्काल भर्ती के लिए दिये गये थे । यही संभावना है कि इसकी कार्यवाही हो भी रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में इस योजना में 10 हजार 900 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार देने की योजना शासन ने बनाई है। तो क्या इसी तरह जो बी0एड0 और एल0टी0 ट्रेन्ड लोग बेकार हैं उनके लिए भी कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे, जो उन्होंने आदेश भेजा कि 10 हजार 900 बी0टी0सी0 लोग नौकरी में रखे जायं तो उनमें से कितने आदमियों को नियुक्ति मिल चुकी है, मन्त्री जी के पास इसकी सूचना है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, क्या यह सही है कि 50 हजार के करीब बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड लोग प्रदेश में हैं और 6 हजार ट्रेन्ड लोग हर साल स्कूलों से निकलते हैं। तो क्या सरकार के पास इनके लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो जो ट्रेनिंग के स्कूल खुले हैं उनको क्या सरकार बन्द करेगी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया कि वित्तीय स्थिति के अनुसार जहाँ आवश्यकता होगी विद्यालय खोले जायेंगे और जो प्रशिक्षित हैं उनको स्थान दिया जायगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि जो प्रशिक्षण के लिए स्कूल हैं क्या उनको बन्द करेंगे ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, हर साल 6 हजार लोग ट्रेन्ड होते हैं। 60 हजार लोग हैं जिनको जगहें नहीं मिली हैं। तो उस पर क्या विचार करेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नए विद्यालय खोलने के लिये निश्चय किया गया है, तो यह विद्यालय कब चालू हो जायेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न जिलों में जो विद्यालय खोले जा रहे हैं तो अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसका आधार क्या है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह जो रिक्तियाँ रही हैं 10 हजार 900 की, तो यह मानक निर्धारित किया गया है 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। तो प्रत्येक जिले से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या मंगाई गई थी उससे जहाँ तक जो रिक्तियाँ थीं उनको भरने के आदेश दिए गए थे। नए विद्यालय खोलने का जो प्रश्न है उसमें 1973 में भारत सरकार के आदेश से एक शिक्षित सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में एक किलोमीटर एरिया में जूनियर बेसिक स्कूल और 3 किलोमीटर की एरिया में सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे। प्राइमरी स्कूलों में जो नए स्कूल खोले जायेंगे और जो पुराने एक अध्यापकीय स्कूल थे उनमें जहाँ एक से 5 तक पढ़ाई होती है और जहाँ लड़कों की संख्या 40 से अधिक है वहाँ 2 अध्यापकों के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह नए स्कूल संख्या के अनुसार एक अध्यापक रखा जाएगा और जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसी तरह अध्यापकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि जो विद्यालय घोषित हो रहे हैं वह कब से चालू हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब पहले दे चुके हैं कि सूचना नहीं है।

सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गांधी पर चलाई गई कथित गोली से सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच रिपोर्ट

** 4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले लोक सभा चुनावों के दरमियान श्री संजय गाँधी पर सुल्तानपुर जिले में हुए कथित गोली कान्ड की खुफिया विभाग की जाँच रिपोर्ट जो शासन को प्राप्त हो चुकी है, वह क्या है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह))—

अपराध अनुसन्धान विभाग की तफतीश की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उक्त विभाग के निष्कर्ष निम्नवत् हैं :—

(1) कथित घटना सन्दिग्ध एवं अविश्वसनीय पाई गई।

(2) प्रथम सूचना देने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि घटना को झूठा प्रमाणित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और पारस्थितिक साक्ष्य भी निर्णयात्मक स्वभाव का नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब उत्तर के लिए पुकारा तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

दूसरे भाग पर अगर कोई रिपोर्ट है और आप कहते हैं कि कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिपोर्ट के अनुसार यह सुनिश्चित हो गया है कि एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी थी। फर्जी है या नहीं, तो यह तय करना, न्यायालय का काम होगा। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्जी एफ0 आई0 आर0 लिखाने वाला कौन था और क्या दफा 182 का मुकदमा दायर करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, गुलजारी लाल कालरा,प्रधान, चुनाव कार्यालय संजय गाँधी, ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। उन पर या अन्य लोगों पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है,उस पर कानून विभाग की राय ली जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से एक बात स्पष्ट हुई कि गोली चली थी, मामला फर्जी था वह दूसरी बात है। मेरी जानकारी यह भी है कि 14 मार्च को घटना हुई और 15 को पत्रकारों ने और जिला अधिकारी ने कहा कि गोली चली और बड़ी गम्भीर घटना हुई। उसका चुनाव में प्रचार किया गया। इस प्रकार का षड़यन्त्र रचा गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सब लोगों के खिलाफ जाँच करके कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जैसे संजय गाँधी की ओर से जोत सिंह, सिक्योरिटी आफिसर थे, जो दिल्ली से आए थे। उन्होंने बताया कि 3 फायर किए गए। किसी जीप से गोलियों की बौछार की गयी। लेकिन यह बात साबित नहीं हुई। तफतीश से यह बात गलत पाई गयी। मैंने पहले कहा था कि जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई या साथ में जो थे, उन पर क्या कार्यवाही की जा सकती है, उस पर कानून विभाग की राय ली जा रही है।

श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जाँच के दौरान, संजय गाँधी के बयान लिए गए थे या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सी0 आई0 डी0 द्वारा इस मुकदमे की तफतीश की गयी थी और बयान लिए गए थे।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता पार्टी के सदस्यों से कहूंगा कि यही प्रश्न करीब दस दिन पहले इस सदन में आ चुका है और फिर इस प्रश्न को उठा रहे हैं। क्या जनता पार्टी के लोगों को सिवाय संजय गाँधी के, कोई दीखता ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं निकलता।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आपकी आज्ञा से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर में लिखा है कि कथित घटना सन्दिग्ध एवं अविश्वसनीय पायी गयी और फिर दूसरे में लिखा है कि घटना को झूठा प्रमाणित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि घटना संदिग्ध एवं अविश्वसनीय पायी गई ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, घटना जहाँ कही जाती है, हुई। उसके आस-पास के 6 गवाहों के बयान लिए गए थे। उन्होंने यह बताया कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसी कोई जीप नहीं देखी गयी, जिससे गोलियों की बौछार हुई हो। तीन गोलियों की आवाज जरूर संजय गाँधी की जीप की तरफ से सुनी गयी। सी0 आई0 डी0 ने जो जाँच की उससे घटना संदिग्ध पायी गयी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य को क्या कठिनाई हो रही है।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जांच रिपोर्ट क्या है और क्या उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे क्योंकि सभी सदस्य चाहते हैं कि वह सदन के पटल पर रखी जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, अभी उसमें और पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और कानून विभाग की राय ली जा रही है। सदन के पटल पर इस समय उसको रखना जन हित में नहीं होगा।

श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन जिला अधिकारी इस षड़यन्त्र में शामिल पाए गए या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसकी भी जाँच की जा रही है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि घटना अविश्वसनीय थी तो फिर कानूनी सलाह लेने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि कानून मौजूद है और ऐसे लोगों पर दफा 182 में मुकदमा चलाया जा सकता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह कानूनी विस्तार की बात है। 182 के लिए कितना सबूत होना चाहिए और किस प्रकार के सबूत पर अदालत में कामयाबी मिल सकती है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पंडित जवाहर लाल नेहरू इण्टरमीडिएट कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों की मांगों के लिए अनशन

*1--श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पं0 जवाहर लाल नेहरू इन्टरमीडिएट कालेज, बाँसगाँव, जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति ने 20 सितम्बर, 1977 के आस-पास

कालेज को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार एवं अन्याय से ऊब कर कालेज के अध्यापक अनशन पर बैठ गये हैं ? यदि हाँ, तो कालेज खोलने एवं अध्यापकों का अनशन तुड़वाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण—

जी हाँ। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 3 अक्तूबर, 1977 को प्रबन्धक ने अधिकाँश माँगों को स्वीकार कर लिया था जिसके फलस्वरूप दिनाँक 4 अक्तूबर, 1977 को अनशन समाप्त हो गया था किन्तु दिनाँक 5 अक्तूबर, 1977 को पुन: अध्यापकों ने अनशन आरम्भ कर दिया यद्यपि एक को छोड़कर उनकी अन्य मांगें पूरी हो चुकी हैं। वह एक माँग मार्च, 1971 के अवशेष वेतन भुगतान के सम्बध में है जिसके भुगतान हेतु प्रबन्धक को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस अवशेष भुगतान का दायित्व शासन का नहीं है।

श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूं कि उन अध्यापकों की सभी माँगें क्या थीं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, उनकी मांगें थीं :—

(1) मार्च, 1971 से सभी शिक्षकों के अवशेष वेतन का भुगतान,
(2) हड़ताल अवधि दिनाँक 21 जनवरी, 1977 से 29 फरवरी, 1977 तक 24 दिन के बकाया वेतन का भुगतान,
(3) श्री राम सवाँर पाँण्डेय की वर्ष 1972 की वार्षिक-वृद्धि,
(4) अगस्त, 1972 की 5 अध्यापकों के रुग्णावकाश की स्वीकृति,
(5) अध्यापक श्री नरायण पाण्डेय के आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में।

श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि इनकी माँगे पूरी हो गयी हैं, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया तो ये अध्यापक पुन: 14 तारीख से जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के सामने क्यों अनशन कर रहे हैं ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, यह मैंने बताया कि लगभग 4 माँगें पूरी हो चुकी हैं। उसमें थोड़ी कठिनाई थी लेकिन अध्यापकों और जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच में सहमति हो गयी है। केवल माँग संख्या 1 बाकी है जो 1971 के 5 महीने के बकाया वेतन के बारे में है और इस प्रश्न को लेकर वे पुन: अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें लिखा जा रहा है। यह उनकी जिम्मेदारी है, शासन की नहीं।

श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कि जो उनकी पहली माँग को पूरा करने के लिये बकाए वेतन के सम्बन्ध में आदेश दिए हैं, तो कब तक बकाया वेतन अदा कर देने के लिए आदेश दिए हैं ?

श्री काली चरण—

मैंने अपने उत्तर में, मान्यवर, यह स्पष्ट किया था कि इसका उत्तरदायित्व शासन पर नहीं है। चूंकि दिनाँक 1 अप्रैल, 1971 से वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ था, और शासन ने उसको अपने हाथ में लिया था, अतः उसके पहले की सारी जिम्मेदारी प्रबन्ध समिति पर है। शासन केवल इतना ही कर सकता है कि प्रबन्ध समिति से अनुरोध करे। उन्हें प्रेस (press) कर सकता है और इसके लिए उन्हें लिखा जा चुका है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयास कर रहे हैं कि उनका वेतन दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मार्च, 1971 के वेतन सम्बन्ध में निर्देश दे दिया गया है और दूसरी मांगें करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है और मैं परसों देखकर आया हूं कि अध्यापक अनशन कर रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को 3-4 बार निर्देश दिया है कि उनकी मांगों को पूरा कर दें, लेकिन प्रबन्धक उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16-बी के अन्तर्गत विद्यालय की प्रबन्धक समिति को अधिग्रहीत करने का आदेश देंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, उसका सम्बन्ध उससे नहीं आता। अगर उसको अधिग्रहीत कर ही लें, तो यह पुराना पैसा प्रबन्धक के पास है, जो अनुदान उन्होंने लिया होगा। नया पैसा शासन के पास कहां से मिलेगा उस अवधि का? तो इसका तो उससे सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि प्रबन्ध समिति मान नहीं रही है। तो क्या आप उसको मनवायेंगे और अगर प्रबन्ध समिति नहीं मानेगी, तो क्या कालेज को आप अधिग्रहण करेंगे ? यह प्रश्न है उनका।

श्री काली चरण—

श्रीमन्, नियमानुसार जो शासनादेश प्रबन्ध समिति मानने को बाध्य हैं, अगर वह नहीं मानती है, तो हम उसके अधिग्रहण की कार्यवाही अवश्य करेंगे, लेकिन नियमानुसार हम जहां तक उसको शासनादेश से बाध्य नहीं कर सकते हैं उसके लिए अधिग्रहण की कार्यवाही करना मुनासिब नहीं होगा।

शाहजहांपुर जिले के गांव नाहिल के हरिजनों को सवर्णों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*2—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर के थाना पुवायां के ग्राम नाहिल में 100 हरिजन परिवारों का उसी गांव के सवर्णों द्वारा पिछले तीन सप्ताह से भयंकर उत्पीड़न किया जा रहा है जिसकी लिखित शिकायतें सितम्बर, 1977 में हरिजनों ने मुख्य मन्त्री तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दी तथा दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को थाना पुवायां में एक रिपोर्ट भी अंकित कराई ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर पुलिस द्वारा कोई तत्काल

सहायता न दिए जाने के फलस्वरूप उक्त हरिजनों को सवर्णों ने दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को गांव से निकाल दिया तथा बुरी तरह मारा-पीटा ? यदि हां, तो तुरन्त शासन ने क्या सहायता हरिजनों की की तथा पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि शाहजहांपुर के थाना पुवायां के ग्राम नाहिल के हरिजन परिवारों का उसी गांव के सवर्णों द्वारा भयंकर उत्पीड़न किया जा रहा है।

उक्त गांव के 11 हरिजनों की ओर से दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ, जिसमें गांव के अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी फसलें उजाड़ने, मारने की धमकी देने आदि की शिकायत की गयी थी। दिनांक 8 सितम्बर, 1977 को उक्त ग्राम के दो हरिजनों ने पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्हें गाँव के अमुक व्यक्तियों द्वारा परेशान करने, धमकी देने आदि की शिकायत की गई थी। जांच से उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों में अंकित तथ्य सही नहीं पाए गए। यह ज्ञात हुआ कि उस ग्राम में सवर्णों में पार्टीबन्दी है। एक पार्टी गांव के हरिजनों को आगे करके दूसरी पार्टी के विरुद्ध शिकायत करती है। हरिजनों एवं संवर्णों में कोई झगड़ा नहीं है। संवर्णों के दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/117 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को श्री छेदा पुत्र कामिल धोबी द्वारा थाना पुवायां पर 4 अभियुक्तों के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि उसे अपने खेत में चरी काटने से अभियुक्तों द्वारा रोका गया तथा अभियुक्तगण उसको मारने को हमलावर हुए। इस सूचना पर धारा 352/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। उक्त अहस्तक्षेपीय मुकदमें की विवेचना करने की अनुमति न्यायालय से मांगी गई जो प्राप्त नहीं हुई। पुन: न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को ग्राम नाहिल के सवर्णों ने हरिजनों को मारा-पीटा तथा उन्हें गांव छोड़ने को बाध्य किया। इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पुलिस अथवा उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई है।

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि 107/117 की कार्यवाही के बाद सवर्णों की पार्टीबाजी में कुछ कमी आई और हरिजनों पर अत्याचार की कोई सम्भावना नहीं रह गयी ?

(प्रश्न ठीक से न सुने जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह कहा कि हरिजनों के साथ ज्यादतियों में कमी आयी 107 की कार्यवाही करने के बाद से या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने पढ़ा था मूल प्रश्न के उत्तर में कि हरिजनों पर ज्यादती का केस नहीं है। यह दो सवर्णों के बीच झगड़ा था। हरिजनों द्वारा कभी-कभी रिपोर्ट लिखी जाती है। हरिजनों के ऊपर कमी आती या नहीं आती है इससे प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री फजलुलवारी (जिला गोन्डा)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा है कि सवर्णों के दो ग्रुप हैं, जिनमें आपस में झगड़ा है और वे अपने झगड़े में हरिजनों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे हरिजन जो दूसरे के अहलकार बनकर गलत रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने वाली है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मौजूदा कानून में उनके खिलाफ कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। कोई जुर्म नहीं बनेगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 107/117 कितने व्यक्तियों पर चलाया गया और उनमें कितने व्यक्तियों ने जमानत दी और कितने व्यक्तियों ने जमानत नहीं दी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह राम भजन 5 आदमी और रामदास 5 आदमियों, दोनों पर की गयी।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

जिस रिपोर्ट के आधार पर मन्त्री जी कहते हैं कि सूचना गलत पाई गयी, तो वह अधिकारी कौन था जिसने जाँच की कि सवर्णों तथा हरिजनों में उत्पीड़न नहीं है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मुकामी पुलिस सब इन्सपेक्टर को जांच है।

श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या यह बात सही है कि सवर्णों की तरफ से हरिजनों को वहीं के पट्टे की भूमि दिलाने के धोखे में यह दरख्वास्त दिलाई गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा हो सकता है। जांच से इसकी कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन जैसा निवेदन किया एक फरीक हरिजनों से दरख्वास्त दिलाता है। हो सकता है उसने झांसा दे कर ऐसा कराया हो।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या उन हरिजनों ने इस घटना के पहले स्पेसिफिक शिकायतें की हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है और प्रशासन तथा पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है और उन्होंने महकमा पुलिस के खिलाफ शिकायतें की हैं और जिस रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी सदन के सामने रख रहे हैं वे भी उन्हीं अधिकारियों की हैं जिनके खिलाफ वह शिकायतें की गयी हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसी कोई शिकायत हरिजनों ने नहीं की। जो दरख्वास्तें और रिपोर्ट आई हैं, अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें, तो उनको पढ़ दूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ताराँकित प्रश्न।]

पुलिस सब इन्सपेक्टर की भर्ती हेतु सेना के सेवा निवृत्त कर्मचारियों का आरक्षण

*1—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26 जून, 1976 को "दैनिक जागरण" गोरखपुर संस्करण में पुलिस सब इन्सपेक्टरों की भर्ती का कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ और उसमें 10 प्रतिशत स्थान शासन द्वारा सेना के वियोजित कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने का प्राविधान किया गया? यदि हाँ, तो सेना के वियोजित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी इस प्रतियोगिता परीक्षा बैठे, कितने उत्तीर्ण हुए और कितने नियुक्त किए गए? यदि किसी की नियुक्ति स्थान रिक्त होते हुए नहीं हुई तो इसका क्या कारण है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाग को यह प्रश्न दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ और उसके बाद दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को स्थगन लिया गया और पुनः आज यह उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इस प्रश्न को देखते हुए क्या सरकार बताएगी कि सूचना एकत्रित करने में अभी तक किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह सूचना दिनाँक 26 जून, 1976 की थी और शासन से जब इस सम्बन्ध में सूचना माँगी गई तो भूल से क्लेरिकल मिस्टेक से दिनांक 26 जून, 1977 की सूचना दे दी। इसलिए दुबारा उनको लिखा गया जिससे यह विलम्ब हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह प्रश्न जो सरकार के सामने आया तो सरकार ने इस पर विचार किया कि कितने सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों ने आवेदन पत्र दिए और उनमें से कितने सिलेक्ट किए गए क्या माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने तो निवेदन किया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और विलम्ब का कारण भी बतला दिया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री उस अधिकारी के खिलाफ भी जाँच करायेंगे जिसने यह क्लेरिकल मिस्टेक की थी?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इस तरह की क्लेरिकल मिस्टेक हो ही जाती है। 6 के स्थान पर 7 हो गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सदन अब बन्द हो रहा है और 1, 2 तथा 3 को पुन: बैठेगा तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि 1, 2 तथा 3 में से किस तारीख को वह इसका उत्तर दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी आपका मुख्य प्रश्न यह है कि सेना से निवृत्त व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए गए तो इस सूचना को देने में क्या कठिनाई थी ? इसलिए उचित होगा कि अब सेशन पहली और दूसरी नवम्बर को होगा और तब इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

आपका प्रश्न इतना ही नहीं है इसमें है कि कितने कर्मचारी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, कितने उत्तीर्ण हुए और कितने नियुक्त किए गए, इतनी सारी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्न का उत्तर तो हो सकता था कि इतने स्थान सुरक्षित किए गए। तो क्या पहली और दूसरी नवम्बर को इसका उत्तर दे सकेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वह पहली और दूसरी तारीख लगा दीजिए उसमें दे दूंगा।

कुमायूं मण्डल में रोजिन (लीसा) की लघु उद्योग इकाइयां

*2—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुमायूं मन्डल में रोजिन (लीसा) पर आधारित लघु उद्योगों की कुल कितनी यूनिट हैं और उनमें से कितने लघु उद्योग वन विभाग द्वारा कच्चा माल न दिए जाने के कारण बन्द हो गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

28 इकाइयाँ हैं। इनमें से 8 इकाइयां पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल न मिलने के कारण बन्द हैं।

आपात स्थिति के दौरान ज्यादती करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची की मांग

*3—श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकाल में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ज्यादतियां की थीं और जनहित की उपेक्षा की थी उनकी कोई सूची सरकार ने तैयार कराई है ? यदि हाँ, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध तात्कालिक रूप से कोई कदम भी उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूची तैयार नहीं कराई गई है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामजी—

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार की यह घोषित नीति है और निश्चय है कि आपातकाल के दौरान जिन अधिकारियों नें अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है उन्हें दंडित किया जाय। तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिना सूची तैयार किए इस प्रकार से जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मेरी राय में सूची का होना बहुत आवश्यक नहीं है। वगैर सूची के सैकड़ों-हजारों आदमियों पर कार्यवाही की जा रही है। शाह कमीशन बैठा है, उसकी सिफारिश पर भी कार्यवाही की जाएगी और उसमें भी शासन की नीति है उसके तहत कार्यवाही की जा रही है।

श्री नेम सिंह चौहान--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जो घोषणा हुई थीं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भी उन दिनों इमर्जेन्सी काल में कार्यवाही हुई और सताए गए थे उनको रिलीफ देने के लिए भी जाँच करेंगे तो यह दोनों प्रकार की सूचियाँ जब तक नहीं बनेगी और जो प्रमोशन होने वाले हैं उसमें पिछला सारा रिकार्ड कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से तो अधिकारियों में भी क्षोभ है कि कोई राजाज्ञा की घोषणा नहीं हो रही है। इस तरह से सारे प्रमोशन में पिछली प्रगतियों से या सेवा काल से अवरोध होने वाला है। उसमें बहुत सी कमियाँ हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसको बनाने में क्यों देर हो रही है, जी० ओ० निकलने में क्यों देर हो रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इसमें जी० ओ० की आवश्यकता नहीं है। जिन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मीसा का प्रयोग किया गया और जिनके साथ ज्यादती हुई उनकी सूचना मंगाई जा चुकी है और मंगाई जा रही है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि सूची को आप छोड़ दीजिए, उनकी जानकारी शासन को उपलब्ध है। उसमें देखा जा रहा है कि किस के साथ ज्यादती हुई और उनको क्या रिलीफ दिया जाय ? प्रमोशन में उसका रखा जाय या नहीं रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेम सिंह चौहान के खड़े होने पर)

आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री नेम सिंह चौहान—

जिन लोगों के इन्टरव्यू वगैरह होने वाले हैं उनको कंसिडरेशन में तब रखा जाएगा जब आप की सूची या इस प्रकार का कोई निर्णय न हो जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, किसी कर्मचारी को मीसा में दंडित किया गया था इसलिए उसको इन्टर व्यू में न बुलाया जाय या प्रमोशन न दिया जाय ऐसी कोई नीति सरकार की नहीं है (व्यवधान)

(श्री नेम सिंह चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब आप इससे ज्यादा न कहें।

श्री रामजी—

मान्यवर, मैंने अभी एक प्रश्न किया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कोई सूची की आवश्यकता नहीं है किन्तु शिकायतों की जाँच होगी तो क्या मन्त्री जी को मालूम है कि मौजूदा मुख्य सचिव जो हैं उनके खिलाफ भी इमरजेन्सी में ज्यादतियां करने की शिकायतें आई हैं और क्या वह इसकी भी जाँच करा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने निवेदन किया, सभी कर्मचारी शामिल हैं उसमें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

जिन अधिकारियों के द्वारा ज्यादतियाँ की गईं, उनके खिलाफ तमाम शिकायतें शाह आयोग को गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो तमाम शिकायतें प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ज्यादतियाँ करने की शासन को प्राप्त हुई हैं, क्या मन्त्री जी उनकी भी जाँच करा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया, जिन सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादतियाँ हुईं मीसा में बन्द किए गए, उन पर सब विभागों को लिखा गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जनता पार्टी की यह घोषित नीति थी कि सरकारी कर्मचारियों को देश और संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए इसके बरखिलाफ जिन कर्मचारियों ने किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति स्वामिभक्ति प्रकट करते हुए ज्यादतियाँ की हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें योजना का तो कोई प्रश्न नहीं उठता. जिनके बावत शिकायत आ रही हैं उनके खिलाफ अलग-अलग जाँच कराई जा रही है और जिनके खिलाफ सिद्ध होगा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्न से सम्बन्धित, कर्मचारियों के लगभग कितने मामले शासन के पास विचाराधीन हैं जिन्होंने आपात काल की स्थिति के दौरान ज्यादतियाँ की हैं और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तादाद की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि शासन अपने ढंग से भी आपातकाल में जो ज्यादतियाँ हुई हैं जिन अधिकारियों द्वारा हुई हैं उनके सम्बन्ध में तथ्यों का संग्रह करके कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष—

क्या सरकार अपनी तरफ के उन अधिकारियों के नाम और पते पता लगाएगी, जिन्होंने नियम विरुद्ध कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने निवेदन किया जो-जो शिकायतें आ रही हैं उनकी जाँच की जा रही है, यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी की शिकायत करे । यदि शासन को किसी दूसरी जगह से भी शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच की जाएगीऔर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री नेम सिंह चौहान—

श्रीमन्, मुझे संतोष नहीं मिल पाया । मैंने निवेदन किया . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, इसकी इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं। आप बैठिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

व्यक्तिगत रूप से हर आदमी शिकायत करेगा जिसके खिलाफ ज्यादती हुई है किन्तु शासन की भी क्या कोई योजना है कि जहाँ-जहाँ भी इमरजेन्सी में जिन-जिन अधिकारियों ने ज्यादतियाँ की हैं नियमों की अवहेलना की है ,किसी के प्रभाव में आकर किया है उनके विरुद्ध कदम उठाने का भी शासन प्रयास करेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह आवश्यक भी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष की शिकायत हो, शासन को जिस सोर्स से भी पता चलेगा पब्लिक से या अन्य किसी साधन या जाँच से मालूम होता जाएगा उनके खिलाफ जैसे-जैसे सबूत मिलता जाएगा कार्यवाही की जाएगी ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों ने मंत्रि मन्डल के आदेशों की अवहेलना की है, उनको रिवार्ड देने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप का व्यंग्यात्मक प्रश्न है ।

(श्री मोती राम का नाम पुकारे जाने पर).

श्री रामजी—

मूल प्रश्न होने के बाद मुझे अवसर नहीं मिला । और भी अनुपूरक प्रश्न पूछना है । अवसर नहीं दिया जा रहा है । समय समाप्त हो रहा है ।

मैं जानना चाहता हूं कि आपातकाल के दौरान जिन अधिकारियों ने उत्पीड़न किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, उनकी सूची बनाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह —

मैंने निवेदन किया कि कोई सूची की आवश्यकता नहीं समझी गयी । सूची का टेक्निकल शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं । सूची से मतलब है तादाद 100 या 500। जितनी

सूचना मिलती जाती है उनकी जाँच कराते चले जा रहे हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसमें कठिनाई हो सकती थी कि पहले सूची बन जाय तब कार्यवाही करें। जो सूचना मिल रही है कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामजी—

उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। मैं कोई बाध्य नहीं कर सकता कि जो उत्तर आप चाहें वही दें।

श्री रामजी—

दूसरा प्रश्न तो पूछ सकता हूं? यह तो बताया जा सकता है कि किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए। मैंने मोती राम जी को बुलाया है।

श्री मोतीराम—

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपातकाल में जिन अधिकारियों को ज्यादतियाँ करने के कारण दंडित किए जाने की बात है उसमें कोई स्टैन्डर्ड कायम किया गया है या आर्बिट्रेरिली गवर्नमेंट काम कर रही है क्योंकि बरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मुअत्तल कर दिया गया है और शिकायतों के बावजूद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और गोरखपुर के डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेट जिन्होंने भयंकर लाठी चार्ज कराया, गोली चलवायी उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

सचिवालय के तीन वर्ष पुराने अस्थायी पदों एवं उन पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*4—श्री मोहन सिंह (जिला राय बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 45(1)/72 ओ0 एण्ड एम0 दिनाँक 4 जून, 1975 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तीन वर्ष से चले आ रहे अस्थाई पदों तथा उन पदों पर कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध कोई शिकायत या अन्य बात न हो, स्थायी करने की कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो सचिवालय स्तर पर उपरोक्त शासनादेश का पालन कड़ाई से न किए जाने का क्या कारण है? क्या सरकार दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पर विचार करेगी?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रश्न गत शासनादेश में यह कहा गया था कि ऐसे समस्त अस्थायी पदों को, जो कि स्थायी किए जाने योग्य हो गए हैं, स्थायी किए जाने की कार्यवाही की जाय तथा उनके समक्ष अर्ह कर्मचारियों के स्थायीकरण की ही कार्यवाही तत्काल की जाय। इन आदेशों का पालन सचिवालय स्तर पर भी किया जा रहा है। अत: अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नोट—नियम 38(2) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन प्लेस्ड तथा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अवर वर्ग सहायकों के स्थायीकरण की मांग

*5—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि 1 जुलाई, 1977 को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनप्लेस्ड तथा स्पेशल क्वालिफाइंग परीक्षा उत्तीर्ण अवर वर्ग सहायकों की संख्या अलग-अलग कुल कितनी थी जिनकी सेवायें 10 वर्ष या इससे भी अधिक की हो चुकी हैं और वे अभी तक अस्थायी ही हैं ? इन समस्त सहायकों को अभी तक अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसे अनप्लेस्ड तथा स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा 1972 में उत्तीर्ण अवर वर्ग सहायकों की संख्या क्रमश: 86 तथा 153 है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक तथा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अवर वर्ग सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। चूंकि स्थायीकरण ज्येष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और ज्येष्ठता का प्रश्न ही विवादग्रस्त है। इस कारण अभी तक उल्लिखित अनप्लेस्ड अथवा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण सहायकों का स्थायीकरण सम्भव नहीं हो पाया है।

सहायक अभियोजन अधिकारियों (ए०पी०ओ०) की प्रोन्नति में बरती गई अनियमितता

*6—श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से लेकर अब तक कितने सहायक अभियोजन अधिकारियों (ए0पी0ओ0) को बिना किसी चुनाव के पदोन्नति देकर अभियोजन अधिकारी (पी0 ओ0) बनाया गया है और क्या जिन लोगों की पदोन्नति की गई है उनसे वरिष्ठ लोग अब भी विभाग में पड़े हैं ? यदि हाँ तो ऐसा किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1976 से लेकर अब तक पुलिस विभाग द्वारा 22 सहायक अभियोजन अधिकारियों (ए0पी0ओ0) को तदर्थ प्रोन्नति देकर अभियोजन अधिकारी (पी0 ओ0) नियुक्त किया गया है। ये सभी तदर्थ प्रोन्नतियाँ केवल वरिष्ठता के आधार पर न करके स्थानीय उपलब्धता तथा कार्य की विशिष्ठता को ध्यान में रखते हुए कार्य संचालन के हित में की गई हैं। अभियोजन अधिकारियों के पदों पर नियमित रूप से पदोन्नति दिए जाने का प्रश्न शासन के स्तर पर सक्रिय विचार में है। अन्तिम निर्णय होने पर नियमित नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी और तदर्थ प्रबन्ध समाप्त कर दिए जायेंगे।

[दिनाँक 18 अक्तूबर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रणजीत सिंह जूदेव—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

मैनपुरी जिले के ग्राम नगला भूड़ निवासिनी श्रीमती कान्ता देवी की जलाकर कथित हत्या

*2--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मैनपुरी जनपद के नगलाभूड़ गाँव के प्रधान (श्री सलेटी सिंह) ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से अपनी पतोहू (श्रीमती कान्ता) की निर्मम हत्या जुलाई, 1977 में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर, जहर की सुई दिलवाकर और मरणासन्न अवस्था में जिन्दा ही चिता पर डलवाकर कर दी ? यदि हाँ, तो पूर्ण घटना क्या है और अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम सिंह, निवासी गैंती, जिला मैनपुरी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 19 जुलाई, 1977 को पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसकी पुत्री श्रीमती कान्ता देवी, जो श्री सलेटी सिंह, निवासी ग्राम नगला भूड़ जनपद मैनपुरी के पुत्र को ब्याही थी, को उसके ससुराल वालों द्वारा दिनाँक 11 जुलाई, 1977 को जीवित जला दिया गया है। उक्त प्रार्थना-पत्र पर थाना घिरौर पर दरियाफ्तहाल कायम किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की गई और उनके द्वारा मामला आत्म हत्या का पाया गया। घटना की जाँच सी0आई0 डी0 द्वारा कराए जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किए गए हैं।

*3--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री ईशदत्त यादव तथा श्री कन्हैया लाल सोनकर--

[5वें सोमवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद की लीडर रोड पर इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के धन की लूट

*4--श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्री मन्नूराम (जिला बलिया)--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनाँक 29 अगस्त, 1977 को इलाहाबाद में लीडर रोड पर ओवरब्रिज के निकट 38,000 रुपए दिनदहाड़े दो बन्दूक धारियों ने जो स्कूटर पर थे इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के लूट लिए जबकि कम्पनी वाले इस रुपए को बैंक में जमा करने जा रहे थे ? यदि हाँ, तो सरकार इलाहाबाद में इस प्रकार की लूट-पाट को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हाँ।

इस प्रकार की घटनाओं के रोक-थाम हेतु निम्नवत् व्यवस्था की गई है :

(1) दिन तथा रात में व्यापक गश्त, थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्र में भ्रमण।

(2) नगर क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण व थानाध्यक्ष द्वारा रात्रि के एक बजे तक भ्रमण करके सुनिश्चित करना कि गश्त भली भांति की जा रही है।

(3) रात्रि में बारह बजे के बाद आने-जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस दल की उपलब्धता के अनुसार पार्टियाँ बनाकर गश्त का समुचित प्रबन्ध।

(4) नगर में अपराधों से अधिक प्रभावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार सशस्त्र एवं डण्डों के साथ कलस्टर प्वाइंट, वाच प्वाइंट व स्थायी पिकेट का प्रबन्ध।

(5) घटना की सूचना तुरन्त नियन्त्रण कक्ष व सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त होनें और नाका बन्दी करके बदमाशों को पकड़ने के ध्येय से कुछ विशेष कलस्टर प्वाइंट में वायरलेस सेट का प्रबन्ध।

(6) पेट्रोल कार द्वारा भी समुचित रूप से गश्त का प्रबन्ध।

(7) आवश्यकतानुसार घुड़सवार पुलिस द्वारा भी गश्त का प्रबन्ध।

(8) राहजनों के विशेष अड्डों को समाप्त करने, अवैध शराब बनाने व बेचने वालों तथा रखने वालों के प्रति कड़ी कार्यवाही का प्रबन्ध।

(9) असामाजिक तत्वों, गुंडों, बदमाशों की कड़ाई से निगरानी, शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही तथा कुख्यात राहजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रबन्ध।

(10) इस प्रकार के अपराधियों का पता लगाने के लिए सिनेमाओं, धर्मशालाओं, होटलों और वेश्याओं के अड्डों की अकस्मात चेकिंग।

उन्नाव जिले के ग्राम ऊगू में पड़ी डकैती में हथगोले का प्रयोग

*5—श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्री मन्नू राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम ऊगू, थाना फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव में डकैतों ने दिनांक 26 अगस्त, 1977 को डकैती डालते समय वहाँ पर तैनात पुलिस के हेड कान्सटेबिल पर हथगोले फेंके जिससे हेडकान्सटेबिल बुरी तरह घायल हो गया? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और हथगोले कहाँ के बने हुए पाए गए?

श्री राम नरेश यादव—

श्री परमेश्वर दीन उर्फ मुन्नी लाल, निवासी ग्राम ऊगू, थाना फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव ने थाना फतेहपुर चौरासी पर आकर जबानी सूचित किया कि विगत 26/27 अगस्त, 1977 को रात्रि में जबकि उसके घर में डकैती पड़ रही थी शोर पर पड़ोस के लोग तथा पुलिस चौकी के दरोगा मय फोर्स के आए और डाकुओं को ललकारा। भागते हुए डाकुओं ने बचाव में इन पर 3-4 हथगोले फेंकें जिससे सशस्त्र पुलिस गार्द के हवलदार को चोट आई। डकैत भाग गए और वादी का जेवर व कपड़ा लूट ले गए। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ।

डाक्टरी मुआयने से हवलदार को खरोंच की एक साधारण चोट आई है। डकैतों द्वारा देशी हथगोलों का प्रयोग किया गया।

*6-7—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्रतापगढ़ जिले के थाना मानधाता के अन्तर्गत हत्या की घटना एवं अभियुक्तों का प्रार्थनापत्र

*8—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता थाने के एक गांव में दिनांक 28 मई, 1977 ई0 को दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो हत्या की तफतीश किस थानेदार ने किया? क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों को थानेदार ने बरबस अभियुक्त बनाया और तथा कथित अभियुक्तों ने गत मास अगस्त, 1977 में सी0 आई0डी0 जांच हेतु कोई आवेदन-पत्र मुख्य मन्त्री को दिया है। यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य है कि दिनांक 28 मई, 1977 को मानधाता थाने के एक गांव में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। इसकी विवेचना श्री महाराज दीन पाण्डे, सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गयी। यह असत्य है कि थानेदार ने किसी को अनायास अभियुक्त बनाया है। श्री शारदा प्रसाद तिवारी पुत्र श्री नन्द किशोर, निवासी ग्राम हिजनपुर, थाना मानधाता ने माह अगस्त, में सी0आई0डी0 जांच हेतु मुख्य मन्त्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। सी0आई0डी0 जांच के लिए 19 सितम्बर, 1977 को पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं।

सेन्चुरी पल्प, कलकत्ता को यूकेलिप्टस के पेड़ों की आपूर्ति सम्बन्धी निर्णय

*9—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री रणजीत सिंह जूदेव तथा श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष तत्कालीन सरकार ने सेंचुरी पल्प कलकत्ता (बिरला ब्रदर्स की फैक्टरी) के साथ 1,87,000 टन यूकलिप्टस के पेड़ों का प्रथम दस वर्ष के लिए 25 रु0 प्रति टन और उसके बाद के दस वर्षों के लिए 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से विक्रय करने का कोई समझौता शीघ्र ही करने का निर्णय लिया था जिसे वर्तमान सरकार पूरा करने जा रही है? यदि हां, तो यह समझौते की शर्तें क्या होंगी? क्या यह सत्य है कि इस समझौते से प्रदेश के रेवेन्यू को लगभग 20 करोड़ का नुकसान होगा? यदि हां, तो सरकार इस समझौते पर पुनर्विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

पिछली लोकप्रिय सरकार द्वारा मेसर्स सेन्चुरी पल्प, कलकत्ता को यूकेलिप्टस की लकड़ी सप्लाई करने के बारे में निर्णय लिया गया था, लेकिन उस सरकार के विघटित होने के बाद राष्ट्रपति शासन काल के दौरान पिछले लोकप्रिय सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा के फलस्वरूप, यह निश्चित किया गया कि भूतपूर्व सरकार द्वारा इस मामले में लिये गये निर्णय पर पुनः विचार किया जाय। तदनुसार मामले में पुनः विचार हो रहा है। पुनः विचार के फलस्वरूप अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

*10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

सिविल अस्पताल बाँदा के मेहतर श्री दातादीन के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट एवं उसकी गिरफ्तारी

*11—श्री जयराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा कोतवाली पुलिस ने सिविल अस्पताल, बांदा के एक कर्मचारी को अस्पताल से पकड़ कर अगस्त के आखिरी सप्ताह में रात भर थाने में पीटा जिसके विरोध में सिविल अस्पताल बांदा में दिन भर हड़ताल रही ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 31 अगस्त, 1977 को श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र मुन्ना सिंह ने कोतवाली बांदा में सदर अस्पताल बांदा के श्री दातादीन मेहतर तथा इकबाल खां के विरुद्ध वादी की मां के दो सौ रुपये चुराने के सम्बन्ध में धारा 379 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी थी । उसी रात एक सब इन्सपेक्टर ने अभियुक्त दातादीन को उसके क्वार्टर से भागने का प्रयास करने पर गिरफ्तार किया । दातादीन को आठ साधारण चोटें इस गिरफ्तारी के सन्दर्भ में आई थी । उसे लगभग 7 घंटे बाद थानाध्यक्ष ने जमानत पर छोड़ा। यह सही नहीं है कि अभियुक्त को रात भर कोतवाली में मारा-पीटा गया। दातादीन की गिरफ्तारी के विरोध में अस्पताल के स्वीपर्स ने दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को कुछ देर काम बन्द रखा। सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध उसी दिन धारा 323 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है ।

प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी एवं रिक्त पदों की संख्या तथा उनका स्थायीकरण

*12—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रशासनिक) के विभिन्न वेतन मानों के अन्तर्गत कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा कितने स्थान इस समय रिक्त हैं और क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के संवर्ग के स्पेशल ग्रेड में 99 अधिकारी शासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा 39 अधिकारी वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर हैं। ज्येष्ठ वेतन मान में 140 अधिकारी शासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा 45 अधिकारी वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर हैं। साधारण वेतनमान में 550 अधिकारी शासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा 11 अधिकारी वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर हैं। शासकीय पदों की संख्या में से तीनों वेतन मानों में क्रमशः 24, 50 व 55 पद रिक्त हैं। इस सेवा के विभिन्न वेतनमानों में स्वीकृत पदों की आवश्यकतानुसार भरा जाता है। विभिन्न वेतनमानों के पद वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति के लिए स्वीकृत किये गये हैं। आवश्यकतानुसार इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

*13—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उक्त वेतन मानों के कितने पदों का स्थायीकरण गत दो वर्षों में किया गया और जिनका नहीं किया गया उनके क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

गत दो वर्षों में प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के संवर्ग में विभिन्न वेतन-क्रमों में 3 59 पदों को स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है। प्रादेशिक सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के सम्वर्ग के बाहर अन्य विभागों द्वारा जो पद सृजित किये गये हैं और जिन पर इस सेवा के अधिकारी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, को संवर्ग के स्थायी पदों में सम्मिलित करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालयों की सम्पत्ति पर कब्जा एवं उसकी वापसी सम्बन्धी शासनादेश

*14—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने क्या कोई ऐसा आदेश जिला मैजिस्ट्रेटों को भेजा था कि आपातकाल में शासन द्वारा कब्जा कर लिये गये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय व उनमें प्राप्त उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति वापस करदी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रति सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। सम्बन्धित शासनादेशों का हिन्दी अनुवाद संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 361–365 पर।)

*15—श्री झाम लाल अहेरवार—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले के थाना अछनेरा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध डी०आई०आर० के अन्तर्गत अंकित अभियोग की जांच

*16—श्री बदन सिंह (जिला आगरा) तथा श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद के थाना अछनेरा में दायर डी0 आई0आर0 अभियोग संख्या 172 के केस में अपराध अनुसन्धान विभाग, मेरठ सेक्टर ने जांच के पश्चात् जिन अधिकारियों को दोषी पाया था उनके विरुद्ध दिनांक 4 मार्च, 1977 को धारा 342, 218 तथा 120 बी0, आई0पी0सी0 का मुकदमा दायर किया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कथित अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। सात दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध संख्या 54, धारा 342/218/120 बी0, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत जो मुकदमा कायम किया गया उसकी विवेचना भी अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित चार कान्सटेबिल निर्दोष पाये गये किन्तु तीन अन्य अधिकारी/कर्मचारी इस सम्बन्ध

में दोषी पाये गये। इस प्रकार विवेचना में कुल 6 अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये। अपराध अनुसन्धान विभाग ने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने एवं बन्दीकरण हेतु जाब्ता फौजदारी की धारा 197 के अन्तर्गत स्वीकृति मांगी है जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा, पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा तथा शासन के विचाराधीन है।

चीफ आफिस वन विभाग, लखनऊ के सांख्यकीय संवर्ग के लोक सेवा आयोग के अधीन पद

*17—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ आफिस वन विभाग, लखनऊ के सांख्यकीय संवर्ग में श्रेणीवार कुल कितने पद ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं तथा श्रेणीवार कितने पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

चीफ आफिस, वन विभाग, लखनऊ के सांख्यकीय संवर्ग की स्थिति निम्न प्रकार है :—

पद जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं		पदों की संख्या जिन पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति की गयी है
पद नाम	पद संख्या	
संयुक्त निदेशक (वन सांख्यकीय) ..	.. 1	..
सहायक निदेशक (वन सांख्यकीय) ..	.. 1	..
सांख्यकीय अधिकारी	.. 2	2
सांख्यकीय सहायक ..	.. 9	..
संगणक (कम्प्यूटर्स) ..	.. 14	2

कार्य संचालनार्थ शेष पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं और आयोग के माध्यम से नियमित चयन, सेवा नियमावली को अन्तिम रूप न दिये जा सकने के कारण अब तक रुका रहा।

पिथौरागढ़ जिले के चौनाला ग्राम में विचाराधीन सीमेन्ट फैक्टरी का निर्माण

*18—श्री कमल किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में सीमेन्ट फैक्ट्री का निर्माण कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट विकास खण्ड में स्थित चौनाला ग्राम में सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण की एक परियोजना कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम के विचाराधीन है। चूंकि परियोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि उक्त फैक्ट्री कब तक चालू हो जावेगी ।

कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा चम्पावत में निर्मित रोजिन एवं टरपेंटाइन इकाई

*19—श्री कमल किशन पाण्डेय—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास निगम द्वारा निर्मित चम्पावत में स्थित रोजिन फैक्ट्री में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक शुरू करा दिया जायगा ?

श्री शोबन सिंह जीना—

कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा निर्मित चम्पावत में स्थित रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन इकाई में उत्पादन कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। उत्पादन कार्य दिसम्बर, 1977 में आरम्भ करने का लक्ष्य है ।

*20—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[पुनरावत्ति के आधार पर निरस्त ।]

सचिवालय के सेवाकाल में वृद्धि प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त किए जाने की मांग

*21—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शासन ने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1/2—1973-कार्मिक—2, दिनाँक 18 अगस्त, 1977 जारी करके शासन के समस्त सचिवों को ऐसे आदेश कड़ाई से पालन करने के लिए दिए हैं कि प्रदेश मे बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को राजकीय सेवा में सेवा वृद्धि या पुर्नानियुक्ति स्वीकृत न की जाए ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश की रोशनी में यू0पी0 सिविल सचिवालय के ऐसे सभी अनु सचिव, निजी सचिव, प्रभारी अधिकारी तथा जन सम्पर्क अधिकारियों की सेवा तुरन्त समाप्त करेगी जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और सेवा में बने हुए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आगरा जिले के थाना खैरागढ़ के कर्मचारियों द्वारा पिटाई से श्री भगवान सिंह की मृत्यु तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान

*22—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि तारीख 15 मार्च, 1977 को भगवान सिंह, निवासी गढ़मुक्खा, थाना खैरागढ़, जिला आगरा को थाने की हिरासत में इतनी पिटाई पुलिस द्वारा की गयी कि उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु का चिन्ह मिटाने को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गयी ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है ? अगर हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 18 मार्च, 1978 को श्रीमती कस्तूरी पत्नी मृतक भगवान सिंह, निवासी थाना खैरागढ़, जिला आगरा का एक तार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ जिसमें अपने पति श्री भगवान सिंह को थाना खैरागढ़ की पुलिस द्वारा दिनाँक 14 मार्च, 1976 को गिरफ्तार कर थाने पर ले जाकर मारने-पीटने एवं आग लगा कर जला देने तथा अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाने की बात कही गयी थी। उपरोक्त घटना की मैजिस्टीरियल जाँच कराई गयी। मैजिस्टीरियल जाँच से थाना खैरागढ़ के पुलिस कर्मचारियों को उक्त घटना के सम्बन्ध में दोषी पाया गया है। थानाध्यक्ष दो उप निरीक्षकों, एक हेड कान्सिटेबिल एवं एक कान्सटेबिल को निलम्बित कर दिया गया है तथा एक अन्य हेड कान्सटेबिल के निलम्बन के आदेश दिए गए हैं। इन सभी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

*23—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त मृतक भगवान सिंह ने मरने से पहले मैजिस्ट्रेट के समक्ष कोई बयान दिया था? यदि हाँ, तो वह क्या बयान था?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ, मृतक ने अपने बयान में कहा था कि जब वह अपने ग्राम से एक अन्य ग्राम को जा रहा था तब पुलिस ने उसे रास्ते में एक डकैती के सम्बन्ध में पकड़ा, उसके साथ मारपीट की तथा डकैती को कबूलने को कहा। उसके मना करने पर उसे थाना अछनेरा ले गये और वहाँ भी मारपीट की। तत्पश्चात् उसे थाना खैरागढ़ ले जाया गया जहाँ उसे पीटा गया तथा दरोगा जी ने सिपाहियों से उसके कपड़ों में आग लगवा दी। कुछ सिपाहियों ने आग बुझा दी तथा सिपाही द्वारा उसे आगरा अस्पताल ले जाया गया।

फैजाबाद के थाना इनायतनगर में श्री राम जियावन, निवासी अछौरा द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट

*24—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में दिनाँक 14 अगस्त, 1977 को कोई मुकदमा धारा 147/148/440/447/427/436/323 भा0 दण्ड विधान संहिता के अन्तर्गत नामजद दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो घटना का विवरण क्या है और अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित मुकदमा दिनाँक 14 अगस्त, 1977 को थाना इनायतनगर, जिला फैजाबाद में अपराध संख्या 134 पर श्री तिलराम यादव, निवासी ग्राम अछौरा ने दर्ज कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में राम जियावन, निवासी अछौरा तथा 15 अन्य व्यक्ति नामजद थे। राम जियावन के रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र, दिनाँक 15 अगस्त, 1977 पर पुलिस उपाधीक्षक के आदेश दिनांक 19 अगस्त, 1977 के अनुसार दिनाँक 20 अगस्त, 1977 को थाने पर क्रास-केस न0 134—ए, अन्तर्गत धारा 147/148/352/323/436/427/506/211/109 भारतीय दण्ड विधान दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपने की संस्तुति की गई है।

श्री मंशा हरिजन, ग्राम कुस्तौली, जिला खीरी की, थाना मितौली की पुलिस द्वारा कथित पिटाई से मृत्यु

*25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि अगस्त, 1977 में किसी दिन लखीमपुर जनपद के थाना मितौली में पुलिस हिरासत के भीतर पुलिस द्वारा अधिक पिटाई के कारण कुस्तौली निवासी मन्शा हरिजन की मत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो पुलिस जनों को क्या दण्ड दिया गया तथा मृतक परिवार को क्या कोई क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता दी गयी है।

श्री राम नरेश यादव—

पुलिस अभिलेखों के अनुसार मंशा हरिजन का शव ग्राम कचियानी थाना, मितौली, जिला खीरी में श्री मथुरा सिंह के बाग में डाल से लटका पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण लटकने की वजह से दम घुट जाना पाया गया।

पुलिसजनों के विरुद्ध मृतक मंशा की पत्नी के प्रार्थना-पत्र पर थाना मितौली पर एक अभियोग धारा 342/330/308/167/506 भारतीय दण्ड विधान का पंजीकृत है। उक्त सम्पूर्ण मामले की जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

जाँच के उपरान्त दोषी पाये जाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है।

थाना कोतवाली, नगर गोंडा में श्री विन्देश्वरी, ग्राम रायपुर फकीर द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट

*26—श्री रामपति (जिला गोण्डा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की नगर कोतवाली में दिनाँक 15 जुलाई, 1977 ई0 से 30 जुलाई, 1977 तक धारा 147/427/504/506 तथा 352 के अन्तर्गत कितनी रिपोर्ट दर्ज की गयी हैं ? क्या उनमें रायपुर फकीर, थाना कटरा, निवासी श्री विन्देश्वरी की भी रिपोर्ट सम्मिलित है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट किन-किन लोगों के विरुद्ध की गयी थी ? तथा पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा में 15 जुलाई, 1977 से 30 जुलाई, 1977 तक धारा 147/427/504/506/352 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत केवल श्री बिन्देश्वरी, निवासी रायपुर फकीर, थाना कटरा की रिपोर्ट ही दिनाँक 23 जुलाई, 1977 को उक्त ग्राम के अभियुक्त सन्तोषी, बैजनाथ, लोकनाथ, विश्वनाथ, शिवनाथ, समोखन तथा ईश्वरनाथ के विरुद्ध दर्ज की गयी। उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित घटना का सम्बन्ध थाना कटरा बाजार से था, अतः उक्त रिपोर्ट थाना कटरा बाजार भेजी गयी। विवेचना से रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही नहीं पाये गये, अतः सम्बन्धित मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

गोरखपुर जिले के थाना बड़हलगंज में पुलिस द्वारा लिखाई गई कथित रिपोर्ट

*27—श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बड़हलगंज थाना, जिला गोरखपुर में दिनाँक 29 अप्रैल, 1974 को कोई प्रथम सूचना अपराध संख्या 127, धारा 3/7 ई0सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत किसी पुलिस द्वारा लिखायी गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त सूचना पर क्या उस व्यक्ति के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी जिसका सामान बताया गया ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो उसका क्या कारण था ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*28—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

*29—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह—

[10वें बुधवार के ताराँकित प्रश्न सख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*30—श्री रामपति तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

सेवा निवृत्त पब्लिक प्रासीक्यूटर की ग्रेच्युटी एव पेंशन

*31—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे पब्लिक प्रोसीक्यूटर हैं जिन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे अवकाश प्राप्त किये 5 वर्ष के लगभग बीत गये हैं, किन्तु अभी तक उन्हें न पेंशन और न ग्रेच्युटी ही मिली है ? इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ? क्या शासन समय से पेंशन दिलवाने की कोई नियमित व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश में केवल एक पब्लिक प्रासीक्यूटर ऐसा है जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से लगभग 5 वर्ष पहले सेवा निवृत्त हुआ था। महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उसके पक्ष में पेन्शन/ग्रेच्युटी भुगतानादेश गत जनवरी, 1977 में दूसरी बार जारी कर दिया गया है । पहली बार उसके पक्ष में पेंशन/ग्रच्युटी भुगतानादेश दिनाँक 15 सितम्बर, 1973 को जारी किये गये थे जिन्हें 1 अगस्त, 1972 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक था। अतः इस मामले में पेन्शन भुगतान की प्रक्रिया जटिल हो गई थी। सभी मामलों में पेन्शन शीघ्र भुगतान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

*32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मुरादाबाद पुलिस अस्पताल का भवन एवं उसे चालू किए जाने की मांग

*33—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मुरादाबाद में प्रस्तावित पुलिस तथा पी0ए0सी0 के सम्मिलित अस्पताल का भवन बन कर तैयार हो गया है किन्तु प्रस्तावित अस्पताल अभी तक शुरू नहीं किया गया है और उसमें पुलिस के ट्रेनीज का होस्टल चल रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ, भवन बनकर तैयार हो गया है। साज-सज्जा, उपकरण तथा स्टाफ की स्वीकृति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। चूंकि नया सब इन्सपेक्टर (सिविल पुलिस) होस्टल पी0टी0सी0, मुरादाबाद निर्माणाधीन है, अतः इस अस्पताल के एक ब्लाक में लगभग 108 सब इन्सपेक्टर, सिविल पुलिस कैडेड को अस्थायी रूप से आवासित किया गया है।

थाना कोतवाली, बस्ती के कांस्टेबुल का कथित निलम्बन तथा अंकित की गयी रिपोर्टों की विवेचना

*34—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के थाना कोतवाली के कितने कॉस्टेबुल माह जून, 1977 में निलम्बित किये गये ? उनके खिलाफ क्या शिकायतें हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली जनपद बस्ती का कोई भी सिपाही माह जून, 1977 में निलम्बित नहीं किया गया।

*35—श्री श्रीनारायण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, जिला बस्ती में दिनाँक 11 जून, 1977 को कितने रिपोर्ट दर्ज हुईं और उनमें से कितनों की तफतीश चल रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित दिनाँक को तीन रिपोर्ट दर्ज हुईं एवं उनमें से एक की तफतीश चल रही है।

*36—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*37-38—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*39—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[10वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सुपरवाइजर, सी०आई०जी०एस०, श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी, कानपुर को अनवरगंज स्टेशन पर घायल किए जाने की घटना

*40—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइजर, सी० आई० जी० एस०, श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी, कानपुर को दिनांक 19 जून, 1977 को अनवरगंज रेलवे स्टेशन के निकट चलती गाड़ी से घायल करके फेंक दिया जिससे दिनांक 21 जून, 1977 को मत्यु हो गई और घटना की रिपोर्ट जी० आर० पी० थाना, अनवरगंज मे लिखाई गई? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी अनवरगंज स्टेशन के स्टेशन यार्ड में घायल अवस्था में पाये गए थे। जी० आर० पी० थाना अनवरगंज में रिपोर्ट लिखाई गई थी और मामला दर्ज कर लिया गया किन्तु जाँच में यह स्पष्ट न हो सका कि वास्तव में वह ट्रेन से गिर कर घायल हुए अथवा घायल करके ट्रेन से फेंके गए। मामला अपराध अनुसधान विभाग को सौंप दिया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

जिला जेल, उरई में कैदियों की जबरन नसबन्दी एवं श्री लल्लू की गोली मारने से मृत्यु

*41—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी जन प्रतिनिधि का 30 जनवरी, 1977 का इस आशय का पत्र कि जिला जेल उरई में बन्दियों की जबरन नसबन्दी तथा श्री लल्लू सफाई मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौनसी कार्यवाही की जा रही है?

कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां। उस पर कारागार महानिरीक्षक से जांच करवा कर रिपोर्ट मांगी गई जो अभी अपेक्षित है, परन्तु कारागार महानिरीक्षक ने अन्तरिम रूप से यह सूचना दी है कि पत्र में वर्णित बन्दियों की नसबन्दी विधिवत जांच पड़ताल के पश्चात उनकी स्वेच्छा से कराई गई थी और सभी ने अपने को विवाहित घोषित करते हुए नसबन्दी कराने की इच्छा व्यक्त की थी। जहां तक लल्लू सफाई जमादार को गोली मार कर हत्या करने का प्रश्न है, वह श्री सुमेर सिंह रिजर्व हेड वार्डर की गोली के लगने से उस समय घायल हो गया था। जिसकी सूचना स्थानीय कोतवाली में कर दी गई थी।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिपिकों एवं निरीक्षकों की कोटिक्रम सूची

*42—श्री इन्द्रमणि बढ़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्य करने वाले लिपिक तथा निरीक्षक वर्ग की वर्ष 1974 में अधूरी कोटिक्रम सूची के प्रसारित होने के पश्चात् कोई अन्तिम कोटि-क्रम सूची तैयार कर जिलों को प्रसारित की गयी है? यदि हाँ, तो कब? क्या उसी कोटिक्रम सूची के अनुसार पदोन्नति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

(क) 1974 में लिपिक तथा निरीक्षक वर्ग की कोई कोटि क्रम सूची प्रसारित नहीं की गई बल्कि प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालयों के आलेखक प्रालेखकों की कोटिक्रम सूची प्रसारित की गई। सेवा नियमावली के विचाराधीन होने के कारण अभी अन्तिम कोटिक्रम सूची प्रसारित नहीं की गई है।

(ख) उक्त कोटिक्रम सूची के ही अनुसार तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां की जा रही हैं।

थाना कैन्ट, गोरखपुर में अंकित रिपोर्ट पर कार्यवाही

*43—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमा नं0 960 दफा 394 के अन्तर्गत 3 अगस्त, 1977 को थाना कैन्ट, गोरखपुर में कायम हुआ था उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के परीक्षण से अपराध धारा 394 भारतीय दन्ड विधान का न होकर धारा 323/504/506 भारतीय दन्ड विधान का पाया गया है जो अहस्तक्षेपीय है जिसमें न्यायालय के आदेशों के बिना गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को नहीं है।

सन्देहात्मक रेल पास से यात्रा करने के सम्बन्ध में श्री पी० एन० कपूर के विरुद्ध अंकित मुकदमा

*44—श्री मैनेजर सिंह, श्री गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री गेंदा लाल गुप्त, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा), श्री मोहन सिंह, (देवरिया) श्री महेन्द्र सिंह (जिला इटावा), श्री रणवीर सिंह, (जिला ललितपुर), श्री राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी), श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, (जिला फर्रुखाबाद), श्री बंश गोपाल चौबे (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के दूसरे मंगलवार दिनांक 13-9-77 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री पी0 एन0 कपूर के विरुद्ध क्या अपराध अंकित हुआ था और उस सम्बंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री पी0 एन0 कपूर के विरुद्ध भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 112/131 के अन्तर्गत दिनांक 23 जुलाई, 1977 को सन्देहात्मक रेल कार्ड पास पर यात्रा करने का अपराध अंकित हुआ था। बाद में उसका सत्यापन हो जाने पर दिनांक

24 अगस्त, 1977 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो गई और अभियोग समाप्त कर दिया गया है ।

*45—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री गेंदालाल गुप्ता, श्री अवधेशकुमार श्रीवास्तव, श्री नेतराम सिंह, श्री मोहन सिंह, जिला देवरिया, श्री महेन्द्र सिंह यादव, श्री रणवीर सिंह, श्री राज ब्रज राज सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री वंश गोपाल चौबे तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचल के श्री माण्डा प्रसाद का अपहरण एवं श्री प्रभाकर मिश्र की हत्या

*46—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद के विन्ध्याचल थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित मान्ना पण्डा तथा प्रभाकर मिश्र की निर्मम हत्या अगस्त, 1977 के द्वितीय सप्ताह में कर दी गई जिसकी विधिवत सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज है? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रभाकर मिश्र ने थाना विन्ध्याचल (मिर्जापुर) पर दिनांक 9 अगस्त, 1977 को इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 8-8-1977 को उनके चचेरे भाई माण्डा प्रसाद द्विवेदी व उनके चाचा सायंकाल 6 बजे से 9 बजे रात्रि में सिनेमा देखने गए थे और अन्तिम बस से वापस लौटे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि उनके चाचा अपने घर चले गए और उनका चचेरा भाई माण्डा प्रसाद कुछ व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद जब अपने घर के सामने पहुंचा तो एक कार उसी समय वहां आई और उसमें बैठे दो व्यक्तियों ने जबरदस्ती उसे कार में बैठाया और ले गये ।

इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 365 भारतीय दन्ड विधान के अधीन थाना विन्ध्याचल पर कायम किया गया है और विवेचना से प्रकाश में आए एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही करके आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित दूसरी घटना के बारे में श्री अलबेले मिश्र ने थाना विन्ध्याचल पर दिनांक 11 अगस्त, 1977 को इस आशय की सूचना दी कि नामांकित दो व्यक्ति मोटर से आए और उनके पुत्र श्री प्रभाकर मिश्र को गोली मार दी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

इस सूचना के आधार पर उक्त थाने पर धारा 302 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। नामांकित एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और दूसरे की गिरफ्तारी हेतु धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना प्रगति में है।

*47—श्री रामदत्त जोशी—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

वाराणसी जिले के ग्राम लछिमणियां निवासी श्री गुदरी की हत्या

*48—श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना औराई जनपद वाराणसी की पुलिस द्वारा ग्राम लछिमणिया के श्री गुदरी पासी की हत्या के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर दुबे का दिनांक 23 जुलाई, 1977 ई0 का प्रार्थना-पत्र जो ग्रामीण उद्योग राज्य मन्त्री श्री सूबेदार के कार्यालय से दिनांक 28 जुलाई, 1977 को मुख्य मन्त्री जी के यहां भेजा गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

थाना औराई जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा ग्राम लछिमणिया निवासी श्री गुदरी की हत्या किए जाने की शिकायतों विषयक श्री रमाशंकर दुबे का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1977 शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से उसमें उल्लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

उक्त मृत्यु की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

इलाहाबाद जिले के ग्राम गौरा पौसिया में पड़ी डकैती सम्बन्धी लिखाई गई रिपोर्ट

*49—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम गौरापौसिया थाना मेजा, जिला इलाहाबाद में दिनाँक 7 सितम्बर, 1977 को 5 लोगों के यहाँ डकैती पड़ी (श्री राम कुमार पाल, 2—महावीर पाल, 3—रघुवीरपाल, 4—केदार पाल, 5—शारदा पाल) किन्तु थाना मेजा की स्थानीय पुलिस ने केवल दो लोगों की रिपोर्ट दर्ज की, तीन की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला इलाहाबाद के थाना मेजा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम गौरा पौसिया में दिनाँक 6–7 सितम्बर, 1977 को 5 लोगों के यहाँ डकैती पड़ने की घटना घटित नहीं हुई वरन केवल तीन लोगों (सर्वश्री राम अधार, शारदा प्रसाद व रघुवीर) के यहाँ घटना हुई थी तथा उक्त तीनों घटनाओं के सम्बन्ध में थाना मेजा पर रिपोर्टों का दर्ज होना पाया गया।

मेसर्स वी० को० साइकिल्स, कानपुर तथा मेसर्स केनर्स इन्डिया, लखनऊ को उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

*50—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स वी0 को0 साइकिल्स कानपुर तथा मेसर्स कैनर्स इन्डिया, लखनऊ को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर द्वारा ऋण दिया गया है ? यदि हाँ, तो किस फर्म को कितना रुपया दिया गया है तथा ऋण स्वीकृत करने के

पूर्व क्या तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट माँगी गयी थी ? यदि माँगी गई थी तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम प्रकाश—

जी हाँ ।

प्रश्नगत विवरण संलग्न तालिका में दिए गए हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगें पृष्ठ 366–368 पर)

होमगार्ड्स विभाग का पुनर्गठन एवं उसके लिपिक एवं रनर (धावक) का स्थायीकरण एवं स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नति

*51—श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि होमगार्ड विभाग में कितने लिपिक एवं रनर अब तक स्थायी किए गए ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

राज्यों में होमगार्ड्स संगठन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेशानुसार पुराने प्रारूप में जिला स्तर पर अस्थायी रूप से स्वीकृत लिपिकों एवं रनर्स के सभी पद राज्य सरकार के आदेश दिनाँक 18 नवम्बर, 1971 द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। अतः इन पदों पर उक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। नए प्रारूप में जिला, मंडलीय, होमगार्ड्स–मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के स्तर पर सृजित लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के पुनर्गठन का कार्य शासन के विचाराधीन है। पुनर्गठन कार्य के समाप्त हो जाने पर उक्त पदों पर स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। होमगार्ड्स मुख्यालय पर स्वीकृत 21 लिपिकों के पदों में से आठ को स्थायी किया जा चुका है तथा शेष के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है ।

*52—श्री बाँकेलाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पुनर्गठित प्रारूप में कितने रनर (धावक) पदोन्नति पर स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किए गए ?

श्री राम नरेश यादव—

पुनर्गठित प्रारूप में स्वीकृत स्टोर कीपर के पदों पर किसी भी रनर की नियुक्त नहीं की गयी है ।

*53—श्री रणजीत सिंह जूदेव तथा श्री राम रतन सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

लखनऊ जिले के थाना गोसाईं गंज में अंकित डी०आई०आर० का फर्जी मुकदमा एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा

*54—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अगस्त, 1975 को लखनऊ जनपद के थाना गोसाईंगंज में डी0आई0आर0 के अन्तर्गत कोई फर्जी मुकदमा कायम हुआ था ? जिनमें कथित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्कालीन एस0ओ0 (श्री गिरीश सिंह) और सब

इन्सपेक्टर (श्री श्रीकान्त दीक्षित) द्वारा की गयी थी ? और क्या इस मुकदमें की जाँच पुलिस सी0आई0डी0 और एस0आई0 द्वारा की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो जाँच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 1 अगस्त, 1975 को थाना गोसाईंगंज, लखनऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री गिरीश सिंह और सब इन्सपेक्टर श्री श्रीकान्त दीक्षित ने 5 अभियुक्तों को धारा 114/43 (5) डी0आई0आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। सम्बन्धित मुकदमें में विवेचना के बाद सब इन्सपेक्टर केदारनाथ मिश्र ने आरोप-पत्र लगाया। आरोप प्रमाणित न होने पर न्यायालय ने अभियुक्तों को रिहा किया और सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवक्षेप पारित किए। इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा 500 के अन्तर्गत जाँच कराई गई और सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दिनाँक 27 जून, 1977 को थाना गोसाईंगंज में धारा 342/218/193/211/220 भा0द0वि0 का मुकदमा दर्ज कराया गया जिसकी विवेचना एस0आई0एस0 द्वारा की जा रही है।

लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अभियन्त्रण स्नातकों की परीक्षा एवं उनकी अर्हता

*55—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली जाने वाली प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभियन्त्रण स्नातकों को अर्ह ठहराया गया है ? क्या अभियन्त्रण क्षेत्र के विषय भी उक्त परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

प्राप्त विवरण के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा जिसमें प्रशासनिक सेवा के पद भी शामिल हैं, के लिए स्नातक अथवा कोई समकक्ष उपाधि अर्हता के रूप में निर्धारित है। इनमें विधि द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सभी अभियन्त्रण स्नातक भी अर्ह हैं बशर्ते कि वे परीक्षा की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

इस परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के रूप में अभियन्त्रण क्षेत्र के विषय में एप्लाइड मेकेनिक्स', 'प्राइम मूवर्स' तथा मिकैनिकल इंजीनियरिंग' भी सम्मिलित है।

प्रश्न के तीसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता।

*56—श्री राम आधार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

मथुरा जिले के थाना फरह में अस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया मुकदमा

*57—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के थाना फरह में धारा 399/402 भा0 दं0 सं0 25 अस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज अपराध सं0 15 से 20

सन् 1977 की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध की विवेचना सर्व प्रथम थाना बलदेव के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने प्रारम्भ की और मई, 1977 में उनका स्थानान्तरण हो जाने के बाद विवेचना थाना बलदेव के नए थानाध्यक्ष को दी गई ? परन्तु अपराध की जटिलता को देखते हुए उक्त विवेचना क्षेत्राधिकारी को सुपुर्द की गई है। विवेचना जारी है।

*58—श्री तेजभान सिंह—

[10वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ जिले के ग्राम खाण्डेदेव में पकड़ी गयी अवैध शस्त्र की फैक्ट्री एवं सशस्त्र गार्ड्स के विरुद्ध कार्यवाही

*59—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खाण्डेदेव, थाना बन्थरा, जिला लखनऊ में स्थानीय पुलिस द्वारा 29 जुलाई, 1977 को छापा मार कर अवैध शस्त्र बनाने वाली कोई फैक्टरी पकड़ी थी, जिसके सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

ग्राम खाण्डेदेव थाना बन्थरा, जिला लखनऊ में स्थानीय पुलिस द्वारा 28 जुलाई, 1977 को छापा मार कर अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्टरी पकड़ी गयी जिससे दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। एक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका क्योंकि वह घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*60—श्री शिव प्रसाद—

क्या यह सही है कि पुलिस आर्म्स गार्ड गाँव में पड़ी थी तब भी यह अवैध फैक्टरी चल रही थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित आर्म्स गार्ड के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सत्य है कि ग्राम खाण्डेदेव, थाना बन्थरा, में एक सशस्त्र गार्ड लगी है परन्तु अवैध शस्त्र घर के अन्दर बनाया जा रहा था और जिस घर में अवैध शस्त्र बनाये जा रहे थे उस घर से वह स्थान जहाँ सशस्त्र गार्ड नियुक्त थी, काफी दूर है। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र बनाने का कार्य गुप्त रूप से होता रहा इसलिए इस अवैध कार्य की जानकारी सशस्त्र गार्ड को नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में सशस्त्र गार्ड के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के थाना बड़हलगंज के इन्सपेक्टर श्री राज किशोर सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*61—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब बड़हलगज, जिला गोरखपुर के थाने पर तैनात सब इंसपेक्टर (श्री राज किशोर सिंह) के विरुद्ध गाँधी इन्टर कालेज, भदूवापार, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य ने कतिपय आरोप भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा अन्य मामलों के लगाये हैं जिसकी जाँच डिप्टी एस0 पी0 एन्टी करप्शन एवं जिला पुलिस के ए0 एस0 पी0 ने किया है और वह रिपोर्ट अधिकारियों को प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो लगभग एक वर्ष से रिपोर्ट मुख्यालय में होने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित सब इन्सपेक्टर श्री राज किशोर सिंह जाँच में कुछ बिन्दुओं पर दोषी पाये गए थे एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु कागजात पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्रेषित किए गए हैं ?

*62—श्री मुहम्मद रफी खां—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

बस्ती जिले के ग्राम मोगलहा निवासी श्री श्याम कुंवर की हत्या की सी०आई०डी० द्वारा जांच की मांग

*63—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री श्याम कुंवर पुत्र श्री श्याम बिहारी, ग्राम मोगलहा, थाना उस्का बाजार, जिला बस्ती को अभी हाल ही में कुछ बदमाशों की साजिश से गायब कर मार डाला गया और थाना उस्का बाजार में इस मामले में एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है ? यदि हाँ, तो उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में मृतक श्री श्याम कुंवर की स्त्री श्रीमती इन्द्रमती के प्रार्थना-पत्र दिनाँक 15 सितम्बर, 1975 के आधार पर थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती पर एक अपराध संख्या 126/75 धारा 364/302/201 भारतीय दन्ड विधान दिनाँक 6 अक्तूबर, 1975 को पंजीकृत हुआ। विवेचना करने के उपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था जो कमियों के निवारण हेतु पुन: विवेचनाधीन है।

*64—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने का प्रार्थना-पत्र किसी ने दिया है। यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराएगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

उल्लिखित प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की मांग

*65—श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विधान सभा के किसी भूतपूर्व सदस्य, श्री भृगुनाथ तथा एक वर्तमान सदस्य, श्री शत्रुघ्न प्रसाद ने प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव, सतर्कता विभाग श्री इन्द्र मोहन सहाय को सहकारिता विभाग के 13 भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच कराने की हाल में ही माँग की थी? यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों के नाम एवं पद देते हुए यह भी बतायेंगे कि प्रत्येक के खिलाफ क्या आरोप हैं?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। इस चरण पर नाम, पद एवं आरोपों का विवरण देना जनहित में न होगा।

*66—श्री श्यामदेव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या सम्बन्धित 13 भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता की जाँच आरम्भ कर दी गई है? यदि हाँ, तो यह कब समाप्त होगी?

श्री राम नरेश यादव—

अभी प्रारम्भिक छानबीन की जा रही है।

*67—श्री रामदेव दुबे—

[8वें मगलवार के लिए स्थगित।]

सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्तियों के लिये ऊंचाई सम्बन्धी अर्हता

*68—श्री रामदेव दुबे—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि अभियोजन शाखा (ए0 पी0 पी0) इस समय पुलिस ऐक्ट सेक्शन-2 से शासित नहीं हो रही है तथा ए0 पी0 पी0 की ऊंचाई सम्बन्धी अर्हता 165 सेंटीमीटर से 168 सेन्टीमीटर कर दी गयी है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

ए0 पी0 पी0 शाखा पुलिस ऐक्ट से शासित नहीं हो रही है परन्तु जब तक नई नियमावली एवं व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती यह शाखा प्रशासकीय सुविधा के लिए पुलिस विभाग के नियन्त्रण में चलायी जा रही है। दिनाँक 31 मार्च, 1974 तक सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए निर्धारित ऊंचाई 165 सेन्टीमीटर थी। उसके उपरान्त इसे पुलिस विभाग ने पुलिस उप निरीक्षकों के समान इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के लिए ऊंचाई 168 सेन्टीमीटर कर दी है।

लखनऊ जिले के ग्राम लोधपुरवा म पड़ी डकैती

*69—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम लोध पुरवा थाना, नगराम, जिला लखनऊ में दिनांक 16/17 सितम्बर, 1977 की रात्रि में डकैती पड़ी थी जिसमें तीन महिलायें गम्भीर रूप से घायल हो गयीं जिनकी हालत चिन्ता जनक है ? यदि हाँ तो पुलिस ने तत्काल सहायता हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 16/17 सितम्बर 1977 की रात में ग्राम लोधपुरवा, थाना नगराम, जिला लखनऊ, निवासी श्री मोहनलाल के यहाँ पड़ी डकैती में एक महिला को छर्रे की एक चोट तथा दो अन्य महिलाओं को कुन्द हथियारों की दो-दो चोटें आई थीं। किसी भी महिला की हालत चिन्ताजनक नहीं थी। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

फैजाबाद जिले के ग्राम खुलासपुर निवासी श्री राम नयन यादव के घर की कुर्की

*70—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 सितम्बर, 1976 को श्री राम नयन यादव आदि निवासी ग्राम खुलासपुर, थाना बेवाना के घर की, धारा 82/83 के अन्तर्गत कुर्की की गयी ? यदि हाँ, तो इस कुर्की का आदेश किस न्यायालय से किस तारीख को जारी हुआ था और कुर्की के सामान का विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नयन यादव, निवासी ग्राम खुलासपुर, थाना बेवेना के घर की कुर्की दिनाँक 21 सितम्बर, 1976 को न होकर दिनाँक 20 सितम्बर, 1976 को हुई। कुर्की का आदेश दिनाँक 16 सितम्बर, 1976 को न्यायालय सी0 जे0 एम0, फैजाबाद के यहाँ से जारी हुआ था। कुर्की के सामान की लिस्ट संलग्न है

(देखिए नत्थी में आगे पृष्ठ 369 पर।)

वोटर लिस्ट में हरिजन मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना

*71—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

क्या न्याय एवं विधि मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में निर्वाचक नामावली (वोटरलिस्टों) में लाखों की तादाद में हरिजन एवं अन्य निर्बल वर्ग के अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए थे ? जिसके सम्बन्ध में व्यापक पैमाने पर मतदाता शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही हैं ? यदि हाँ, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनका संशोधन एवं परिवर्धन करानें के बजाय पूरे प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण (रिवीजन) कराएगी जिससे कि जो मतदाता का नाम न तो छूटने पाए और न ही एक व्यक्ति का नाम कई जगहों पर अंकित होने पाए। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं, समय-समय पर नाम बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रहा है तथा उसके निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जायगी।

*72–73—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

सचिवालय के सन्दर्भ सहायकों के स्थायीकरण की मांग

*74—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में पिछले 5 साल से कितने अस्थायी सन्दर्भदाता कार्यरत हैं तथा उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री राम नरेश यादव—

सचिवालय में पिछले पाँच साल से 88 सहायक अस्थायी संदर्भदाता के रूप में कार्यरत हैं। संदर्भदाता के पदों पर स्थायीकरण के लिए नियमानुसार केवल वही स्थायी अवर वर्ग सहायक अर्ह है जिन्हों ने अवर वर्ग सहायक के पद पर 10 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली। अर्ह सहायक के स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

पुलिस सब इन्सपेक्टर के पद हेतु अर्हता एवं आयु की सीमा

*75—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सब इंसपेक्टर के पद पर चयन के लए न्यूनतम योग्यता इन्टर से बढ़ाकर स्नातक तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष कर दी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताएगी कि ऐसा किन कारणों से किया गया?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। पुलिस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित गोरे कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर ऐसा किया गया है।

*76—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[9वें सोमवार म तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बरेली में हुई मण्डलीय उप समिति की बैठकों में बदायूं जिले की योजनाओं पर लिया गया निर्णय

*77—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मन्त्रि मण्डलीय उप समिति उत्तर प्रदेश की बैठक जो 1976 में बरेली में हुई थी और उसने बदायूं जिले के लिए जो योजनाएं स्वीकृत की थीं उन योजनाओं के अधीन अब तक क्या कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

[श्री राम नरेश यादव--

की गयी कार्यवाही का प्राप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 370–372 पर ।)

टिहरी गढ़वाल में भिलंगना बाँई सिंचाई योजना का सर्वेक्षण

*78--श्री इन्द्रमणि बड़ौनी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को मालूम है कि टिहरी-गढ़वाल में भिलंगना बाँई सिंचाई योजना का सर्वेक्षण सन् 1967-68 से आरम्भ किया गया था, इस समय यह योजना शासन के पास स्वीकृत होने के लिए आयी है ? यदि हाँ, तो क्या सिंचाई मन्त्री जी इसको स्वीकृत करके काम आरम्भ करने की कृपा करेंगे ?

श्री शोबन सिंह जीना--

भिलंगना बाँई सिंचाई योजना का एक प्रोजेक्ट प्रारम्भिक सर्वेक्षण के पश्चात् वर्ष 1972 में तैयार किया गया था, परन्तु वह उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके बाद इस योजना के कई विकल्पों की सर्वेक्षण व जाँच होती रही है। अभी अन्तिम प्रोजेक्ट शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं हुआ है।

खीरी जिले में सरकार बनाम श्री आशा राम के मुकदमें के निर्णय के आधार पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*79—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खीरी ने जो निर्णय दिनाँक 16 अगस्त, 1977 को सत्र परीक्षण न0ए0 247, सन् 1974 सरकार बनाम आशा राम में दिया है और जिसकी प्रतिलिपियाँ मुख्य मन्त्री, न्याय मन्त्री, आई0 जी0 को भेजी जा चुकी है उसके अनुसार सम्बन्धित पुलिस कप्तान, सब इंसपेक्टर व राजकीय अधिवक्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित निर्णय में अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ पारित अवशेषों की जाँच की गयी और उनके आवश्यक होने के विषय पर शंका होने की स्थिति में इनको निकालने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हो जाने पर ही कोई कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

शाहजहांपुर जिले में आग्नेयास्त्रों के दिए गए लाइसेन्स

*80--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहाँपुर में दिनाँक 1 जनवरी, 1977 से 30 मार्च, 1977 तक कितने लाइसेन्स बन्दूक राइफल तथा रिवाल्वर

के प्रदान किये गये और उन पर किनकी संस्तुति थी और क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में अनक दुश्चरित्र लोगों को भी लाइसेन्स दे दिए गये ? यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

शाहजहाँपुर जिले में दिनाँक 1 जनवरी, 1977 से 30 मार्च, 1977 तक 141 बन्दूक, 25 राइफल्स तथा 17 रिवाल्वर्स के लाइसेन्स प्रदान किए गये। वे लाइसेन्स जिलाधिकारी नें अपने विवेकानुसार सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागीय अधिकारियों की संस्तुति पर दिए और अन्य लोगों को पुलिस की जाँच एवं संस्तुति के आधार पर दिए गए । किसी दुश्चरित्र व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं दिया गया।

मुख्य अरण्यपाल कार्यालय के सांख्यकीय संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*81—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के कर्मचारियों के साँख्यकीय संवर्ग सेवा नियम जो बनें हैं वह लागू किए गए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

वन विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के साँख्यकीय संवर्ग की सेवा नियमावली का आलेख्य शासन को सितम्बर, 1977 में प्राप्त हुआ है, जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही नियमावली लागू की जा सकेगी ।

*82—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

बस्ती जिले के ग्राम दुबौनी के कृषकों का असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*83—श्री सुख पाल पाण्डेय तथा श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि असामाजिक व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के विषय पर ग्राम दुबौनी, थाना महुली, जिला बस्ती के कृषकों का कोई शिकायती-पत्र दिनाँक 20 जुलाई 1977 को शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ तो मामला क्या है ? उन कृषकों की जानमाल की रक्षा हेतु शासन ने तत्काल क्या कदम उठाए ? यदि नहीं उठाए, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर के ग्राम हरिसिंह मजरा सारंगपुर के हरिजनों का, झूठा मुकदमा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

1—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को ग्राम नगला हरिसिंह, थाना पहासू के हरिजनों का एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 9 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुआ है जिसमें उन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे करने और उनके घरों में आग लगाने की धमकी देने के सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम नगला हरि सिंह, मजरा सारंगपुर, थाना पहासू के निवासी हरिजनों सर्वश्री इतवारी तथा अन्य का एक प्रार्थना पत्र दिनाँक 9 जुलाई, 1977 पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के कार्यालय में दिनाँक 12 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थीगण ने अपने ही गाँव के कुछ जाटों के विरुद्ध प्रार्थीगण के खिलाफ धारा 325 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत झूठा मुकदमा अंकित करवाने एवं उनके घरों में आग लगा देने इत्यादि की शिकायतें की थीं। आरोपों की जाँच की गई। जाँच से प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 325 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत झूठा मुकदमा कायम कराने का आरोप सही नहीं पाया गया। विपक्षीगण द्वारा घरों में आग लगा देने के आरोप के सम्बन्ध में दिनाँक 9 जुलाई, 1977 को श्री विजय सिंह तथा अन्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना पहासू पर मुकदमा अप0 सं0 86 धारा 436 भा0 दं0 वि0 कायम किया गया था। विवेचना से घटना झूठी पाई गई। अत: इस मुकदमें में जुर्म खारिज करने की रिपोर्ट सहित अन्तिम आख्या दिनाँक 6 अगस्त, 1977 को प्रेषित की गई।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा 'पर्वतांचल' पत्रिका का प्रकाशन

2—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतांचल नामक कोई पत्रिका पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से छपती है जिसका प्रकाशन नई दिल्ली की किसी प्रिंटिंग संस्था से होता है और उसके प्रबन्ध सम्पादक पर्वतीय विकास विभाग के सचिव हैं और सम्पादक मन्डल में सभी पर्वतीय जिलों के जिलाधिकारी हैं ? यदि हाँ, तो इस पत्रिका के प्रकाशन की क्यों आवश्यकता हुई और उस पर कुल कितना और किन-किन स्रोतों से व्यय होता है ? क्या यह भी सत्य है कि नई दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास के बजट से 6 हजार रुपया मानदेय दिया गया ? यदि हाँ, तो यह मानदेय किस आधार पर दिया गया है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

जी हाँ।

इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य यह था कि अन्य पर्वतीय राज्यों तथा विदेश में भी इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति व समस्याओं के बारे में ज्ञान बढ़े और रुचि जागृत हो।

हिन्दी तथा अंग्रेजी में इस पत्रिका के प्रकाशन पर औसतन लगभग 30,250 रुपये प्रतिमास व्यय होता है जिसमें सम्पादकीय कार्य की फीस (कन्सलटेन्सी), मुद्रण व्यय तथा देश विदेश की प्रमुख संस्थाओं, व्यक्तियों आदि में वितरण का व्यय शामिल है। यह व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा उसके बजट से नई दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को 6,000 रुपये का कोई मानदेय नहीं दिया गया।

3—श्री रामजी—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के सलेमपुर थाना के अन्तर्गत दस्यु श्री नगीना यादव को मारने पर थानाध्यक्ष श्री भूपति सिंह को पुरस्कृत किया जाना

4—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना के अन्तर्गत धवरकन स्थित चोखावारी में दिनांक 31 मार्च, 1974 को दस्यु सरदार नगीना यादव पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से मारा गया जिसका नेतृत्व तत्कालीन थानाध्यक्ष सलेमपुर (श्री भूपति सिंह) कर रहे थे, शासन ने उपरोक्त थानाध्यक्ष को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो अब तक क्यों नहीं पुरस्कृत किया गया?

श्री राम नरेश यादव—

श्री भूपति सिंह सब-इन्सपेक्टर को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।

स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि० चुर्क, मिर्जापुर में आपात स्थिति के दौरान नियुक्त किए गये अधिकारी एवं सीमेंट का उत्पादन

5—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 चुर्क डाला जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति के दौरान कितने अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गयीं तथा आपात-कालीन स्थिति के पूर्व कितने अधिकारी कार्यरत थे?

श्री राम प्रकाश—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0, चुर्क जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति के दौरान 27 अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी तथा आपात-कालीन स्थिति के पूर्व 93 अधिकारी कार्यरत थे।

6—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के पूर्व तथा आपातकालीन स्थिति में उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0, चुर्क डाला, जिला मिर्जापुर का उत्पादन कितने-कितने प्रतिशत रहा और अब कितने प्रतिशत है?

श्री राम प्रकाश—

प्रश्नगत सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 373 पर।)

गाजियाबाद के फरीदनगर में रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना की मांग

7—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या फरीदनगर टाउन एरिया, जिला गाजियाबाद में रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कितने दिनों में इस पर अन्तिम निर्णय हो जायगा ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। फरीदनगर टाउन एरिया, जिला गाजियाबाद की वाच ऐन्ड वार्ड चौकी को रिपोर्टिंग चौकी के रूप में उच्चीकृत करने का एक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है और शासन के विचाराधीन है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में उस पर यथा समय कार्यवाही की जाएगी।

गोंडा जिले के थानाध्यक्ष, श्री स्वामी नारायण छपिया के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

8—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 29 जुलाई, 1977 तथा 12 अगस्त, 1977 के दो प्रार्थना-पत्र प्रधानाचार्य, जनता उ0 मा0 विद्यालय, पटेश्वरनाथ पतिजिया बुजुर्ग, गोंडा तथा अन्य लोगों ने थानाध्यक्ष स्वामी नारायण छपिया, जिला गोंडा द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य मन्त्री बिक्री-कर तथा खाद्य मन्त्री के माध्यम से डी0 आई0 जी0, फैजाबाद तथा एस0 पी0, गोंडा को भेजा, प्राप्त हुआ, है ? यदि हाँ, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

दोनों प्रार्थना-पत्रों की जाँच पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा की जा रही है। प्रशासनिक आधार पर थानाध्यक्ष स्वामी नारायण छपिया का स्थानान्तरण दिनांक 5 सितम्बर, 1977 को जनपद गोंडा में अन्य थाने पर कर दिया गया है। जाँच पूरी होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर जिले के थानों में हरिजनों से सम्बन्धित दर्ज की गयी रिपोर्ट

9—श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के समस्त थानों में अलग-अलग गत 8 महीनों में हरिजनों से सम्बन्धित कितनी रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा उन घटनाओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के आधार पर उल्लिखित अवधि में गोरखपुर जिले के समस्त थानों पर 216 हस्तक्षेपीय अपराध एवं 461 अहस्तक्षेपीय अपराध दर्ज हुए थे. हस्तक्षेपीय अपराधों में दो मुकदमों की विवेचना नहीं हुई, क्योंकि एक मुकदमें में वादी ने स्वयं इस्तगासा कर दिया है एवं एक में दोनों पक्षों में सुलह हो गई है । अहस्तक्षेपीय अपराधों में 173 मुकदमों में न्यायालय से अनुमति न मिल पाने के कारण विवेचना नहीं हुई। समस्त थानों पर अंकित रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 374–377 पर।)

लखीमपुर खीरी जिले में वन विभाग के मोहर्रिरों के स्थायीकरण की मांग

10—श्री रामपति—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी जनपद के उत्तरी और दक्षिणी प्रभागों में वर्ष 1966 से कार्यरत निकासी मोहर्रिर को सीजनल के स्थान पर स्थायी करने हेतु फरवरी, 1976 में कोई आदेश अरण्यपाल वन प्रभाग खीरी को शासन ने भेजा था ? यदि हाँ, तो उनमें दक्षिण प्रभाग के किन-किन मोहर्रिरों को स्थायी सेवा में लिया गया और कब ?

श्री श्रीचन्द—

लखीमपुर खीरी जनपद में केवल दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 19 सीजनल मोहर्रिर के पद वर्ष 1966 तथा उससे पूर्व से चले आ रहे हैं ? लेकिन इन पदों पर कार्यरत सीजनल मोहर्रिरों को स्थाई करने हेतु फरवरी, 1976 में कोई आदेश शासन द्वारा अरण्यपाल को नहीं भेजे गये थे । अतएव दक्षिणी प्रभाग के इन सीजनल मोहर्रिरों को स्थाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उच्च न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक अवधि के विचाराधीन मुकदमें

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को उच्च न्यायालय में ऐसे कितने मुकदमें विचाराधीन थे जिनको दायर हुए 5 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को उच्च न्यायालय में (लखनऊ बेंच सहित) 15,705 मुख्य वाद तथा 12,359 विविध वाद विचाराधीन थे जिनको दायर हुए 5 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी थी ।

प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पाने वाले सेनानियों की संख्या एवं फर्जी प्रमाण-पत्र पर पेंशन लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

12—श्री नारायण सिंह भैसोंरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनैतिक पेन्शन दी जाती है । क्या सरकार को ज्ञात है कि इनमें फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पेन्शन पा रहे भी हैं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस समय राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन पाने वाले सेनानियों की संख्या अनुमानत: 25,000 है।

फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पेन्शन पाने वाले व्यक्ति का यदि कोई मामला शासन की जानकारी में आता है तो उस पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों की तात्कालिक जाँच कराकर न केवल पेन्शन आदेश निरस्त किये जाते हैं बल्कि तब तक प्राप्त समस्त धनराशि की वसूली भी कर ली जाती है।

कानपुर जिले के ग्राम गढ़वा निवासिनी श्रीमती विमला देवी द्वारा आत्म हत्या

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राज्य सरकार ने गत 4 नवम्बर, 1976 को ग्राम गढ़वा, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर में विवाहित युवती श्रीमती विमला देवी की रहस्यमय मृत्यु की जाँच के आदेश दिये थे ? यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम निकला ?

13—श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

अब तक की विवेचना से श्रीमती विमला देवी का स्वयं आग लगाकर आत्म हत्या करना पाया गया। मामले की दरियाफ्तहाल विवेचना जारी है।

नैनीताल जिले में रामनगर-कालागढ़ कोटद्वार मार्ग का निर्माण

14—श्री राम दत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के अन्तर्गत रामनगर नामक स्थान से कालागढ़, के लिए जाने वाले मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना किस आर्थिक वर्ष में स्वीकार किया गया था और उपरोक्त मार्ग पर मिट्टी डालने का काम कब से शुरू हो गया था और कितने किलोमीटर लम्बाई में अर्थ वर्क हो चुका है तथा उपरोक्त सड़क का कितना भाग वर्तमान आर्थिक वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

रामनगर-लालढांग-कालागढ़-कोटद्वारा अन्तर्जिला मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1976-77 में अगस्त माह में दी गयी थी। जिला नैनीताल में उक्त मार्ग पर मिट्टी डालने का कार्य जनवरी, 1977 से आरम्भ हुआ था तथा 8 किलोमीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मार्ग के 8 किलोमीटर में पुलियों का निर्माण तथा सीलिंग कोट तक कार्य होने का अनुमान है।

बाराबंकी जिले में थानावार कत्ल एवं डकैती का विवरण

15—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के प्रत्येक थाने में माह जुलाई, अगस्त सन् 1977 में कुल कितने कत्ल और डकैती हुयीं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बाराबंकी के प्रत्येक थाने में माह जुलाई, अगस्त सन् 1977 में कुल 18 कत्ल तथा 25 डकैती की घटनाएं हुईं। उक्त के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण थानेवार संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 378–379 पर ।)

शंकर लाल यादव, रेंजर, माताटीला रेंज, ललितपुर द्वारा बेचा गया ऐंगिल आइरन तथा तार

16—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेंजर माताटीला रेंज श्री शंकर लाल यादव, जिला ललितपुर ने लगभग तीस हजार रुपयों का 1800 इंगिल और तार के बंडलों को मोटर ट्रक में भर कर दिनाँक 6 जून, 1977 को बबीना (झांसी) ले जाकर बेंच दिया है, यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीचन्द—

श्री शंकर लाल यादव, रेंजर, माताटीला रेंज जिला ललितपुर को 30,000 रुपए के 1,800 ऐंगिल-आइरन और तार के बंडलों को मोटर ट्रक में भरकर दिनाँक 5 जून, 1977 को बबीना (झांसी) ले जाकर बेचते हुए नहीं पकड़ा गया है। परन्तु श्री गोपी प्रसाद, वन रक्षक माताटीला रेंज के शिकायती-पत्र दिनाँक 9 जून, 1977 के अनुसार जो उप अरण्यपाल, बुन्देलखण्ड वन प्रभाग, झांसी को दिनाँक 18 जून, 1977 को प्राप्त हुआ द्वारा इस बात का संकेत मिला है कि दिनाँक 6 जून, 1977 को श्री शंकर लाल यादव ने 560 ऐंगिल आइरन मिलिट्री के ट्रकों में लदवाकर मिलिट्री को सप्लाई कर दिया है।

उक्त शिकायती-पत्र की जाँच सहायक अरण्यपाल, माताटीला द्वारा करायी गयी। सहायक अरण्यपाल ने सूचित किया कि माताटीला रेंज के 1915 ऐंगिल-आइरन के खम्बे गायब हैं। अतः इस मामले में जाँच हेतु थाना कोतवाली, ललितपुर में दिनाँक 29 जुलाई, 1977 को एफ0 आई0 आर0 लाज (lodge) कराया गया।

देवरिया जिले के बनकटा एवं भटनी पुलिस स्टेशन हेतु भवन निर्माण

17—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत 10 वर्षों से किराए के भवन में चल रहे पुलिस स्टेशन, बनकटा व भटनी हेतु भवन निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो भवन निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हाँ, परन्तु अभी केवल बनकटा थाने के निर्माण के लिए भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि के उपलब्ध हो जाने के बाद निर्माण कार्य आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्भर करेगा।

18-19--श्री बसन्त लाल--

[9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

20--श्री राजेन्द्र कुमार--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा

21--श्री मित्रसेन--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकृत समाचार-पत्र सम्वाददाताओं को निःशुल्क बस यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय अभी हाल में लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह सुविधा पूरे प्रदेश भ्रमण की होगी या जिलों से मुख्यालय तक ही सीमित होगी?

श्री राम नरेश यादव--

राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में व्यावसायिक यात्राओं हेतु प्रतिवर्ष प्रति पत्रकार 5,000 किलो मीटर की सीमा तक निःशुल्क यातायात की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिला स्थित मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए भी निःशुल्क यातायात की सुविधा देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

22--श्री संगम लाल--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम दौला-बलिया की पेयजल योजना तथा कथित डिग्गी का निर्माण

23--श्री राम दत्त जोशी--

क्या यह सच है कि ग्राम दौला बलिया, बेरीनाग ब्लाक, जिला पिथौरागढ़ के ग्रामवासी हरिजनों के लिए 1973-74 में पेय जल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन जोड़ी गई थी और पाइप पतले एवं कमजोर होने के कारण टूट गए थे? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन पाइपों को अब तक क्यों नहीं बदला गया?

श्री शोबन सिंह जीना--

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग ब्लाक के दौला-बलिया ग्राम में हरिजनों के लिए वर्ष 1973-74 में निर्मित पेयजल योजना इस समय चालू हालत में है तथा पाइप ठीक हालत में है अतः पाइपों के बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

24—श्री रामदत्त जोशी—

क्या यह सच है कि 1976-77 में पिथौरागढ़ जिले के बेरी नाग ब्लाक, ग्राम दौला बलिया में सरकार ने जनता के पीने के पानी के लिए सार्वजनिक स्थान पर डिग्गी बनाने का आदेश दिया था किन्तु उक्त गाँव के सरपंच ने उस डिग्गी को सार्वजनिक स्थान पर न बनवाकर अपने निजी हित के लिए डिग्गी बनाई है और जिससे जनता पानी पीने से वंचित है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी आवश्यकीय जाँच कराकर जनता के लिए दूसरी डिग्गी बनवाएगी?

श्री शोबन सिंह जीना—

वर्ष 1976-77 में शासन द्वारा ग्राम दौला-बलिया में सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की डिग्गी के निर्माण हेतु कोई आदेश नहीं दिए गए। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। [× × ×]

श्री अध्यक्ष—

इसकी अनुमति नहीं है। आप व्यवस्था के नाम पर कैसे कह सकते हैं? यह प्रोसीडिंग में नहीं आएगा। इसका नोटिस मिल चुका है।

श्री मोहन सिंह—

शून्य प्रहर में जो आइटम ले रहे हैं

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं है। आप बैठ जाइए। अलग इसमें नोटिस मुझे मिला है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं। आपकी इजाजत से।

श्री अध्यक्ष—

आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं शून्य प्रहर में सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जिनको मैंने मंजूर किया है वही आएंगी। समाचार-पत्रों की अलग मेरे पास सूचना है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी है। तभी मैं देखूंगा अभी नहीं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

उन मन्त्रियों को क्यों नहीं दन्डित किया जाता जिनके आदेश से अधिकारियों को जुल्म करने के लिए बाध्य होना पड़ा?

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

फैजाबाद जनपद के अकबरपुर तहसील में मरैला कताई मिल में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :

मान्यवर, फैजाबाद जनपद के अकबरपुर तहसील में स्थित मरैला कताई मिल में इस समय पिछले लगभग एक सप्ताह से श्रमिकों की हड़ताल चल रही है और वहाँ का वातावरण बहुत ही तनाव पूर्ण हो गया है। हड़ताल के तीसरे दिन प्रबन्धकों द्वारा जारी की गई एक नोटिस के अनुसार इस हड़ताल से प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपए की क्षति हो रही है। हड़ताल समाप्त न होने की स्थिति में प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की भी धमकी दी है। कताई मिल के इर्द-गिर्द तथा अकबरपुर नगरपालिका और जलालपुर टाउन एरिया क्षेत्रों में एहतियाती तौर पर धारा 144 लगा दी गई है। स्थिति लगातार बिगड़ती और विस्फोटक होती जा रही है और श्रमिक असन्तोष किसी भी समय भयंकर रूप ले सकता है। मेरी सूचना के अनसार इस समय लगभग 1,000 पी0 ए0 सी0 के जवान घटना स्थल पर तैनात हैं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस लोक महत्व की घटना की सूचना माननीय सदन को देते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षप कर के समस्या का समुचित हल निकाले। श्रीमन्, मैं आप से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर और अपने प्रभाव का सदुपयोग करके सरकार को इस बारे में उचित निर्देश दें ताकि स्थिति को बद से बदतर होने से बचाया जा सके और पिछली सरकारों ने आम जनता और विशेषकर श्रमिकों के दिल और दिमाग पर जो यह छाप डाली है कि सरकार बिना लाठी चार्ज और गोलीकांड की घटनाएं हुए उस ओर ध्यान नहीं देती इस भावना को निर्मूल किया जा सके।

कानपुर के घाटमपुर विधान सभाई क्षेत्र में डकैती, हत्या, लूटपाट की घटनाएं तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रहर के अवसर में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानपुर जनपद के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहाँ अराजकता, गुन्डागर्दी, डकैती, लूटपाट, हरिजन उत्पीड़न, आगजनी आदि की घटनायें आए दिन हो रही हैं विशेष कर हमारे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि मेरी जानमाल का भी खतरा उपस्थित हो गया है। जिला प्रशासन इतना अपंग है कि कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को गुमनाम पत्र मिलें हैं कि वह मेरा साथ छोड़ दें अन्यथा उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे क्षेत्र के ग्राम कुडनी के प्रधान श्री छेदा लाल पाण्डेय का मर्डर काफी अरसे पूर्व हुआ था परन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी कर सकने में क्षेत्रीय पुलिस असमर्थ रही है। अतः अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कठोर कदम उठाने हेतु जिला प्रशासन को आदेश दिए जायं।

इसी प्रकार 24 सितम्बर, 1977 को श्री राम नारायण शुक्ल पो0म0 जवान आर्म्स कम्पनी, हालसी रोड, कानपुर का मर्डर रात्रि 9-15 पर दुकान के फुटपाथ में कई व्यक्तियों के साथ बैठे होते हुए भी गोली मार कर किया गया है। लाल मन नामक व्यक्ति तो मौके पर ही पकड़ लिया गया था। परन्तु अन्य अभियुक्तों को अभी तक भी नहीं पकड़ा जा सका है। श्री शुक्ला जी का अनाथ परिवार अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण घबराया हुआ है क्योंकि परोक्ष रूप से नामजद अभियुक्त शुक्ला जी के परिवार एवं उनके साथियों को धमकियाँ दें रहे हैं कि कारगर पैरवी करने पर उनको भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। अतः सरकार प्रशासन को चुस्त कराकर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कराने की कृपा करें।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर जिला व शहर की पुलिस प्रशासन को चुस्त किया जाय। मेरे कार्यकर्ताओं तथा मेरी जान माल की सुरक्षा करनें की भी व्यवस्था की जाय।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को अलीगढ़-दिल्ली पैसेन्जर को महरावल स्टेशन के पास लूटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीनापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में लोक महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चलती रेलगाड़ियों में लूटमार एवं डकैती घटनाओं की वृद्धि से जन जीवन में असुरक्षा एवं आतंक की भावना निरन्तर बढ़ रही है। मैलानी एवं अटरिया की घटनाएं अभी भूली भी नहीं थीं कि 15 अक्तूबर, 1977 को अलीगढ़-दिल्ली पैसेन्जर सवारी गाड़ी में महरावल स्टेशन पर चलते यात्रियों को लूट लिया गया।

अलीगढ़ से सात किलोमीटर दूर महरावल स्टेशन से उक्त गाड़ी ज्यों ही चली कि लुटेरे एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में घुस आए। चाकुओं और पिस्तौल की नोक पर लगभग आधा दर्जन व्यक्तियों को घायल कर भारी तादाद में माल लूट लिया। रविन्द्र पाल सिंह नामक एक नवयुवक डाकुओं से प्रतिरोध करते समय गम्भीर रूप से घायल हुआ, उसकी दशा चिन्तनीय है। लुटेरें कलुआ नामक अगले स्टेशन पर आराम से उतर कर लूट के माल सहित नदारद हो गए। अभी तक एक भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डिब्बे के सभी 50 यात्री लूटे गए। माल का अनुमान बीस हजार रुपए का है। मान्यवर, मैं पुनः शासन का ध्यान इस घटना की ओर आकृष्ट करते हुए कड़ी सुरक्षात्मक व्यवस्था की माँग करता हूं तथा यह भी आग्रह है कि ट्रेन में तैनात पुलिसजनों को बरखास्त किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद आगरा की फिरोजाबाद तहसील में ग्राम कबीरपुरा में आगजनी तथा उससे पीड़ित लोगों को सहायता देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुवल दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा की तहसील फीरोजाबाद के ग्राम कबीरपुरा में दिनाँक 6 अक्तूबर, 1977 को दिन के करीब 12 बजे अकस्मात आग लग गयी जिससे 9 ग्रामीणों के मकान जल गये। आसपास के गाँवों से लोग दौड़-पड़े और करीब 3 घंटों में आग पर काबू कर लिया गया। इस भीषण आग की दुर्घटना में 9 काश्तकारों का भारी नुक्सान हुआ है। कपड़ा, गल्ला, बीज, बर्तन, कृषि औजार सभी जल कर राख हो गये हैं। काफी नकद धन भी जल गया है।

मान्यवर, इन 9 काश्तकारों के पास इतना भी नहीं है कि वह अपने खेतों को बो सके। बच्चों को छाया में रख सकें और बच्चों को कपड़ा भी पहना सकें तथा गल्ला बिल्कुल भस्म हो गया है जिससे इनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे आज ही डाक द्वारा यह सूचना मिली है।

अस्तु, मैं सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि आग से पीड़ित 9 काश्तकारों को तत्काल अनुदान की उचित सहायता दी जावे और खाद य बीज का अनुदान भी दिया जाय तथा मकानों को बनाने की भी अनुदान सहायता दिलायी जावे तथा समस्त सरकारी देय की वसूली उन आग पीड़ित काश्तकारों पर स्थगित की जावे। साथ ही सरकार से यह भी माँग है कि अनुदान सहायता की उचित धनराशि को तत्काल दिलाया जाय ताकि किसान अपने खेतों को बो सके और बाल-बच्चों को छाया में बैठा सके।

गोण्डा मण्डल के बिजली विभाग में लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता तथा अधिकारियों द्वारा घूसखोरी की शिकायत के विषय को 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 14 अक्तूबर, 1977 के दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय बिजली विभाग द्वारा जो लिखित परीक्षा ली गयी है उससे हजारों अभ्यर्थियों में असन्तोष व्याप्त है। अभ्यर्थियों के अनुसार निरीक्षकों ने अपने-अपने लोगों को कथित नकल करवाया है। लिखित परीक्षा के बाद ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी होने लगा। कुछ लोगों ने बताया कि यह साक्षात्कार दिखावा मात्र है। नियुक्ति तो उनकी होगी जो कि एक हजार से दो हजार तक खर्च कर सकता है।

मान्यवर, मैं रविवार को बस्ती गया हुआ था वहाँ पर भी कई लोगों ने मुझसे शिकायत किया कि परीक्षा तो दिखावा मात्र है। श्री आर0 के0 जैन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर गोण्डा जो इस नियुक्ति के सर्वे सर्वा हैं इसी 31 अक्तूबर को रिटायर हो रहे हैं। इसलिए लोगों की नियुक्ति में खुलकर रुपया लिया जा रहा है। यह परीक्षा दिनाँक 9 अक्तूबर, 1977 तथा 10 अक्तूबर, 1977 को गोण्डा में हुई है जिसके अधिकारी श्री टी0 एन0 शुक्ला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोण्डा मण्डल के बिजली विभाग में लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता तथा अधिकारियों द्वारा घूसखोरी की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अधिशासी अभियन्ता, बस्ती, श्री मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, बस्ती व श्री आर० के० जैन, सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर गोण्डा हैं।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार व बिजली मन्त्री से माँग करता हूं कि वह इस पूरे मामले की छानबीन करें और जो नियुक्ति तथाकथित ऐसे परीक्षा के बल पर की जा रही है जिसमें अधिकारियों ने नकल करवाया है और अनियमितताएं बरती हैं उसे फौरन रोकी जाय और उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र दिया था उनकी दुबारा परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ की जाय, जिससे जनता का मनोबल ऊंचा हो और शासन की प्रतिष्ठा बढ़े।

भूमि विकास बैंक शाखा, बीकापुर, फैजाबाद द्वारा सिंचाई कार्य हेतु किसानों को ऋण बन्द किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से फैजाबाद जनपद के बीकापुर तहसील की आम जनता के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली लोक महत्व की सूचना माननीय सदन एवं सरकार को देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही लघु सिंचाई योजना को सर्व-सुलभ एवं सुविधाजनक तथा कृषि क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाये जाने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से सामान्य जनता को कृषि उन्नति के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान की थी। श्रीमन्, भूमि विकास बैंक द्वारा तहसील स्तर पर जो ऋण सिंचाई कार्यों के लिए दिया जाता था वह ऋण बन्द कर देने की घोषणा कर दी गयी है। मान्यवर, सबसे चिन्ता एवं विषम स्थिति इस बात से पैदा हो गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के भूमि सर्वेक्षण विभाग ने यह आशंका पैदा कर दी है कि तहसील बीकापुर में पानी का स्तर नहीं रह गया है। अतएव व्यक्तिगत नलकूपों अथवा लघु सिंचाई मद में भूमि विकास बैंक शाखा बीकापुर, फैजाबाद ऋण देना बन्द कर दे। श्रीमन्, उक्त क्षेत्र में 6 लाख किसानों का अपने भविष्य के विकास, भरण-पोषण तथा कृषि क्षेत्र के लिए उत्पन्न प्राकृतिक खतरे से चिन्तित होना स्वाभाविक है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय सिंचाई मन्त्री, माननीय ग्राम्य विकास तथा सदन एवंसरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा व्यक्त किये गये प्राकृतिक खतरे के सम्बन्ध में तत्काल गम्भीरता से विचार कर किसी निष्कर्ष की स्थापना करे और किसानों में चिन्ता एवं दुःखद स्थिति को निपटाने के के लिए कोई हल निकाल कर कृषिक्षेत्र में प्राप्त क्रान्तिकारी उपलब्धियों को जो शतप्रतिशत ठप हो गयी हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करे। इसलिए सरकार इस प्राकृतिक खतरे से निपटने के लिए भू-गर्भ विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर कृषि क्षेत्र पर निर्भर किसानों को आरक्षण प्रदान करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाला जी विजिटेबुल, सीतापुर के श्रमिकों का अधिकारियों द्वारा शोषण के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान बाला जी बिजिटेबुल, जिला सीतापुर के श्रमिकों की समस्याओं की ओर आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि पिछले 10 सितम्बर, 1976 से बाला जी बिजिटेबुल प्रोडक्ट, सीतापुर के लगभग समस्त श्रमिक संकट में हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 10 फरवरी, 1977 को एक राजकीय विज्ञप्ति द्वारा प्रतिष्ठान के सभी श्रमिकों को कान्टीन्यूटी आफ सर्विस मानकर सवेतन काम पर वापस लेने की आज्ञा दी थी। सेवायोजकों ने दिनाँक 23 फरवरी, 1977 को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा उपरोक्त गजट का स्टे ले लिया था। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग को स्टे वेकेट कराने के लिए आज्ञा दी गई थी, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति न हो सकी। पिछली सरकार के मन्त्रि-मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रतिष्ठान को अधिग्रहीत करने का भी निश्चय किया गया था, इस सम्बन्ध में किन्हीं अधिकारियों द्वारा सेवायोजकों की अनुचित सहायता की गयी और अधिग्रहण की कार्यवाही अब तक न हो सकी।

वनस्पति दैनिक उपयोग की आवश्यक खाद्य सामग्री है। प्रतिष्ठान में उत्पादन बन्द है। लगभग सभी श्रमिक अनियमित ढंग से रिट्रेंच्ड हैं और उन्हें 13 महीने से वेतन नहीं मिल है। श्रमिक न्याय पाने के लिए बाहर मारे-मारे फिर रहे हैं उन पर झूठे मुकदमें भी चलवाये जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर श्रमिकों को न्याय प्रदान किया जाय।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 जो दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को इस सदन की बैठक में पारित हुआ था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उसी दिन उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सिफारिश के लिए भेजा गया था विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के उसी दिन वापस प्राप्त हो गया है।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के रेडियो ग्राम, दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977 तथा स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बरेली का रेडियोग्राम, जो इस सचिवालय में दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्री अशफाक अहमद, सदस्य, विधान सभा (बरेली) को दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977 को 1 बजे अपराह्न सी० आर० पी० सी०

की धारा 144 का उल्लघंन करने पर आई0पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उन्होने श्रीमती इन्दिरा गाँधी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन बारादरी में अपने को गिरफ्तार करवाया। माननीय सदस्य को दिनाँक 17 अक्तूबर 1977 तक न्यायिक अभिरक्षा में रिमान्ड पर रखा गया है। स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बरेली के वायरलेस संदेश दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनाँक 18 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ है, के अनुसार माननीय सदस्य मुकदमे के निर्णय के उपरान्त दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977 को जेल से रिहा किए गए। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी तथा ज़ेल भेजे जाने की सूचना दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को सदन में दी गयी थी।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के रेडियोग्राम दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्धु, सदस्य, विधान सभा (आगरा), जिन्हें इसके पूर्व आई0 पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत दिनाँक 9 अक्तूबर, 1977 से 22 अक्तूबर, 1977 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था, आई0पी0सी0 की धारा 395/336/436/147/323 के अन्तर्गत अपराध अभियोग संख्या 742 में भी दिनाँक 26 अक्तूबर, 1977 तक रिमाण्ड पर रखा गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना दिनाँक 10 अक्तूबर, 1977 को सदन में दी गयी थी।

(3) जिला मैजिस्ट्रेट, एटा के तार, दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 जो इस सचिवालय में दिनाँक 18 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी सदस्य, विधान सभा, जो दिनाँक 2 अक्तूबर, 1977 को धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, के मुकदमें की सुनवाई दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय में हुयी और उनके द्वारा अपराध स्वीकृत करने पर न्यायालय ने उन्हें अब तक जेल में रहने तक की अवधि की सजा दी और उनको तुरन्त मुक्त कर दिया गया। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी आदि की सूचना सदन में दिनाँक 3 व 6 अक्तूबर, 1977 को दी गयी थी।

आपातकाल में मीसा एवं डिसिर में गिरफ्तार छात्रों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा शिथिल करने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 241 के अन्तर्गत माननीय पंकज कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि आपातकाल के दौरान मीसा एवं डिसिर में गिरफ्तार छात्रों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए 2 वर्ष की आयु सीमा से छूट दी जाय।

याचिका इस प्रकार है: .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर भाषण न करें। आपने प्रस्तुत कर दी है। अब यह याचिका समिति को भेज दी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी तक सदन में यह परम्परा रही है कि याचिका सदन में पढ़ी जाती रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो सरक्युलेट होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं :

"यह कि लोकनायक जय प्रकाश के आह्वान पर समग्र क्रान्ति के आन्दोलन में आपात्कालीन स्थिति के दौरान उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यार्थी जेल गये ।

(2) यह कि तानाशाही शासन के विरुद्ध लोकतन्त्र की मशाल प्रज्ज्वलित रखने के लिए विद्यार्थियों का सर्वाधिक योगदान है।

(3) यह कि लगभग 2 वर्ष की जेल अवधि का परिणाम यह हुआ कि जो छात्र उस अवधि में उन प्रतियोगिताओं तथा परीक्षाओं में आगे की पढ़ाई अथवा नौकरी के लिए सम्मिलित होना चाहते थे, जिनमें अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, उसके लिए 2 वर्ष का समय बेकार हो गया ।

(4) यह कि इसका परिणाम यह हुआ कि अब जेल से छूटकर वह छात्र वापस आये तो हजारों छात्र ओवर एज हो गये, जिससे कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया।

(5) यह कि शासन ने आपातकाल के दौरान जिनकी उल्लेखनीय क्षति हुई है, उन्हें कुछ सुविधायें देने की नीति घोषित की है ।

(6) यह कि परन्तु इस प्रकार ओवर एज हुए छात्रों को सुविधा प्रदान करने हेतु कोई भी किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया।

अतएव याची की प्रार्थना है कि यह आदरणीय सदन राज्य सरकार को आदेश दे कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान जेल गये छात्रों को पढ़ाई अथवा नौकरी के लिए, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा से 2 वर्ष की छूट दी जा सके । इस हेतु आदरणीय सदन और भी जो आवश्यक समझे, वह कार्यवाही करने की कृपा करे।"

मान्यवर, भाषण न देकर केवल एक वाक्य निवेदन करना चाहता हूं। सदन में माननीय शिक्षा मन्त्री जी और माननीय राम प्रकाश जी उपस्थित हैं। यदि इस सम्बन्ध में वे आश्वासन दे तो मैं उनका बड़ा अनुग्रहीत हूंगा।

श्री अध्यक्ष—

जब आपने याचिका उपस्थित की तो इसको पढ़ा। मैं इसको आगे के लिए परम्परा नहीं बनाना चाहता हूं इसे आपने नियम के विरुद्ध पढ़ा है। यह याचिका तो दूसरे व्यक्ति की तरफ से है इस लिए आइन्दा के लिए इसको प्रिसिडेन्ट नहीं बनाने दूंगा।

केवल इतना ही पर्याप्त है कि मैं फलाँ-फलाँ के सम्बन्ध में याचिका उपस्थित करता हूं और फिर उसे याचिका समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो इसकी जाँच करेगी और उसके सम्बन्ध में माननीय राम प्रकाश जी और शिक्षा मन्त्री जी को, सबको अवसर मिलेगा कि वे अपना साक्ष्य दे सकेंगे और अपना मत भी दे सकेंगे।

राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री फजलुल बारी ने माननीय राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय राजस्व मन्त्री ने दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को गोन्डा जिले की सूखा स्थिति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था वह सत्य नहीं था और कुछ बातों के सम्बन्ध में सदन को अंधकार में रखा गया। माननीय श्री फजलुल बारी ने उक्त सूचना में यह भी कहा है कि माननीय राजस्व मन्त्री दिनाँक 16 अक्तूबर, 1977 को स्वयं इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उनके पास जो रिपोर्ट है वह गलत है किन्तु इसके बावजूद सदन में उन्होंने गलत रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी।

दिनाँक 16 अक्तूबर, 1977 को रविवार था और उस दिन बैठक नहीं हुई। सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय राजस्व मन्त्री ने दिनाँक 16 अक्तूबर, 1977 को इस बात का इकरार कहाँ किया और किस से किया कि उनके पास जो रिपोर्ट है, वह गलत है।

12 फरवरी, 1964 को श्री गया प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मुख्य मन्त्री द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर तत्कालीन अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :—

> "मैं इस सम्बध में आदरणीय सदन से कुछ मौलिक बातें कहना चाहता हूं। किसी के ऊपर यह आरोप लगाना की अमुक असत्य बात कही है इस सदन की परम्परा के विरुद्ध है। अगर कोई महानुभाव कोई आरोप लगाते हैं कि जो बात कही गयी है वह असत्य है और इस कारण से असत्य कथन किया गया है कि सदन को धोखा दे और जानबूझकर यह असत्य बात कही है तो उसके ऊपर हम बिचार कर सकते हैं। जब यह कहा जाय कि किसी आदरणीय सदस्य ने जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिए असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है। उनको यह तथ्य देने पड़ेंगे कि इन-इन तथ्यों पर व कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि तोड़-मोड़ कर सदन को धोखा देने के लिए यह असत्य बात कही गयी है। जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किन-किन तथ्यों के आधार पर वह इस परिणाम पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आप भी पहुंचिए तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जाएगी।"

[श्री अध्यक्ष]

माननीय श्री फजलुल बारी, सदस्य, विधान सभा ने अपनी सूचना में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है जिनके आधार पर वे इस परिणाम पर पहुंचे कि माननीय राजस्व मन्त्री ने जानबूझ कर सदन में असत्य भाषण किया। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

नेशनल हेराल्ड समाचार-पत्र के मालिकों द्वारा दो कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति के विषय में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा से आपकी प्रक्रिया नियमावली के नियम 315 के उपनियम (15) की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें आपकी घोषणाओं से सम्बन्धित बात है।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी दीर्घाएं आपके अधिकार क्षेत्र में हैं और इस सदन के अन्तर्गत आती हैं। दर्शक दीर्घा के अतिरिक्त प्रेस गैलरी भी आपके ही अधिकार क्षेत्र में हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रत्येक पत्रकार आपकी अनुमति से यहाँ बैठता है और इनको उसी प्रकार से स्वतन्त्रता प्राप्त रहनी चाहिए जिस प्रकार इस सदन के माननीय सदस्यों को अभिव्यक्ति के लिए है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता लगा है कि "नेशनल हेराल्ड" ने अपने दो कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपके एजेन्डे पर है कि....

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्प नाथ सिंह आप जिस नियम का हवाला दे रहे हैं तो 315 में यह है कि कार्य-क्रम क्या होगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। और उसी नियम की मद 15 में यह लिखा है कि "अध्यक्ष की व्यवस्थाएं...."। तो यह प्रश्न पृथक रूप से...

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था आपकी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी कोई उनके कार्य में यहाँ रुकावट नहीं है। यदि कोई सेवायोजक किसी को सेवा से पृथक करता है तो यह कोई मेरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में दिया है और माननीय जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी ने भी इसी तरह के एक प्रश्न की सूचना मुझको नियम 51 के अन्तर्गत दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो वही हो सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद जिसका कि इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध हो या नियमों का प्रवर्तन या नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में हो तो उसमें आवश्यक है कि माननीय सदस्य जो व्यवस्था के लिए खड़े हों वह यह कहें कि मैं नियमावली के फलाँ नियम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं या एक विषय समाप्त होने के बाद कार्य विन्यास के बारें में कह सकते हैं या जो विषय विचाराधीन हो उसके बारे में कह सकते हैं। तो माननीय कल्पनाथ सिंह जी यह तो मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी बात थोड़ा व्यग्र हो कर कहना चाहते थे, सो आप का मकसद पूरा हो गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय कल्पनाथ जी यह चाहते थे कि आप सरकार से कह दें कि सरकार इस मामले में कुछ करे।

श्री अध्यक्ष—

वह बात आएगी और इस कला के अन्दर श्री हरिकेवल प्रसाद भी बड़े सिद्धहस्त हैं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी 18 अक्तूबर, 1977 की बैठक में सदन के 1 नवम्बर से 3 नवम्बर, 1977 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिवर्तित सिफारिशें की हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 1977 को 1 नवम्बर, 1977 को एक घंटे का समय दिया जाय और शेष समय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर विचार के लिए नियत किया जाय।

(2) दिनाँक 2 अक्तूबर, 1977 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़े (संशोधन) विधेयक, 1977 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा अन्य कोई विधेयक, यदि उस समय तक पुरःस्थापित हो जाय, लिए जायं।

(3) दिनाँक 3 नवम्बर, 1977 को आधा दिन असरकारी संकल्प तथा आधा दिन असरकारी विधेयकों के लिए नियत किया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को पूछे गए श्री मोहम्मद असरार अहमद के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर का संशोधन

पर्वतीय विकास उपमन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

श्रीमन्, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने विधान सभा के द्वितीय सत्र 1976 के दूसरे सोमवार के लिए श्री मोहम्मद असरार अहमद के तारांकित प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर दिया था उसका संशोधित उत्तर मैं पढ़ रहा हूं :--

दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में यह सूचना दी गयी थी कि काश्मीर होटल, अमीनाबाद, लखनऊ के एक कमरे से श्रीमती रोजालिन सिडनी तथा 2 लड़कियों को दिनांक 29 मार्च, 1976 को अमीनाबाद पुलिस द्वारा धारा 363/366 भारतीय दण्ड विधान के अधीन पकड़े जाने के मामले में श्रीमती सिडनी, उनके दामाद हैरी फिलिप्स तथा उनकी पुत्री के विरुद्ध दिनांक 28 मई, 1976 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त उत्तर में हैरी फिलिप्स का चालान किए जाने की सूचना सही नहीं थी, जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ। वास्तव में हैरी फिलिप्स का चालान उस समय तक नहीं किया गया था और उसके विरुद्ध केवल 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी थी। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 384 पर)

दैनिक नेशनल हेराल्ड, नवजीवन तथा कौमी आवाज समाचारपत्रों के कुछ कर्मचारियों की उनके मालिकों द्वारा सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक कार्य-स्थगन की सूचना श्री राजेन्द्र कुमार जी ने दी है, वह इस प्रकार है :

"दैनिक नेशनल हेराल्ड, नवजीवन तथा कौमी आवाज समाचार-पत्रों के प्रकाशक जनरल्स, लखनऊ के मालिकों द्वारा वहाँ के मजदूरों को बदले की भावना से शोषण करने से प्रदेश के समस्त श्रमजीवी पत्रकार, गैरपत्रकार, कर्मचारी तथा श्रमिकों में व्याप्त असंतोष एवं उत्तेजना। तो राजेन्द्र कुमार जी, आप इसकी ग्रहायता के संबंध में क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि मामला लोक महत्व का होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस संस्था में जो कर्मचारी 20-20 साल से काम कर रहे थे-- एस0पी0 निगम, जनरल सेक्रेटरी, उसी के साथ-साथ आर0 के0 अवस्थी, जो असोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों को बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिये, एकदम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आज्ञा प्रसारित कर दी गयी कि आप नौकरी से अलग कर दिये गये, आरोप लगाया कि आपने वहाँ की गोपनीयता भंग कर दिया है। अपराध इनका यह था कि कमचारियों के हितों के लिए बराबर संघर्ष करते थे। मान्यवर, वे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, उनके यूनियन के कागजात को बदल दिया गया, प्राविडेन्ट फन्ड का पैसा उनसे वसूल करने के बाद उनको नहीं दिया गया। अन्तरिम सहायता का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मान्यवर, वे लोग इसके लिए संघर्षरत थे, इस कारण से उनको निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे समाचार-पत्र हैं जहां के कर्मचारी अपनी न्यायोचित माँगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड से इन लोगों को निकाल दिया गया उसी तरह से उन लोगों को भी डर है कि हमको भी निकाल दिया जाएगा। आवश्यकता यह है कि जो इनके मार्ग में रोड़े अटकाए गए हैं शासन के द्वारा अब तक कोई हस्तक्षेप न करने के कारण गैर-पत्रकार कर्मचारी और प्रदेश के मजदूर और कर्मचारी वर्ग में भय और आतंक और अविश्वास की भावना पैदा हो रही है कि आज इनके ऊपर हुआ कल मेरे ऊपर भी होगा। अगर इसके लिए तत्काल शासन के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इन लोगों की नौकरी बिलकुल समाप्त कर दी जायगी। मान्यवर, इन तर्कों के साथ मेरे इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करें। यह सरकार अन्य काम को रोक कर कर्मचारियों के हितों के लिए हस्तक्षेप करे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आपकी इजाजत से माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसको काम रोको के रूप में नहीं, न ही मैं सेंसर के रूप में ट्रीट करता हूं। जिन आधारों पर जनता पार्टी यहाँ पर आई है, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिन मान्यताओं के लिए यहाँ पर आई, जिस वाक् स्वातन्त्र्य का नारा दिया, हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में यह सब हो रहा है। पत्रकारों का कोई दोष नहीं था, ट्रेड यूनियन के जो राइट्स हैं, तीसों साल से जो सेवा में लगे हुए हैं, उन ट्रेड यूनियन के राइट्स का जब अपहरण होगा, तो स्वभावतः हम ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता की हैसियत से आवाज उठायेंगे। श्री निगम और अवस्थी एक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते ट्रेड यूनियन के माध्यम से उन्होंने प्रबन्धक का ध्यान आकर्षित किया।

मान्यवर, इस अखबार के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इमरजेन्सी में यह जो इसके प्रोपराइटर्स हैं राजनैतिक लोगों ने, उन्होंने शासन का 40 लाख रुपया खाया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था क्यों? क्या दोष है मिस्टर अवस्थी और मिस्टर निगम का? मैं इस मामले को बड़ा गम्भीर मानता हूं। मैं शासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह प्रक्रिया जनता पार्टी की सरकार में भी चलती रही तो फिर कलेक्टिव चेंज क्या आया? हम मौलिक अधिकारों के रक्षक कहे जाते हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हम मौलिक अभिव्यक्ति के स्वातन्त्र्य के लिए, आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर हमारी ही सरकार में न्यायिक अधिकारों का हनन होगा, ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर अंकुश लगेगा तो यह उचित नहीं है। बहस तो यह है कि कैसे प्रोपराइटर्स की हिम्मत हुई सर्विसेज को खत्म करने की। सारे कानूनों की अवहेलना की गयी और उनको निकाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]—

गया। मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है। जो प्रोप्राइटर्स हैं उनको तुरन्त कानून के हवाले करना चाहिए और जो माननीय सदस्यों ने कहा है, मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री जी आश्वासन दें इन पत्रकारों के प्रति कि जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हम संसदीयकार्य मन्त्री जी से आश्वासन लेना चाहते हैं कि जो जनता पार्टी की घोषित नीति है, उत्तर प्रदेश के किसी भी श्रमजीवी के अधिकारों की अवहेलना की साजिश कोई भी व्यक्ति करेगा तो वह चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, जनता पार्टी उसे बख्शने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करें और जो प्रोप्राइटर्स हैं कानून के अनुसार इनके लिए सख्त से सख्त घोषणा करें।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मुझे राजेन्द्र कुमार जी के प्रस्ताव की मेरिट पर कुछ नहीं कहना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जनता पार्टी जो शासक पार्टी है उसकी तरफ से कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। यह अधिकार तो माननीय नेता विरोधी दल और विरोधी पार्टी का है। इन अधिकारों को सरकारी पक्ष के लोगों को आत्मसात नहीं कर लेना चाहिए। मैं अगर इस प्रस्ताव पर बहस करता हूं तो इसका अर्थ इस सरकार का सेंसर करना हुआ। मैं चाहूंगा कि पहले इस विषय में मिनिस्टर आफ पार्लियामेन्टरी अफेयर्स जो हैं उन्हें सुनने के बाद आप अपनी राय दें कि सरकारी मेम्बर जनतन्त्र की मान मार्यादा की रक्षा करने के लिए क्या कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। लोक सभा या असेम्बली में क्या कभी श्रीमन्, आप तो पुराने पार्लियामेन्टरियन हैं आपने देखा कि सरकारी पक्ष से कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया हो और स्वीकार किया गया हो?

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहन वीर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया तो यहाँ पर अध्यक्ष के नाते मेरा सम्बन्ध किसी दल से नहीं है। यदि कोई सदस्य चाहे सत्तारूढ़ पक्ष का हो या विरोध पक्ष का हो, यदि वह नियम 56 के अनुसार कोई भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करता है तो मैं उसकी ग्राह्यता पर अवश्य विचार कर सकता हूं और यह जनता पार्टी का अपना अन्दरूनी मामला है कि वह इस चीज पर सोचे कि क्या जनता पार्टी के सदस्यों को कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मन्त्री से . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इससे पहले मुझे सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट के लिए सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, केवल एक मिनट मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कह चुके हैं। आप स्वयं नियम जानते हैं कि एक विषय पर दोबारा इजाजत नहीं दी जा सकती।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं एक मिनट में इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी, आप इसकी ग्राह्यता के बारे में बतायेंगे। अगर यह ग्राह्य होगा तब फिर इसकी मेरिट पर बहस होगी आप नियम बतायें।

श्री ऊदल—

जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से नियमों को तोड़कर श्री निगम और श्री अवस्थी को निकाला गया है. यही इस प्रस्ताव के ग्राह्यता के बारें में सबसे बड़ा सबूत है। माननीय राजेन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह मैं समझता हूं कि सही है और इसको आपको मानना चाहिए और कहना चाहिए कि इसका लोग समर्थन करें। मेरा तो निवेदन है कि मेरिट पर न जाकर इसमें तो बाद में जाऊंगा लेकिन इसमें संविधान की हत्या हुई है, नियम और कायदों की हत्या हुई है। इसलिए यह ग्राहय है।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जनता पार्टी की सरकार समाचार-पत्रों और शहरी आजादी के नाम पर जीत कर आयी है। ऐसे प्रश्न पर बहस न होना ही जनता पार्टी में आत्म सेन्सर का प्रतीक है। इसलिए नियम की चर्चा न करते हुए कि यह अधिकार किस पक्ष में है, एक माननीय सदस्य ने इसको नियम और प्रक्रिया में बताया। तो इन सब पर जाए बिना इस पर अवश्य बहस होनी चाहिए। चूंकि यह पत्रकारों की अपनी आजादी की बात है और मैनेजमेन्ट जो पत्रकारिता के स्वतन्त्र संचालन में बाधक है, ऐसे मैनेजमेंट के खिलाफ जो मनमाने ढंग से अपने कर्मचारियों को कानून की अवज्ञा करके निष्काषित करने का राइट है, इसमें पत्रकारों की आजादी और नागरिक आजादी का सवाल जुड़ा है। इसलिए इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तोमर जी ने एक प्रश्न उठाया है कि हम जनता पार्टी के सदस्य हैं और हमारी सरकार है और जनता पार्टी के सदस्य के नाते इस तरह का प्रश्न या यह अधिकार जो हैं, वह अपोजीशन का है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी है और सरकार किसी चीज को नोटिस नहीं लेती है तो हम यहाँ जो विधायक हैं वह कान बन्द करके गूंगे और बहरे होकर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देख नहीं सकते हैं। हमें स्वयं ही यह नोटिस लेना पड़ेगा। यह तो सरकार का काम था कि तुरन्त इस पर कार्यवाही करती और हमको यह नोटिस न लेना पड़ता। हमने देखा सरकार ने नोटिस नहीं लिया तो हमसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम बहरे और गूंगे होकर सारी चीज सुनते रहें। इसलिए इस प्रश्न पर जरूर बहस होनी चाहिए इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जब यहाँ आए तो उसकी ग्राह्यता के बारे में आप समर्थ हैं। आप ही आदेश देंगे कि ग्राह्य है कि नहीं इसके बारे में किसी सहायता लेने का प्राविधान, नियम और किताब में नहीं है। यदि आप समझते हैं कि विषय ग्राह्य है तो उसकी बहस पर नियम 60, जो नियमावली में है, में कार्यवाही होगी। इसमें सहायता लेने का प्राविधान नहीं है। आप स्वयं सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

इस पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। मैं सबको सुन चुका हूं। इस पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करूं या न करूं। इस सम्बन्ध में मैं केवल संसदीय कार्य मन्त्री जी को अब सुनना चाहूंगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, यह जो सूचना अभी सदन के समक्ष आई, यह तो सत्य है और यह जानकारी शासन को हो चुकी है कि एसोसिएटेड प्रेस जरनल्स में काम करने वाले दो वरिष्ठ जिम्मेदार कर्मचारियों को जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं उनको अकारण निकाल दिया गया। जो कारण हमारे ध्यान में लाए गए हैं उनसे ऐसा लगता है कि उनका विक्टीमाइजेशन हुआ है। जो और भी सूचना सदन में दी गयी है उनको देखने के बाद मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको कार्य-स्थगन का प्रस्ताव न बनावें। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि सरकार स्वयं इसमें इण्टरवीन करेगी और देखेगी कि क्यों इन लोगों को अकारण निकाला गया है। मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि नियम और कानून के अन्तर्गत जो भी परिमार्जन किया जा सकता है वह किया जायेगा। जनता पार्टी लोकतन्त्र में विश्वास करती है और मैं दोष नहीं देता क्योंकि जहाँ तक ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न है उस सीमा तक तो मैं भी सहमत हूं लेकिन कार्य-स्थगन का प्रश्न इसको न बनावें। माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों को विश्वास रखना चाहिए कि शासन उतना ही सजग है जितना कि जनता पार्टी के अन्य सदस्य ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

आज शाम को 'दैनिक जागरण' और 'आज' पर वक्तव्य है । यह लोकल मामला है । नेशनल हेराल्ड का मामला है । मन्त्री जी जानकारी करके इस पर भी वक्तव्य दे दें ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मैं यह समझता था कि धारा 51, 52 की बात है और उसमें यह लिया जायगा । मैंने 56 और 62 देखा । मैं तोमर जी से सहमत हूं कि यह 56 और 62 की बात नहीं है । धारा 51, 52 की बात है । आप 16वाँ आइटम देखें जिसमें दैनिक 'आज' व 'जागरण' के सम्बन्ध में सर्वश्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, रमा-शंकर कौशिक, शारदा प्रसाद जायसवाल, गनेशी लाल चौधरी और मेरा भी नाम है की सूचना पर वक्तव्य है । यह विषय भी इससे जोड़ दिया जाय । कोई एक पत्र की बात नहीं है । कोई राजनीति की भी बात नहीं है । कहीं कोई किसी मत का अखबार हो अगर किसी के कर्मचारी के साथ ज्यादती होती है तो वह गलत है । 'आज', 'जागरण', 'नेशनल हेराल्ड', यह बड़े अखबार यहाँ हैं । नेशनल हेराल्ड बहुत पुराना अखबार है आज की सदन की भावना उन तक पहुंचेगी तो वह स्वयं इन कर्मचारियों को रखने की चेष्टा करेंगे । मैं उन सभी बातों के साथ सहमत हूं जो यहाँ कही गयी हैं ।

श्री मधुकर दिघे—

जो दूसरे प्रश्न हैं उनके सम्बन्ध में तो जानकारी करनी पड़ेगी क्योंकि वह विस्तृत प्रश्न है । दो व्यक्तियों का प्रश्न था जो ट्रेड यूनियन लीडर थे । शासन के ध्यान में पहले से यह बात आई थी और कुछ जानकारी हुई थी । इसलिए मैंने जो आश्वासन दिया उसके लिए मैं सक्षम था । सरकार को मालूम हुआ है कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ घपला हुआ है । जो जानकारी थी उसके आधार पर आश्वासन मैंने दिया । लेकिन अभी दूसरों के बारे में नहीं कह सकता ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दें । मान्यवर, मैं जनता पार्टी का निष्ठावान सदस्य हूं । मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं सरकार को सेंसर करना चाहता हूं । लेकिन जिस समय प्रातःकाल मेरे मन में यह बात उठी कि समाचारपत्रों की स्वाधीनता पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए और जब मुझे यह जानकारी मिली कि इन लोगों को मात्र इसलिए निकाला गया कि वे समाचारपत्र की आलोचना कर रहे थे, तो मेरे मन में यह विचार आया कि इसके लिए अवसर ढूंढें और इस बात को शासन और माननीय सदस्यों के सामने लायें । मान्यवर, श्री निगम और श्री अवस्थी को किसी भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के कारण निकाला गया होता तो प्रश्न नहीं उठता । यह किसके द्वारा हुआ ? भूतपूर्व मन्त्री यूनिस के हस्ताक्षर से निकालने के आर्डर मिले हैं । आरोप लगाया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

कि अन्दर की बातें खोल दीं। मान्यवर, स्थिति क्या है ? सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए कि तुमको यह अखबार लेना है। शिशु मंदिर जैसे विद्यालयों के लिए. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब विषयान्तर हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्री श्यामधर मिश्र जी ने कहा . . .

श्री अध्यक्ष—

अब मैं उस पर भाषण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुझे खुशी है कि जनता पार्टी ने अपने सिद्धान्तों को निभाया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जाँच करायेंगे। इसलिए इस मामले पर दबाव डालना उचित नहीं समझता और प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि यह प्रश्न मेरे सामने आया और माननीय देव बहादुर सिंह ने आपत्ति की कि नियम 57 के अनुसार मैंने अपना निर्णय क्यों नहीं दिया, इसलिए यह प्रश्न महत्व का था। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि मैं अपने ज्ञान की वृद्धि करूं कि आखिर इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में क्या करना है। क्योंकि यह प्रश्न विचाराधीन नहीं जिसको सदन की अनुज्ञा के लिए रखूं। लेकिन इतना सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि नियम 58 में यह रखा गया है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके। संकल्प का मतलब यह है कि जिसमें सदन सक्षम हो। वैसे जहाँ तक इन लोगों का सवाल है यह इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट के अन्तर्गत आता है और उस पर न्यायाधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और लेबर मन्त्रालय का कर्तव्य है कि इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करें। तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह काफी है। वैसे भी यह प्रश्न ग्राह्य नहीं लेकिन चूंकि राजेन्द्र कुमार जी ने कहा कि मैं इसको वापस लेता हूं, इसलिए यह समाप्त किया जाता है।

कासगंज, एटा में कांग्रेस का झंडा फहराने तथा नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया है। नियम 56 के अनुसार माननीय तिवारी जी को इस तरह की सूचना सचिव, विधान सभा, को एक घण्टे पूर्व देना चाहिए। लेकिन उनकी सूचना 10–35 पर सचिव को उनके कार्यालय में मिली। यह समय के बाद है।

माननीय श्यामधर मिश्र ने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रश्न रखा था जिसको मैंने स्वीकार कर रखा है और सरकार को निर्देश दिया है कि वक्तव्य दें। आज मुझे सरकार ने सूचित किया कि अभी पूरी जानकारी उस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने अनुरोध किया है कि इसको पहली तारीख को रखा जाय।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या कल सदन है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहली तारीख कहा है कल के लिए नहीं। इसलिए. . . . .

श्री श्याम धर मिश्र—

इसका मतलब यह हुआ कि पहली नवम्बर तक, इतना अविलम्बनीय प्रश्न था. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था श्यामधर जी आप तो पंडित हैं दस बजे से पहले यह सूचना. . .

(व्यवधान)

इसका मतलब यह है कि नारायण दत्त जी को जेल में रखना चाहते हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, सुन तो लीजिए। जो विषय है वह महत्वहीन हो जायगा पहली नवम्बर को। विषय था 144 का तब तक वह महत्वहीन. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं विरोधी दल का आदर करता हूं और चूंकि माननीय नेता विरोधी दल मौजूद हैं और यह प्रश्न जो ग्राह्य था. लेकिन वह इस सम्बन्ध में कोई बात कहना चाहते हैं तो संक्षेप में अपनी बात कह दें। बहुत संक्षेप में और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे पन्द्रह दिन के बाद इस सदन के अन्दर आए हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे यह थोड़ा अवसर प्रदान किया कि मैं अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन कर सकूं। मैं श्रीमन, आप से और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से क्षमा चाहता हूं कि अनिवार्य और अपरिहार्य कारणों से मैं सदन की सेवा से वंचित रहा और यह बात मेरे वश की नहीं थी श्रीमन् जो मैं . . .

एक सदस्य—

आप जानबूझ कर के गए।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। उनकी बात सुनिए।

(शोर)

शान्त रहिए. . . .

(अत्यधिक शोर)

आप लोग शान्त रहिए. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस सदन में धारा 144 शायद नहीं लगी है इसलिए. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप यहाँ पूर्णतया सुरक्षित हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था और मैं यह भी जानता हूं श्रीमन्, कि शायद इस कागज को भेजने में थोड़ी देरी हुई। इस का कारण यह था कि एजेण्डा मुझे देर से मिला। क्योंकि मैं यहाँ की सेवा से वंचित रहा। श्रीमन्, मुझे बतलाया गया था कि आज यह प्रस्ताव है। मुख्य प्रश्न यह है जिसे मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपना झंडा जिसे 1921 से, 56 साल पहले से फहराया जाता रहा है और जैसा कि जो जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं. . . .

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

किस प्राविधान के तहत इस स्टेटमेंट को बतलाया जा रहा है? जब यह 51 . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने 56 साल की बात जो कही है. . . .

(शोर)

56 साल पुरानी बात की ओर नहीं जाना चाहता। मैं केवल 5 अगस्त, 1965 की, जब श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्य मन्त्री थीं, उसकी ओर. . . .

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न इसमें नहीं है। आप व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई और बात कहते हैं। आप बैठिए। नेता विरोधी दल से मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्रश्न वह उपस्थित कर रहे हैं सामान्य प्रशासन के बजट पर विवाद के दिन उन्होंने इस प्रश्न को इस सदन में उपस्थित किया और श्याम धर मिश्र जी ने इसको पेश किया और मुझे अच्छी तरह स्मरण है उन्होंने यह भी कहा कि यह पत्रावली जो झण्डा विवाद से सम्बन्धित है वह मुझे देने के लिए तैयार हैं और उससे वह स्वयं निष्कर्ष निकालें जिला मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट आदि का। तो आप जानते हैं माननीय नेता विरोधी दल, कि यह सदन का नियम है कि जिस विषय पर चर्चा सदन में हो चुकी हो या जिस विषय पर चर्चा करने की तारीख लग चुकी हो उस पर दुबारा चर्चा नहीं होती 6 महीने तक, तो इसलिए जहाँ तक झण्डे का सवाल है इस पर विवाद सदन में हो चुका है। इस प्रश्न पर अब सदन से बाहर मुख्य मन्त्री जी से बातचीत की जा सकती है और मैं भी मध्यस्थता कर सकता हूं, देख सकता हूं। चूंकि यह देरी से मिला इसलिए माननीय नेता विरोधी दल इस प्रश्न के अतिरिक्त और कोई बात कहना चाहते हैं क्योंकि 15 दिन के बाद आए हैं सदन में, तो मैं उनको अनुमति दे सकता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे अत्यन्त खेद है मान्यवर, कि सारे नियमों का पालन करते हुए सारी बातों को चुपचाप सुनता रहा हूं और अगर मेरे सम्मानित मित्र अगर मुझे एक लाइन कहने के लिए

अनुमति नहीं देना चाहते तो इससे बढ़ कर और कोई अवमानना नहीं हो सकती। मैं आधा वाक्य नहीं कह सका कि बीच में टोका-टाकी शुरु हो गयी जो किसी तरह से सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या कार्यवाही हुई। समाचार-पत्र मुझे वहाँ मिलते नहीं थे। केवल जागरण मिलता था। उसमें यहाँ की पूरी कार्यवाही नहीं छपती थी, सम्भव भी नहीं है कि किसी अखबार में सारी कार्यवाही सदन की आ जाय लिहाजा मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या कार्यवाही हुई। आपने जो मध्यस्थता का आश्वासन दिया वह अलग प्रश्न है। मैं तो यह बात कह रहा हूं कि आज इस सदन की समिति ही मध्यस्थता करे। इस सदन के सदस्यों की समिति बन जाय। उसमें कोई भी सदस्य हों, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इस सदन की वह समिति कासगंज जाय। 56 वर्ष से वहाँ झंडा फहराया जाता रहा है, कोई विवाद नहीं हुआ। संविद की सरकार जब 1967 में थी तब झंडा फहराया जाता रहा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवधान डाल रहे हैं। आप लोग बैठें और इस तरह से आप सदन का समय अनावश्यक रूप से नष्ट कर रहे हैं. . . .

(व्यवधान)

आप नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चले ?

श्री विक्रमा राय—

एक व्यवस्था हो चुकी है कि इस पर चर्चा सदन में सामान्य प्रशासन के समय हो चुकी है। माननीय तिवारी जी ने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी तो क्या इस पर दुबारा चर्चा की जायगी ?

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

जब आपकी व्यवस्था हो चुकी है तो क्या दुबारा वही प्रश्न उठाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि जहाँ तक झंडे का प्रश्न है इस पर सामान्य प्रशासन पर विवाद के दिन माननीय श्यामधर जी ने बहुत विस्तारपूर्वक भाषण किया था और अब इस वक्त यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है। लिहाजा झंडे के मामले के अतिरिक्त अगर माननीय तिवारी जी . . . . .

श्री श्यामधर मिश्र—

सामान्य प्रशासन पर इस सम्बन्ध में, मैं नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोला था। मैंने विषय उठाया था जिस पर जवाब आना है। बीच में एक दिन और सवाल आया था। आपने ग्राह्यता का विषय उठाया था। स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया था, उस समय तत्काल खड़े होकर जितना मैं कह सकता था कह गया। यहाँ हम कुछ कह ही नहीं पाते, लोग सुनते ही नहीं जिसकी वजह से हम कुछ कह ही नहीं पाते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामधर जी, आपने स्वयं इस सदन में यह कहा था कि यह पत्रावली है और उस पर करते हुए यह कहा था कि मैं यह पत्रावली आपको देने के लिए तैयार हूं और इस पर झंड के बारे में चर्चा की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं फिर अपने उधर बैठे हुए सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मेरी कृपया पूरी बात तो सुन लें। विरोधी दल का आखिर कहने का अधिकार है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 15 दिन तक इस सदन की कार्यवाही से वंचित रहा। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से बातें हुई। मैंने कहा कि हाई कोर्ट का आर्डर अगर इस बात के लिए होता है कि झंडा नहीं फहराया जाय तो नहीं फहरेगा और फैसला अगर माफिक होता है तो झंडा फहराया जा सकता है। तो हाई कोर्ट का आर्डर 30 सितम्बर को माफिक हो गया

(व्यवधान)

(श्री जसवीर सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री जसवीर सिंह जी, आप अपनी गिरफ्तारी के बारें में कह रहे हैं। बार-बार इस तरह से व्यवधान मत डालिये। आवश्यक प्रश्नों पर व्यवधान डालना उचित नहीं। आप बैठिए।

श्री जसबीर सिंह (जिला एटा)—

मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार से, मुख्य मन्त्री जी से बात चीत हो गई थी कि हाई-कोर्ट का फैसला होने वाला है और जो फैसला होगा सरकार भी उसका आदर करेगी और हम भी आदर करेंगे। तो जब मुझे मालूम हुआ कि हाई कोर्ट ने इस पक्ष में रूलिंग दे दी है कि जिस स्थान पर पोल है वहाँ फहराया जा सकता है तो फिर जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा दफा 144 लगा कर गिरफ्तार करना बिलकुल अवैधानिक है। आज हजारों सत्याग्रही वहाँ...

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है इस पर तो एक न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और आपको दण्ड दिया जितने दिन आप जेल में रहे हैं उतना दण्ड पर्याप्त है। अगर आपको मजिस्ट्रेट के निर्णय को चुनौती देनी है तो आप हाई कोर्ट में जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने मजिस्ट्रेट का नाम भी नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कहा कि मुझे गलत गिरफ्तार किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दफा 144 लगाना गलत था (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री जसवीर सिंह के पुन : खड़े हो कर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

श्री जसवीर सिंह जी, इस तरह से आपस में बात होगी कि एटा का मामला है इसलिए नहीं बोल सकते हैं। तो एटा के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति न दी जाय, यह अत्यन्त अनुचित है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, प्रजातन्त्र सहिष्णुता के आधार पर चलता है। सहिष्णुता में पहली बात आती है कि एक दूसरे की बात सुनी जाय चाहे अप्रिय भी हो। मैं अपनी बात कह सकता हूं। इसलिए मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जो बुनियादी नियम हैं उन्हें बरतने का कष्ट करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज भी वहाँ पर सैकड़ों काँग्रेस सत्याग्रही जेल में हैं। केवल इसलिए कि सरकार ने जो वायदा किया था उसका उल्लघंन हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई भी सदन की समिति बना दें वह इसे ले लें या आप ले ले किसी तरह से देखलें कि वह जो हुआ है वह उचित है, कहाँ तक मर्यादित है। लोकतन्त्र की बुनियाद का सवाल है आखिर हमारा आपसे मतभेद हो सकता है जनता पार्टी के कम से कम 4 घटक ऐसे हैं जो काँग्रेस पार्टी से जनता पार्टी में गए हैं। उन्होंने वह तिरंगा फहराया है (व्यवधान) हमारें बुजुर्गों ने फहराया है। तो केवल इतना ही प्रश्न है।

दूसरा झंडे के अवमान का प्रश्न है। जिला मजिस्ट्रेट ने भी कहा है कि जनता पार्टी भी वहाँ लगाना चाहें तो लगाए। काँग्रेस पार्टी 56 वर्ष से वहाँ फहरा रही है उसे नहीं फहराने दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन की समिति बनायें या आप जो भी निर्णय करें। इसका निराकरण होना चाहिए। अन्यथा जैसा देख रहे हैं सारे प्रदेश में क्षोभ है। झंडे की शान को बनाए रखना है उसके लिए अन्दोलन हो रहा है और यह आन्दोलन जो हो रहा है इसकी मर्यादा को बनाये रखना होगा। श्रीमन, मुझे आशा है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी यहाँ पर नहीं हैं लेकिन उपनेता श्री राम प्रकाश जी हमारी भावनाओं को इस प्रदेश के लाखों काँग्रेसजनों की भावनाओं को सहिष्णुता के आधार पर कि झण्डा जहाँ फहराता रहा परम्परा से वहीं फहराता रहे, वह अपने आदर्शों की रक्षा करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो समिति का प्रस्ताव किया है मैं समझता हूं कि इस सदन को समिति बनानी चाहिये और उससे आप अपेक्षा करें वह इस बात की छान बीन करें क्योंकि वह तिरंगा झण्डा चरखे वाला हम सबका है, जो काँग्रेस म रहे हैं, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन में रहे हैं उसमें श्रीमन् आप भी भागीदार रहे हैं और तमाम हम लोग भी रहे हैं और नेता विरोधी दल भी हैं मिश्रा जी और राजा साहब नहीं हो सकते हैं। तो उसम हमारा भी हिस्सा है वह हमारे देश की मान-मर्यादा का प्रतीक है किन्तु अब उसको एक दल का प्रतीक बनाया गया है. जो उचित नहीं है। मान्यवर,आप ..... (व्यवधान) तो आप अवश्य इस सदन की समिति बनाये, जो देखे कि क्या उस झण्डे को

[श्री मैनेजर सिंह]

फहराने का हक किसी गुट विशेष को दिया जाए या नहीं। एक बात और है, उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। क्योंकि वह उनका झण्डा राष्ट्रीय ध्वज से मिलता-जुलता है। जनता म इसके कारण कभी-कभी भ्रम रहता है। तो आप इसकी जाँच करावें और (व्यवधान) आप समिति के द्वारा उसकी छान-बीन करावें, जाँच करावें और उससे माँग करावें कि उसको बदल दिया जाय, [× × × ×]।

(व्यवधान)

श्री जसवीर सिंह—

श्रीमन्, मुझे आप मौका दे दें, मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आप लोग बैठें।

श्री नेतराम सिंह—

पता नहीं, आप मुझसे क्यों नाराज हैं। आप मुझको कोई मौका ही नहीं देते हैं। जो स्टेटमेंट दिया गया है और जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, आप बैठें।

श्री नेतराम सिंह—

दो मिनट का अवसर सिर्फ मुझे दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा, स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। आपके खिलाफ कोई आरोप होता तो आप स्पष्टीकरण दे सकते थे। यह बहस करने का मौका नहीं है, इसमें कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आपके विरुद्ध कोई भी बात कार्यवाही में नहीं कही गयी है और कोई आरोप आपके विरुद्ध नहीं किया है। इसलिए आपको स्पष्टीकरण का अवसर नहीं है और न कोई बहस है।

श्री नेतराम सिंह—

मुझे सर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, आप इस तरह गलत खड़े हुए हैं। (व्यवधान) (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर) जनार्दन जी, आप बैठे, मैं खड़ा हुआ हूं. . . . . (व्यवधान) नेतराम जी, आप शान्त रहिए।

माननीय नेता विरोधी दल और मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, समिति के गठन करने का, तो सदन अपने को कोई जाँच समिति में परिवर्तित नहीं कर सकता है और मैं इस तरह के मामलों में, जो न्यायालय का विषय हो सकता है और जिस पर स्वयं

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वहाँ पर हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है तो जो ऐसे प्रश्न हों, उस पर मेरे सामने कोई संकल्प होना चाहिए। संकल्प मेरे सामने आता तो मैं उसकी ग्राह्यता पर विचार करता। यदि सदन कोई विनिश्चय से मुझे भी अधिकृत करे, तो उसका कोई संकल्प होता है। मेरे सामने समिति के गठन का कोई संकल्प भी नहीं है और न मैंने उसकी ग्राह्यता पर विचार किया है। इसलिए समिति बनाने का प्रश्न नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही है कि यहाँ पर मन्त्रि-परिषद् के सदस्य बैठे हैं। उनके संज्ञान में सारी बातें आ चुकी हैं वह विचार कर लेंगे। वैसे संसदीय प्रणाली है, इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल माननीय मुख्य मन्त्री जी से विचार विमर्श भी कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा न्याय के हित में अगर आवश्यक समझें तो मैं भी उसमे सहायता कर सकता हूं। इसलिए यह विवाद अब समाप्त हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था की बात है। माननीय मैनेजर सिंह ने कहा है कि झंडे को समाप्त कर दिया जाय। यह तो बड़ी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि इस झंडे से लगाव उसका है जो इस पार्टी में विश्वास करता है। जो इस पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले गए वह कह रहे हैं कि झंडे को समाप्त किया जाय। इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही में देख लेंगे। मैनेजर सिंह का शायद मतलब यह था कि झंडे का विवाद समाप्त किया जाय। आपका क्या अर्थ था ?

श्री मैनेजर सिंह—

यशपाल कपूर भी आपकी पार्टी के अन्दर हैं, वह झंडे का सम्मान करने वाले नहीं थे। आपके अधिकाँश सत्ता काँग्रेसी झंडे के विरोधी रहे हैं, तिवारी जी की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग हैं आपके यहाँ।

श्री देव बहादुर सिंह—

झंडा समाप्त करने की जो बात कही है वह कार्यवाही से निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द "झंडा समाप्त किया जाय" कार्यवाही का अंग नहीं होगा। यह मैं देख लूंगा।

श्री नेतराम सिंह—

मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी किया। बिल्कुल बोलने की अनुमति देना नहीं चाहते ? यह मेरे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं आपको बोलने का अवसर दिया था।

श्री नेतराम सिंह—

आपने मना कर दिया। मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

आप पर कोई आरोप नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नेतराम सिंह--

आरोप मेरे ऊपर हैं। जनता पार्टी और जनता सरकार का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है, उसके बराबर झंडा लगाना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। न सरकार का सवाल है, न जनता पार्टी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

नेतराम जी, आपने जो कहा मेरी अनुमति के बिना कहा। आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था। उसकी कोई सफाई देने का अवसर नहीं था। अब आगे की कार्यवाही होगी।

श्री श्यामधर मिश्र--

उस दिन विशेषाधिकार के सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष--

आज न शतरुद्ध प्रकाश जी हैं न और लोग हैं। इसलिये इसे बाद में लिया जायगा उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है। उसको बाद में लिया जायगा।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई मंहगाई जिस प्रकार प्रदेश के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है उसी विषय पर इस सदन में चर्चा आरम्भ कर रहा हूं। श्रीमन्, अभी माननीय खाद्य मन्त्री की तरफ से एक अजीब ही वक्तव्य बंटा है, मैंने उसको पढ़ा। मालूम ऐसा होता है कि माननीय खाद्य मन्त्री ने जिस किसी आदमी के द्वारा बाजार के अन्दर भाव मालूम कराया है उसको शायद चाँदी का रुपया लेकर भेजा होगा। निश्चित है जब चाँदी के रुपए से भाव की तुलना होगी तो वह खाद्य मन्त्री का वक्तव्य सही हो सकता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वह कागज के नोट के सिलसिले में कह रहा हूं। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की क्या हालत है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री जी चले गए, मैं उनका ध्यान खासतौर से दिलाना चाहता था। अब धीरेन्द्र सहाय जी बैठे हैं, उनके द्वारा यह काम सुपुर्द कर रहा हूं। एक किताब है 'दाम बाँधो या गद्दी छोड़ो।' यह किताब बिहार के सोशलिस्टों ने लिखी है। इसमें से थोड़ा सा कोट करके पढ़कर सुनाऊंगा। डाक्टर लोहिया के पद चिन्हों पर चलकर यह पार्टी शासन करना चाहती है। उन्होंने क्या कहा है। सफा 51 में लिखा है कि 'खुले बाजार व्यवस्था की वजह से हिन्दुस्तानी व्यापारियों ने हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की सरकार को बेशर्म, भिखमंगों की कतार में खड़ा कर दिया है'। यह सफा 51 पर लिखा है और सफा 53 पर लिखा है, डाक्टर लोहिया साहेब का है। लोहिया जी ने कहा था कि "जिस राष्ट्र के लोग मुल्क के अन्दरूनी जालिमों से नहीं लड़ पाते हैं वे बाहरी जालिमों के सामने घुटने टेक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देते हैं। घरेलू जालिमों—बड़े-बड़े अन्न व्यापारी, सामन्ती सरकार, सामन्ती राजनेता, थैलीशाह, कारखानाधारी लोगों के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी करके बगावत करने की जरूरत है। सरकार को मजबूर कर देना है कि 16 से 22 अरब तक प्रति साल लूट करने वाले अन्न के व्यापारियों के खिलाफ सरकार कड़ाई करे अन्न का दाम बाँध कर गांव और गरीबों की लूट समाप्त करे। इस लूट से मुल्क को बचा कर इसे ताकतवर बनाने वाले कारखाने खड़ा करे।"

श्रीमन, मैंने इसलिए इसका हवाला दिया कि आज तक जनता पार्टी की कोई भी नीति इस सिलसिले मे नहीं मुकर्रर हो पायी है और जिसके कारण यह महंगाई बढ़ रही है। मैंने हवाला दिया है। माननीय मैनेजर सिंह जी, मुख्य मन्त्री जी, धीरेन्द्र सहाय जी भी जनता पार्टी के पार्ट हैं और उनको खासतौर से इस बात पर विचार करना है कि इस देश में महंगाई को रोकने के लिए, जो दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम अपनाया जाए। ऐसा मैंने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो भाव बढ़ रहे हैं उनको अगर गौर किया जाय तो गेहूं रु0 1.70 प्रति किलो था, यह मैंने दिनांक 22 सितम्बर, 1977 में दिया है। तो यह फीगर उस समय वही थी। वह अब रु0 1.90 पैसा है। जो अरहर की दाल रु0 4.70 थी वह आजभी रु0 4.70 है। मसूर की दाल रु0 4.25 थी वह आज रु0 4.70 है। जो उरद की दाल 4.40 थी वह आज रु0 5.20 है।

श्रीमन्, जो तेल पहले 8.50 पैसे प्रति किलो था, वह अब बढ़कर 14 रुपए प्रति किलो हो गया है। आपने इसके 10 रुपए प्रति किलो के दाम निश्चित कर दिए हैं। श्रीमन्, एक छोटा सा कारटून है कि एक तरफ मोहन धारिया जी बैठ हुए हैं आप देखें कि सफेद बाजार में तेल 10 रुपए किलो है लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी बैठा हुआ है तो 14 रुपए किलो तेल ब्लैक में बेच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो तेल 14 रुपए किलो मिल रहा है उसके दस रुपए किलो मिलने का कोई सवाल नहीं उठता।

इसी तरह से मान्यवर, जीरा जो रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल किया जाता है उसके दाम 22 सितम्बर, 1977 को 32 रुपए 35 पैसे थे जबकि इसी का भाव जून के महीने में 15 रु0 20 रु0 प्रति किलो था और आज हालत है कि इसका दाम 43 रुपए पर पहुंच गया है। हल्दी 6 रुपए से बढ़कर 12 रुपए किलो हो गयी है। यह कुछ भाव मैंने आपके सामने रखे। इन सब चीजों को अगर देखा जाय कि आखिर यह भाव क्यों बढ़ रहे हैं तो मेरी तो एक निश्चित धारणा है कि जनता पार्टी की सरकार के पास महंगाई को रोकने के लिए कोई निश्चित पालिसी नहीं है। उसका मूल कारण यह है, आप गौर कीजिए जब आप लोक सभा में सन् 1974 में विरोध पक्ष में थे तो जो तेल का स्कैंडल सिर्फ 37 लाख रुपए का था, बड़ा उधम मचाया आप लोगों ने लोक सभा के अन्दर ठीक उसी समय कांग्रेस वालों ने कुछ जल्दी करके 2 हजार लाइसेन्स तेलों के आयात के लिए दिए। इन लाइसेन्सों के जरिए 514 करोड़ रुपए का तेल आयात करना था। लेकिन बड़े-बड़े व्यापारियों, मिल मालिकों ने केवल 20 करोड़ रुपए का तेल आयात किया बाकी जो 480 करोड़ रुपए का तेल था उसे आयात नहीं किया। और तीस करोड़ रुपए का आयात करके साढ़े तेरह चौदह रुपए प्रति किलो के हिसाब से ब्लैक में बेंच डाला तो उन व्यापारियों के खिलाफ आज तक जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह से व्यापारियों को पूरी छूट मिल गयी कि वह जितना चाहें ब्लैक करके मुनाफा कमाए। जनता पार्टी के शासन काल में मान्यवर, यह व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सस्ते से सस्ता सामान खरीद कर अपने

[श्री रियासत हुसैन]

गोदामों में बन्द कर लेता है और साल भर बाद उसे महंगा से महंगा करके बेचता है। इस बात की उन्हें खुली छूट इस सरकार द्वारा दे दी गयी और इस तरह से जो मुनाफा उन्होंने पदा किया उससे वह ऐश आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन व्यापारियों को खुले तौर से पूरी छूट दी जा रही है कि जितना मुनाफा कमा सकते हैं, वह कमाए।

आप कहते हैं कि चावल के दाम गिरने लगे हैं। मेरा कहना यह है कि यह कोई जनता सरकार के रहमो-करम पर नहीं हो रहा है। चावल की फसल आ गई है और किसान अब अपना चावल बेच रहे हैं यह दाम इसलिए गिर गए कि व्यापारी इन किसानों से चावल सस्ते से सस्ते दामों पर लेकर अपने गोदामों में भर लें और महंगा होने पर ऊंचे दामों पर बेचें। जो चीज किसानों के पास नहीं है उनके दाम बिल्कुल नहीं गिरे। इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जितना मुनाफा वह कमा सकते हैं उतना मुनाफा कमाने की चेष्टा करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कितना समय लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बस अभी समाप्त करता हूं। जब तक प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल नहीं होगा और जब तक कीमतें फिक्स नहीं की जायेंगी उन पर पूरा कंट्रोल नहीं होगा. जब तक कन्जम्प्शन पर पूरा कन्ट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक रोज-रोज महंगाई बढ़ती रहेगी। आज साधारण आदमी को 200–250 रुपए तनख्वाह मिलती है और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इससे भी कम तनख्वाह मिलती होगी वह कैसे अपनी गुजर करेंगे। महीने का सिर्फ आटा, दाल, चावल का ही हिसाब इतना ज्यादा हो गया है कि बाकी चीज कैसे पूरे किए जा सकेंगे।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।)

जो कपड़ा 3.50 रुपए का मिलता था, अब 5 रुपये का मिलता है, जो पैजामें का कपड़ा 2.50 रुपए मिलता था। अब 3.50 रुपए मिलने लगा जूते की जगह लोग चप्पल पहनने लगे, रिक्शा पर जो चलते थे, अब पैदल चलने लगे, जो हफ्ते में दो बार नान-वैजीटेरियन खाना खाते थे, अब एक बार खाने लगे। आज प्याज भी 2.50 रुपए किलो मिल रही है, टमाटर 4.50 रुपए किलो मिल रहा है। तो मान्यवर, साधारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। दशहरा और दीवाली भी आ रही है। सभी को खर्चे की जरूरत है, हर चीज इतनी महंगी हो गयी है कि मसला यह है कि आदमी पहले पेट भर भोजन पाए या दशहरा-दीवाली पर कुछ खर्चा करें। मान्यवर, यह हालत आज हो गयी है और इस सब की जिम्मेदारी केवल इस बात पर है कि आज तक जनता पार्टी अपनी कोई नीति इस सम्बन्ध में निर्धारित नहीं कर पाई है और चूंकि नीति निर्धारित नहीं हो पाई है अतः इस प्रदेश के व्यापारी वर्ग को छूट मिली हुई है और उनका संरक्षण जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यह मेरा स्ट्रेट चार्ज है, इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और डिस्कशन इनीशिएट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अभी जो विचार प्रकट किए गए, परम्परा यह है कि इसके बाद मन्त्री जी बोलेंगे, उसके बाद माननीय सदस्य बोलेंगे और आखिर में जिन्होंने चर्चा प्रारम्भ किया है, वह बोलेंगे और उसके बाद मन्त्री जी।

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

माननीय अधिष्ठाता जी, वैसे जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैंने लिखित रूप में इस सम्बन्ध में एक पेपर तैयार करके माननीय सदस्यों तक पहुंचाने का प्रबन्ध किया था ताकि जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं पहले उनके सामने रख दूं क्योंकि मैं जानता था कि सब कुछ कहने के बाद अन्त में तो मुझे कहने का मौका मिलेगा ही, इसलिए मेरी वह बातें सामने रहें माननीय सदस्यों के। मान्यवर, आप अनुमति दें तो मैं अपना वक्तव्य रख दूं . . . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय . . .

श्री अधिष्ठाता—

सदस्यों में कुछ भ्रम हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 54 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 'सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैं यही कह रहा था कि जो कुछ मैंने लिखकर दिया है, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यही मेरा कथन है।

(मन्त्री जी के वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 380–383 पर)

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, नमक एक ऐसी चीज है कि इसका इस्तेमाल गरीब से गरीब व्यक्ति करता है। इसीलिए गाँधी जी ने नमक तोड़ों आन्दोलन चलाया था।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, हमें दुख होता है यह जानकर कि गरीब से गरीब के इस्तेमाल की चीजों में मूल्य-वृद्धि कैसे और किस प्रकार से हो रही है, उस ओर हमारे मन्त्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। इसमें दो राय नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं शनिवार को अपने क्षेत्र में घूम रहा था कि एक मुस्लिम बुढ़िया, फटे हाल मेरे सामने आती है और कहती है कि क्या हमने तुम्हें वोट इसलिए दिया था कि मंहगाई बढ़ जायगी। मेरी आँखों में आँसू भर आए हमारे मन्त्री जी, गरीब की स्थिति क्या है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देश के सामने महंगाई विकराल रूप धारण किए हुए है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

आज डाक्टर लोहिया की दाम बाँधो नीति की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि 2 आने की चीज की अधिक से अधिक 3 आने में बेचनी चाहिए और उससे अधिक जो बेचेगा, उसके लिए जेलखाना होगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार किसी दाम बाँधों की नीति पर नहीं चलेगी तो महंगाई रुक नहीं सकती है। तेल में मंहगाई आई। जिन लोगों ने तेल का व्यापार किया 3 महीनों में एक लाख के 2 लाख बनाए और इन तीन महीनों में किसी भी उपभोक्ता को शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने कानपुर की कम्पनियों को देखा कि 3 महीने में 3 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है। माननीय मन्त्री जी जाँच करा लें तो उनकी असलियत का पता लग जायगा। इससे कतराना बड़ा पाप होगा।

हमने वायदा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि महंगाई कम नहीं हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मिल से निकला माल ड्योढ़े से ज्यादा पर न बिके। अन्न का दाम भी ड्योढ़े से ज्यादा न बढ़े। अगर इस नीति को हम अख्तियार नहीं करेंगे तो जनता के डंडे हमारे ऊपर और माननीय मन्त्री जी की पीठ पर पड़ेंगे, इनसे कोई बचा नहीं सकता है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)–

मैं माननीय रियासत हुसैन साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया और सरकार को इस गहरी नींद से उठाने की चेष्टा की।

मान्यवर, यह वक्तव्य मुझे अभी-अभी मिला और इसमें जो आँकड़े दिये उनकी सत्यता और असत्यता के सम्बन्ध में जो आँकड़ों की छानबीन बुलेटिन वगैरह लेकर होनी चाहिए उतना मुझे समय नहीं मिला कि मैं बुलेटिन वगैरह यहाँ पर प्राप्त कर सकूं लेकिन श्रीमन् जो आँकड़े दिये गये हैं, पहली बात तो यह है कि बढ़े हुए मूल्य के जो आँकड़े हैं ये केवल दाल के बारे में, उर्द, मूंग, मसूर, अरहर, वनस्पति, गेहूं, मूंगफली तेल, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गुड़, खाण्डसारी और चीनी आदि के बारे में हैं। केवल इन्हीं आवश्यक वस्तुओं के बारे में ये आँकड़े दिये गये हैं। एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में आवश्यक वस्तुओं की एक बड़ी लम्बी सूची है आज के युग में। मुझे खेद है कि उन तमाम आवश्यक वस्तुओं की विवेचना माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं की है।

आवश्यक वस्तुएं इतनी ही नहीं हैं, उनकी और भी लम्बी सूची है। अभी नमक के बारे में जैसे माननीय सदस्य बलिया ने बतलाया, तरकारियों के क्या भाव हैं। आप देखें कि सारे प्रदेश में जो और दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी स्थिति क्या है। दूध की स्थिति क्या है? बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके मूल्य का कोई उल्लेख इस वक्तव्य में नहीं किया गया है। और इसमें बढ़े हुए मूल्य का उल्लेख एक कालम में है। वह कब बढ़ा, कितने समय में बढ़ा, यह कुछ नहीं है। उसकी तुलना की गयी है 14 अक्तूबर के मूल्य से। यह पता नहीं चलता कि बढ़े हुए मूल्य क्या थे, कब थे, किस तारीख को थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा है कि 6 जिलों से समाचार मिले हैं कि गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है। क्या केवल 6 जिलों से ? लेकिन जो औसत लिखा है गेहूं का इसी में, वह लिखा है कि रु0 119.92 पैसे से बढ़कर रुपया 121.44 हो गया है। तो इसका अर्थ क्या लगाया जाय ? क्या केवल 6 जिलों की सूचना है, या केवल 6 जिलों में दाम इतने बढ़ गये हैं कि औसत इतना आ गया है ? तो वक्तव्य में जो आँकड़े दिये गये हैं वह स्पष्ट नहीं हैं। उनसे किसी प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है।

एक बुनियादी कमजोरी और भी है कि ऐसा मालूम होता है कि भारत सरकार के केन्द्रीय मन्त्री वक्तव्य दे रहे हैं प्रदेश सरकार का वक्तव्य नहीं है, ऐसी कोशिश की गयी है। इसमें बार-बार केन्द्रीय सरकार की नीतियों को अपने ऊपर लगाया गया है, जैसे इनकी सफलता है या इन्होंने जो कहा है सफलता या असफलता वह है। आप देखेंगे कि इसमें प्रशंसा की गयी है कि केन्द्रीय सरकार के साहसिक कदम पर सदन को निश्चित रूप से सन्तोष होगा कि खाद्यान्न के मामले में सम्पूर्ण देश एक जोन बन गया है, इससे सारे देश में वस्तुओं का मूल्य लगभग समान होता जा रहा है और अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में पूर्ति की स्थिति ठीक होती जा रही है तथा उत्पादक को उचित मूल्य भी मिलेगा।

खाद्य मन्त्री जी जानते होंगे, मुझे तो जेल में पढ़ने को मिला कि 5 राज्य सरकारों ने जिसमें जनता पार्टी की सरकारें, जैसे बिहार की, सम्मिलित हैं, उन्होंने जोनिंग पद्धति का घोर विरोध किया है और एक अचम्भे की बात यह है कि जैसे एक पैरेलल सेंटर बन गया है। आज तक तो जिलों में मीटिंग होती थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल के निमन्त्रण पर 4 सरकारों के खाद्य मन्त्री गए और केन्द्रीय सरकार की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जिसमें बिहार सरकार के खाद्य मन्त्री भी सम्मिलित थे और उन्होंने जोनिंग पद्धति का घोर विरोध किया और यह माँग की कि यह जोनिंग पद्धति अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए दुखदायक और नुक्सानदेह है और कीमतों को बढ़ाने वाली है। केन्द्र कितना कमजोर हो रहा है नीतियों के चलाने में कि 5 राज्य इस प्रकार कलकत्ते में मिलें और निर्णय लें, यह स्वयं में आश्चर्य की बात है। मैं तो यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र ने जो भी निर्णय किया हो, मेहरबानी करके खाद्य मन्त्री बताये कि उन्होंने सिफारिश क्या की थी ? क्या प्रदेश सरकार ने यह नहीं कह दिया कि खाद्यान्न के मामले में सारे देश का एक ही जोन होना चाहिए। आज तक नीति, जहाँ तक मुझे याद है, यह रही कई वर्षों तक कि हमने यू0 पी0 के भी कई जोन बनाये कीमतों को स्थिर करने के सिलसिले में। पहले जिलों-जिलों के थे, बाद को रीजन के जोन बनाए गए, जिले के तोड़े गए। क्या खाद्य मन्त्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखा, क्या मध्य उत्तर प्रदेश का ध्यान रखा और जो डेफिसिट जिले हैं ? पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बिहार जैसी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ध्यान रखा होता तो सारे देश की जोनिंग में खुश हो रहे हैं खाद्य मन्त्री जी कि केन्द्र सरकार का साहसिक कदम है, लेकिन जैसे बिहार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में वह जोनिंग कम से कम इतना करते कि उत्तर प्रदेश का एक जोन होगा।

जहाँ तक मुझे याद है पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का एक जोन बनाया गया था ताकि पश्चिम का जो सरप्लस अनाज वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा सके। जहाँ तक सारे भारत का एक जोन बनाने की बात है, पहले भी ऐसा किया गया था। इसका अनुभव हमें हो चुका

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है। क्या हुआ कि जहाँ परचेजिंग कैपेसिटी है, जो गोदामों में भरने वाले ब्लैक मार्केटियर्स हैं वह गोदामों में अनाज भर लेते हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो सोचा है कि किसान को अच्छे दाम मिल सकेंगे, ऐसा नहीं है। किसान को तो कम दाम मिलेंगे लेकिन गोदाम भरने वाला अपना गोदाम सस्ते में भरेगा और बाद में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बेचेगा। मैं एक बात और कहूंगा। कितनी बार कोसेंगे पिछले शासन को। मुझे लगता है कि खाना हजम नहीं होता खाद्य मन्त्री जी का, जब तक कि पिछले शासन को कुछ बुरा भला न कह लें। 6 महीने बीत चुके हैं, कुछ सहिष्णुता की नीति बरतें, कभी-कभी तारीफ भी किया करें। खाद्य मन्त्री जी तो बड़े गम्भीर हैं और मन्त्रियों से हमारे खाद्य मन्त्री जी तुलना में अधिक गम्भीर हैं। तो अपनी गम्भीरता को अपने वक्तव्य में भी उन्हें दिखलाना चाहिए था।

बार-बार पिछली सरकार को कोसने से कीमतें कम होने वाली नहीं हैं। क्या खाद्य मन्त्री जी भूल गए कि 2 करोड़ टन का बफर स्टाक किस शासन ने दिया था? उसी शासन ने दिया था जिसकी वह निन्दा करते हैं। तो बफर स्टाक का भी यह शासन लाभ न उठा सके और गेहूं की कीमत बढ़ती जाय। कौन नहीं जानता कि आज कल के मौसम में अनाज के दाम थोड़े कम होते हैं, खरीफ की फसल आ रही है, बाजार में। इसके लिए किसी शासन को कोई खास श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं और चावल के दाम भी जितने घटने चाहिए थे, नहीं घटे हैं। और जो आपने सारे भारत को एक जोन बना दिया है मैं समझता हूं कि बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में जो स्टैंड लिया है वह अधिक व्यावहारिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं की गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सिफारिश की केन्द्र से? यह बात साफ होनी चाहिए। क्या उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश जोन तोड़ दिया जाय और सारे भारत का एक जोन बना दिया जाय? उत्तर प्रदेश की जनता को इसके उत्तर को स्पष्ट जानने का अधिकार है क्योंकि पिछले दिनों हम भुगत चुके हैं और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह संस्तुति की कि सभी जोन तोड़ दिए जायं तो यह इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात है।

(व्यवधान)

(श्री शिवलाल मित्तल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल को शान्ति से सुनें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य को भूख लगी होगी शायद। वह खाना खा आएं। दूसरी बात इसमें यह कही गयी है पेज 2 पर पहले पैराग्राफ में. . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य के अब केवल 5 मिनट रह गए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें कहा गया है कि मार्च से अगस्त तक 5 महीनों में जो विगत 6 वर्षों से वृद्धि की प्रक्रिया चली आ रही थी उसको कम करने में वर्तमान सरकार सफल रही है।

अब श्रीमन्, आप देखें मार्च, 1977 में कौन गवर्नमेंट थी ? मार्च और अप्रैल दो महीने तो आपका बन्दा सेवक बैठा हुआ था। 5 महीने जिसकी तुलना कर रहे हैं, मार्च-अप्रैल में हम थे शासन में, मई-जून में चुनाव हुआ, जून में शपथ लिया आपने, उसके पहले वर्तमान सरकार रही नहीं, गवर्नर शासन था, दो महीने हम थे, तो यह पांच महीने की सफलता कहां से आप की आ गयी ? श्रीमन्, कीमतों का जोड़ लगाया जाता है, पांच महीने का नहीं, साल भर का लगाइए। यह कहां का तरीका है कि हम 5 महीने का हिसाब लगाएं ? और फिर अगर यह बात है श्रीमन्, अभी आपने अखबारों में देखा होगा, मैंने भी जेल में देखा, कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स इतनी बढ़ गयी है कि एक महंगाई अब सारे प्रदेश को देना होगा, नगरपालिकाओं को देना होगा। 12 सूचकांक बढ़ गया है, एक महंगाई भत्ता देय हो गया है इसे मुख्य मन्त्री को जानकारी है, कि नहीं ? अब तो महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया की जाय महाराज। एक महंगाई भत्ता इस सरकार को देना पड़ेगा। मंहगाई अगर नहीं बढ़ी है, तो यह भारत सरकार का जो सिम्बल 12 अंक यह कैसे बढ़ गया, इसकी जानकारी श्रीमन्, होनी चाहिए।

जब श्रीमन्, इसमें बड़ा दुर्भाग्य है, बार-बार केन्द्रीय शासन को कोसा गया, फिर वही केन्द्रीय सरकार की आलोचना। यह केन्द्रीय सरकार का वक्तव्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार जो पहले थी, उसकी आलोचना की गयी है कि मुद्रा-स्फीति बढ़ गई, हम नहीं जानते वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर कोई भी शासन इनफ्लेशन को, मुद्रा-स्फीति को रोक पाया, तो वह भारत सरकार थी, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें 3 फीसदी मुद्रा-स्फीति हुई। यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। श्रीमन्, जहां पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, इन्टर-नैशनल मानीटरी फण्ड की रिपोर्ट हो कि भारत ने अपनी मुद्रा-स्फीति को रोकने की काम-याबी की। कृपया वह अपनी बातों को देखें।

एक बात इसमें कही गयी कि दाल के और तेल के लिए हमने सीलिंग लगा दी है और हमने दाम नियत कर दिए हैं। इसमें पूरी सूचना दी गयी है। अब सरसों के तेल और दाल की जो सीमा निर्धारित की गयी है, श्रीमन्, आज क्या हो रहा है ? दिल्ली में आज सारे होल सेल व्यापारियों ने असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया है कि हम दाल का स्टाक नहीं उठायेंगे, तेल के आज कारखाने बन्द कर दिए हैं। आज तेल तैयार करने वाले घोषणा कर दिए हैं कि अगर सरसों के दाम घटा दो तभी हम तेल तैयार कर सकेंगे। उनकी घोषणा यह है कि आज से वे हड़ताल कर दिए हैं। तेल पैदा नहीं हो रहा है, नतीजा क्या होने वाला है कि तेल के व्यापारियों और दाल के होल-सेल व्यापारियों की हड़ताल के कारण, जहां आप कह रहे हैं कि सस्ता हो रहा है, और मंहगा होने वाला है। दाल आएगी ही नहीं, तो दाल और तेल का दाम कितना ही मुकर्रर कर दें, मार्केट में, बाजार में वह मिलेगा ही नहीं, यह व्यवहारिक नीति है।

आज होल-सेल और ब्लैक मार्केटियर यह समझता है कि हमारा बड़ा प्रभाव है। खाद्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी वह एक छोर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे आगरा के विधायक ने जो रेपसीड तेल का घोटाला बताया, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि कीमतों के रोकने में खाद्य मन्त्री जी जो भी कदम उठायेंगे हमारा विरोधी दल उनको रचनात्मक सहयोग देने के लिए

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तत्पर हूं। सही कीमतों के लिए जो कोई सही नीति यह सरकार बनाएगी, तो मैं उसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज जो नीतियां हैं, वे अत्यन्त अव्यवहारिक हैं। अगर इस भावना से कि जो पुरानी सरकार ने किया, उसका उल्टा करेंगे, तो मेहरबानी करके आप यह न देखें कि कांग्रेस वालों ने क्या किया। अगर कांग्रेस की नीति सही थी, उसको आप अपनाइए और जो गलत नीतियां थीं उनको आप देखें, मैं यह आग्रह करूंगा मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह सत्य से परे है। जो वास्तविक है उसका चित्रण नहीं करते, जो स्थिति खतरे में है उसको देखेंगे। हमें आशा है कि ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कीमतों में नियन्त्रण हो।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, भाई रियासत हुसैन साहब ने जो आज सदन को यह मौका दिया कि महंगाई के सम्बन्ध में अपने विचार रखें, यह सही है कि जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है महंगाई को रोकने के लिए। लेकिन यह भी सही है कि मंहगाई के सम्बन्ध में जो लोग अपने विचार इस तरह के रखते हैं, उनको लोगों को उकसाना भी नहीं चाहिए। व्यापारियों को भी नहीं उकसाना चाहिए कि आप इस तरीके से सामानों को उठाना बन्द कर दें या जखीरे-बाजी करें। इससे भी यह मामला हल नहीं होगा। चाहे उधर के बैठने वाले हों या चाहे इधर के बैठने वाले हों। इस मामले में, एक राजनीतिक नजरिए को रखकर मंहगाई के खिलाफ लड़ें तो मैं समझता हूं कि महंगाई कम होगी। वैसे तो जनता पार्टी की सरकार महंगाई को कम करने का दावा तो कर ही रही है और कम होने का आश्वासन भी मिल रहा है। लेकिन दाम जो निर्धारित किए गए हैं उन दामों पर कहीं कोई चीज बाजार में मिल नहीं पा रही है। इसका क्या कारण है ?

मैं समझता हूं कि जहां तक इसका ताल्लुक है या तो महंगाई कम हो या तो खरीदने की ताकत बढ़ें। कोई भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी चपरासी, मजदूर या क्लर्क हो उसको तनख्वाह ऐसी बना दें कि वह महंगाई का मुकाबला कर सके। 600 रुपए से कम तनख्वाह किसी भी आदमी की न हो, चाहे वह मजदूर हो या चपरासी हो। तो वह इस महंगाई का मुकाबला कर सकता है। जहां तक यह कहना कि मंहगाई जनता पार्टी की वजह से आ गई है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। महंगाई का सिलसिला जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेसी शासन में भी था। जब मैं सन् 1967 में विधान सभा का सदस्य था तो वेतन 300 रुपए मिलता था। अब एक हजार रुपया मिलता है। तो कांग्रेस के लोगों को इस बात की शर्म आनी चाहिए थी कि अपना भत्ता तो इतना बढ़ा लिया, लोक सभा और विधान सभा में, लेकिन उन मजदूरों की महंगाई आपने नहीं बढ़ाई जो कानपुर की सूती मिलों में काम करते हैं। महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जखीरेबाज हैं उनके साथ कोई रियायत न करिए। अगर जखीरेबाजी बन्द नहीं होगी तो महंगाई आप नहीं रोक पायेंगे। जखीरेबाजों को गिरफ्तार करें और माल लेकर बाजारों में सस्ते दर पर लोगों को दें। जो कीमत शासन ने निर्धारित की है उन कीमतों पर कोई भी सामान किसी जगह पर मिल नहीं रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हो रहा है। 2 मिनट हैं।

श्री बाबू बदरे--

जहां तक कीमतों का ताल्लुक है, इस मामले में डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र अभी रियासत साहब ने किया था। वही नीति दामों के बांधने की, की जाय। जो रेट आपने मुकर्रर किये हैं, उस भाव से कोई चीज कहीं खरीदने जाय तो नहीं मिल सकती। इसकी क्या वजह है? हम तो इसके लिए वचन-बद्ध हैं कि महंगाई रोकेंगे। यह कहना कि अभी 4-5 महीनों के अन्दर ही यह सारी महंगाई आई है, विरोधी दल सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर करे तो ऐसी बात नहीं है। आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से जखीरेबाजी हुई। मैं शासन के लोगों से कहना चाहता हूं। आज भी वह लोग, अपार-चुनिस्ट क्लास के जो पहले मन्त्रियों के आगे पीछे घूमने वाले थे वह अब घुसकर जनता पार्टी के मन्त्रियों के आगे पीछे घूमने लगे हैं। जब तक आप इन लोगों से दूर नहीं हटेंगे, उनको दूर नहीं हटायेंगे तब तक आप अपनी नीति पर सफल नहीं हो पायेंगे। जनता पार्टी महंगाई को रोकने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन यह जो तरीकएकार है उससे मंहगाई रुक नहीं पायेगी। आज अपने घोषणा-पत्र के मुताबिक इन जखीरेबाजों को जेलखाने में बन्द कराइए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कांग्रेस की गलत नीतियों के फलस्वरूप महंगाई उठ पड़ी है। कांग्रेस ने जो नीतियां छोड़ रखी थीं उससे उन्होंने जगह-जगह जखीरेबाज बना रखे थे जिससे यह महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने इतने बड़े व्यापक रूप में छापे मारे थे कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया और जखीरेबाजों की गिरफ्तारियां हुयीं।

मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की सूचना देना चाहता हूं कि हमारे वहां एक छोटे से कस्बे में 60 हजार नकली यूनिटें पकड़ी गयी जिसमें 600 बोरा शकर प्रत्येक महीने नकली ढंग से चोरी करके ब्लेक में दुकानदार शकर को बेचते थे यह हमारे फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की म्युनिसिपैलिटी की बात है। चेकिंग हो रही है कि गलत यूनिटें कितनी बनाई गयी हैं। चेकिंग करने से लाखों यूनिटें पकड़ी गयी हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि इसमें और तत्परता करें। मान्यवर, फतेहगढ़ में इन्सपेक्टर 5 रुपया लेकर यूनिटें बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस पर सतर्कता करें और उन पर रोक लगाएं।

मान्यवर, निस्संदेह दालों की कीमतें बढ़ी हैं। इसका कारण यह है कि अधिक उत्पादन देने वाला गेहूं जबसे चला है तब से किसान दालों को कम और गेहूं अधिक बोता है। दालें कम बोने से उत्पादन कम होगा और इसलिए कीमतें बढ़ेंगी। इसलिए जब तक किसान को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक गेहूं बढ़ता जायगा और दालों जैसे अरहर, मूंग, उड़द आदि की खेती कम होती जायेगी। इसलिए मन्त्री जी को दालों की खेती पर ध्यान देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

मान्यवर, जहां तक सब्जियों की बात है। तो बरसात में भयंकर पानी से कीमतें बढ़ गयीं लेकिन पता चला है कि धीरे-धीरे कीमतें घट रही हैं।

मान्यवर, हमारे वहां इस बार तिलहन का उत्पादन कम हुआ इसलिए तेल विदेशों से मंगाकर उसकी पूर्ति की गयी है।

मान्यवर, इस प्रकार यह सारी चीजे कांग्रेस की 30 साल की नीतियों के परिणामस्वरूप हुई हैं और इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है इसलिए महंगाई पर रोक लग गयी है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस ओर और प्रयत्नशील हों और बढ़ती हुई मंहगाई पर नियन्त्रण पा लें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कमर तोड़ महंगाई से जनजीवन त्रस्त है। सामान्य आदमी को एक समय खाना ठीक से नसीब नहीं हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि जो महंगाई बढ़ रही है वह नीतिगत बढ़ रही है और इसके बढ़ने में आज की सरकार स्वयं जिम्मेदार है। मुक्त व्यापार के हामी लोग यदि सरकार में आ जायं जिसके फलस्वरूप आज देश में जो जोनिंग की व्यवस्था थी तोड़ दी गयी है। इसलिए महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच रही है। सभी माननीय सदस्यों का और मन्त्री जी का भी यह कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। मैंने एक निवेदन पहले किया था और कहा था कि मैं माननीय वित्त मन्त्री, श्री पटेल साहेब का जो उन्होंने लोक सभा में दिनांक 16-17 जुलाई को कहा था उसका एक सेंटेन्स मैं पढ़ना चाहता हूं। वित्त विधेयक पर आम बहस का उत्तर देते हुए श्री पाटिल ने कहा कि इसमें किंचित सन्देह की बात नहीं है कि वर्तमान मूल्य स्तर सर्वाधिक हैं। 15-16 जुलाई को कहा कि यह जो मूल्य बढ़ा है यह सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जोकि 3.5 प्रतिशत हैं। यह 15 जुलाई की बात है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं में कितनी चीज हैं। मैं क्या जान सकता हूं कि मसाला और मिर्च का क्या भाव पहुंच गया है? हर प्रकार की दालों की कीमत बढ़ गयी है। खाद्य मन्त्री जी अपने बयान में कहते हैं कि मूल्यों का स्तर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मूल्यों को स्थिर कर रही है। मैं कहता हूं कि मूल्य बढ़ रहे हैं और चोर बाजारी करने वालों को छूट दी जा रही है। सामान को इकट्ठा करके रखने वालों को छूट मिली हुई हैं। मंहगाई रातों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो संस्थागत वित्त मन्त्री श्री केशरीनाथ त्रिपाठी हैं उन्होंने इलाहाबाद में 9 जुलाई को पत्रकारों के बीच में कहा कि आगामी तीन महीनों तक मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण की कोई आशा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यह पूछने पर कि क्या सरकार ने स्वेच्छा से या दण्ड द्वारा मूल्यों में कमी लाने के लिए कोई तिथि निश्चित की है। इस पर मन्त्री जी ने कहा कि तिथि निश्चित करने पर विचार किया जा रहा है। यह पूछने पर कि इसमें कितना समय लगेगा मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि तीन महीने का समय लगेगा। जुलाई में मन्त्री जी ने यह कहा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अब जुलाई, अगस्त, सितम्बर तीन महीने तो बीत गये और यह चौथा महीना है। जब चौथे महीने में चीजों के दाम देखते हैं तो हर चीज का ड्योढ़ा और दुगुना दाम दिखाई देता है ।

भारत सरकार के कृषि मन्त्री आये थे उन्होंने बयान दिया कि 2.15 पर कन्ट्रोल रेट पर चीनी मिलती है। देहात या शहर में खुले बाजार में इसको तोड़ दिया जाय और इसके बाद उन्होंने कहा कि यह विचार है कि तीन रुपये चीनी बिकवाई जाय। जब तीन रुपया चीनी बिकवाई जायगी तो इससे किसका फायदा होने वाला है मिल मालिकों का फायदा होने वाला है। इसलिए मेरा तो साफ कहना है कि माननीय मन्त्री जी बड़े उदार हैं, बड़े गम्भीर हैं। हमारे विरोधी दल के नेता नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि मन्त्री जी बहुत उदार हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ की जो नीति है मुक्त व्यापार की और एक जोन से दूसरे जोन में सामान ले जाकर बिकवाने की उसी नीति के मातहत यह महंगाई बढ़ रही है और उसी नीति के मातहत आज की सरकार काम कर रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अटल बिहारी बाजपेयी ने न्युयार्क में प्रेस से कहा कि भूतपूर्व जनसंघ की मानी-जानी जो नीतियाँ हैं उसी प्रकार की नीति जनता पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में ला रही है। जनसंघ की नीति है मुनाफाखोरों को छूट दो जमाखोरों को छूट दो। इनको छूट देकर जनता पार्टी जनता का धन लुटवा रही है। इससे प्रदेश की जनता असन्तुष्ट है और इसके लिए प्रदेश की जनता को संघर्ष करना पड़ेगा और मैदान में आना पड़ेगा।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो बढ़ी हुई महंगाई है इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस महंगाई को पैदा करने में पिछली सरकार का भी हाथ रहा है। अपने जाने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार ने जिन कदमों को उठाया उनके कारण महंगाई बढ़ी है। इसको रोकना श्रीमन् इतना आसान नहीं है। श्रीमन्, हमारे रियासत साहब ने डा० लोहिया का जिक्र किया। मैं समझता हूं वर्षों तक माननीय रियासत साहब और नेता विरोधी दल और विपक्ष के जो लोग हैं उनका एक ही नारा होता था कि टाटा बिड़ला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। यह नारा माननीय नेता विरोधी दल, रियासत साहब और हम सब लगाते रहे हैं। टाटा बिड़ला और पूंजीपतियों की हुकूमत इस देश में कायम रही है चन्द महीनों पूर्व तक। यह पहला अवसर है कि इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति बिड़ला साहब के खिलाफ जनता पार्टी के शासन ने कार्यवाही की है और वह जमानत पर हैं। जब टाटा बिड़ला जैसे लोग नहीं बच सकते हैं तो बिचौलिया व्यापारी जो ब्लैक मारकेटिंग करते हैं स्मगलिंग करते हैं समाज के साथ गद्दारी करते हैं वह बच नहीं पायेंगे।

श्रीमन्, छापे पड़े हैं। 300 लोग पकड़े गये। लेकिन प्रशासन इतना लुंजपुंज हो गया था कि प्रभावकारी कदम नहीं उठाये जा सके। प्रशासन को इतना बिगाड़ दिया और राजनीति का चस्का लगा दिया और इतना भ्रष्ट कर दिया कि उनसे ईमानदारी की उम्मीद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

करना सम्भव नहीं है। जब तक उनका पुनर्गठन न हो। 30 साल के शासन में वह अधिकांशतः भ्रष्ट हो गए हैं। पूरा तन्त्र ही भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। इसलिए महंगाई रोकने में कठिनाई हो रही है। 25 छापे पड़े। अगर ईमानदारी से काम किया होता तो 2 हजार व्यक्ति पकड़े गए होते। लेकिन रिश्वत लेकर छापे में छोड़ दिए। दूसरे पहले से ही सूचना दे दी व्यापारियों को कि तुम्हारे यहाँ छापा पड़ने वाला है। शासन के बिगाड़ने में भी हमारे विरोध पक्ष के साथियों का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि अपनी मशीनरी को चुस्त बनावें। अधिकारियों में ईमानदारी लावें। जब तक यह नहीं होगा महंगाई रोकना सम्भव नहीं होगा। दलहन और तिलहन के मामले में आज महंगाई बढ़ रही हैं। उसका कारण भी है। हाई यील्डिंग वैराइटी के उन्नतशील बीज आये। गेहूं की पैदावार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। किसान ने दलहन और तिलहन की खेती कम कर दी। इसकी वजह से उनकी कमी हो गई। लेकिन फिर भी व्यापारियों पर आप निगाह रखें। उनके गोदामों की जाँच की जाय ताकि जो सामान उनमें बन्द है वह बाजार में आये।

हमारे नेता विरोधी दल बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। पता नहीं श्रीमन्, क्यों उन्होंने क्षेत्रीय प्रबन्धों का समर्थन किया। जो जनता की माँग थी कि पूरे देश में एक जोन होना चाहिए उसको जनता पार्टी ने अमली जामा पहनाया है। जो गलत व्यापारी थे ब्लैक मार्केटिंग करते थे और जो गलत अधिकारी थे और दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से लखपती बन रहे थे उन पर रोक लगाया है। फिर भी नेता विरोधी दल इसका पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। इससे हमारे देश में मान्यवर, सुविधा आयेगी जो यह नया कदम उठाया गया है। किसान भाइयों को गेहूं मिलेगा। जोन तोड़ने से देश की एकता को बल मिलेगा और राष्ट्रीयता की भावना पुष्ट होगी और भ्रष्टाचार मिटेगा। जो सराहनीय कदम जनता पार्टी ने उठाया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह उड़ीसा, यह बंगाल, यह अन्य प्रदेश आखिर हिन्दुस्तान कहाँ? वह भावना खत्म होगी? इस लिए यह सराहनीय कदम है और इसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन है कि इसको सफल बनना चाहिए।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के सम्बन्ध में सदन में जो चर्चा हो रही है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम तो मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं जो 31 महीनों में जिन परिस्थितियों से देश और प्रदेश को गुजरना पड़ा और जिसके कारण भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी और इस तरह की हालत इस सरकार को विरासत के रूप में मिली वह किसी से छिपी नहीं है। इसके विरोध में उन्होंने जो प्रस्ताव लाकर हमें बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं बधाई देता हूं।

माननीय नेता विरोधी दल चले गये हैं। उन्होंने खाद्य नीति के सम्बन्ध में जो कुछ किया उस समय जो भ्रष्टाचार मचाया गया खाद्यान्नों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जो प्रतिबन्ध लगाया गया वह भी इस महंगाई का बहुत बड़ा कारण हुआ। उसके बाद जब जनता सरकार आई तो जुलाई के बाद के आँकड़े से वस्तुस्थिति और प्राकृतिक वातावरण को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनता पार्टी महंगाई को घटा रही है। मान्यवर, दाल और सरसों के तेल की बात आती है। मैं वाराणसी मण्डी में गया था। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें 4 पैसे या 5 पैसे भाव न गिरते हों। ये गरीबों के मसीहा लोग गेहूं, चना, मटर, चीनी और गुड़ की बात न करके तेल की महंगाई की बात करते हैं। इस तरह के बयान देकर ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैं खाद्य मन्त्री जी और जनता सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में इस भयंकर स्थिति का सामना किया और उसके समाधान के लिए रास्ता निकाला। खाद्य विभाग की जो भी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं . . .

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि उन दुकानों में सारे बदमाश लोग, इनके द्वारा पाले गये लोग बैठे हुए थे। गल्ला जाता था, परन्तु गरीब को नहीं बंटता था। लेकिन हमारे खाद्य मन्त्री और सरकार राशन कार्ड की चेकिंग करने, जो सस्ते गल्ले के दुकानदार हैं उनके चरित्र की भी चेकिंग करने और अच्छे लोगों को खाद्य और सस्ते गल्ले की दुकानें दिलाने का जो काम कर रही है उससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। मैं जानता हूं समय बहुत कम है। पुनः इतना बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में इधर तीन महीने में सभी आवश्यक वस्तुओं के भाव गिरे हैं और प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो. . .

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठ जायं . . . . . (व्यवधान)

मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं दूसरा चान्स कहते हैं, तो बैठ जाते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि उनको स्टेट खड़ा होना चाहिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, बढ़ते हुए मूल्यों का विषय जनता के सामान्य जन जीवन से सम्बन्धित है और हमारे उस पक्ष के लोग जो हैं वे केवल जनता पार्टी की दुहाई देकर, कांग्रेस शासन को कोस कर एक प्रत्यक्ष बढ़ते हुए मूल्यों के तथ्य को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि क्या जो जनता पार्टी के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनको साहस है कि जनता के बीच में जायं और वहां जाकर इस बात को कह सकें कि जो मूल्य बढ़े हैं वह कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि उनमें साहस नहीं है, क्योंकि अगर शहर या देहात में जाते हैं तो वहां पर उनको शिकार बनना पड़ता है उनकी सबसे पहले अवहेलना की जाती है कि आपके शासन में महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई कांग्रेस शासन में नहीं बढ़ी। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारे देश को एक जोन बनाया जाय।

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

मान्यवर, जहां तक न्याय का सवाल होता है हमने अप्रैल में मांग की थी कि मेरठ में बेंच खोली जाय, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता भंग हो रही है। आपने सारे देश में एक जोन बना कर बेईमान व्यापारियों के लिए रास्ता खोल दिया है कि वे मन चाहें जिस क्षेत्र में खाद्य का अभाव पैदा कर दें और मन चाहे जिस क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमायें। हर व्यक्ति का यह कहना कि सारे देश में एक जोन बनाया जाय आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। जनता आज यह देखने के लिए तैयार नहीं है कि आप सारे देश को एक जोन बना देते हैं अथवा आप हर जिले में एक जोन बना देते हैं। जनता स्पष्ट रूप से आप से यह उम्मीद लगाये थी कि जनता सरकार बनेगी तो खाद्यान्न की स्थिति कांग्रेस शासन से भी अच्छी होगी। अच्छी होने की जगह आज खाद्यान की स्थिति बिगड़ रही है। आप ने डाटाज इस पुस्तक में दिखाये हैं। आपने दिखाया है कि कांग्रेस शासन में 71 से अब तक कीमतें बढ़ी हैं और इस समय 2.8 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं। केवल 2.8 प्रतिशत का डाटा दे देने से आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सकते, जनता प्रत्यक्ष रूप से चाहती है कि 2.8 प्रतिशत का मतलब नहीं है वह चाहती है कि आप की नीति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिलें।

आपके प्रधान मन्त्री अपील करते हैं, केन्द्रीय खाद्य मन्त्री अपील करते हैं, हमारे प्रदेश के मन्त्री अपील करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब-जब आप अपील करते हैं तब-तब कीमतें बढ़ती हैं। जनता को आपसे उम्मीद थी, अनुशासन आपका मूल मन्त्र था, जनसंघ के हमारे मन्त्री जी के बारे में कहा जाता था कि जब वे आयेंगे तो जरूर कुछ सुधार करेंगे लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि माननीय मन्त्री जी उसी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं जिस पक्ष का समर्थन किया है और वह पक्ष हमारे प्रदेश का व्यवसायिक पक्ष है। उस पक्ष के हितों की रक्षा के लिए उनको बेईमानी करने का मौका देने के कारण आपकी नीतियां सफल नहीं हो पा रही हैं। आपने कहा हमने हर दुकान पर मूल्य के पट्टे टांगे हैं। इस बात की आपने घोषणा की कि सही है, बड़ा अच्छा है लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि जो घोषणा आप करते हैं क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं और जो नीति आपने बनायी है उसकी सही तौर से चेकिंग हो रही है या नहीं और जो मुनाफाखोर लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है या नहीं? ऐसा न हो कि आपके वक्तव्य तथा नीतियां कोरा कागज बनी रह जायं और प्रदेश की जनता को कोई राहत न मिल सके।

एक माननीय सदस्य ने दालों तथा तेलों का जिक्र किया और उनको आम अय्याशी की चीज बतलाई। यह भी कहा गया कि गेहूं के दाम नहीं बढ़े हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि बफर स्टाक आपको इतना दिया गया था जिसका यह अन्जाम है कि गेहूं की कीमते कम बढ़ी हैं। अन्य चीजों की कीमतों को देखिए जो सामान्य जीवन की हैं। उनकी कीमतें इस कदर बढ़ गयी हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह 2.8 परसेंट का आंकड़ों पर जनता को किसी तरह से यकीन नहीं आयेगा और 2.8 परसेंट का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा और न प्रदेश की जनता को इस पर यकीन होगा कि आपने कीमतों पर कन्ट्रोल कर लिया है।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रदेश में बढ़ती मंहगाई का प्रश्न आज सदन में प्रस्तुत किया है, मैं माननीय सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि यह महंगाई का सवाल केवल उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल नहीं है। आज यह महंगाई का सवाल जनता की जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह जनता पार्टी का ही सवाल नहीं है बल्कि मंहगाई का यह प्रश्न सारे देश प्रदेश से ताल्लुक रखता है और एक उपभोक्ता के नाते, देश के एक नागरिक के नाते हमको इस समस्या का हल निकालना चाहिए और आंकड़ों के शब्द जाल में न फंस कर यह देखना चाहिए कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ जो आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता हुआ करती है उस तरफ माननीय सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। दुनियां के इतिहास में जब भी राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ है अथवा रूस और चीन की क्रान्ति को देखें तथा हिन्दुस्तान की सन् 42 की क्रान्ति तथा 47 के बाद जब आजादी देश में आई तब की क्रान्ति अगर हम देखेंगे तो इस बात की जानकारी हो सकेगी कि किस तरह से मंहगाई का आलम छाया हुआ था। जो बात चीन व रूस में हुई वही बात 47 के बाद हिन्दुस्तान में भी हुई और वही चक्कर आज जनता पार्टी की सरकार के समय राजनीतिक परिवर्तन के बाद चल रहा है। यह महंगाई होना स्वाभाविक है।

जनता पार्टी के नेता इस मंहगाई से घबड़ा कर दम फुला रहे हैं। मैं कहता हूं कि हिम्मत के साथ जो आपने वायदा किया है जनता से उसे दृढ़ता के साथ पूरा करने पर आमादा हो जाइए। हाथ जोड़ने से महंगाई नहीं रुकेगी। ये मुनाफाखोर किसी दल के नहीं होते। इनका एक वर्ग हुआ करता है। जब कोई सत्ता में आता है और जब कोई प्रशासक कमजोर होता है तब ये नफा उठाते हैं। जो हमारे मुल्क में 75 घराने थे उनकी दिन-दूनी रात चौगुनी आमदनी बढ़ी है और जनता पार्टी के घटक अपने-अपने विचार से न देख कर नीति के रूप में इस प्रश्न को देखें। यह लांछन लगाया जाता है कि जनता पार्टी के शासन में जनसंघ की नीतियां चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है उस पर अमल करने के लिए जनता पार्टी के लोग वचनबद्ध हैं--मूल्यों को बांधने के लिए वचनबद्ध हैं।

जिस बात को कांग्रेस की सरकार तीस साल तक नहीं कर सकी। ये समाजवादी लोग तीस साल से पूंजीपतियों पर रोक लगा रहे थे, लेकिन 75 बड़े घराने दिन दूने रात चौगुने बढ़ते गये। लेकिन आज वे तमाम नौजवान जो समाजवाद के नारे के साथ और लोक नायक जय प्रकाश की सम्पूर्ण क्रान्ति को साथ लेकर जनता पार्टी में आये हैं उन 75 घरानों को जिन्होंने देश की 3/4 सम्पत्ति अपनी तिजोरी में बन्द कर रखा है उनका ताला तोड़कर उनकी सम्पत्ति को बाहर लायेंगे और उससे मंहगाई का मुकाबला करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि एक रण कुशल नेता हमेशा सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ाई नहीं छेड़ता है महान क्रान्तिकारी लेनिन ने भी एक साथ सभी मोर्चों पर लड़ाई नहीं छेड़ी . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विक्रमा राय—

हमारी जनता पार्टी भी इस पर सजग है। इस वक्त उसने अपने प्रशासन को चुस्त करने के लिए लड़ाई छेड़ी हुई है। आप विश्वास रखिए अगर हम एक साथ पूंजीपतियों और भ्रष्ट कर्मचारियों तथा दूसरे मामलों में एक साथ लड़ाई छेड़ देंगे तो हम सफल नहीं हो सकेंगे। इस समय हम प्रशासन को चुस्त करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए लगे हुए हैं। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मुल्क के अन्दर मुनाफाखोर हैं उनको जनता पार्टी नहीं चलने देगी। उसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्राइस इन्डेक्स को आप न देखें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठें।

श्री विक्रमा राय—

प्राईस इन्डैक्स को तो अर्थ शास्त्री समझते हैं हमारे किसान उसे नहीं समझते हैं। जनता पार्टी लोगों में विश्वास पैदा करना चाहती है। आप आँकड़ों को न देखें . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठे।

श्री विक्रमा राय—

आप विश्वास रखें कि हम मूल्यों पर नियन्त्रण करेंगे। इन शब्दों के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी लोगों को सही मूल्यों पर वस्तुएं देगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार मूल्यों को बाँधे तभी हम जनता की सही सेवा कर सकेंगे।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अभी आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। माननीय सदस्य जानते है कि दो सदस्य इधर से बोलते हैं तो तब एक सदस्य दूसरी तरफ से बोलता है। दीक्षित जी भी इसे जानते हैं इसलिए आपने डेढ़ दो मिनट खड़े होकर व्यर्थ समय नष्ट किया।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो मन्त्री जी ने चर्चा रखी है उस पर बोलने का अवसर दिया। मैं उनको बधाई देता हूं यह जो आज महँगाई बढ़ रही है उस पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल इस वक्त कहाँ है। इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई उसकी वजह से यह महंगाई बढ़ी है। जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं जेलमें था उस वक्त भी वहाँ का जो तेल था वह क्लास वन लोगों के घरों में चला जाता था। आज जो मंहगाई की बात करते हैं। ये लोग जो इंदिरा का नाम लेते हैं, इंदिरा सरकार ने ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मशीनरी को भ्रष्ट किया था और इस क्लास वन को भ्रष्ट किया था। जो आज देश और प्रदेश में क्लास वन और पूंजीपति हैं इन इन्दिरा सरकार के लोगों ने आज देश और प्रदेश में अशान्ति मचा रखी है। इस कारण आज महंगाई बढ़ी है।

यही नहीं इसी हाउस में हमारे विरोधी दल के नेता नारायण दत्त तिवारी और उनके साथी लोग इसी हाउस में हरिजनों और मुसलमानों की बात लेकर चर्चा करते हैं और इस लखनऊ में शिया–सुन्नियों का झगड़ा करवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही नहीं आपने हरिजनों की बंधिया करायी। आप कहते हैं हमने जमीनों के पट्टे दिलाये आप हमारे मलिहाबाद में देखिये वहाँ आपने जमीन दी है। आप हरिजनों और उच्च लोगों में झगड़ा करवाया। अपने स्वार्थ के लिए देश और प्रदेश में इमरजेंसी लगाकर अपनी कुर्सी को बनाये रखना चाहते थे। हमारे जैसे लोगों को बगैर कानून के, बगैर वारेन्ट के जेल में बन्द किया था।

लखनऊ जिले के आँकड़े मैं मान्यवर, आपके द्वारा बताना चाहता हूं जो महंगाई बढ़ी है यह पूंजीपति और क्लास वन लोगों की वजह से बढ़ी है। अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया, हम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और इस जालिम सरकार को भी हमारे जैसे लोगों ने ही भगाया है। यह क्लास वन यह लाल फीताशाही के लोग जनता में कहते फिरते हैं कि हमको तो सदैव हुकूमत करनी है पूंजीपति लोग हमारे साथ हैं और स्वार्थी लोग जो इमरजेन्सी में जनता के मुंह पर ताला लगाए हुए थे वे सब के सब हमारे साथ हैं। तो मैं क्लास-वन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि वे अपने दिमाग को साफ कर लें, यह जनता वही जनता है, जिसने एक को नहीं हजारों को निकाला है––जालिम सरकार को निकाला है और क्लास वन वालों–तुम्ही ने महंगाई की है जो नारायण दत्त तिवारी के साथी हो। महंगाई बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है, जितनी इमरजेंसी के वक्त बढ़ी थी।

आज जनता सरकार के बारे में बराबर तुम क्या कहते फिरते हो, तुम्हें कहते लज्जा नहीं आती है कि यहाँ सब घटक अलग-अलग अपनी नीति चला रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई जनसंघ नहीं है, कोई कांग्रेस ओ नहीं है, कोई सोशलिस्ट नहीं है, अब कोई अलग-अलग पार्टी नहीं रही, हम सब जनता पार्टी के लोग हैं और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है। हमें जय प्रकाश नारायण जी ने बनाया है और हम सब मिलकर जनता को राहत देंगे। आज सदन में मैं विधायकों से निवेदन करूंगा कि आप जनता में जाकर यह चर्चा करें कि तुम भ्रष्टाचार को अपने गले से लगाओ अथवा उन्हें चौराहे पर नंगा करो और उनके खिलाफ गली-गली में बगावत करो। जब तक क्लास–वन के खिलाफ बगावत नहीं करोगे, देश का उत्थान नहीं हो सकता है। यह क्लास–वन वही लोग हैं जो हमको दास बनाना चाहते हैं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)––

अधिष्ठाता महोदय, आज महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। हमारे पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने उस पर अपने-अपने सुझाव दिए। मंत्री जी के वक्तव्य में उनका कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य होता और उन्होंने कोई ठोस सुझाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

दिए होते, तो हम विपक्ष के लोग उसे मान लेते और इस पर न बोलते। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि महंगाई जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर पिछले 30 साल के कांग्रेसी शासन में कोई ध्यान नहीं दिया गया सदा उसकी उपेक्षा की गयी और पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को संरक्षण देने के कारण यह महंगाई उन्हीं की देन है। लेकिन अब जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है इतने दिन हुए कांग्रेस ने क्या किया इसके कहने से केवल काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जो किया उसने उसका फल भोगा वह उधर बैठ गए। आज हमारे मन्त्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मन्त्रि मण्डल के सदस्य क्या कर रहे हैं? अच्छा होता, यहाँ वक्तव्य देने के पहले यह आपस में मन्त्रणा कर लिए होते कि इसको रोकने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनता पार्टी के लोग उद्घाटन समारोहों में सब ठाठबाठ से जनपदों में जाकर केवल लम्बे चौड़े भाषण देने का काम कर रहे हैं और महंगाई रोकने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो स्थिति है उसमें महंगाई से हर व्यक्ति दुखी है। लोगों के उपयोग की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। इसे रोक कर आपकी सरकार जन-भावनाओं को मजबूती से जीतना चाहती है तो चाहे जिस पूंजीपति का सम्बन्ध चाहे जिस पार्टी से हो जो स्मगलर हैं, जो तस्कर है, उसको आप सब जानते हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर आप कार्यवाही करें। लेकिन यह आप क्या करने वाले हैं?

आज यह महंगाई जो बढ़ रही है वह आप लोगों की लापरवाही से बढ़ रही है। हमारे एक नेता जो भारत सरकार के हैं दिल्ली में विदेशी पत्रकारों से कहते हैं कि हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ रही है। विदेश में रोने से क्या महंगाई खत्म होगी? एक साहब कह रहे हैं, भारत सरकार के एक बहुत बड़े गाँधीवादी नेता दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब राशन नहीं मिलेगा, अब अनाज नहीं मिलेगा अब तेल नहीं मिलेगा अब शकर नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी गरीबी आ गई है क्योंकि पूंजीपति उनकी लाबी में जा रहे हैं। 30 साल तक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का बोलबाला रहा है। वर्तमान सरकार के हमारे मित्र ने कहा कि अब पूंजीपतियों के खिलाफ कार्य-वाही हो रही है। लेकिन एक ही पूंजीपति को जमानत पर लिया है। आपकी लाबी में पूंजीपति आ गए हैं। हमारे मित्र जो विधान सभा का चुनाव जीत कर आए हैं और जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति में विश्वास रखते हैं। उनसे मैं कहता हूं कि होश में आ जाओ। डाक्टर लोहिया की दाम नीति का उपदेश आप किस को दे रहे हैं जिन्होंने पूंजी-पतियों को संरक्षण दिया है। याद रखना समाजवादियों कहीं आप न पूंजीपतियों के चंगुल में फंस जाना। सतर्क रहना, समाजवादी पार्टी लाबी के लोग आज जनता को आपसे बड़ी आशाएं हैं, हर समाजवादी से चाहे वह इधर बैठने वाला हो, यह उधर बैठने वाला हो।

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त। अब बैठिए।

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चर्चा

श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय सदस्य ने माननीय मोरार जी देसाई पर इस सदन में आक्षेप किया है।

श्री अधिष्ठाता—

देन-एण्ड-देयर प्रश्न होता है।

श्री गौरी शंकर भैया—

जो उपस्थित न हों, उनका नाम नहीं लिया जा सकता है। कार्यवाही से वह अंश निकाल दिया जाय। क्योंकि मोरार जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—

यह देख लिया जायगा।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने चर्चा करने का मौका दिया। आपको धन्यवाद करता हूं।

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

मैं चर्चा में काफी देर तक रियासत साहब और दीगर लोगों को सुनता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता पार्टी और कांग्रेस के दलों का एलेक्शन के अन्दर जो एलेक्शन हुआ वह जनता पार्टी, और कांग्रेस का नहीं हुआ बल्कि 30 साल के मुसलसल झूठे वादों पर एलेक्शन हुआ और जनता ने हमें कामयाब बनाया और इनको इनके पापों की सजा दी। अधिष्ठाता महोदय, हमें इतना लम्बा सफर तय करना है और जो वायदे हमने किए हैं उनको पूरा करना है।

जब इतनी बेवफाई पर दिल उसको याद करता है,
इलाही यह सितमगर बावफा होता तो क्या होता।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो इनरजी संजय गाँधी और इन्दिरा गाँधी के चर्चा में लगाई जाती है वही इनरजी उधर से हटाकर जनता की समस्याओं को सुलझाने में लगाना चाहिए। चुनाव के दौरान हम जनता में गए। जनता ने हमें चुना और उनको सजा दिया। हमारे सामने केवल एक सवाल आता है कि जो वादे हमने किए हैं उनको निभाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अभी जनता पार्टी की सरकार बने हुए बहुत दिन तो हुए नहीं हैं। तीन महीने में अगर हमसे कहा जाय कि हथेली पर सरसों उगा दो, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। अगर मेरी शादी आज हो जाय तो 4 महीने में लौंडे का बाप कैसे बन जाऊंगा। हमें कुछ समय चाहिए। हमें न बोने को समय मिला और न काटने का समय मिला। आप मान्यवर, सन् 1955 से देख लीजिए, 1956 से देख लीजिये या 1960 से देख लीजिए या 1965 से देख लीजिए महंगाई बढ़ रही है। सभी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह है कि जनता से हमने यह नहीं कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। जो यह इसके बढ़ने का रुख है उसको हम रोकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रहमान जी, आप समाप्त कीजिए, क्योंकि इसे 3.25 पर हमें समाप्त करना हैं ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

यह लोग तो आवाम की हमदर्दी में कुछ नहीं बोलते हैं । . . . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन--

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा उठाए हुए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों की चर्चा में हिस्सा लिया। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं। मन्त्री जी ने जो बयान दिया है उसमें वह गर्व महसूस कर रहे होंगे कि कीमतें बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। तो इस तरह से जो आँकड़े इन्होंने दिए हैं उसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं किया गया है जैसाकि मैंने पहले ही कहा था कि शायद मन्त्री जी ने किसी को चांदी का रुपया देकर बाजार भेजा होगा तो उस रुपए में तो यह चीजें उन भावों में मिल सकती हैं जिनको आपने अपने भाषण में दिया है। मैं कागज के रुपए की बात करता हूं। उनकी हैसियत क्या है उसी कागज के नोट से 2 1/2 रुपए किलो प्याज मिलता है। मैंने पहले ही कहा है कि यह सब जनता पार्टी की नीतियों के कामों की वजह से हो रहा है ।

मन्त्री महोदय ने बताया कि 300 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। 2 1/2 हजार छापे मारे गए। ठीक है 300 गिरफ्तार हुए। लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है कि उन 300 में से कितनों को आप जमानत पर छोड़ रहे हैं और कितने को आपने जेल में रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश और प्रदेश का व्यापारी आज तक कभी रुपया खर्च करने से पीछे हटा नहीं है अगर उसको दस हजार रुपया भी किसी अधिकारी को बतौर रिश्वत खर्च करना पड़े तो वह और उसके रिश्तेदार हाथ के हाथ उस अधिकारी को रिश्वत देकर छुड़ा लेंगे । अगर कभी इस देश का व्यापारी डरा है तो वह जेलों से डरा है अगर आप ईमानदारी से इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना चाहते हैं तो 3/7 एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में कुछ ऐसे प्राविधान करें जिससे उन्हें किसी भी अदालत में जमानत न मिल सके और उनको जेल में रहना पड़े। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप छोटे-छोटे दुकानदारों को जो मुश्किल से जिन्दगी बसर करते हैं, उन को गिरफ्तार कर लेते हैं ।

आप तेल की ही मिसाल ले लें। पिछली सरकार ने तेल बनाने वाले व्यापारियों से लेवी ली जिसके फलस्वरूप उस समय साढ़े छः रुपए किलो तेल बिका। तो उस समय इन व्यापारियों ने कहा था कि अगर आप लेवी हटा लें तो हम 7 रुपए किलो तेल देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन जब लेवी हटा ली गयी तो वही तेल 7 रुपए के बजाय 14 रुपए किलो ब्लैक में मिलने लगा। आपने जो दस रुपए किलो की कीमत बाँधी तो तेल कहीं भी नहीं मिल रहा है। आपके प्रधान मन्त्री जी ने कई-कई बार हाथ जोड़कर दरखास्त की कि हे व्यापारियों, भगवान के वास्ते कीमत गिराओ, सस्ती करो। आज जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और प्रधान मन्त्री जी के हाथ जोड़ कर अपील करने के बावजूद भी व्यापारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी। ऐसा इसलिए हुआ कि आज जो लोग शक्ति में हैं, सत्ता में हैं व्यापारियों के उनके प्रति एहसान हैं। उनसे रुपया लिया गया है। उनकी ताकत है जिसके कारण इनकी पार्टी की सरकार इन्हें नहीं पकड़ सकती।

एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदारी के साथ महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाना चाहते हैं तो कम से कम जिला पूर्ति अधिकारियों को जीप मुहैया कर दें वह कोई साइकिल पर या पैदल छापे मारने जायेगा नहीं। उसके पहुंचने से पहले ही व्यापारियों को छापा पड़ने की खबर हो जाती है और वह अपना सामान इधर-उधर कर लेता है। इसलिए कम से कम आप डी0एस0ओ0 को जीप अवश्य दे दें।

रेपसीड आयल आपने मंगाया उसकी भी मिलावट कड़ुवे तेल में शुरू हो गयी। इसी तरह से केसरी दाल में भी एडल्ट्रेशन होने लगा। इसी एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कोई इफैक्टिव कदम मजबूती के साथ आप उठा नहीं पा रहे हैं।

श्रीमन्, शक्कर के बारे में सरकार की पालिसी अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि वह क्या करेगी ? कभी कहती है कि दोनों चलेंगी, कभी सेन्टर से यह बात सामने आती है कि एक कीमत होगी, कन्ट्रोल हट जायगा। सारी जनता इस भ्रम में है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं।

इसलिए श्रीमन्, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से, उत्तर प्रदेश के पूरे मन्त्रि मण्डल से कि यदि वह चाहते हैं कि इस प्रदेश की महंगाई और न बढ़े, यहाँ का जन-जीवन सुधरे, यहाँ के मजदूरों और कर्मचारियों, यहाँ के किसानों, यहाँ के हर आदमी के बाल-बच्चे सुख से दोनों वक्त की रोटी खा सकें, तन ढक सक, तो ईमानदारी से अपनी पालिसी पर पुनर्विचार करें और इस तरह से कार्य करें जिसे व्यापारी, होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स को किसी किस्म की शह न मिले, तभी इस प्रदेश की जनता का भला होगा, वरना भगवान ही जाने इस प्रदेश की गरीब जनता का क्या होगा।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, जितनी चर्चा हुई है इसमें बहुत से ऐसे सुझाव आए हैं जिनके प्रति मैं अपनी प्रसन्नता और सदन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। यह कोई विषम राजनैतिक विषय नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विषय है, जिसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था। मुझे सन्तोष है कि अधिकाँश सदस्यों ने अपने मन की भावनाओं को इसी रूप से व्यक्त किया है। जानबूझकर मैंने लिखित साहित्य इसलिए दिया था कि चर्चा उपयोगी सिद्ध हो जाय। मेरे अपने लिखित वक्तव्य में कुछ ऐसी बात हैं जिनके सम्बन्ध में शायद और गहराई से देखा गया होता या मैं चार दिन और पहले भेज पाया होता तो शायद उनके भ्रम का निवारण हो गया होता और उन्हें इतनी बात न कहनी पड़ती।

[श्री हरिश्चन्द्र]

जहाँ तक नेता विरोधी दल ने सहयोग की बात कही, मैंने पहले ही कहा कि यह मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाने वाला विषय है। उनका कहना है कि यदि महंगाई को दूर करने के सम्बन्ध में जनता पार्टी कोई कदम उठाएगी तो विपक्ष उन्हें हर प्रकार का सहयोग करेगा।

मैं अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने कथन के द्वारा और आश्वासन के द्वारा माननीय नेता विरोधी दल और पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईमानदारी से हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके। एक निवेदन करूंगा कि जहाँ तक मूल्यों में गिरावट के बारे में सन्देह प्रकट किया गया है तो जो कुछ भी मूल्यों में वृद्धि हुई है वह सितम्बर के आखिरी सप्ताह में हुई है। अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से मूल्य गिरने लगे हैं। जो आतंक जनता में व्याप्त था मूल्यों की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से मूल्यों में गिरावट आरम्भ हुई है। इस तालिका में इसी बात का उल्लेख किया गया है। रही बात इस बात को स्वीकार करने में किसी ने आपत्ति नहीं की कि यह मूल्य जो सितम्बर के आखिरी सप्ताह में चढ़े थे उनमें अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से गिरावट नहीं आई है। मैं समझता हूं कि मैंने इसी तथ्य को इसी तालिका में दिखाया था।

साथ ही भाई रियासत हुसैन साहब ने थोक और फुटकर मूल्यों के सम्बन्ध में कहा। मैं उनसे इस स्थान पर सहमत हूं कि दोनों के मूल्यों में थोक और फुटकर में—किन्हीं-किन्हीं चीजों में सामंजस्य नहीं है। और उसका कारण आज से 15 दिन पहले मैंने समझा एक आदेश सभी जिलों को भेजा कि थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों के बीच में बड़ा अन्तर है, फुटकर व्यापारी अनुचित दाम ले रहे हैं इसलिए फुटकर व्यापारियों को मूल्य सूची टाँगनी चाहिए। यह भी कहा कि मौनिटरिंग समिति में इस पर विचार किया जाय और यह देखा जाय कि जो फुटकर व्यापारी ज्यादा दाम न लेने पाएं। इसके बावजूद भी अगर आप फुटकर व्यापारियों को लें तो आप देखेंगे कि जो चना दाल मसूर, दाल उर्द, आलू पहाड़ी और सरसों के तेल, इन चीजों में सरसों के तेल के बारे में अलग से कहूंगा, में गिरावट आई है। जो रेट्स सितम्बर के आखिरी सप्ताह में थे, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में कम थे।

माननीय रियासत भाई ने कहा कि मूल्यों में वृद्धि का होना जनता पार्टी की नीतियों का ही परिणाम है। जहाँ तक जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है वे मुस्करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही नहीं कहा है। उधर से कहना पड़ा इसलिए कह डाला। मैंने दूसरे पृष्ठ पर जो तालिका दी है या दूसरे पृष्ठ पर जो मैंने कहा है और मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इन महीनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त मूल्यों के वृद्धि विगत 6 वर्षों से चली आ रही है उसको कम करने में वर्तमान सरकार सफल रही है। यदि मार्च, 1971 के मूल्यों को देखा जाय तो इस साल से लेकर पिछले 6 साल तक मार्च से अगस्त तक इन 6 महीनों में जो मूल्य वृद्धि की गति थी, उसको रोकने में जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मार्च का उल्लेख कर दिया तब तो हम थे। मैंने माननीय मोरार जी देसाई की सरकार को समझ कर लिखा है, मार्च में वे आ गए थे और जनता पार्टी की नीतियाँ वहाँ से आरम्भ हुई थीं। वर्ष 1971 में

मार्च से अगस्त तक 2.8 मूल्य वृद्धि थी। वर्ष 1972 में 8.6 वर्ष 1973 में 12.4 वर्ष 1973 में मार्च से अगस्त तक 14.1 वर्ष 1975 तथा 1976 में 1.7 तथा 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तालिका को देखकर कि जनता पार्टी की सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका स्वयं फैसला कर लें।

जहाँ तक जनता पार्टी की नीतियों का फैसला है, जब से जनता पार्टी आई है मूल्य वृद्धि में जो 6 वर्षों में जो गति थी उसको हमने कम किया है।

मैंने जो कहा है मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में वह मैंने किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से नहीं कहा है बल्कि अपने भाव अपने विचार व्यक्त करने का जो तरीका है, उसे कहा है। मूल्यों का सम्बन्ध नीतियों में केन्द्र से सम्बन्धित होता है और पिछली सरकारों ने जो नीतियाँ तय की थीं, उनका इफेक्ट पड़ा है। जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए केन्द्र की जो वर्तमान और पिछली सरकार की जो नीतियाँ थीं उनका उल्लेख करना चाहता हूं अन्यथा आज की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी।

मूल्य कैसे बढ़ जाते हैं, उत्पादन कम हो गया और मुद्रा प्रसार अधिक हो गया उसके बाद जो भी पैदा हो वह बाहर भेजा जाय। किसी महारथी के पास ऐसी शक्ति नहीं होगी कोई अर्थशास्त्री माई का लाल है जो कहेगा कि जो मूल्य वृद्धि हुई है वह रोकी जा सकती है। 2 प्रतिशत से भी कम वार्षिक उत्पादन हो और 19 प्रतिशत से भी ज्यादा मात्रा में मुद्रा का प्रसारण हो और विदेशी व्यापार हो रहा हो आलू, प्याज, सीमेंट, खली, सरसो, मूंगफली, चीनी भी बाहर जाय इनका निर्यात हो और मेरे भाई चले गए उन्होंने कहा कि हाथ पर सरसों नहीं उगाई जा सकती 4 महीनों में शादी के बाद बच्चा का भी उल्लेख किया सच है लेकिन आप विश्वास रखिए कि अब निर्यात रोका गया है. मुद्रा प्रसारण की नीति में परिवर्तन आया है।

उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में अगर मैं उत्तर प्रदेश का उल्लेख कर दूं तो कहना चाहूंगा कि उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है। दाल और तिलहन में आप देखें कि पिछले वर्ष में दलहनों का उत्पादन जो 25,82,000 मी0 टन था वह 35 लाख मी0 टन पैदा होने का लक्ष्य हो गया है और तिलहनों का उत्पादन जो 15,10,000 मी0 टन था पिछले वर्ष में उसकी वृद्धि 22 लाख मी0 टन बढ़ाने का तय किया है। लेकिन यह उत्पादन ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। जहाँ केन्द्र ने खाद के मूल्य में सौ रुपए टन की कमी कर दी है वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पैदावार पर और खाद के अन्दर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की छूट दे दी है। इसको बढ़ाना होगा। फिर निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। इन नीतियों का ही परिणाम है कि हमने मूल्यों को बढ़ने से रोक दिया। मूल्यों में गिरावट की ओर ट्रेड अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू हो गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम इसके पीछे पड़े हैं, जो यह अभिशाप है मूल्य वृद्धि, पाप है, गरीबों को तबाह करने वाली है, इसके खिलाफ जिस तरह से व्यवस्था है, हम अगले आने वाले महीनों में देखेंगे नहीं, आप हम मिलकर इसको दिखा देंगे कि जो यह मूल्य वृद्धि का ट्रेड है इसको हम नीचे ले जायेंगे और आप हमसे आकर कह देंगे कि जो कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है।

[श्री हरिश्चन्द्र]

अब मैं व्यापारियों की तरफ आना चाहता हूं। मैं इस मत का हूं कि अगर समय पर व्यापारियों को चेक नहीं किया गया तो वह सरकार की कोई नीति चलने नहीं देंगे। तो मैं पहला आदमी हूं, मैंने 20 जुलाई को एक आदेश लागू कर दिया कि जिस समय देश में माल नहीं होगा तो गोदामों में उसे बनाए रखने की छूट नहीं रहने दी जायेगी। पेट में दाना न हो और गोदाम में माल भरा हो, यह कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो जहां पहले ढाई हजार क्विंटल की थोक व्यापारियों को गोदाम में माल रखने की छूट थी उस को हमने हजार कर दिया था और केन्द्रीय सरकार ने उसको 500 क्विंटल कर दिया। हम समझते थे कि व्यापारी हाई कोर्ट जायेंगे। वह हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में चले गये। मैं हाई कोर्ट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। मुकदमा कर दिया गया, लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी मैं निर्णय के सम्बन्ध में तो अपनी खुशी प्रकट कर ही सकता हूं, हाई कोर्ट ने भी शासन के निर्णय का साथ दिया कि जनहित में निर्णय लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस मत का हूं कि दो बोरे अगर गेहूं बाजार में होगा और 10 हजार रुपया जेब में होगा और बाकी गेहूं गोदाम में भरा होगा तो एक बोरे के दाम 5 हजार चले जायेंगे तो बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में, खेत की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ गोदाम की संचय सीमा को घटाना अत्यन्त आवश्यक कदम होगा। तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की संचय सीमा को घटाकर और नीचा कर दिया। तब व्यापारियों ने यह कह दिया कि हाई कोर्ट जायेंगे फिर कहा कि बाहर कर देंगे ये चीजें, लेकिन मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ। मैंने मोरार जी से वार्ता की मोहन धारिया साहब से मिला और उनसे कहा कि महाराष्ट्र में होर्डिंग की सीमा 3 हजार हो और उत्तर प्रदेश में 500 हो तो यहां से सामान ले जाकर व्यापारी महाराष्ट्र में भर देंगे और इस प्रान्त में आपकी योजना पर पानी फिर जायगा।

मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार ने सारे देश की एक संग्रह सीमा लगा कर के उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को सफल बनाने में जो काम किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उससे सारे देश का कल्याण होगा। बल्कि वह तो हमसे बीस निकले। हमने तो कहा था कि 500 से 1000 तक लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 500 कुन्तल से ज्यादा कोई गोदाम में नहीं रख पायेगा। उन्होंने कहा कि सरसों का तेल 200 कुन्तल से ज्यादा कोई गोदाम में नही रख सकेगा, यह आदेश हमसे भी बीस निकला। मैंने खुशी व्यक्त की, समर्थन किया। आपसे कहना चाहूंगा कि खेत का उत्पादन बढ़ा कर उपलब्धता बढ़ाने और व्यापारियों की संचय सीमा घटा कर बाजार में लाने से निश्चित रूप से कीमतों में गिरावट आएगी और व्यापारी भी ठीक से काम करेगा। मैं समझता हूं कि हमने जो यह कदम उठाए हैं यह सदन उससे आश्वस्त होगा।

श्री अधिष्ठाता—

3.25 पर आपको समाप्त करना है।

श्री हरिश्चन्द्र—

मैं घड़ी देख रहा हूं, ठीक समय पर समाप्त कर दूंगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जो लोगों का निर्णय है उससे मैं इन्कार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बिगड़ी हुई मशीन मुझे मिली है काम बनाने के लिए। आपको भी

इससे कायल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका उसमें दोष है, कितना नहीं है यह बाद में विचार किया जायेगा। लेकिन आपको यह मान लेना चाहिए कि जनता ने आपकी सारी नीतियों को अस्वीकार कर दिया है। यह जनादेश है। अगर आपकी नीतियां अच्छी होतीं तो जनता आपको रोक लेती, इसलिए मैंने कहा कि जो मशीन मिली है उसी से काम लेना है। अगर किसी में कोई सन्देह है या कोई इस मशीन में बेकार हुआ तो उसे हटाया जायेगा। जिससे काम लिया जा सकेगा उससे कड़ाई से, कस के काम लिया जायेगा। अब आपका अगर कहना है कि 25 हजार छापे पड़े थे उसमें 318 गिरफ्तार हुए, कितने छूट गए होंगे, गिरफ्तार हुए बहुत से लोग, एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई, इमरजेंसी नहीं है, मीसा का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सके कि समाज विरोधी ताकतों को एक बार जेल जाने के बाद आसानी से निकलने का मौका न मिल पाए अगर रियासत भाई मुझसे मिलकर कोई उपाय ऐसा बतायें तो निश्चित रूप से उसे मानने के लिए मैं तैयार होऊंगा। जो व्यक्ति दो जून खाना नहीं पाता है उसको सही कीमतों पर सामान दिला पाने में जो भी बाधक बनेगा उसे जनता पार्टी की सरकार कभी माफ नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में अगर वह कोई उपाय बता सकेगें तो मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

एक निश्चित सुझाव उन्होंने दिया है, मैं उनका आभारी हूं। चेकिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पास वाहन नहीं है, यह कठिनाई मैं समझ गया हूं और मैं कहना चाहूंगा कि शासन में जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर मैं प्रबन्ध करूंगा कि चेकिंग करने वाले अधिकारियों के पास तेज सवारी होनी चाहिए जिससे कि वे आसानी से पहुंच कर चेकिंग कर सकें। इस सुझाव के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं एक सुझाव नहीं कहूंगा, कई एक अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। लेकिन चुनावों में उनसे कुछ लिया गया इस नाते कुछ राहत दी जा रही है, यह आरोप अगर भाई रियासत साहब ने इधर बैठ कर उधर लगाया होता तो शायद सही होता लेकिन रियासत साहब कहने की झोंक में यह कह गए होंगें। मैं उनसे कहूंगा कि इस बात को उन्हें वापस ले लेना चाहिए।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अन्त में मैं माननीय सदस्य ऊदल साहब से भी एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने आरोप किया है, मुझे नहीं किया है, मैं मानता हूं, मैंने इसीलिए नहीं कहा, मैंने कहा आरोप किया है और मैं जानता हूं कि मुझे करने की स्थिति जिस दिन आपको आ जायगी, उस दिन मैं अपना बहुत बड़ा पतन समझ लूंगा। लेकिन मैं नीति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो सरकार जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसकी नीति व्यक्ति व्यापार की नहीं है, राज्य व्यापार की नहीं है, उसकी नीति मिश्रित अर्थ व्यवस्था की है।

आज मूल्य का निर्धारण जिन चार तत्वों से होता है, उसके बाद ही हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था इसीलिए की कि आप जानते हैं, जो हम देखते हैं, मूल्य जो व्यापारिक दृष्टि से, नियन्त्रित किए जाते हैं, मुद्रा का प्रसारण है, विदेशी व्यापार है। इसके बाद अगर मूल्य के नियन्त्रण में कोई कमी दिखाई देती है, तो दूसरें भी तरीके हैं, जो कानून के द्वारा फेयर प्राइस शाप से जो वितरण व्यवस्था है, हम इनके द्वारा उन चीजों को नियन्त्रित करते हैं।

[श्री हरिश्चन्द्र]

गेहूं के सम्बन्ध में एक बात कहना है, मैंने लिखित रूप से कह दिया है कि गेहूं के दाम में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है। गेहूं हमारे पास पर्याप्त है। सस्ते गल्ले की दूकानों से पूरी मात्रा में गेहूं दिया जाय, यह हम आदेश दे चुके हैं। चीनी में कुछ उनको पैसा ज्यादा मिलता है। दूकानदार लोग करते थे कि चीनी ही चीनी ले जायेंगे, गेहूं, चावल नहीं ले जायेंगे। आपने पढ़ा होगा, मैंने भेज दिया, जिन जिलों में गेहूं के भाव में जरा सा उठान दिखाई दिया, चीनी उसी कन्डीशन पर मिलेगी जब कि दूकानदार गेहूं और चावल का उठान करेगा।

मैं आखिर में सदन में एक बात तो कह दूं। मैंने कहा कि नाम तो दे दीजिए, जो ईमानदार भाई अभी भी नाम दे दें कि 26 हजार दूकानों में भले लोग आवें तो उनका स्वागत है। मैंने अपने विचार, भाव व्यक्त किये है। जितनी भी आपने शंका की थी, उसका समाधान करने के लिए मैंने प्रयत्न किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विश्वास के साथ बैठ रहा हूं कि सदन के जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया उनका बड़ा आभारी हूं, मूल्यों का सवाल एक राष्ट्रीय प्रश्न है, मानवीय सवाल है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे आशा है कि मूल्यों को नीचे लाने में आपका सहयोग होगा।

मेरठ हाई कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में अब चर्चा शुरू होगी।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (ज़िला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं इस चर्चा को प्रारम्भ करते हुए यह निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट की खण्ड पीठ पश्चिमी अंचल में स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार सहमत है। इसके औचित्य पर भी कोई विवाद नहीं है। क्योंकि इससे पूर्व की सरकार ने, मन्त्रि मण्डल ने इस औचित्य को स्वीकार करते हुए अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार के पास भेज दी थी। तो इसकी आवश्यकता पर कोई मतभेद नहीं है। हम इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हाई कोर्ट की खण्ड पीठ को स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। तो प्रश्न यह होता है कि इसकी स्थापना कैसे हो? इसमें कोई मतभेद नहीं है कि हाई कोर्ट केन्द्र का सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। इस सम्बन्ध में कोई नियम और अधिनियम बनाना केन्द्र सरकार का काम है। केन्द्र सरकार के सम्मुख प्रदेश सरकार की संस्तुति विचाराधीन है। मन्त्री जी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसमें केन्द्रीय सरकार को कोई संस्तुति भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक सेन्ट्रल ऐक्ट मौजूद है। एक ऐक्ट, जिसके द्वारा हाई कोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना कहीं पर भी की जा सकती है, वह यहां पर स्थापित है। मन्त्री जी ने यहां चर्चा में आने से पूर्व इस ऐक्ट पर विचार किया होगा और अगर नहीं किया है तो इस पर विचार कर लेंगे। इस बात पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार को सस्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंसेज हाई कोर्ट (एमलगमेशन) आर्डर, 1948 के सेक्शन 14 में साफ कहा गया है कि:—

The new High Court, and the judges and division courts thereof, shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the chief justice may, with the approval of the Governor of the United Provinces, appoint :

इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सलाह से यह निर्णय करेंगे कि हाई कोर्ट और उसके जज कहाँ पर बैठे। मान्यवर, यहां दोनों सदनों ने 1948 में एक प्रतिवेदन पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था और उसमें गवर्नर जनरल ने अपने पावर का प्रयोग करते हुए, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के सेक्शन 299 के अनुसार अपनी ताकतों का प्रयोग करते हुए यह ऐक्ट बनाया था। मन्त्री जी यदि यह कहें कि यह रिपील हो गया है तो यह ऐक्ट रिपील नहीं हुआ है। यह भी आप जानते हैं कि 1948 के पहले जो केन्दीय सरकार ने ऐक्ट पास किए थे जब तक वह रिपील न कर दिए जायें तब तक वह ऐक्ट माने जायेंगे। तो अब इसके औचित्य पर कोई विवाद नहीं है। एक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट मौजूद है उसके प्राविधान के अनुसार हम खण्डपीठ की स्थापना कर सकते हैं। तो हमें सरकार दूसरा रास्ता क्यों दिखाती है।

एक सवाल और है। मन्त्री जी को उनका विभाग इस तरह की सलाह दे कि खण्ड पीठ की स्थापना नहीं हो सकती है तो मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में मुख्य कानूनी सलाह एडवोकेट जनरल से लें। उनको बुला लें और अगर वह सलाह दें कि इस ऐक्ट के मातहत आप स्थापना कर सकते हैं तो खण्ड पीठ की स्थापना कर दिया जायगा। तो तर्क के आधार पर मैं इस सम्बन्ध में जो स्थिति कानूनी है उसको स्पष्ट करना चाहूंगा और मन्त्री जी से आशा करूंगा कि वह बतायें कि यह दुविधा है और विभाग क्या कहता है कि जो मौजूदा ला है, सेन्ट्रल ला है उसके मातहत हम खंडपीठ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल को बुला लें और इस सम्बन्ध में राय लें। एल0 आर0 की राय लें इसके लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए उनसे राय ली जाय और खण्ड पीठ की स्थापना की जाय।

मान्यवर, इसके अलावा मन्त्री जी दो-तीन तर्क और दे सकते हैं। एक तर्क यह कि जो न्याय पीठ है वह ऐसी जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरी कैसे होगी और उसके साथ जो उसकी प्रतिष्ठा है उसकी कमी होगी। मान्यवर, जनता पार्टी इस बात के लिए कमिटेड है कि न्याय सस्ता हो और विकेन्द्रित हो। जनता पार्टी की सरकार चलने वाले राज्य जैसे मध्य प्रदेश में चार पीठ हैं—इन्दौर, भूपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इसी प्रकार राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार है और वहां दो पीठ हैं जैसे जयपुर और जोधपुर। महराष्ट्र में नागपुर और बम्बई में पीठें हैं। इन जगहों से यू0 पी0 का विस्तार कम नहीं है और मध्य प्रदेश की तो आबादी 1/3 है। इसलिए यहाँ खण्ड पीठ बना सकते हैं। अब मान्यवर, कहाँ बनायें तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिमी अंचल में खण्ड पीठ आप देहरादून से आगरा तक और मेरठ से बरेली तक कहीं भी स्थापित कर सकते हैं जो स्थान आपको पसन्द आए। इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल यह भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति देखना पड़ेगा। तो मान्यवर, आपने

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

गाजियाबाद जिला बना दिया है। मैं वहाँ का विधायक हूं। मैं कहता हूं कि हमारा जिला तोड़ दें हम उसके बिना रह लेंगे लेकिन खण्ड पीठ की स्थापना कर दें। आपने गाजियाबाद में क्या नहीं किया। 50 करोड़ रुपया जिला बनाने में लगता है लेकिन खण्ड पीठ की स्थापना में 20 करोड़ रुपया लगभग लगेगा। इसलिए वह रुपया आप दें। इन तर्कों के होते हुए हमारी नीति मैटेरियल नहीं है तो कौन नीति मैटेरियल होगी वह बता दें।

मान्यवर, हम पश्चिमी लोगों में एक कमी है कि हम अनुशासित हैं और संयमी हैं। यहाँ ऐसा स्थल नहीं होगा जहाँ हमारे वहाँ के लोगों ने अपना खून न बहाया हो। आप मालूम करें तो चाहे नेफा हो या और कहीं वहाँ की रक्षा के लिए हमारे वहाँ के लोगों ने अपनी जानें गवाँई। यदि आप समझते हैं कि हम शांत हैं तो हमारे पूर्वी अंचल के जो नेता रहे हैं चाहे वह श्री नारायण दत्त तिवारी हों, चाहे आचार्य नरेन्द्र देव हों, चाहे श्री जयप्रकाश नारायण हों, वे सबके सब हम लोगों के दोस्त रहे हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने पश्चिमी अंचल की बात इसलिए कह देना चाहता हूं कि यदि इस माँग को सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो हमको अपने क्षेत्र में यह चीज बताना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश में रहना पसन्द नहीं करेंगे और फिर उस माँग को आप नहीं रोक पायेंगे कि उत्तर प्रदेश के झंडे को बाँट दिया जाय। आप भत्ता देकर हमको अलग कर देना चाहते हैं। हमारी यह एक छोटी बात है कोई लम्बी चौड़ी नहीं है।

मान्यवर, अन्त में मैं मन्त्री जी से कि वह विशेष रुचि इस सम्बन्ध में लेते हैं मन्त्री जी नौजवान आदमी हैं और हमारे मित्र भी हैं और जेल में भी उनकी सेवाएं की हैं, उसका भी कुछ बदला लेना है। मैं उनसे भीख माँगता हूं कि इस अंचल की छोटी सी माँग को स्वीकार कर हमें अनुगृहीत करें।

*न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, अपने माननीय सदस्य और मेरे साथी ने अपनी बातों की और उस क्षेत्र की बातों को रखा जिन्हें इस माननीय सदन में अनेक बार किसी न किसी रूप में उठाया जाता रहा है और मैं अपनी सीमा में रहते हुए उनका जवाब भी दे चुका हूं। आज उन्होंने जो कुछ कहा वह अपने क्षेत्र की बातों को कहा और जनता की माँग को रखा लेकिन जो उसके साथ उन्होंने एक बात कही वह पीड़ाजनक थी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह एक बड़े ही सुलझे हुए सदस्य होने के कारण अपने मन के अन्दर ऐसी भावना इस सरकार के प्रति जो सबकी सरकार है, जिसके ऊपर सब का हक है, माननीय प्रत्येक सदस्य का ही नहीं बल्कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का जिस पर पूरा-पूरा हक है और पूरा पूरा विश्वास है और जो भी कार्य शासन कर रहा है वह प्रदेश की जनता के हित में कर रहा है, उसके प्रति ऐसी भावना न रखें। माननीय सदस्य कोई वैधानिक बात उठायें वह ठीक है, जनता की कोई आवाज उठावें, वह ठीक है। शासन को इन माँगों पर उनके औचित्य के आधार पर ध्यान पूर्वक विचार करके निर्णय लेना चाहिए, यह इसका एक पक्ष है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि पश्चिम के लोग अनुशासित हैं इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है यह दूसरा पक्ष है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम के लोग कायर नहीं हैं तो यह जो भाषा है इसका प्रयोग उचित नहीं था, हालाँकि मैं समझता हूं उनके मन में टीस रही होगी, पीड़ा रही होगी, लेकिन फिर भी यह अभी कहने का अवसर नहीं है कि वह इन शब्दों का प्रयोग करें।

जहाँ तक बेंच स्थापित करने का सवाल है, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने पिछली बार भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन है। यह भी नहीं है कि केन्द्र में सरकार बनने के बाद चुपचाप बैठी हो। 21 सितम्बर को कुछ बातों के बारे में जानकारी हाँसिल की है और वह जानकारी लगभग तैयार है। कुछ जानकारी हाई कोर्ट से मंगानी थी और कुछ बार कौंसिल से मंगानी थी। हाई कोर्ट से भेजने वाली सूचना आ गयी है और उसको केन्द्र को भेजने में विलम्ब नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार को जिस सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए इस क्वैरी से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि वह उस पर विचार कर रही है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने एडवोकेट जनरल की राय लेने की बात कही तो मैं उनको अवगत करा दूं कि इसी विषय पर जो एटार्नी जनरल थे उनकी राय पहले भी ली जा चुकी है। श्री नीरन डे, श्याम नाथ कक्कड़ जो वर्तमान में सालिसीटर जनरल हैं तथा कन्हैयालाल मिश्र की राय के अनुसार अन्तिम निर्णय करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है। अगर किसी कार्य विशेष के लिए या किसी समय के लिए कहीं बैठने की बात है तो अगर चीफ जस्टिस चाहें तो अपनी बेंच को किसी दूसरे भाग में भेज सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट की एक शाखा के रूप में बैठाना है तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ही यह होगा।

जहाँ तक सदस्यों का विचार होगा कि महाधिवक्ताओं की राय के बाद राय ले ली जाय, तो उसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी वैधानिक इन्टरप्रिटेशन पर, चाहे पहले के अधिवक्ता हों, चाहे आज के, सबकी भिन्न राय नहीं हो सकती। इस पर मतभेद नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तोमर जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें पूरब-पश्चिम की बात नहीं है, पहाड़ और मैदान की बात नहीं है। बात केवल जनहित की है। जनहित की बात चाहे जो उठायें वह चाहे जहाँ का हो, योग्य शासन का यह कर्तव्य है कि उसके बारे में तत्परता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और निर्णय ले। इसलिए यह पूरब-पश्चिम और पहाड़ और मैदान की बात उठाने का औचित्य समझ में नहीं आता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदस्यों को इस पर बोलने के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित करता हूं। समय बहुत सीमित है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, समय और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। इतने समय में कोई सदस्य अपने विचार नहीं रख सकता। यह माननीय सदस्यों के साथ न्याय नहीं होगा। आप इजाजत दें तो चाहे 2 सदस्य इधर के बोल दें या 2 सदस्य उधर के बोल दें—आपस में तय कर लें. 2 आदमी इस पक्ष से और 2 आदमी उस पक्ष से बोल लें। लेकिन इस तरह से 5 मिनट देना तो ठीक नहीं प्रतीत होता। लेकिन अगर 5 मिनट की सीमा बाँध देंगे तो इसमें तो वह विषय को आरम्भ भी नहीं कर पाएगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने देखा कि माननीय न्याय मन्त्री जी ने केवल 5 मिनट में और तोमर जी ने 10 मिनट में अपने विचार रख दिए। अत: 7 मिनट का समय निश्चित करता हूं।

श्री हरी सिंह—

मान्यवर, यह काफी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपके लिए तो 7 मिनट भी कम हैं। आप बैठें।

श्री हरी सिंह—

आधा घन्टे का समय दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

कृपया अब आप समय न नष्ट करें। बैठें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इसमें प्रश्न है कानूनी राय का। जैसा कि तोमर जी ने कहा कि ऐक्ट के मुताबिक सरकार को पूरा अधिकार है। मान्यवर, इसके पहले जो सरकार थी मान्यवर, मुझे डेट तो ठीक याद नहीं, उस समय जो मुख्य मन्त्री थे, वह मेरठ और गाजियाबाद में घोषणा कर आए थे कि मेरठ में खण्ड पीठ की स्थापना कर दी जाएगी बहुत जल्द। तो जहाँ तक राय का सवाल है, मैंने पहले ही कहा और कई बार पहले भी यह सवाल आया। इस पर लगभग 10 साल से कानूनी राय ली जाती रही है। कानूनी राय प्राप्त हो चुकी है। इसमें न कोई परेशानी है और न कोई कानूनी दिक्कत है। दिक्कत केवल इस बात के लिए है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। प्रदेश की सरकार का और केन्द्र की सरकार का महज सवाल उठाया गया है। दृष्टिकोण का सवाल नहीं है। कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। कोई सवाल कानून का नहीं है। कानून की पेचीदगी और कानून की बात का सवाल नहीं है। कानून सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। कानून बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। मसला कोई नहीं है।

मैं समझता हूं बहुत लम्बी बहस का भी सवाल नहीं है। खंडपीठ स्थापित करने के लिए लम्बी बहस, घन्टे दो घन्टे की बहस की जरूरत नहीं है। कोई आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत तर्क करता है तब का जमाना निकल गया । जहाँ तर्क का सवाल है वह महज उस बात को टालना है । कानून के दायरे में ले जाकर उस बात को टालना है । बड़ा छोटा सा मसला है । अब यह भावना जैसी की मंत्री जी ने कही कि इसे पूर्व और पश्चिम का सवाल न बनाया जाय । मान्यवर, सवाल पूर्व और पश्चिम का नहीं है । देश एक है और प्रदेश एक है । कोई ऐसी भावना नहीं है और स्टेटों का भी प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कार्यकुशलता की दृष्टि से पुनर्गठन हुआ है और छोटे-छोटे राज्य बने जिनमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, पंजाब बहुत से प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि बने । ये दृष्टिकोण से नहीं बने कि कोई देश के साथ झगड़ा करने की बात है, विद्रोह करने की, संघर्ष करने की बात है । ऐसी बात नहीं है । यह तो महज प्रशासनिक दृष्टिकोण है उसमें आसानी से लोगों को न्याय मिल सके ।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ तक प्रदेश की राजधानी का सवाल है वह लखनऊ में है लेकिन प्रदेश के बहुत से आफीसर आज भी इलाहाबाद में है । हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, एजूकेशन बोर्ड का दफ्तर इलाहाबाद में है, पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, ए0 जी0 आफिस इलाहाबाद में है । आप समझिए यदि फाइल लेने के लिए, पुलिस हेडक्वार्टर की जानकारी करने के लिए कोई बात हो तो इलाहाबाद जाना होगा । एसेम्बली यहाँ बैठती है, सेक्रेटेरियट यहाँ पर है, डाइरेक्टरेट यहाँ पर है, आधे दफ्तर राजधानी में हैं और आधे इलाहाबाद में हैं ।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहे केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेशीय सरकार को उसे तुरन्त निर्णय खंडपीठ के बारे में लेना चाहिए । उस में कोई देरी नहीं करनी चाहिए किसी भी दशा में फिर माननीय मन्त्री कहेंगे कि पूरब और पश्चिम की बात करते हैं । न्याय के लिए हम लोगों को इलाहाबाद आना पड़े, गरीब आदमी पैसा न खर्च करने की वजह से इलाहाबाद न पहुंच पाए और अपने घर में बैठा रहे तो यह न्याय संगत बात हो सकती है ? आप की पार्टी की नीति है, आप के इलेक्शन मैनिफैस्टो में है कि छोटे राज्य की नीति को हम अपनायेंगे जिससे प्रदेश की उन्नति हो । तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप क्यों केन्द्र सरकार से बात करने में हिचकते हैं, क्यों देर लगाते हैं कि केन्द्र सरकार की राय आएगी तब कोई निर्णय होगा । मैं समझता हूं यह मसले को टालने वाली बात है और इसका परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है । जिलों में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ है । अगर किसी कर्मचारी का फन्ड का मामला आता है तो मान्यवर, इलाहाबाद जाना पड़ता है । दृष्टिकोण की बात छोड़ दीजिए । लोगों को सब बातें महसूस होती हैं । अब वह बात नहीं रही । आज दुनिया थोड़ी आगे बढ़ी है और जानकार हुई हैं ।

मान्यवर, यह देखना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है पश्चिम भाग और पहाड़ी भाग का क्या होगा, चलो पश्चिम के लोग आ सकते हैं, आते भी हैं लेकिन 8 जिले पहाड़ वाले हैं उनके लिए कितनी-कितनी दिक्कततलब बात है । मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी इस पर शीघ्र निर्णय करें । केन्द्र से अनुमति की बात है तो वह मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं तो समझता था कि तोमर जी ने जब इस सदन में दो तीन बार इस प्रश्न को प्रस्तुत किया था तो अब तक इस विषय में निर्णय हो गया होगा लेकिन आज भी उनको यह सवाल लाना पड़ा उससे यही पता चलता है कि आज तक केन्द्रीय सरकार इस विषय पर निर्णय नहीं कर सकी। मैं एक बात बतलाना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में है। यह नवम्बर अथवा अक्तूबर, 1976 की बात है। राजस्थान सरकार नें और उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को जयपुर तथा मेरठ में हाई कोर्ट खोलने के लिए लिखा। जयपुर में तो फरवरी अथवा जनवरी में लोक सभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व, हाई कोर्ट खुलने के आदेश पारित हो गए लेकिन यहाँ के लिए आर्डिनेन्स तैयार पड़ा रह गया। चूंकि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी इसलिए आर्डिनेन्स नहीं बन सका और उसकी स्वीकृति नहीं आई। अब यह जनता पार्टी की सरकार आई है और मैं समझता हूं कि यह पुनर्विचार कर रही है।

काँग्रेस को पूर्व अथवा पश्चिम पर कोई एतराज नहीं था और हम स्वयं पूर्व से आए हैं लेकिन हमको कोई एतराज नहीं है कि मेरठ में हाई कोर्ट हो। उससे हमारा भी फायदा होगा, मेरठ के लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि इससे विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था को बल मिलेगा। इतना बड़ा यह प्रदेश है। 600, 700 मील लम्बा है। 4 करोड़ के लगभग आबादी पश्चिम में है। उसके लिए हाई कोर्ट मेरठ में हो तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? माननीय तोमर जी के मन मे कोई भ्रम है तो उसे निकाल देना चाहिए। पूर्व की जनता की ओर से मैं उनको पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। जैसा वह चाहें करें। पूर्व के लोग उनके साथ हैं। मेरठ में हाई कोर्ट बनने में विलम्ब हो रहा है तो आज की केन्द्र की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। उससे माँग की जाय कि वह ऐसा क्यों कर रही है। राजस्थान में जयपुर में अगर हाईकोर्ट खोल दी गयी तो कोई कारण नहीं है कि मेरठ में क्यों न हो! न होने से मैं समझता हूं कि हम लोगों को भी दिक्कत होती है। दो, तीन दर्जन जजेज हाई कोर्ट में हैं। हजारों केसेज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं पुराने। अगर दो की जगह तीन हाई कोर्ट हो जायं तो इससे जनता के मुकदमें जल्द फैसल हो सकेंगे और इससे पूर्व पश्चिम, बुन्देलखण्ड तथा पहाड़ सबका कल्याण होगा। मैं इस तरह से अपनी माँग तोमर जी की माँग के साथ जोड़ता हूं। पता नहीं उधर दो राय क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि इलाहाबाद का ज्यादा असर हो। इलाहाबाद के मन्त्री कानून के केन्द्र में हैं उन पर जोर लगाइए। आखिर यह उल्टा जोर क्यों पड़ रहा है। कानून मन्त्री उत्तर प्रदेश के तथा केन्द्र के कानून मन्त्री जो हैं ऐसा तो नहीं है कि उन पर वकीलों का जोर पड़ रहा हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इन्दिरा जी से जोर लगाया होता।

श्री श्यामधर मिश्र —

इन्दिरा जी ने तो मंजूर कर ही दिया था। उनकी राय फाइल में है। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ वकील लोग जो एक जगह काम करने लगते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह चाहते हैं कि एक ही जगह हो। हो सकता है कुछ क्रिमिनल लाइयर्स और सिविल लाइयर्स चाहते हैं कि इलाहाबाद में केन्द्रित रहे और जब मेरठ में चला जाएगा तो निश्चित तौर से वह समझ जायेंगे कि उनका कहना सही नहीं था बल्कि यह निर्णय जो कि भूतपूर्व सरकार ने लिया था जिसकी उसने सिफारिश की थी वही सही निर्णय था। वह पहली नवम्बर को लिया गया था और अब एक नवम्बर आ रहा है साल भर हो गया है। मैं तो समझता हूं कि कहीं इसको दबाने की बात तो नहीं हो रही है। बहुत सी चीजें जो होने वाली थीं वह हो गई। मुझे डर लगता है कि केन्द्र सरकार इस पर दूसरा विचार कर रही है। केन्द्रीय सरकार जो कि जनता पार्टी की है उसने कहें कि इसे जल्दी करें हम लोग बिल्कुल इसमें साथ हैं, पूरब के लोग भी साथ हैं।

*श्री हरी सिंह—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि पूरब और पश्चिम का झगड़ा है। प्रश्न यह है कि हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी जिलों में आए। इसकी आवश्यकता क्यों हुई इस बात को प्रदेश के नेता जानते हैं चाहे वह उधर के हो या इधर के हों, इसमें सब एक हैं। इस मामले में सब गरीबों का खून पी जाने वाले हैं ऐसे लोग जनता पार्टी में भी मौजूद हैं। जिन्होंने आज तक इसे नहीं होने दिया और न प्रदेश को बटने दिया। जनता पार्टी में उधर के लोग भी आए हैं जिसमें मैं भी हूं। एक हमारे नेता उधर बैठे हुए हैं जो मुख्य मन्त्री रह चुके हैं श्यामधर जी के पास बैठे हैं श्री नारायण दत्त तिवारी। महाराज आप भी इधर तशरीफ ले आइए इस मामले में आप उधर कैसे बैठे हैं। आप भी इधर आ जायें जनता पार्टी में।

अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं आज सबसे बड़ी तकलीफ गरीब और निर्धन लोगों को हो रही है। यह लोग गरीबों का ढोल पीटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शोषण करने वाले यही लोग हैं। गरीबों के शुभचिंतक बनते हैं, यही लोग नारा लगाते हैं जनता पार्टी वाले भी, जनसंघ वाले भी, नई कांग्रेस वाले भी सब यही ढोल पीटते हैं। गरीब आदमी के पास एक पैसा भी नहीं है वह इलाहाबाद जाने के लिए किराया कहाँ से लायेगा। न्याय पाने के लिए कैसे वह मेरठ से जा सकता है। चार आने का मजदूर जो उसके पास किराए के लिए पैसा नहीं है। इलाहाबाद में जो पैरवी करते हैं वकील लोग वह पूर्वी लोगों से दो सौ रुपया लेता है लेकिन अगर पश्चिम का आदमी आएगा, अलीगढ़ का आएगा, मुजफ्फरनगर का आएगा या बुलन्दशहर का आएगा तो उससे एक हजार फीस लेता है। क्या बात हो गई? हम इतने दूर से भी चल कर आये और आप मछली-वछली खाकर आ गए और सौ दो सौ रुपए में काम चल गया। इनका तो कोई मुकदमा भी नहीं होता है। मुकदमें हमारे होते हैं पैरवी पश्चिमी जिलों की होगी इलाहाबाद पश्चिमी जिलों के जायेंगे और उन्हीं से फीस ज्यादा लेंगे। हाई कोर्ट बनाने की बात आती है या प्रदेश के बटवारे की बात आती है तो जनता पार्टी वाले भी पश्चिमी जिलों के नेता भी चाहे चौधरी साहब हों, चाहे चन्द्रभानु गुप्त जी हों, चाहे नारायण दत्त तिवारी हों जितने भी लीडर हैं अध्यक्ष महोदय, आप भी शामिल हैं वह नहीं होने देते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप आक्षेप कर रहे हैं अध्यक्ष पर यह समझना चाहिए।

श्री हरी सिंह—

इस वक्त अध्यक्ष महोदय, मैं नेता की हैसियत से कह रहा हूं। उन लोगों को सस्ता न्याय मिल नहीं सकता है वकीलों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आप गरीबों का हित नहीं करना चाहते हैं चाहे नई कांग्रेस वाले हों, चाहे जनता पार्टी वाले हों। मेरा नम्र निवेदन है कि या तो हमारी माँग मान ले नहीं तो चन्द दिनों में हम सत्याग्रह करेंगे और जेल जाने के लिए तैयारी करेंगे। चाहे कोई हो, मन्त्री जी इसे नोट कर लें।

श्री उदित नारायण—

अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा के समय के लिए माननीय तोमर जी और न्याय मन्त्री जी का भाषण मापदण्ड बना दिया, हमने उसको सर झुकाकर तस्लीम कर लिया। मैं बड़ी नम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं केन्द्र को इसका अधिकार है या प्रान्त को इसका अधिकार है, ये दोनों प्रश्न उठाए गए उनमें से एक का भी जवाब क्या 5 या 7 मिनट में हो जाएगा? सस्ता न्याय मिलना चाहिए। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं लेकिन सस्ते न्याय की क्या परिभाषा होनी चाहिए, क्या यह 5 मिनट में हो जाएगा। यदि हाई कोर्ट इलाहाबाद से हटकर मेरठ में भी हो जाए, तो इसमें किसी को नुकसान होगा या किसी को नुकसान नहीं होगा। अर्थात् यदि कोई इसको इस दृष्टि से देखें कि जो लोग इसमें बोल रहे हैं, उनका कुछ स्वार्थ होगा इसमें, तो मैं समझता हूं कि वह इस चर्चा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह ऐसे विषय हैं तथा इनसे सम्बन्धित जितने विषय होंगे उनमें आपके तर्क और आपके मस्तिष्क को आपकी भावना और आपको हृदय पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे वरना नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रान्त अकेला चाहे तो कभी भी मेरठ में अलाहदा खण्ड-पीठ नहीं कायम कर सकेगा।

जिस का मान्यवर, तोमर जी ने हवाला दिया वह अपनी जगह पर है लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपके सामने कि प्रान्त सक्षम नहीं है। आपको खण्ड-पीठ मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह कायम करने की सामर्थ्य देने के लिए। वैसे यह सवाल निश्चयपूर्वक औचित्य का है। यदि यह उचित है कि मेरठ में खण्ड-पीठ होनी चाहिए, तो वह अवश्य होनी चाहिए। यदि यह प्रान्त का अधिकार है तो प्रान्त को यह कार्य करना चाहिए और यदि उसके लिए केन्द्र सक्षम है तो केन्द्र को उसको करना चाहिए। यदि यह जनहित का कार्य है तो इसे अवश्य करना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसके साथ, इसके सन्दर्भ में कम से कम दो विषय जुड़े हुए हैं, उनको हम देखेंगे, तभी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। पहले सस्ता न्याय और दूसरे जो इस कार्य को करने से परिणाम निकलने वाले हैं उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। वे आपकी आँख से ओझल हो जाय तो सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस चर्चा में एक मौका हमारे मिश्र जी को भी मिला और उन्होंने उसका लाभ लिया। उनको मौका मिला कि पिछली सरकार का कम से कम यह एक काम सही था, जिसको आज के शासन पक्ष के सही कह रहे हैं। वह उसका लाभ उठाएं हमे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तरफ और

इशारा कर दिया, उसको भी ध्यान में रखा जाय कि-- "आज तो मेरठ में होने की बात चल रही है लेकिन बुन्देलखण्ड में कोई खन्डपीठ हो, गोरखपुर में हो तब भी हमको क्या एतराज हो सकता है ।"

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैंने गोरखपुर नहीं कहा।

श्री उदित नरायन--

'पूरब में' तो कहा। मैं अपनी तरफ से गोरखपुर कह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने दिन तक आप पूर्व में रहने वालों को मना कर सकेंगे, अपने यहाँ खण्ड-पीठ माँगने लिए कितने दिन आप बुन्देलखण्ड वालों को मना कर सकेंगे बुन्देलखण्ड में खन्ड पीठ की माँग के लिए। एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं वह बात यदि सही होतो इस प्रस्ताव के समर्थन करने वाले सभी को निरुत्तर होना पड़ेगा। वह यह कि यदि आपका जो सस्ता न्याय का ख्याल है वह सही है तो सस्ता न्याय कहाँ मिलना चाहिए? न्याय आदमी को अपने दरवाजे पर मिलना चाहिए। यह है लक्ष्य जिसका हवाला दिया जाता है। इग्लैन्ड और कुछ ऐसे विदेशों में न्याय घर-घर दिया जाता है और इस तरह से दिया जाता है जैसे सर्किट कोर्ट्स होती हैं। लेकिन इसको समझने की बात है। हर बात को जिस परिप्रेक्ष्य में है उसी में देखना चाहिए। 1924-25 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें इन सर्किट कोर्ट्स का जिक्र किया गया था; सर्किट कोर्ट्स जो होती हैं इंग्लैन्ड में या दूसरी जगह जो इब्तदायी अदालत होती है अपीलेट कोर्ट्स जिस न्याय को देती हैं, उसके लिए दरवाजे-दरवाजे न्याय नहीं जाता। अपीलेट कोर्ट में जो काम होता है वह बिलकुल दूसरी तरह का होता है। वहाँ पर उत्तम मस्तिष्क, उत्तम अनुभव, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। या तो यह मान लें कि न्याय के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक प्राकृतिक न्याय देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र--

केवल सुप्रीम कोर्ट रखी जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, आप दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं। उन्हें आप कहने दीजिए।

श्री उदित नरायन--

मैं दो तीन बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने जब आज के लिए इस विषय को देखा होगा तो इस बात का कष्ट किया होगा कि हमारे यहाँ जो ला कमीशन 1926 में बना था जिसके अध्यक्ष सीतलवाद जी थे, उसको देखने की भी कोशिश की होगी कि जिन तथ्यों और जिन प्रमाणों को देकर वह उस निष्कर्ष पर पहुंचे थे क्या आपके लिए सम्भव है यह कहना कि वे उनके कुछ निहित स्वार्थ से प्रेरित थे। क्या यह कह सकेंगे कि वह वाजिब नहीं था?

श्री अध्यक्ष--

अब आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री उदित नरायन—

मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि क्या माननीय सदस्यगण यह पसन्द करेंगे कि कल इस देश में इस बात की माँग पैदा हो जाय कि एक शाखा सुप्रीम कोर्ट की लखनऊ में भी होनी चाहिए, एक राजस्थान में भी होनी चाहिए, एक बिहार में भी होनी चाहिए, एक कलकत्ता में भी होनी चाहिए। क्या स्वरूप होगा इस देश का ? श्रीमन्, एक सुप्रीम कोर्ट होना और प्रान्त में एक हाई कोर्ट होना चाहिये मेरे पास समय नहीं है इस विषय में विस्तार से कहा जाय। यद्यपि अभी ऐसे प्रान्त हैं जिनमें तीन चार हाई कोर्ट बेंच काम कर रही हैं। लेकिन वह देखेंगे कि उनके ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण हैं। अवध में पहले हाई-कोर्ट थी, जब अवध संयुक्त प्रान्त में मिला तो यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए अवध में बेंच कायम रखी गयी। हमीरपुर, लखनऊ के नजदीक है हम इलाहाबाद क्यों जायं ? वह मेरठ की ही बात कहते हैं। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को देख लें। भोपाल जब मिला वहाँ पहले से हाई कोर्ट था, इसलिए वहाँ पर एक हाई कोर्ट बना, जबलपुर में एक बना। मध्य भारत जब था वहाँ पर इन्दौर में हाई कोर्ट था और जब सब मिले तो उनकी माँग को मान लिया गया और जो पहले जहाँ पर हाई कोर्ट थे, उनको बना रहने दिया गया। मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र ठंडे दिमाग से सोचें। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि न्याय की गरिमा में अन्तर आएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त में सच्चाई के साथ विश्वास करती है जैसा कि उसने अपने मैनिफैस्टो में कहा है। क्या वह चाहती है कि न्याय सस्ता हो और वह वादकारी का हित सर्वोच्च हो के सिद्धान्त को मानती है। तो अविलम्ब मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की जाए। अभी कई लोगों ने कहा कि यू0पी0 हाई कोर्ट (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 इस बात के लिए सक्षम है कि मेरठ में एक बेंच दी जाए। इसी ऐक्ट के द्वारा ही लखनऊ में हाई कोर्ट की स्थापना की गयी थी। यदि आवश्यक समझा जाए तो गवर्नर की सहमति से उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में खण्ड-पीठ की स्थापना की जा सकती है। कोई किसी तरह की उलझन नहीं है। मैं उस सेक्सन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में उस आर्डर में है —

The new High Court and the judges and division courts thereof, shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief Justice may, with the approval of the Governor of the United Provinces, appoint.

श्री अध्यक्ष—

कृपया इसका हिन्दी रूपान्तर कर दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह—

अच्छा श्रीमन्। नया हाई कोर्ट इलाहाबाद में होगा और यह उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे स्थान पर भी बैठ सकेगा जब कि मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की स्वीकृति ले ले।

जब लखनऊ बेंच की स्थापना हुई तो लेजिस्लेचर के सामने यह बात थी कि कहीं यह बात न आ जाए कि इतने बड़े प्रान्त में खण्ड-पीठ की स्थापना की जाए। अगर केन्द्रीय

सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है तो शासन को कम से कम यह प्रस्ताव तो लाना चाहिए कि मेरठ में बेन्च बने। मैं काँग्रेसी सरकार का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात की आवश्यकता तो समझी कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। माननीय न्याय मन्त्री जी ने यह बराबर आश्वासन दिया है कि हमसे केन्द्रीय सरकार ने कई प्रश्न पूछे हैं और हम उनका उत्तर भेज रहे हैं। मेरठ कोर्ट्स के एडवोकेट का एक डेपुटेशन केन्द्रीय नेताओं से मिला था और हम लोगों ने कहा कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च दी जाए। उनमें से मन्त्री परिषद् के एक माननीय सदस्य हैं, हम लोगों को बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने यह कहा कि मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है उसमें इतना रुपया लगा है। यह बात बड़ी हास्यास्पद है। दूसरा तर्क इन्होंने यह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो टेम्पल आफ जस्टिस है उसकी सैंक्टिटी या उसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी यदि उसे खंड-पीठ में बाँट दिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात ठीक है कि मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी बिल्डिंग नहीं है लेकिन अगर एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जाय तो मेरठ में ऐसे भवन हैं जिनसे दस बारह जजेज के लिए बहुत ही स्पैशस रूप उन भवनों के मालिक देने के लिए तैयार हैं। यह कोई अच्छा तर्क नहीं है कि पहले बिल्डिंग बने इसके बाद निर्णय लिया जाय कि खण्ड-पीठ की स्थापना की जाय या नहीं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि इलाहाबाद बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पवित्र गंगा और यमुना का सगम है उसकी पवित्रता पर सन्देह न करते हुए मैं कहूंगा कि वहाँ से जो न्याय होगा, पवित्र होगा। इस बात को मैं चैलेन्ज नहीं देना चाहता लेकिन वहीं गंगा और यमुना इतना जरूर कहूंगा कि तमाम पश्चिमाँचल अर्थात् मेरठ मन्डल को सींचती हैं। वहाँ की धरती पर अगर हाई कोर्ट की दूसरी बेंच की स्थापना हो जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहाँ से जो न्याय मिलेगा वह निश्चित रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह सच्चा और पवित्र होगा।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय शर्मा जी ने कहा कि यह निहित स्वार्थ के लोगों की माँग नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की माँग नहीं है, यह पश्चिमाँचल की जनता की माँग है और मेरा यह विश्वास है कि इस माँग को चाहे जनता सरकार हो या कोई भी सरकार हो, भले ही कुछ दिनों के लिए पीछे ढकेल दे लेकिन इस माँग को दबाया नहीं जा सकता। अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि थोड़े से मुठ्ठी भर लोगों के दबाव में आकर के सरकार उनके निजी स्वार्थों को देखते हुए यदि इसमें देरी करती है तो सचमुच में यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी और देखना यह है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो इस निर्णय को कब तक लेती हैं। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार इस पर धैर्य से विचार करके शीघ्र निर्णय लेगी।

*श्री मैनेजर सिंह—

अध्यक्ष जी, माननीय तोमर जी ने मेरठ खंड के स्थापना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है इससे पूरब-पश्चिम का सवाल भी खड़ा हो गया है। जैसा कि माननीय श्यामधर मिश्र जी ने कहा कि पूरब के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप का यह सवाल किसी ने नहीं उठाया पूरब के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि पूरब के लोगों को आपत्ति नहीं है यदि मेरठ में या बरेली में दोनों जगह खंड पीठिकाओं की स्थापना कर दी जाय जिससे सस्ता न्याय मिल सके। श्रीमन्, सस्ता न्याय मात्र खंड पीठिकाओं की स्थापना से नहीं मिल सकता। श्यामधर जी के राज्य में कोर्ट फीस में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है? क्या यह सस्ता न्याय दिलाने की ओर एक कदम था? वकीलों की फीस के बारे में कोई कानून नहीं है किस वकील की क्या फीस होगी, इसका कोई कानून नहीं है। आज बहुत से वकील ठेके पर वकालत करते हैं। हमारे सदन के कई माननीय सदस्य भी ठेके पर वकालत करते हैं। आपको सच्चा न्याय दिलाने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने होंगे, वकीलों की फीस कम करनी होगी। कानून के द्वारा यह आपने कहा श्रीमन्, यह आपने नहीं किया। जो यह कहा गया है कि हमारी सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा था और उस प्रस्ताव को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, तो मैं माननीय उधर के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर आप यह सोचते हों कि माननीय न्याय मन्त्री जी इलाहाबाद के हैं इसलिए अड़ंगा लगा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है और अगर ऐसा वह समझते हैं तो मैं यह कहूंगा कि माननीया इन्दिरा गांधी भी यहीं की थी इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया होगा।

इसलिए मान्यवर, इसको दलगत आधार पर नहीं देखना चाहिए, इसमें राजनीति का सवाल नहीं आना चाहिए, इसमें पूरब-पश्चिम का सवाल नहीं आना चाहिए। अगर पश्चिम के भाई यह समझते हैं कि हम ही बहादुर हैं, तो वह भ्रम में न रहें। पूरब के लोग भी बहादुर हैं। मान्यवर, जो प्रथम स्वाधीनता की लड़ाई हुई थी 1857 में, उसमें पूरब के लोगों की कुरबानी किसी से कम नहीं है, बल्कि अधिक ही है। मेरठ में जो बिगुल बजा था, उसका नेतृत्व भी बलिया के श्री मंगल पांडे ने किया था। सन् 1921, 1929 और 1942 की जो लड़ाई हुई स्वाधीनता की, उसमें पूरब के लोगों का हिस्सा किसी क्षेत्र से कम नहीं है। इसलिए पूरब और पश्चिम का सवाल नहीं है।

मान्यवर, मैं भी कभी इसी तरह से सोचता था कि प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उसका विरोधी था और कहा करता था कि यह हिन्दुस्तान का हृदय है, इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अब इस राय का हूं कि इस प्रदेश का बंटवारा प्रेम के साथ होना चाहिए। आज जब पूरब-पश्चिम, बुन्देलखंड पहाड़ का सवाल यहां आता है और जब इस तरह से सोचने का नजरिया है, कोई सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, तो प्रदेश को बांट लेना ही अच्छा है। जब घर-गृहस्थी बांट लेते हैं, तो प्रदेश को भी बांट लिया जाय। इसलिए एक सदन की समिति बना ली जाय और 3-4-5 और 6 हिस्सों में, जितने चाहे उतने हिस्से बना लें क्योंकि सभी चीजों को बांटना होगा क्योंकि सभी के मुख्यालय हैं, पुलिस के हैं, शिक्षा के हैं। उसके बाद यह मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट की खन्ड-पीठ हैदराबाद में हो जाय, एक कलकत्ते में हो जाय, तो न्याय का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मैं कहता हूं कि किस-किस चीज का विकेन्द्रीकरण करेंगे आप। इसके बाद,

आप कहेंगे कि केन्द्रीय सरकार का विकेन्द्रीकरण हो---क्यों एक ही प्रदेश का प्रधान मन्त्री हो, सभी प्रदेश के प्रधान मन्त्री बारी-बारी से हो या जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रधान-मन्त्री बना दिए जायं। तो यह विकेन्द्रीकरण करने का यह गलत अर्थ होगा। देश की एकता भंग करने से देश का भला नहीं होगा। प्रदेश को बांटिए---प्रेम से इसमें कोई दुराव नहीं, वमनस्य की बात नहीं।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने किया लेकिन आज तक इन्होंने राष्ट्रीयकरण नहीं किया.....

श्री अध्यक्ष---

इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, आप अब समाप्त कीजिए।

ठाकुर मूल चन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री तोमर जी ने जो हाई कोर्ट बेंच के लिए प्रस्ताव रखा है, वह न्यायोचित है। मैं इस सदन में आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह मांग आज की मांग नहीं है। हम जिस वक्त विरोधी बेंचेज पर बैठते थे.....

श्री अध्यक्ष---

इस बहस के लिए मैं आधा घन्टा समय बढ़ा रहा हूं।

ठाकुर मूल चन्द्र---

तो हमारे सभी साथी तथा विरोधी दल के नेता इस बात की मांग किया करते थे कि मेरठ के अन्दर हाई कोर्ट की बेंच होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तो मुझे यह कहना है कि.....

श्री अध्यक्ष---

"दोस्तों" कह कर सम्बोधित मत कीजिए।

ठाकुर मूल चन्द्र---

मान्यवर, यदि संसार के इतिहास को उठाकर देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि जो पार्टी, जो शासन और जो देश न्याय पर नहीं चलता है उसको हमेशा मात खानी होती है। रामायण और महाभारत के समय में भी जब जनता को न्याय नहीं मिला तो विद्रोह खड़ा हो गया था। इसी प्रकार से आपने अंग्रेजों और कांग्रेस के जमाने को भी देखा है। 30 साल में भी जब कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया, अपने सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया, तो जनता ने उसको हटा कर फेंक दिया। आज हम हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की कोर्ट सबसे बड़ी है। कांग्रेस की 30 साल की हुकूमत को जनता ने निकाल कर बाहर कर दिया। जनता सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह पब्लिक की आवाज को नहीं सुनेगी, उसको न्याय नहीं देगी तो उसके खामियाजे को भी याद कर लें।

मन्त्री जी ने कहा कि यह मांग जनता की ओर से नहीं हो रही है। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि 14 अक्तूबर को मुझे मालूम हुआ है कि सारा मुजफ्फरनगर बन्द रहा, बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई और इसकी मांग की गयी। यह ही नहीं, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सारे पश्चिमी जिले के लोग इस बात की मांग कर

[ठाकुर मूल चन्द्र]

रहे हैं। आज पार्टी या पश्चिमी जिलों का सवाल नहीं है, यह न्याय का सवाल है। इसको इसमें मिलाकर नहीं रखना चाहिए। केवल पूर्व के ही लोगों को ही न्याय चाहिए, पश्चिम के लोगों को न्याय नहीं चाहिए या पहाड़ी क्षेत्र के जिलों को न्याय नहीं चाहिए। न्याय पाना हमारा फन्डामेन्टल राइट है, अधिकार है। जनता पार्टी ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा था तो अपने मैनीफैस्टो में इस बात की घोषणा की थी कि हम सबको न्याय सुलभ करायेंगे, सस्ता न्याय देंगे, गरीबी को हटायेंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे लेकिन अगर इन बातों को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि ऐसा न कर के उनका क्या हस्र होगा।

मान्यवर, आज पश्चिम के लोग हाई कोर्ट बैंच के लिए तड़पते हैं। क्योंकि इलाहाबाद, मेरठ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गरीब जनता जब सेशन में हार जाती है तो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए नहीं जा सकती है और अपनी आत्मा को मसोस कर बैठ जाती है। बड़े-बड़े वकीलों की राय है कि इलाहाबाद के वकील लोगों को लूटना चाहते हैं। अपने अड्डों को चलाना चाहते हैं इतनी अधिक फीस लेते हैं कि पश्चिमी जिलों के सब लोग उसी से तड़प जाते हैं।

मान्यवर, अगर हमें मेरठ में कोई नकल लेनी होती है तो वहां 10 रुपये में प्राप्त हो सकती है लेकिन अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद से लेनी होती है तो उसके लिए हमें 200 रुपए इलाहाबाद जाकर, किराया खर्च करके, वहन करने पड़ते हैं और वहां वकीलों की महंगी फीस हर एक से बर्दाश्त नहीं होती है। तो मान्यवर, मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि महाभारत में भी दुर्योधन से पान्डव ने केवल 5 गांव मांगे थे लेकिन उसने 5 गांव नहीं दिए थे जिसके कारण उस पर महाभारत का युद्ध हुआ। मान्यवर, एक बैंच पश्चिमी जिलों में अवश्य खुलनी चाहिए।

माननीय न्याय मन्त्री या दूसरे कोई मन्त्री इस बात का दावा करते हैं कि यह मांग जनता की ओर से नहीं है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह मांग जनता की ओर से है और यहीं तक नहीं, अगर हमारा फैसला इस तरह का नहीं हुआ तो इससे आगे भी बात बढ़ सकती है और सारे उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग की जा सकती है। यह हमारा फन्डामेन्टल राइट है, यह हमारा अधिकार है कि इसको हमें दिया जाय और जो जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है उसकी संगति से हम इस अधिकार को मांगना चाहते हैं। अन्त में मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय मन्त्री इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव करें और दिसम्बर, 1976 में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था उसका इन्तजार न करें। आज जनता पार्टी को इसको पहले करना है और पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट बैंच को देना चाहिए। यह खिलवाड़ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, यह मेरठ में उच्च न्यायालय की खंड-पीठ स्थापित करने की मांग इस सदन के लिए बहुत पुरानी है और आज यह पहला मौका है सदन में जबकि यह मांग शासक दल की ओर से उठायी गयी है। पहले मांग इधर से उठती थी और उधर के लोग इस पर सहमत नहीं होते थे, जिसकी वजह से आज तक यह मांग पूरी नहीं हुई। मैं माननीय सदस्य, तोमर जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सदन में चर्चा उठाने की पहल की है।

मान्यवर, माननीय सदस्य शर्मा जी ने यह आशंका व्यक्त की कि अगर मेरठ में खण्ड-पीठ स्थापित हो गयी तो यह मांग पूर्वी जिलों की ओर से और बुन्देलखंड की ओर से भी उठायी जायगी। हमको यह समझ में नहीं आता कि अगर न्याय जो जनतन्त्र की आधारशिला है, सुलभ कर दिया जाय जनता को, सस्ता और त्वरित न्याय दिया जाय तो इसमें नुकसान क्या है? मान्यवर, इस वक्त हाई कोर्ट में मुकदमों की जो स्थिति है वह बहुत गम्भीर है। हजारों मुकदमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के तहत वर्षों से पेंडिंग हैं और इन्साफ की मान्यता रही है कि अगर देरी की जाय तो इसका मतलब है कि इन्साफ देने से इन्कार किया जा रहा है और मैं महसूस करता हूं कि जनता की मांग है इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी की मांग है कि न्याय सुलभ करें, न केवल मेरठ में ही खंड-पीठ स्थापित हो, अगर भविष्य में आवश्यक होता है तो बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों में खंड-पीठ स्थापित होती हो तो कोई हर्ज नहीं है।

आशंका व्यक्त की गयी की इन खन्ड-पीठों के माध्यम से न्याय के विकेन्द्रीकरण में न्याय का स्तर गिरेगा। लेकिन इस देश और प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं रही। मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्दर न केवल न्याय पाने वालों को दिक्कत होती है लेकिन कितने प्रतिभाशाली वकील जो जिन्दगी में कुछ करने की तमन्ना लेकर आते हैं, वहां इतना बड़ा जमघट है वकीलों का कि बहुत से नए वकीलों की दसियों साल इन्तजार करना पड़ता है, लेकिन वह ब्रीफ-लेस रहते हैं, सारी जिन्दगी गुजार देते हैं। मैं महसूस करता हूं कि ऐसी खंड-पीठों की स्थापना से न केवल जनता को सुलभ न्याय मिलेगा, न केवल कुछ प्रतिभाओं को पीठासीन होकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, बल्कि कुछ ऐसी प्रतिभाओं को वकालत पेशे में अपने को समर्पित करने का, उनको भी भविष्य में तरक्की करने का मौका मिलेगा और वह देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर अपने दल की तरफ से यह पुरजोर समर्थन करता हूं कि मेरठ में खण्ड-पीठ की स्थापना हो जिससे इस प्रदेश में न्याय के निस्तारण में शीघ्रता की जा सके और जनता को सुलभ न्याय दिलाया जा सके।

धन्यवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय की एक खंड-पीठ का गठन मेरठ में किया जाय इस प्रश्न पर विचार चल रहा है। गत कई वर्षों से सदन के अन्दर और सदन के बाहर यह मांग उठायी जाती रही है कि पश्चिमी जिलों की लिटीगैन्ट पब्लिक को इलाहाबाद जाने में, वहां से न्याय लेने में बड़ी असुविधायें और कठिनाइयाँ होती हैं, उनका अधिक धन खर्च होता है। प्रदेश इतना बड़ा और व्यापक होने के कारण और एक उच्च न्यायालय, वहां केसों के अम्बार लगे हैं। कई-कई साल हो गए अपीलों का निर्णय नहीं हो पाता। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि मेरठ देहरादून और बुलन्दशहर के जिले इलाहाबाद से बहुत दूर पड़ते हैं, वहां की जनता को सुविधा और न्याय सरल और सुलभ हो इसलिए पश्चिम के किसी जिले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की जाय। आम-तौर से सहमति प्रकट की इस सरकार ने भी, पिछली सरकारों ने भी। सन् 1969 में मैं इस सदन में आया था। उस समय भी यह प्रश्न उठा था और उस समय जो सरकार थी उसने सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार किया था। परन्तु कुछ कानूनी बारीकियां बतायी गयीं, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिससे इस प्रश्न का हल नहीं हो सका।

माननीय उपनेता, विरोधी दल ने एक बात की ओर लक्ष्य किया कि कहीं ऐसा न हो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लोग जो इस बात से प्रभावित होंगे वे कोई अड़चन न पैदा कर दें। माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने उस बात को और स्पष्ट किया। इलाहाबाद के लाइयर्स, वहां का बार एसोसिएशन एक बार एक सवाल उठाता है कि यह जरूरी नहीं है कि न्याय जल्दी मिले, न्याय मिलने के लिए यह भी आवश्यक है कि अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छे योग्य और प्रतिभाशाली वकील हों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का एक बहुत अच्छा न्यायालय है , वहां इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने अच्छे वकील हैं, मेरठ में उसकी खण्ड--पीठ स्थापित कर देने से वहां इतनी अच्छी लायब्रेरी और इतने योग्य वकील न मिल सकेंगे। वास्तविकता यह है कि यह विचार जो इलाहाबाद के बार एसोसिएशन का है, इलाहाबाद के वह वकील जिनका स्वार्थ इस बात में निहित है कि उच्च न्यायालय की कोई भी खन्ड-पीठ पश्चिम में न स्थापित की जाय, इसी के कारण आज तक खन्ड-पीठ की स्थापना पश्चिम में नहीं हो पायी। अगर पश्चिम के किसी जिले में खन्ड-पीठ की स्थापना की जायगी तो यह भारत मां की धरती ऐसी है कि जहां भी अवसर मिलेगा वहां योग्य वकील पैदा हो जायेंगे और अवसर दिया जायगा तो एक अच्छे पुस्तकालय की भी स्थापना हो जायगी।

न्याय के सम्बन्ध में इस तरह के प्रश्न पैदा करना कि कल को सुप्रीम कोर्ट की खंड-पीठ स्थापित करने का सवाल पैदा हो जायगा, यह एक हाइपोथिटिकल सवाल होगा। आज प्रश्न हमारे सामने यह है कि इस बात में वजन है या नहीं कि पश्चिम के जिलों को न्याय महंगा मिलता है, पश्चिम के लोगों को इलाहाबाद पहुंचने में असुविधा होती है। जब लखनऊ के अन्दर खंड-पीठ की स्थापना हो सकती है तो मेरठ में क्यों नहीं? लखनऊ-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों को लखनऊ में न्याय मिले और लखनऊ से उधर के लोगों को न्याय पाने के लिये लखनऊ पार करके जाना पड़ेगा। आज हमारी आस्था इस बात में है कि न्याय सस्ता हो, सरल हो, त्वरित हो। डिलेड जस्टिस भी इन्जस्टिस हो जाती है आज जो इलाहाबाद के अन्दर इतने केसों का अम्बार लगा है अगर पश्चिम में भी एक खंड-पीठ दी जाय तो न्याय सस्ता होगा, सरल होगा और जो हाई कोर्ट के अन्दर डिलेड जस्टिस हो रही है वह जल्दी मिलेगी। मैं इसलिए वर्तमान सरकार से मांग करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार के सामने पश्चिमी जिलों की मांग को सबल शब्दों में रखें और शीघ्र पश्चिम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खन्ड-पीठ की स्थापना करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य मोदीनगर, श्री तोमर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया एवं शासन की नीतियों को जानना चाहा है। श्रीमन्, यह प्रश्न जैसा कि आपको भलीभांति विदित है, बहुत वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और मुझे अपने किंचित अनुभव से यह लगा है कि यह प्रश्न, जो सही दृष्टिकोण है, सही परिपेक्ष्य में उस प्रकार से हम नहीं देखते रहे बल्कि इसको कुछ ऐसा रूप दिया गया जैसे कुछ इलाहाबाद का नुकसान हो रहा हो। श्रीमन्, इसमें इलाहाबाद का या इलाहाबाद के नागरिकों का यहां तक कि इलाहाबाद के वकीलों का कुछ नुकसान नहीं होता, अगर मेरठ में हाई कोर्ट की बैंच हो जाय।

श्रीमन्, आप देखें हाई कोर्ट में आज इतने केसेज पेंडिंग हैं, इतने मामले विचाराधीन हैं कि अगर हाई कोर्ट के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी जाय न्याय मूर्तियों की, तब भी वहां पर जो विद्वान् मंडल इलाहाबाद में हैं, उनके लिए केसेज पर्याप्त रहते हैं और जहां तक बार का सवाल है, मेरठ बार हो या इलाहाबाद बार हो, लखनऊ बार हो सब जगह विद्वान् वकील मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं पर कैलीबर में या विद्वता में ऐसी कोई कमी है। विद्वान् वकील मेरठ में भी हैं, लेकिन उनको हाई कोर्ट में अपनी विद्वता दिखाने को नहीं मिलती। जो जजी में प्रैक्टिस करते हैं वे हाई कोर्ट में भी अपियर होते हैं? लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता।

तो श्रीमन्, इस तरह किसी प्रकार से भी इलाहाबाद नगर के प्रति अन्याय नहीं होता, मेरठ के लिए न्याय हो जाता है। मेरठ के लिए ही नहीं, यह पश्चिम के लिए ही केवल नहीं है, यह तो न्याय हो जाता है, वास्तव में यह सारे प्रदेश के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि मेरठ में इस दृष्टि से बैंच खोलने का औचित्य होता है। इस प्रदेश की शासकीय एकता रखने के पक्ष में मैं हूं कि इस प्रदेश की एक इकाई राजनैतिक दृष्टि से रहनी चाहिए, उसके कई कारण है। जब यू० पी० को हम एक रखने की बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन हमारे लिए न्याय नहीं करता है। हर राज्य कहता है कि सब स्टेट्स एक हैं जैसे हरियाणा एक करोड़ का या सवा करोड़ का, हिमाँचल प्रदेश एक लाख का स्टेट है। उत्तर प्रदेश की जन संख्या जो है उसमें 57 जिले हैं, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों पर पूरा ध्यान रख कर प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार को अनुदान देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो मुझे तो आश्चर्य होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, वे कहते हैं कि यू0 पी0 के विभाजन की माँग करिए, और हाँ-हाँ कर देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यू0 पी0 का अगर विभाजन कर दिया जाय, तो 5 असेम्बली, 5 हाई कोर्ट बनेंगे 5-5 डायरेक्ट्रेट, उतनी तहसीलें बनेंगी। उसके लिए खर्च देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट के लिए खर्च देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह कुछ अनुदान बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं यू0 पी0 के विभाजन के लिए तैयार हैं, ऐसा कहेंगे और हमें ग्रान्ट देने में कहेंगे कि साहब कहाँ से देंगे ? यह हमने देखा है कि जो खासतौर से विद्वान इकोनामिस्ट्स है, यह बात करते हैं। अब इस समय में समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक रहना जरूरी है। भारत की मजबूती के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश अब तक कुर्बानी करता रहा है। उत्तर प्रदेश ने राजनीतिक एकता के लिए कुर्बानी की है चूंकि हमें अनुदान उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। कुछ बढ़ा है लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एकता देश की जो नेशनल इन्टग्रिटी है, राष्ट्रीय समन्वय है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर इसमें थोड़ा खर्च भी हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के लिए यह कोई बड़ा भारी भार नहीं होगा। आज अगर पश्चिमी अंचल माँग कर रहा है या कोई सेक्शन माँग कर रहा है कि बैंच की स्थापना होनी चाहिए, तो बैंच बनाई जाय। इससे उत्तर प्रदेश की एकता राजनैतिक एकता बढ़ेगी।

मुझे याद है कि श्रीमन्, वह दिन, अब आप यहाँ बैठते थे। उस समय 'पणिकर' रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। श्रीमन्, आप पार्लियामेण्टरी अफेयर्स के चीफ व्हिप थे और आपके साथी कमला प्रसाद जी थे। उस समय पन्त जी मुख्य मन्त्री थे। तो उस समय किस तरह से आप विरोधी दल में एकता लाये थे। उस समय विरोधी दल ने भी एकता दिखाई थी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को एक रहना चाहिए और आप उसमें मुख्य साझीदार थे कि उत्तर प्रदेश एक रहे। तो हमें एक विशाल दृष्टिकोण से इन सारे प्रश्नों को देखना चाहिए। इसलिये मैं न्याय मन्त्री जी से कहूंगा वह बड़े महनत करने वाले व्यक्ति हैं, वह इसको जरूर स्पष्ट कर देंगे। मैं यह समझता हूं कि जैसे हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके निर्णय लिया था, कुछ साथियों की नाराजगी मोल लेकर निर्णय किया था और मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की संस्तुति की थी। मैं समझता हूं कि उसी नीति पर वर्तमान सरकार भी कायम है। कम से कम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार इस नीति की है जो कि हमारी पिछली सरकार की इस सम्बन्ध में नीति थी कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। अगर यही राय रहेगी तो अवश्य ही केन्द्र को आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस राय को माननी पड़ेगी। जैसा कि श्यामधर जी ने बताया, विरोधी दल इस मामले में पूरी तरह से यह चाहता है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच बने।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, इस बहस पर अपने विद्वान साथियों की चर्चा सुनकर मुझे ज्यादा बात नहीं कहनी है। मुझे कुछ निराशा अपने साथी न्याय मन्त्री जी से हुई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर वही शासन का पक्ष रखा कि वह हाई कोर्ट की बेंच चाहते हैं और संस्तुति केन्द्र के पास भेजी हैं। मान्यवर, मैं उन्हें याद दिलाऊं कि नेता विरोधी दल भी उपस्थित हैं। उस समय कुछ कठिनाइयां नेता विरोधी दल के सामने, जो मुख्य मन्त्री थे, उस समय थीं। नहीं तो मेरठ में खण्ड-पीठ की स्थापना हो गयी होती। मान्यवर, उस समय यह समस्या थी कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से खण्ड-पीठ पश्चिमी अंचल में देने के लिए तैयार नहीं हूंगा। उस समय सरकार के सामने यह बात आई कि चीफ जस्टिस तैयार नहीं हैं, खंड-पीठ की स्थापना करने के बारे में। तो उस समय मुख्य मन्त्री और कैबिनेट ने दूसरा रास्ता निकाला कि हम अपनी संस्तुति को केन्द्र सरकार को भेजें और केन्द्र सरकार उस पर कोई निर्णय लें।

लेकिन मान्यवर, आज परिस्थिति भिन्न है। परिस्थिति बदली है, मुख्य न्यायाधीश की राय भिन्न हो सकती है। न्याय मन्त्री कहते हैं कि मतभेद नहीं है, मेरठ मे खंड-पीठ की स्थापना करनी चाहिये, तो उन्हें स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और उनकी घोषणा के बाद उनके मार्ग में जो बाधायें होंगी उनके लिए हम लड़ेंगे। सारा सदन इस बात के लिए तैयार है। तो वह घोषणा करें कि मैं भी तैयार हूं। अगर इसमें कठिनाई है तो एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाकर पूंछें।

आपने यह बताया और श्री कक्कड़ साहब का नाम लिया तो उनसे हमसे मतभेद नहीं है। यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। उस सेन्ट्रल का एक ऐक्ट इक्जिस्ट करता है जो यू0 पी0 हाई कोर्ट एमलगामेशन ऐक्ट, 1948 है। उसकी धारा 14 के अनुसार कुछ खण्ड पीठ की स्थापना कर सकते हैं। यदि इसमें सन्देह है, तो इसकी राय एडवोकेट जनरल से ले ली जाय। स्पष्ट कहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश को इसमें एतराज नहीं हो सकता है। मैं न्याय मन्त्री जी से कहूंगा कि यह आपका सूबा है इसलिए इसमें कुछ करें। आप हमारे नेता रहेगें आप इसमें कुछ बलिदान करें। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी हमारी बात आप मन्जूर कर लें। यदि आपकी राय आ जाय तो एडवोकेट जनरल सदन के सामने बुलाए जायं, वह सदन के सदस्य हैं, हम उनको इसमें लाचार कर देंगे। मैं आप-को बताऊं कि मैं हाई कोर्ट गया था वहाँ जज और सीनियर एडवोकेट्स से कन्सल्टेशन किया। तो उनकी राय है कि यू0 पी0 हाई कोर्ट एमलगीमेशन एक्ट, 1948 के मातहत लखनऊ खण्ड पीठ की स्थापना हुई थी तो उससे किसी भी अंचल में स्थापना हो सकती है और यदि इनआपरेटिव हो जाती है, तो उस दिन लखनऊ की खण्ड पीठ की स्थापना भी समाप्त हो जाती है। एक तर्क यह है।

मान्यवर, दूसरे श्री उदित नारायण शर्मा जी ने दो बातें कहीं। एक यह कि अपीलेट कोर्ट इधर-उधर नहीं जा सकती है। एक हाई कोर्ट की चर्चा की। वहाँ मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट को लगभग ओरिजनल जूरिस्डिकशन कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि 323 में एक महीने की सजा हुई। हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। 200–300 रु0 का जुर्माना हुआ तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट को 200 रुपए माफ करने के लिए कि मुकदमा न रहे उसे 200 खर्च करने पड़ेगे। सुप्रीम कोर्ट को यह मुकदमें नहीं जाते हैं जो तर्क देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो लीगल इन्टरप्रेटेशन है। उसके सामने ओरीजनल जूरिस्डिक्शन जो है, उसके सम्बन्ध में मिडिल क्लास से नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह तर्क करने

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

कि सुप्रीम कोर्ट के बंटवारे की बात चलेगी ऐसा नहीं है। वहाँ साधारण जनता के वाद नहीं जाते हैं, लेकिन साधारण जनता की अपीलें हाई कोर्ट में जाती हैं।

मान्यवर, भाई मैनजर सिंह जी ने श्री मंगल पाण्डे की बात की कि उन्होंने वहाँ क्रान्ति की थी। उनको नेता 1 अक्तूबर 57 में माना था बस्ती में। तो मैं तो कहता हूं कि यदि अब कोई मंगल काण्ड हो जाय और माँग मान ली जाय तो उसको हम नेता मान लेगें। इसमें कोई एतराज नहीं है।

एक सदस्य--

इसमें दो का टक्कर है।

*श्री ओम प्रकाश सिंह--

यहाँ कोई टक्कर नहीं है।

मान्यवर, यहाँ कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। इस भावना से इस मन्त्रि परिषद् का अवगत होना तो स्वाभाविक है। इस भावना से मन्त्रि परिषद् भी अवगत होगा जिसके द्वारा अभी तक कानूनी दायरे के अन्दर निर्णय लिए जाने का विचार या कानूनी अधिकार सोचा जा रहा है। मैं मान्यवर, यह प्रस्ताव जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि लम्बे समय से माँग की जा रही थी कि मेरठ में एक बेन्च हो। कई वर्षों से माँग की जा रही थी और इन्होंने प्रस्ताव किया दिसम्बर, 1976 में। उनका मन्त्रिमण्डल भंग हुआ मई, 1977 में। इस बीच में 5 महीने गुजर गये। माननीय सदस्य जब उधर थे, तब भी उनकी वही भावना थी और जब इधर हैं तब भी उनकी भावना में कोई अन्तर नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस भावना की आड़ में जो चीज कई वर्षों तक, जैसा कि आप कहते हैं, प्रकट होती रही, उसको तो दिसम्बर, 1976 तक ठुकराते रहे हैं और आज उसी भावना की आड़ में पुराने न्याय की दलील दे रहे हैं जबकि आप न्याय नहीं, न्याय के साथ खिलवाड़ करते रहे। मान्यवर, इसमें केवल मेरठ बेन्च या पश्चिम बेन्च की बात नहीं है। किसी भी प्रश्न को जो प्रदेश की जनता या भारत की जनता द्वारा उठाया जायगा, वह निर्णय किसी शहर विशेष या स्थान विशेष के लोगों के दबाव के कारण न तो उसके साथ अनादर का भाव होगा और न पक्षपात का। जो जनहित में होगा, जो जनता के हित में होगा, उसको मानना चाहिए और आज के शासन का यही दृष्टिकोण है। किसी पर दबाव नहीं और किसी की मांग का अनादर नहीं किया जाना चाहिए और न यह शासन करेगा। अगर किसी के मन में ऐसा भाव हो तो उसे निकाल देना चाहिए।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से 'न्याय मन्त्री', 'न्याय मन्त्री', इस तरह कहा। अगर उनके इंगित करने का मतलब मन्त्रि परिषद् के लिए था, तब तो कुछ नहीं कहता लेकिन अगर उनका मकसद व्यक्तिगत रूप से है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह मन्त्रि परिषद् से हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

तब तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। कुछ सदस्यों ने कहा यह पश्चिम की जनता की मांग नहीं, ऐसा मैंने कहा। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा। बिल्कुल ऐसा मैंने नहीं कहा। मान्यवर, पश्चिम की जनता हो या कहीं की, उसमें किसी के अनादर करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी ऐसी बात स्पष्ट रूप से इसमें नहीं कह सकता क्योंकि संसदीय परम्परा के बारे में मेरी आस्था है, विश्वास है। चूंकि यह प्रश्न मन्त्रि परिषद् के सामने है, इसलिए हां या नहीं में जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रस्ताव सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने है, उसका यह शासन विरोध नहीं करता। और जितना भी उन्होंने पूछा है, उसका जवाब दिया जा रहा है और मैं जानता हूं कि वह इस माननीय सदन की भावना का आदर करते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, चूंकि स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने मेरठ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने का निर्णय लिया है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन इस सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शीघ्र निर्णय ले। लेकिन उसका जो निर्णय होगा, वह शिरोधार्य होगा ।

एक बात माननीय तोमर जी ने उठाई. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मेरे स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष--

अब वह उत्तर नहीं दे रहे, तो मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इस बात को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जो संसदीय परम्पराओं में पंडित हैं, वे नियम 52 के अन्तर्गत हो रही चर्चा में प्रश्नों को भी स्थान देकर नियम को बदलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उसमें उनको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह चाह रहा था कि आखिर वर्तमान सरकार की क्या नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की ? यह जानने का मुझे अधिकार है। प्रश्न महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न कर दिया है। माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करें, नीति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूं आज भी कहा कि इस शासन ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है. . . .

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है, न्याय मन्त्री जी, उनका प्रश्न यह है कि कहीं डिफाल्ट में तो मुकदमा नहीं चला गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जिस दृष्टि से जो देखता है उसी दृष्टि से दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जो प्रस्ताव है वह मन्त्रि परिषद् के सामने है लेकिन जब उस प्रस्ताव को पहले से भेजा नहीं गया है और उस प्रस्ताव पर कोई निगेटिव निर्णय नहीं लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि शासन ने उस प्रस्ताव का कभी विरोध नहीं किया है। मान्यवर. . .

(श्री देव कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

. देव कुमार जी, अब नहीं। उत्तर दे रहे हैं। आप इसमें बार-बार बाध्य नहीं कर सकते।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है। आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरठ में खण्ड-पीठ स्थापित करने के बारे में विचार हो रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर पहले दे चुके कि विरोध नहीं किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जहां तक हाई कोर्ट अमेलगामेशन आर्डर, 1948 की चर्चा माननीय तोमर जी ने की अब तक जो पूर्व के वरिष्ठ एडवोकेट थे उनका विचार रहा उसके आधार पर कार्य होता रहा। अब उन्हीं के विचार वैधानिक विचार मान कर रखेंगे। इसमें दो बातें हैं उनको स्पष्ट कर दूं। इसके क्लाज 14 के अन्तर्गत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वह गवर्नर से पूर्व अनुमति लेकर, कहीं किसी कार्य विशेष के लिए अपने पीठ को बैठा सकता है, लेकिन इतना मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि अगर तोमर जी का और अन्य लोगों का कहना यह है कि इस विषय पर पुनः वैधानिक स्पष्टीकरण पर राय ले ली जाय, तो इस शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं केन्द्र के वरिष्ठ एडवोकेट, यहां के वरिष्ठ एडवोकेट से इस पर पुनः उनकी राय मंगा लूंगा। अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तित राय के अनुसार भविष्य में विचार किया जा सकता है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैंने एडवोकेट जनरल कहा था। हमारा लीगल आफिसर एडवोकेट जनरल है।

श्री अध्यक्ष--

मान लिया उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रदेश के जो एडवोकेट कहे जाते हैं उनमें सर्व प्रथम एडवोकेट जनरल ही आते हैं। स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर तोमर जी इससे भी सन्तुष्ट न हों तो उसका स्पष्टीकरण बाद में कर सकता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को कोई भी मान्यवर, प्रदेश की एकता से न जोड़े. . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण. . . .

श्री अध्यक्ष--

अब यह समाप्त हो गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार. . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब प्रश्न किए जा चुके हैं आप स्थान ग्रहण करें। वर्मा जी, स्थान ग्रहण करें।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति तथा कुल सचिव में चल रही गुटबन्दी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी आपके लिए सात मिनट और अन्य सदस्यों के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, इस माननीय सदन में अवध विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए मुझे बड़ी पीड़ा और मानसिक वेदना हो रही है। श्रीमन्, बड़े संघर्षों के बाद, काफी जन आन्दोलनों के बाद यह विश्वविद्यालय हमको मिला है। हमने लम्बी लड़ाई लड़ी रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बदले हमें एक एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी मिली और उसका रूप आप देखें तो ऐसा लगेगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिर्फ रजिस्ट्रार आफिस के बर्डन को हल्का करने के लिए एक सब-आफिस सा खोल दिया गया है और इतना ही अन्याय नहीं हुआ और जो नियुक्तियां हुईं चाहे वाइस चान्सलर की रही हों, रजिस्ट्रार की रही हों या एक्जिक्यूटिव बाडी बनी हो, यूनिवर्सिटी की वे सब प्योर एण्ड सिम्पिल पोलिटिकल नियुक्तियां थीं। यूनिवर्सिटी की बाडी में नान-ग्रेजुएट्स भी रखे गए जो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। पहले के शासन के कर्णधारों से मेरी इतनी शिकायत है कि इतना तो उन्होंने ध्यान रखा होता कि अयोध्या आदि काल से एक पवित्र धरती रही है, अयोध्या की संस्कृति तथा उसकी परम्पराओं को ध्यान में रखकर ऐसा वाइस चान्सलर वहां दिया होता, जिसको उस क्षेत्र की संस्कृति से लगाव होता, उस क्षेत्र से प्रेम होता ताकि वहां का बौद्धिक स्तर

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

ऊंचा उठता, नैतिक मान्यताएं प्रतिष्ठित होती। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी नियुक्तियों को प्योर पोलिटिकल रीजनिंग पर किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज सारी यूनिवर्सिटी और जितने भी उसके एफिलिएटेड डिग्री कालेजेज हैं, सबके सब दो खेमों में बट गए हैं चाहे टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नान-टीचिंग स्टाफ हो। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ग्रुप्स में चाहे वाइस चान्सलर का ग्रुप हो या रजिस्ट्रार का ग्रुप हो, लम्बी पर्चे बाजी शुरू हो गयी, अखबारबाजी शुरू हो गयी है।

जब से यह प्रकरण विधान सभा में उठा है। विधायक निवासों तथा विधायकों के घरों पर साइक्लोस्टाइल्ड पर्चे दोनों तरफ से बांटे जा रहे हैं। फैजाबाद में इधर दो महीने के अन्दर भी सभी अखबारों की बाढ़ आ गयी है। कभी निकलता है तिकड़म बाज वाइस चान्सलर सुरेन्द्र सिंह को हटाओ, कभी निकलता है भ्रष्ट कुल सचिव राम सूरत सिंह को हटाओ। दोनों तरफ से ऐसे-ऐसे अभियोग लगाए गए हैं, जिनको सुनकर आश्चर्य होता है। चरित्र हनन के अभियोग से लेकर पैसे के गबन के अभियोग तक सम्मिलित हैं। किस तरह से विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है इसके एक-दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे हाथ में वाइस चान्सलर महोदय का उत्तर है जो एक पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा है 'आपका आरोप कि का0 सु0 साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में 1975–76 सत्र की एम0एस0सी0 अन्तिम वर्ष, गणित, चतुर्थ से मिस्टर के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा के बिना सम्पन्न हुए ही काल्पनिक नम्बर के आधार पर कुल सचिव ने परीक्षा-फल घोषित कर दिया, जांच के उपरान्त सही पाया गया।'

एक दूसरा पत्र है जिसमें लिखा है 'सत्र 1975–76 की एम0ए0 राजनीति शास्त्र के एक प्रश्न पत्र, जिनके परीक्षक गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के अध्यक्ष, डा0 रघुवीर सिंह थे, की कापियां तथा प्राप्तांक परीक्षक से बिना प्राप्त किए ही काल्पनिक नम्बरों के आधार पर कुल सचिव जी ने परीक्षाफल घोषित कर दिया।'

इसी प्रकार एक तीसरा पत्र है "श्रीमती सरोजिनी द्विवेदी ने मुझे सूचना दी है कि 1976–77 की बी0एड0 की परीक्षा में उन्हें हिन्दी विशिष्टीकरण, प्रश्न पत्र चतुर्थ की कापियां मूल्यांकन हेतु प्रदान की गयी थीं। उन्होंने कार्य समय पर समाप्त कर लिया और जब कापियां तथा अंक चिट लेकर कुल सचिव के पास गयीं, तो उसके दो दिन पूर्व ही परीक्षा-फल घोषित हो चुका था।"

मान्यवर, मैंने यह सब आपके सामने इसलिए निवेदन किया कि इस गुटबन्दी में छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। कापियां जंचती रहती हैं और रिजल्ट पहले ही घोषित हो जाते हैं। परीक्षा हुई नहीं, बायकाट कर गए छात्र और बिना दुबारा परीक्षा लिए ही परीक्षाफल घोषित कर दिया गया मनमानी अंक देकर। नियुक्तियों का जहां तक सम्बन्ध है, वाइस चान्सलर अपने आदमियों को और रजिस्ट्रार अपने आदमियों को नियुक्त कर लेते हैं। मेरे हाथ में एक लेटर है फोटो स्टेट कापी एक एप्लिकेशन की है। बी0ए0 नहीं है लेकिन एप्लिकेशन बी0ए0 पास की दिखाई गयी। जब मालूम हुआ कि इण्टरमीडिएट है तो एप्लिकेशन निकाल दी गयी। और ऐसे लोगों को जो क्वालिफाईड थे उनको न आने देकर जो क्वालिफाइड नहीं थे, उनको नियुक्त किया गया। तो इस तरह

से मान्यवर, आज पूरा विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध सारे डिग्री कालेजेज गुटबन्दी का अखाड़ा बन गए हैं। आज विद्यार्थियों से लेकर अध्यापकों तक दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।

मान्यवर, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि आज अवध विश्वविद्यालय सरस्वती के आराधना का मंदिर न हो कर गुटबन्दी का अखाड़ा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। मैं मान्यवर, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह आचार्य नरेन्द्र देव की धरती है। हमने आचार्य नरेन्द्र देव जैसे शिक्षा शास्त्री और विश्वविद्यालय के वाईस चान्सलर दिए थे, उस भावना को बनाए रखने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस विद्या मन्दिर की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। वहां की एक्जीक्यूटिव को भंग किया जाय, वाइस चान्सलर को पद मुक्त किया जाय, रजिस्ट्रार जिसका ट्रान्सफर कर दिया गया है। जितने उनके खिलाफ इम्बेजिलमेंट के चार्जेज हैं, जितने अनियमितताओं के चार्जेज हैं, जांच के बाद उन सबके लिए दंडित किया जाय और केवल ट्रान्सफर न किया जाय। ताकि आने वाले जमाने में विद्या मन्दिर की पवित्रता को नष्ट करने की किसी को हिम्मत न पड़े। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

श्रीमन्, आपने अवध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक घंटे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया है। अवध विश्वविद्यालय ही नहीं, इस प्रदेश और देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे यह परिकल्पना रही है कि ये विश्वविद्यालय शासन से अलग रह कर स्वायत्त शासी संस्था बन कर ज्ञान का प्रकाश फैलायेंगे, जिस प्रकाश से देश और प्रदेश के लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर शासन का कम से कम नियन्त्रण विश्वविद्यालयों के ऊपर हो, ऐसा निश्चय किया गया।

श्रीमन्, इस प्रदेश का या यों कहें कि सारे देश का ही दुर्भाग्य रहा है कि जो उत्तम भावनाएं इन विश्वविद्यालयों के प्रति थीं, वह कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। दलगत राजनीति ने और गुटबन्दी ने भी इन विश्वविद्यालयों को नहीं छोड़ा। राजनीतिक आधार पर यहां कुलपतियों की नियुक्तियां होने लगीं। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद बड़े सम्मान के होते हैं, और शासन का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक होने में गौरवान्वित मानता है अपने को। जब इनमें राजनीति घुस आई और राजनीतिक आधार पर विचार हुआ और योग्यता के आधार पर नहीं हुआ, कार्यक्षमता पर विचार नहीं हुआ, जब विद्वता का विचार नहीं हुआ और इन पदों पर ऐसे लोगों को रखा जाने लगा, उस दिन से देश और प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय नीचे की ओर जाने लगे। हमारी जो आशाएं थीं; हमारा जो विश्वास था, इन विश्वविद्यालयों से जो भावनाएं थीं, उन भावनाओं पर चोट आने लगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काली चरण]

जहां तक अवध विश्वविद्यालय का प्रश्न है, यहीं मंथरा पैदा हुई थी और उसी मंथरा ने पूरे अवध को समाप्त कर दिया था। आज इस विश्वविद्यालय के पीछे भी पता नहीं कितनी मंथराओं का षडयन्त्र चल रहा है। हमारे सामने भी दोनों ओर से साइक्लोस्टाइल कापियां आई हैं। कुल सचिव की ओर से भी और कुल पति की ओर से भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और माननीय जन प्रतिनिधि भी उस मंथरा की चाल में दो हिस्सों में बंट गए हैं। कोई कहता है कि कुलपति अच्छा है और कुल सचिव खराब है, कोई कहता है कि कुल सचिव अच्छा है और कुलपति खराब है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उस समय जैसा लोग कहते थे राम को अयोध्या छोड़कर भागना नहीं चाहिए और भरत जी को गद्दी से इंकार नहीं करना चाहिए। तो लोग दोनों तर से बातें कहते थे। बिलकुल वैसी स्थिति आज भी है, आज भी दोनों की बातें कहने वाले लोग हैं और अलग-अलग भी हैं। तो जब मेरे सामने बात आई, मैंने दोनों की अनियमितताओं की जांच के लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री शैवाल कुमार मुकर्जी को नियुक्त कर दिया। उसके पीछे पहले भी जब शिकायत आई थी, मैंने कुल सचिव को वहां से स्थानान्तरण कर दिया था, लेकिन उस पर लोगों की मांग हुई कि जब आप जांच कराने जा रहे हैं, तो न्याय की दृष्टि से ऐसा उचित होगा कि दोनों आदमी वहां नियुक्त रहें, नहीं तो एक के प्रति न्याय नहीं हो पायेगा, जो उस स्थान पर मौजूद नहीं रहेगा। अब यह जांच लगभग पूरी हो चुकी है और शासन उस पर विचार कर रहा है। कुलपति का ट्रान्सफर अन्यत्र कर दिया गया है और कुल सचिव के बारे में विचार करके कुलाधिपति को लिखा जायेगा।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं अपने जनपद में स्थित विश्वविद्यालय में जो विषाक्त वातवरण बन रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस सरकार का ही नहीं, इस सरकार के पहले की सरकार का भी यह रोल रहा है या यह परम्परा रही है कि जब तक बम न फटे, धमाका न हो जाए, खून-खराबा न हो जाय, तब तक किसी समस्या पर गम्भीरता से विचार न किया जाय। आज जो स्थिति उन दोनों महानुभावों को लेकर वहां है---यानी रजिस्ट्रार और कुलपति को लेकर, उससे जनता में व्यापक असन्तोष है। जितनी अनियमितताएं पाई गई हैं, उसकी जांच की जाय, तो इनमें से किसी का भी दामन साफ नहीं है। इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों ने निवेदन किया था कि तीन विशेषज्ञों की एक जांच कमेटी बना दी जाय, उससे उसकी जांच कराई जाय। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने पता नहीं.....

(इस समय 5 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।) किसके निवेदन से या किसके दबाव से इस प्रकरण को अपना लिया कि यहां से एक सचिव को उसकी जांच के लिए मुकर्रर कर दिया। उसकी जांच में भी, अवध विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के खिलाफ काफी अनियमितताएं पाई गयीं और जब पाया गया कि अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाइस चान्सलर को बचा नहीं सकते, तो उनका भी ट्रान्सफर कर दिया गया। वहां पर केवल आर्थिक अनियमितताएं ही नहीं, तमाम अन्य प्रकार की भी अनियमितताएं हैं। उसमें कहीं कार के लिए, कहीं टेलीफोन के लिए और कहीं कर्मचारियों से निजी कार्य के लिए, वाईस चान्सलर ने अनेक अनियमितताएं की हैं, जिनसे कोई अनभिज्ञ नहीं है।

मैं तो कहूंगा कि शासन को भी पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी है। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस विषय को ज्यादा दिन टाला गया और सरकार ने ज्यादा दिन हीला-हवाला किया, तो केवल अयोध्या (फैजाबाद) में ही नहीं, जनता और छात्रों का आन्दोलन दूर तक फैलेगा और उसका नतीजा वही होगा, जो आपको करना चाहिए। अतः आप उसे अभी ही कर दें, तो अच्छा हो। उस विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से चलाने के लिए अच्छा यह होगा कि दोनों आदमियों को तत्काल हटा दिया जाय और इनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि यह नहीं हुआ, तो उसके समीपवर्ती स्थानों बनारस, गोरखपुर और अयोध्या में जो आन्दोलन उठेंगे, उनका सामना करना आपके लिए मुश्किल हो जायगा। शिक्षा मन्त्री जी जिस तरह से युद्धस्थल पर इनसे लड़ रहे हैं, मालूम पड़ता है कि वैसे ही आन्दोलन का यह जानबूझकर आह्वान कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि सरकार जानबूझकर उसको चाहती है और इसमें इनके बड़े-बड़े अधिकारी और सचिव भी शामिल हैं जो इसको निपटाना नहीं चाहते हैं। अन्त में मैं चाहता हूं कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाय और दोनों आदमियों के खिलाफ एक उच्चस्तरीय जांच कराई जाय तथा तत्काल इनका ट्रान्सफर करके वहां का वातावरण साफ बनाया जाय।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के रजिस्ट्रार और कुलपति के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। माननीय मन्त्री जी शिक्षा विभाग के महान शिक्षाविद् रहे हैं। आप शिक्षकों में, विद्यालयों में जो राजनीति है, उससे परिचित हैं। सारी चीज जानने के बाद आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है, बुद्धजीवियों का मामला है, आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ और उप कलपति के खिलाफ दारुलशफा में पैम्फलेट बट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। इन दोनों मामलों को देखें। फैजाबाद विश्वविद्यालय, आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पवित्र धरती पर बुद्धजीवियों का इस तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संघर्ष हो तो यह शिक्षा मन्त्री और जनता पार्टी की सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। फैजाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विधायक और खासतौर से बाराबंकी जनपद की ओर से मैं, जो न कांग्रेस में हूं और न जनता पार्टी में, स्वयं मिलने गया था, कि हम इस सम्बन्ध में वार्ता करें। परन्तु आप अस्वस्थ हैं तो मैं दुखी हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बोलने दीजिए। तब व्यवस्था उठाइए ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

हम लोगों के सुझाव माने जायं। जो भी शिकायतें हैं, चाहे रजिस्ट्रार हों या कुलपति हों, विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। फैजाबाद में राजनीतिक लोगों का एक गिरोह है, जो विश्वविद्यालय में एक दूसरे को लड़ा कर अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं। तीस साल से राजनीतिक अड्डा बनाया गया है। मान्यवर, आपके दल के लोग भी वही शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। उस पवित्र धरती पर जो भी अराजक तत्व हैं, चाहे वह जन प्रतिनिधि हों, चाहे कुलपति हों या रजिस्ट्रार हों, जनतन्त्र का तकाजा है कि आपको माफ नहीं करना चाहिए। फैजाबाद की पवित्र धरती पर आप क्षमा नहीं करेंगे। एक उच्चस्तरीय जांच सी0बी0आई0 से करवाएं। कुलपति और रजिस्ट्रार को माफ न किया जाय ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अवध विश्वविद्यालय का मसला आज सदन में प्रस्तुत है। इस सिलसिले में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फैजाबाद के जन प्रतिनिधियों ने वहाँ के संसद सदस्य श्री अनन्तराम जायसवाल ने, शासन को इस बात की लिखित शिकायत की थी कि यहाँ की हालत बिगड़ रही है और यहाँ का कुलपति जो अत्यन्त अज्ञानी व्यक्ति है, जिसके अन्दर प्रशासन की कोई क्षमता नहीं है और जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और धन को अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है, इस मामले में तत्काल एक उच्च-स्तरीय जाँच करके सारे मामले पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसाकि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने अभी बताया, हम लोगों की शिकायत है, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं, जाँच के लिए, हमारे जो शिक्षा सचिव हैं, जो फैजाबाद में कमिश्नर रहे हैं और उत्तर प्रदेश मे जिनके बराबर शायद ही कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, दुराचारी हो, और उनका सम्बन्ध वहाँ के कुलपति डाक्टर सुरेन्द्र से एक लम्बे अरसे से कायम है, इस जाँच के दौरान वहाँ से आये हुए तमाम जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बुद्धजीवियों ने यह बातें हम लोगों के सामने रखी हैं। और मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि जो जाँच की गयी है, वह एक तरफा है और शिक्षा सचिव के इशारे पर वहाँ के कुलपति को हर सम्भव बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं इस सदन के जरिये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम ऐसी जाँच की आशा रखते थे, जिसमें कम से कम 3 सदस्य होते। एक ऐसा होता जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आता, एक ऐसा सदस्य जो फाइनेन्सेज से सम्बन्ध रखता होता, क्योंकि फाइनेन्सेज का वहाँ पर जबरदस्त घोटाला है, तीसरे इस जाँच में किसी एजूकेशिनस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए 3 सदस्यों की जांच समिति का सुझाव रखा था, उसको माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया है और एक सदस्यीय जाँच बैठायी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव, अवध विश्वविद्यालय के साथ जो कार्य-वाही कर रहे हैं उससे जनता पार्टी की सरकार पर गहरा आघात लग रहा है। हमारे कई सदस्यों ने कहा कि अयोध्या जैसी पवित्र धरती पर ऐसी जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उनमें जो दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय । इस सम्बन्ध में जो आरोप और प्रत्यारोप आये हैं वह बहुत ही गम्भीर हैं।

मैं चाहता हूं कि नयी जाँच समिति बनायी जाय और जिसमें 3 सदस्य हों और जिनमें इस सदन का और जनता का विश्वास हो, वहीं जाँच करे। जो आरोप आये हैं, उनमें अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अवध विश्वविद्यालय का मसला बहुत ही गम्भीर है। जिस समय जाँच चल रही थी, उस समय दोनों व्यक्तियों का वहाँ पर होना बहुत जरूरी था अभी माननीय शिक्षा मन्त्री जी नें कहा कि जाँच पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ से किसी एक अधिकारी को हटाना उचित नहीं है। जब तक कि जाँच पूरी न हो जाये, तब तक दोनों व्यक्तियों को वहाँ पर रखा जाना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि पिछली सरकार नें ऐसा कुलपति भेजा था, जो 5 अक्षर न हिन्दी लिख सकता है और न 5 अक्षर अंग्रेजी लिख सकता है, उसको अवध विश्वविद्यालय का वाईस चान्सलर बना दिया गया, जिन्होंने अवध विश्वविद्यालय की गरिमा को कुंठित किया है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलनें का अवसर प्रदान किया। अभी माननीय शिक्षा मन्त्री जी के वक्तव्य से यह सारी चीजें सामने आ गयीं।

अपव्यय के भिन्न-भिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात हमारे समक्ष आयी इसलिए माननीय मन्त्री जी ने अपने विशेष सचिव श्री मुखर्जी को नियुक्त किया कि वह इसकी जाँच करें, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंन समय से कार्यवाही की। उसके साथ ही साथ एक बात मैं और कहूंगा कि मुखर्जी साहब ने जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दी है उसे सदन के पटल पर रख देते तो सारी बातें साफ हो जातीं और माननीय सदस्यों को मालूम हो जाता कि किसका दोष है, जो क्रियागत की प्रक्रिया होती है, कोई आरोप लगायें वह सत्य भी हो तो जिस पर आरोप लगाया जाता है वह प्रक्रिया में आकर के कुछ न कुछ प्रतिक्रिया कर जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि मुखर्जी साहब द्वारा प्रस्तुत जाँच की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें सदन के पटल पर रखी जायं, जिससे दोषी का पता लग सके और जो चीजें अन्धकार में हैं, वह प्रकाश में आ सकें। मैं नहीं जानता कि उस रिपोर्ट में क्या है? यदि कोई गम्भीर आरोप हैं तो माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आरोपों के सिद्ध होने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मुखर्जी साहब की जाँच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की माँग करता हूं।

*श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, अवध विश्वविद्यालय के वाईस चान्सलर के सम्बन्ध में वाद-विवाद का कोलाहल जब से हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से चल रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले भी माननीय सदस्य मोहन सिंह और मैंने नियम 52 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की अनुज्ञा माँगी थी किन्तु उस समय नहीं प्राप्त हुई। मुझे हर्ष है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी पहले शिक्षक रहे, फिर प्रबन्धक हुए और बाद में विधायक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदय नारायण सिंह]

हुए और आज इस प्रदेश के शिक्षा मन्त्री हैं। शिक्षा विभाग के बारें में उनको बहुत अच्छी जानकारी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार बनाने का श्रेय किसी नेता को नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। जनता पार्टी को शासनारूढ़ करने का श्रेय हमारे देश की 62 करोड़ जनता को है, जिसने अपने पुरुषार्थ, अपने धन और साधनों से राज्यक्रान्ति करके हमको शासनारूढ़ किया। हमारा पहला दायित्व इस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का होना चाहिए और शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इससे शर्मनाक और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।

मान्यवर, हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि अयोध्या में मंथरा पैदा हुई थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि मन्थरा के गुणों का ज्ञान शिक्षा मन्त्री जी को है। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, उनका दिमाग दशरथ के जैसा नहीं होना चाहिए। मंथरा अपना काम कर रही है, दशरथ ने उसके कुचक्र में आकर राम को वनवास दे दिया था। मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह आशा करता हूं कि उनको दशरथ न बनकर गुरु वशिष्ठ बनना चाहिए क्योंकि वह शिक्षा के सर्वोपरि पद पर आसीन हैं। प्रदेश में शिक्षा की सुव्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। यह विभाग बुद्धिजीवियों का विभाग है। इससे ज्यादा महत्व का विभाग कोई दूसरा नहीं है। किन्तु दुख है कि आज तीन साढ़े तीन महीने बीत गए, यह जो कुचक्र अवध विश्वविद्यालय का है—चाहें वह कुलपति हो या रजिस्ट्रार, दो गुटों में विद्यामन्दिर का बंटना बहुत ही भयावह होता है।

मान्यवर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जो गुटबन्दी प्रारम्भ हुई, उससे आज हमारा देश बुरी तरह से परेशान है, देश का शासन परेशान है, वहां की समस्या नही हल हो पा रही हैं। अभी अवध विश्वविद्यालय को जन्म लिए केवल दो वर्ष हुए हैं और जन्म लेते ही यह विश्वविद्यालय गुटबन्दी में पड़ गया, यह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके समापन हेतु शिक्षा मन्त्री जी कड़ा से कड़ा कदम उठावें। नौकरशाही के शिकंजे में इनको कदापि नहीं फंसना चाहिए। नौकरशाही के प्रतिनिधि को जांच करने के लिए भेजा गया, मैं इसको ठीक नहीं समझता। क्या वजह थी कि यहां आने से पहले ही दूसरे वर्ग को यह मालूम हो गया। इससे यह साफ जाहिर है कि नौकरशाही आज इस शिक्षा मन्दिर के कुलपति से सम्बद्ध है—किसी से अधिक किसी से कम। मान्यवर, वाराणसी के एक स्वर्गीय धूमिल की एक कविता का उद्धरण देना चाहता हूं। धूमिल जी ने लिखा है :—

एक व्यक्ति रोटी बेलता है,
दूसरा सेंकता है,
एक दूसरा व्यक्ति है जो
न रोटी बेलता है और न रोटी सेंकता है,
वह रोटी से खेलता है,
तीसरा व्यक्ति है कौन?
भारत की संसद है मौन।

इसलिए मान्यवर, नौकरशाही के शिकंजे से अपने शिक्षा विभाग को कभी भी आक्रान्त नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं मैं जानता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से लेकर शिक्षा विभाग के ऊपर तक जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, उतना अन्य किसी विभाग में न होगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उदय नारायण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मसले को अविलम्ब समाप्त करने की कृपा की जाय। शिक्षा मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि मुझे यह सूचना मिली है कि रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अगर अवध विश्वविद्यालय को बचाना है तो कुलपति को भी वहां से हटाया जाना चाहिए तभी विश्वविद्यालय को बचाया जा सकता है।

*श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)--

मान्यवर.....

एक सदस्य--

मेरा भी नाम था.....

श्री अधिष्ठाता--

सभी तो एक साथ नहीं बोल सकते।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय में जो गुटबन्दी व्याप्त है, उस पर जो चर्चा हो रही है, मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, यह केवल अवध विश्वविद्यालय का ही हाल नहीं है, प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, कुलपति, उपकुलपति के लड़ाई के केन्द्र बने हुए हैं। अभी हाल में लोहिया जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए स्वायत्त शासन मन्त्री, अन्य मंत्री तथा दूसरे विधायक गए हुए थे, तो वहां पर जब विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आए तो छात्रों का, अध्यापकों का, कर्मचारियों के अलग-अलग समुदाय यह कहने लगे कि कुलपति और उपकुलपति दोनों भ्रष्ट हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि दोनों में से कोई भी अच्छा है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर एक मंथरा का जन्म हो गया है। हमारे एक भाई ने कहा कि इसलिए वहां पर गुरु वशिष्ठ की आवश्यकता हो गयी। शत्रुघन का पार्ट अदा करके वहां पर जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके कूबड़ को तोड़ना चाहिए, ताकि जो कुचक्र वहां पर चल रहा है उसे माननीय मन्त्री जी समाप्त कर सकें। वहां पर इन दोनों पदाधिकारियों के मातहत जो विद्यालय चलते हैं, संस्थायें चलती हैं, उन पर भी इनकी गुटबन्दी का प्रभाव पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरी शंकर भैया]

ध्यान दें। सुल्तानपुर में कमला नेहरू नाम की एक शिक्षा संस्था है, जो भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री, श्री केदार सिंह द्वारा चलायी जा रही है। यह संस्था शिक्षा देने के लिए इसी विश्वविद्यालय के तहत है। वहां पर न तो कानून और न नियम का पालन होता है। निदेशक का पद, वरीयता का उल्लंघन करके उपकुलसचिव ने एक को दिया और उपकुलपति ने दूसरे को दिया।

श्री अधिष्ठाता--

यह विषय आप कैसे ले रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, इसी विश्वविद्यालय के तहत यह संस्था चल रही है। मैं कह रहा था कि. . . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका इसी में समय समाप्त हो जायगा आप मुख्य प्रश्न पर आ जाइए।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, गुटबन्दी का कमला नेहरू संस्थान में भी यह असर हुआ है कि वहां पर वरीयता का उल्लंघन करके निदेशक की नियक्ति की जा रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि केवल अवध विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है पूरे प्रदेश का प्रश्न है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे एक ऐसा आयोग गठित करें, जिसमें एक शिक्षाविद हो, एक पढ़ा लिखा आदमी हो और एक एकोनौमिस्ट हो, जो विस्तृतरूप से देख सकें कि वहां पर क्या-क्या अनियमिततायें हैं और अगर ये दोनों व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, तो दोनों को निकाल कर बाहर किया जाय ताकि जनता पार्टी ने जो स्वच्छ प्रशासन का नारा दिया है उसे पूरा कर सके और शिक्षा की प्रगति में सरकार का कदम उठ सके।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी और अन्य सदस्यों ने कहा है कि जब से अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से ऐसा ही है। हमारे प्रस्तावक महोदय तिवारी जी ने भी अजीब सा चक्कर डाल दिया है। अन्य सदस्य भी इससे बच कर चल रहे हैं लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार से लेकर जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह मंथरा कौन है, इसको मंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए ? मैं लल्लो-चप्पों की बात नहीं करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप मूल प्रश्न पर आ जाइये, मंथरा और केकयी को छोड़िए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का जो शिक्षा सचिव है, वह पहले फैजाबाद का कमिश्नर था। उसके खिलाफ इतने चार्जेज हैं कि उसको शिक्षा सचिव के पद से हटा कर किसी भी पद पर यहाँ नहीं रहना चाहिए। कहा गया कि राजनीतिक दलबन्दी से झगड़े होते हैं। अवध विश्वविद्यालय का पूरा धन इसी तरह से अपव्यय हो रहा है, उपकुलपति द्वारा। किस जगह कर रहे हैं, मैं माननीय सदन में नहीं कहूंगा इमेज गिर जायगी केवल इतना कहता हूं कि अपव्यय हो रहा है। इन बातों की ओर न जाकर दलबन्दी की बात कही जाती है। राजनीतिक दलबन्दी की कोई बात नहीं है। आपकी कमजोरी का फायदा आपके विभाग वाले उठा रहे हैं। मैं भुक्त-भोगी हूं। एक डिग्री कालेज में मैं गया था। एक ही हाकिम था। गाँधी जी बूढ़े थे इसलिए दूसरों के कन्धे पर हाथ रख कर चलते थे, ये जवान नेता बनता है अगल-बगल हाथ रख कर चलता है। मान्यवर, उस प्रिंसिपल के कमरे में मैं गया तो जिस समय मैं वहाँ गया तो चपरासी बैठा था, बड़े गौर से मेरा परचा देखा गया कि विधायक हैं। उसने मुंह उधर करके पेट पर हाथ रख दिया। यह कुलपति है। जो दो लौंडियों को लेकर डिग्री कालेजों में इस शिक्षा विभाग के पैसे से गाड़ियों पर सैर करता है। शर्म की बात है; उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए शर्म की बात है और हमारे शिक्षा मन्त्री के लिए शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ था। क्या गुनाह है कि मुकर्जी को सौंप दी गयी जांच ? और वहां के आर0टी0ओं0 महोदय हैं . . . . आपने लाल बत्ती जला दी आर0टी0ओ0 और डी0आई0जी0 ओम प्रकाश, आर0टी0ओ0 मित्तल साहब और यह चौथा व्यक्ति है जो प्रदेश में इतने बड़े पद पर है। ऐसे अधिकारी नहीं मिलेंगे। चारों लंगोटिया यार हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

कृपया नाम न ले, केवल पद से बात करें। "मुख्य सचिव" कह रहे थे, वह ठीक है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, चारों मिल कर पूरे प्रदेश के समस्त प्रशासन को चौपट कर रहे हैं। ये लोग जंगल के डाक बंगलों में 3-3- दिन तक रहे हैं एक साथ में। शिक्षा मन्त्री से आखरी प्रार्थना करता हूं कि छोटे कर्मचारियों को जिन्होंने सारा परदाफाश किया है, अवध विश्वविद्यालय के करप्शन का, उनको तो आपने दन्डित किया है और हम जो दो-भाषिए का काम कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर रोष है। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय। मैं शिक्षा मन्त्री से कहूंगा कि देर न करें। मैं नहीं कहता हूं कि रजिस्ट्रार को भुला दें, लेकिन जरूर कहता हूं कि तत्काल इस पर कदम उठाया जाय। और यही नहीं वहां का कुलपति दोषी ही न ठहराया जाय, मंथरा का काम करने वाले सचिव महोदय का कार्य भी ऐसा है कि किसी भी विभाग में सचिव के पद पर उनको रखेंगे तो उस विभाग का सत्यानाश होगा। सारी जिम्मेदारी मैं कहूंगा अगर उन पर अंकुश नहीं लगाते हैं और सारा शिक्षा सचिवालय हमारे मन्त्रियों के कंधों पर बैठा रहेगा तो शिक्षा विभाग ही नहीं सारे विभाग उलट जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। माननीय सुखपाल पांडेय....धन्यवाद .... अब आप बैठें। एक बात बतलाना चाहता हूं कि यह अनुदानों पर बहस नहीं है और सामान्य प्रशासन पर भी नहीं है। सीमित बहस थी, उस यूनिवर्सिटी पर जो आपने नोटिस दिया है, उस पर विवाद करना चाहिए।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय...

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के कुछ बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

लिख कर भेज दीजिए, भगवती प्रसाद जी।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं आपका आभारी हूं कि अवध विश्वविद्यालय के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें हिस्सा लेने का मुझे अवसर मिला। मान्यवर, यह ऐसा विषय है जिसमें गोंडा फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सभी जिले उसके अन्तर्गत आते हैं। मेरे यहाँ का आचार्य नरेन्द्रदेव कालेज पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में था। अब वह फैजाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। वहाँ के कुल सचिव, रामसूरत सिंह जी थे। वह आचार्य जी के सहयोगी रहे हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि एक वाइस चांसलर हैं। वह क्या कार्य करते हैं? जो कुल सचिव जी कहते हैं उसी पर वह दस्तखत करते हैं। कुल सचिव इतने विश्वास पात्र थे कि उनको वह कानपुर यूनिवर्सिटी से ले आए थे और कुछ क्लर्कों को भी वहाँ से लाए थे। जैसा कि हमारे माननीय रवीन्द्र तिवारी ने कहा इतने विश्वासपात्र थे, दोनों में संघर्ष हो गया। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, अभी विषय पर नहीं आया और आपने लाल बत्ती जला दी।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है।

श्री सुखपाल पाँडेय—

श्रीमन्, जाँच होनी चाहिए। जाँच में किसी की दो रायें नहीं हैं। हमारे मित्र रामसुन्दर जी बैठे हुए हैं दर्शक गैलरी में...

श्री अधिष्ठाता—

दर्शक गैलरी से सम्बन्धित नहीं है। आप हमें सम्बोधित करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जो जाँच रिपोर्ट हुई है उसका मन्त्री जी परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण नहीं, कार्यान्वियन करना चाहिए। जो अशान्ति वहाँ पर फैल रही है, लड़कों में जो उत्तेजना फैल रही है, अध्यापकों में जो अशान्ति फैल रही है, जो उस डिग्री कालेज में वातावरण बन रहा है उससे उस क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा। वहाँ के वाइसचान्सलर को बहुत से माननीय सदस्यों ने खराब कहा है। मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छे हैं। लेकिन आप उनके बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छानबीन करें। अगर दोषी हैं तो सजा दी जाय। लेकिन परीक्षाफल नहीं आया और सारे रेजल्ट आउट कर दिए गए इन सब बातों की छानबीन करिए। जो कदम आपने उठाया है वह बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जाँच करिए और निर्णय लेने की कृपा करें।

*श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

मोहतरिम....

श्री अधिष्ठाता—

मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट बोले क्योंकि सचिव बतला रहे हैं कि 6 बज कर 2 मिनट पर खत्म होना है।

श्री अशफाक—

मोहतरिम, मैं उस कालेज का स्टूडेंट रहा हूं। शिक्षा मन्त्री को चाहे न मालूम हो, वह कुलपति महोदय अध्यक्ष महोदय के यहाँ आफिस में बैठे हुए हैं। मैं बाहर निकला तो मुझसे किसी बहाने से बुलाकर कहा गया कि आप इस विषय में चर्चा न कीजिए। इस तरह से लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। शायद शिक्षा मन्त्री को मालूम नहीं है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सालहासाल की कोशिशों के बाद फैजाबाद के लोगों की उम्मीदें रंग लायीं और भगवान राम की जन्मभूमि पर अवध विश्वविद्यालय कायम हुआ। आसपास के जिले के लोगों को यह आशाएं बधीं कि शायद अब शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाय। वह विश्वविद्यालय बना दिया गया। और वाइस चांसलर उसमें नियुक्त किए गए हिन्दुस्तान के जो अमरीका में सफीर थे टी0एन0 कौल साहब की सिफारिश पर और संजय गाँधी के मन्जूरें नजर सुरेन्द्र सिह को उस विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया। और पहले ही दीक्षांत समारोह में श्री टी0एन0 कौल को डी0लिट0की डिग्री उन्होंने दे दी।

मेरे यहां बलरामपुर महाविद्यालय में जब पहली बार दीक्षान्त समारोह में वाइस चान्सलर गए थे, तो वह कहते थे कि मैं आपका स्वागतम करने आया हूं। जिसे हिन्दी नहीं आती, उसे वाइसचान्सलर बना दिया गया। सोफा सेट, डनलप की कुर्सी, साइकिल और गाड़ियां महानगर में 700 ए-नम्बर बंगला में रखी हुई हैं, लखनऊ के अन्दर। ऐसे लोगों को वी0सी0 बना दिया गया। इनके खिलाफ मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी को ज्ञापन दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिया। हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने एकतरफा फैसला बता दिया कि रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच करा कर, उसका स्थानान्तरण कर दिए। वी0सी0 के सम्बन्ध में क्या किया ? मैं बताऊं खासकर मेरे महाविद्यालय बलरामपुर में वहां के प्राचार्य आदित्य कुमार चतुर्वेदी को बिला वजह निलंबित कर दिया गया और वाइस चान्सलर बलरामपुर में बैठे हुए थे, 12 घंटे के अन्दर इस निलम्बन का अप्रूवल दे दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशफाक]

खाने-पीने के मामले में एक बात बता दूं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस बात को नोट कर लें। स्पेशल आडिट के दौरान में एक बात सामने आई। 31 जनवरी, 1975 को वाउचर नम्बर 12 में अकेले वी0 सी0 के खाने में 214.95 पैसे आया। एक कार खरीदा था जो 5 महीने नहीं चली, नई कार लाई गयी, जिसकी एक साल की गारन्टी होती है, उस पर 10 हजार रुपए मरम्मत पर खर्च किया गया। पूरे महीने नहीं, तो 15 दिन ही हो, वाइस चान्सलर को अपने आफिस में रहना चाहिए। यह वाइस चान्सलर 150 दिन में 4 मार्च से 24 मार्च तक अमेरिका में, 27 अप्रेल, 7, 11, 12, 13, 14 यानी 30 मई तक फिर 5, 6, 9, 10 जून, तक और फिर 10, 18, 23, 24 अर्थात् कुल 38 दिन फैजाबाद में रहे और 91 दिन लखनऊ में रहे। इसी प्रकार अपने पहले टर्म में 1975 में केवल दो वर्ष की अवधि में दो बार अमेरिका गए और दो सौ दिन भी फैजाबाद में नहीं रहे।

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं उस विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक आदमी को सजा दे दी गयी, दूसरे के बारे में बात भी नहीं की गयी: वह ऐसा वी0 सी0 जो देखने में कुछ नहीं, फिल्म विलेन लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर नाजायज दबाव डाल कर मना करने की कोशिश की जा रही थी कि मैं न बोल पाऊं। विधायकों द्वारा जो कुछ दिया गया वाइस चान्सलर के खिलाफ, उस पर क्या कार्यवाही की गयी? मैं न तो रजिस्ट्रार की तारीफ करने के लिए खड़ा हूं न कि वी0 सी0 की आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं तो चाहता हू कि दोनों अगर दोषी हैं, तो उनको निकालना चाहिए। वी0 सी0 आज भी अपने फोर्स के साथ हावी हैं अपनी जगह पर।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसके ऊपर 15 मिनट समय और बढ़ा देता हूं।

(श्री राम आसरे का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, 15 मिनट बहुत कम हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आधे घंटे की दो चर्चायें हैं, ऐसी सूरत में 15 मिनट से ज्यादा हम नहीं कर सकते।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक सूचना आप ले लें। माननीय सदस्य ने किसी का नाम लिया है कि इनको इस सदन में चर्चा उठाने से रोकने का प्रयास किया गया। यह जरा आप इसके सूचना ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है। सदस्य इस सम्बन्ध में कोई नोटिस देंगे तो देख लिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय में गड़बड़ी और व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने मानों पहले से एक दृष्टिकोण बनाकर, इरादा बना लिया था कि दो पक्षों में, हमें एक पक्ष में रहना है। मान्यवर, जहां सरस्वती मन्दिर हैं वहां पर भ्रष्टाचार हो तो कोई नहीं बर्दास्त करेगा। कुलपति दोषी हैं तो दंडित किया जाय या कुल सचिव दोषी हैं तो दन्डित किया जाय। लेकिन जैसा सुनने में आया उससे ऐसा लगता है कि शासन के लोग और विशेषकर हमारे शिक्षा मन्त्री की जितनी जिम्मेदारी है उससे वह मुकर रहे हैं।

मान्यवर, कुलपति के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने बातें कहीं। मैं कहता हूं कि अगर वह भ्रष्टाचार से मुक्त हैं तो इस सम्बन्ध में जांच की जाय और शिक्षा मन्दिर में, सरस्वती के मन्दिर में किसी भ्रष्टाचारी को रुकने की इजाजत न दी जाय।

दूसरा पहलू है जिस पर कई माननीय सदस्यों ने परदा डालने को कोशिश की वह पहलू वहां के रजिस्ट्रार के बारे में है। उस रजिस्ट्रार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जनता पार्टी के संसद सदस्य श्री मंगलदेव विशारद के नेत्तृव में एक प्रतिनिधि मन्डल शासन से मिल चुका है और मांग की है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार की जांच की जाय। इस सम्बन्ध में 200 शिक्षक माननीय शिक्षा मन्त्री से मिल चुके हैं। वहां पर 24 विद्यालय इससे सम्बद्ध हैं। तो 24 प्रधानाचार्यों में से 21 प्रधानाचार्य रजिस्ट्रार के खिलाफ यहां पर आये और गवर्नर से मिले। आरोप कम नहीं हैं। अकेले वहीं पर ही उनके खिलाफ आरोप लगे हों, ऐसी बात नहीं है। आप पहले कानपुर और गोरखपुर में भी रहे हैं। जहां रहे हैं वहां पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप सिद्ध पाए गये हैं। विशेष जिम्मेदारी यहां पर शिक्षा मन्त्री की आती है कि जब उनके खिलाफ पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं तो उनकी पदोन्नति क्यों की गयी। और इस जिम्मेदारी से मुकरने की शासन कोशिश कर रहा है। गुटबन्दी को पनपाने के लिए शिक्षा मन्त्री जी दोषी हैं। वह इसलिए कि रजिस्ट्रार शिक्षा मन्त्री के क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं इस राय का हूं कि चाहे कुलपति हों या कुलसचिव हों जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। शिक्षा मन्त्री जी ने जो यह बताया कि मुकर्जी सहाब ने जांच की थी अगर उसकी रिपोर्ट आती तो ज्यादा मदद मिलती कि कौन ज्यादा दोषी है, और कौन कम दोषी है। मैं अपनी बात कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए और किसी भी भ्रष्टाचारी को सरस्वती मन्दिर में टिके रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

*श्री गनेशी लाल चौधरी—

अधिष्ठाता महोदय, आज हम फैजाबाद विश्वविद्यालय में गुटबन्दी के ऊपर, कुलपति और कुलसचिव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

आज केवल फैजाबाद विश्वविद्यालय का मामला नहीं है। आज प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों का यह मामला है। आज समस्या यह बन गयी है कि सारे विद्यामन्दिर, विद्यामन्दिर न होकर झगड़े के मन्दिर बन गए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

केवल इस विद्यालय का मामला है।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

सारे विश्वविद्यालय जो हैं वह झगडे के मन्दिर बन गए हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि मन्त्री जी जांच को मान लें। कुलपति के खिलाफ रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर कर दिया गया है। यदि कुलपति के खिलाफ जाँच बैठा दें और जांच किसी हाई कोर्ट के जज से करवा लें तो मैं समझता हूं कि सारे मसले सामने आ जायेंगे और जो फैजाबाद का विश्वविद्यालय झगड़े में पड़ा हुआ है उसकी दशा कुछ सुधर सके। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह मेरे सुझाव को मान लें।

*श्री राजब्रज राज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर और अहम है। शिक्षा मन्त्री जी को इस विषय पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का सवाल है कि आप किसी लिस्ट से क्या बुलवा रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

मेरे विवेक और मेरे आंखें हैं। मैं अपने विवेक से बुला रहा हूं।

श्री राजब्रज राज सिंह--

यह दुख की बात है, शासन चाहे जिस पार्टी का हो, कि एक तरफ कुलपति और कुल सचिव का गुट बना हुआ है और दूसरी तरफ अध्यापकों और छात्रों के गुट बने हुए हैं। ऐसे समय में शिक्षा कैसे चलेगी। यह दुख की बात है कि 3 महीने से दलबन्दी चल रही है और शासन आँख मूंद कर बैठा है। शासन इसमें गूंगा बनकर बैठा है। वहाँ रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर कर दिया गया है। एक माननीय विधायक ने कहा कि यहाँ दर्शक दीर्घा में कुलपति बैठे हुए थे जबकि कुल सचिव दर्शक दीर्घा में बैठे थे। यह भी कहा गया कि कुलपति और कुल सचिव अपना दबाव विधायकों पर डालते हैं। तो यह गलत बात है ऐसा कहना कि विधायक किसी के दबाव में आते हैं। कितने ऐसे विधायक हैं जो कुलपति और कुलसचिव के दबाव में आ जायेंगे। यह दुख की बात है। इसलिए जिसका दोष हो उसको हटाना चाहिए जिससे स्वच्छ शासन चल सके।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, विश्वविद्यालय को जिस ढंग से कलंकित किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। तीन महीनों से यह विवाद का प्रश्न बना हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय के सम्बन्ध में जितनी चर्चाएं चल रही हैं उसमें क्या गलत और क्या सही है इसमें नहीं जाऊंगा लेकिन यह बात जरूर है कि यदि इसमें सत्यता नहीं है और सब असत्य हैं तो उसकी जाँच करके सदन के सामने रिपोर्ट आनी चाहिए। मान्यवर, रजिस्ट्रार जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी जमीन को सीलिंग से बचाने के लिए अपनी बीबी को तलाक दे चुके हैं। इसलिए शिक्षा में ऐसे पद पर रहकर जो इतना जघन्य कार्य कर सकता है वह और क्या कर सकता है। इसी से कल्पना की जा सकती है।

मान्यवर, इसके साथ ही परीक्षाफल में बड़ी गड़बड़ियाँ की गयी हैं जिसके कई उदाहरण हैं। एक विषय का पर्चा विषय से अलग दिया गया था और जिस पर छात्रों ने आन्दोलन किया था और उन्होंने परीक्षा नहीं दिया। लेकिन उस विषय की परीक्षा नहीं ली गयी और रजिस्ट्रार ने अपने विवेक से नम्बर दिए और छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया। यह इतनी सहानुभूति रखने वाले हैं। तो इसी तरह से तमाम घोटाले हैं जो इन्होंने अपने समय में विश्वविद्यालय में रह कर किए हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी जाँच होनी चाहिए,। केवल ट्रान्सफर करना या कहीं खिसका देना, यह सवाल नहीं है। ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ट्रांन्सफर होकर कहीं जायेंगे तो रजिस्ट्रार या वाइस चान्सलर तो बने ही रहेंगे।

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, फैजाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि मुझे और समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मेरे जिले से सम्बन्धित है। मान्यवर, फैजाबाद के जो कुलपति और रजिस्ट्रार हैं इन दोनों की सेवाएं समाप्त करन के लिए अनुरोध करूंगा। तभी विश्वविद्यालय बच सकता है, वरना नहीं। आज स्थिति यह है कि कुछ लोग वाइस चान्सलर के दबाव में आकर उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं और कुछ लोग रजिस्ट्रार के दबाव में आकर उनकी तरफ बोलना चाहते हैं। लेकिन जो चीजें वहाँ हो रही हैं, उनको देखते हुए और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों अधिकारियों को वहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी भी उच्च शिक्षाविद को वहाँ वाइस चान्सलर बनाना चाहिए ताकि शुद्ध और अच्छा वातावरण वहाँ का बन सके।

(इस समय 6 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इसमें इतने सारे अखबार और पम्फलेट छपे हुए हैं जिसमें रजिस्ट्रार और वाइस चान्सलर के खिलाफ अनेकों बातें लिखी हुई हैं। [* * *] तो इस संस्था में इनके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, उसको खत्म करना चाहिए अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ समाप्त हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

जो अश्लील शब्दों का प्रयोग भाषण में किया गया है, वे शब्द प्रोसीडिंग्स से निकाल दिये जायगे।

श्री विद्याशंकर—

मैं पैम्फलैट दिखा सकता हू। उसके उद्धरण दे सकता हूं और अगर आप आज्ञा दें तो इस सदन के पटल पर रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की पर्चियों में कोई प्रमाणिकता नहीं है। जब तक कि प्रमाणिकता न हो मैं किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकता हूं। साथ ही मुझे यह भी कहना है कि मैं कई बार व्यवस्था दे चुका हूं कि यह सदन कोई अभियोग करने का स्थान नहीं है और न कोई पुलिस थाना है जहाँ पर रिपोर्ट लिखी जाती हो। कोई माननीय सदस्य किसी को चोर कहें तो इसका प्रमाण ही नहीं हो सकता है कि वह चोर हैं कि नहीं। उसके लिए तो न्यायालय जाना होगा। इस सदन में मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी उत्तर प्रदेश के लोकपाल की नियुक्ति की बारे में। तो इसकी विभागीय मन्त्री—शिक्षा मन्त्रीजी—वहाँ से जाँच करायेंगे। यहाँ कह देने से न तो किसी को दण्ड मिलता है और न उससे कोई लाभ होता है। इसलिए केवल शिकायत कीजिए और किसी व्यक्ति पर आक्षेप मत कीजिए जो यहां सदन में है नहीं। आप लोग यहाँ यह सब कह देते हैं क्योंकि यह समझते हैं कि यह सुरक्षित भाषण है। लेकिन अगर बाहर किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चाहे विधायक हो या मन्त्री ही क्यों न हों, मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। इसलिए यहाँ वह सब नहीं कहना चाहिए। सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने सुरक्षित भाषण का दुरुपयोग न करें।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, शिक्षा संस्थाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए छात्रों के चरित्र निर्माण की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शब्द प्रकट किए हैं वरना नहीं करता। इन उद्धरणों को देते हुए मुझे पीड़ा हुई है। मान्यवर, मेरे जिले में एक कालेज है बिनोई। डिग्री कालेज का जो प्रिंसिपल होता है उसको कम से कम तीन साल का डिग्री कालेज का अनुभव होना चाहिए लेकिन वाइस चान्सलर ने रुपया ले कर के थ्रू आउट थर्ड क्लास पास हुए प्रिंसिपल की नियुक्ति वहां पर की है। मैं शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे डिग्री कालेजों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है जो भ्रष्टाचार का अड्डा है।

मान्यवर, यही नहीं हमारे प्रतापगढ़ शहर में एक डिग्री कालेज है। वहां के प्राचार्य डाक्टर आशुतोष हैं। उनके विरुद्ध जांच के लिए समिति नियुक्त की गयी है। वाइस चान्सलर उस क्षेत्र में आए और असमाजिक तत्वों को उन्होंने भड़काया ताकि उनके खिलाफ कोई न बोल सके। मान्यवर, आप के माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो इस तरीके की राजनीति चल रही है, इस प्रकार का जो वाइस चान्सलर है वह अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। दोनों को चाहे वह रजिस्ट्रार हो चाहे वाइस चान्सलर हो। दोनों को शिक्षा संस्था से जाना चाहिए और वहां के सम्मान और गरिमा को कायम रखा जाना चाहिए। इतना ही श्रीमन्, मैं कहना चाहता था।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने बड़ी कृपा की है कि इस ऐकेडेमिक सब्जेक्ट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, अवध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो तथ्य सामने आए हैं उससे शर्म से मस्तिष्क नीचे हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद का समय साढ़े छः बजे तक मैं बढ़ाए दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आपकी इजाजत नहीं हुई तो मैं पहले ही खत्म कर दूंगा। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अपने बयान में यह घोषणा की है कि उन्होंने कुल सचिव का स्थानान्तरण कर दिया है। जांच के लिए किसी अधिकारी को बैठा दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जांच का कोई मतलब नहीं होगा। सारे प्रदेश के शिक्षा संस्थाओं में भाई भतीजावाद भरा हुआ है। गोरखपुर में शिक्षा सचिव ने ऐसे रजिस्ट्रार को भेजा है जिसकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं कुल सचिव को जानता हूं। कानपुर में रह चुके हैं हर जगह पर उनकी चर्चा है। अय्याशी की जिन्दगी बिताते हैं। ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय जैसे पवित्र जगह की परिधि के अन्दर कदम नहीं रखने देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ट्रान्सफर कोई पनिशमेंट नहीं है। इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का, अनाचार का, दुराचार का, शासकीय तन्त्र के दुरुपयोग का मुकदमा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर खुली अदालत में चलाना चाहिए। मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय का मामला ही नहीं प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय हैं उनमें बिना परीक्षा हुए, बिना कापियां देखें, परीक्षा-फल आउट कर दिया गया। लड़के एम० ए० में फर्स्ट क्लास आ गए, लड़कियों ने टाप कर दिया। क्या इन बातों के देखते हुए जांच की आवश्यकता पड़ेगी? क्या ये बातें अपने आप में काफी नहीं हैं इस आदमी को दन्डित करने के लिए?

इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह सख्ती से काम लें और इस मामले में कोई कोताही न बरतें। ये जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी जांच का कोई महत्व नहीं है। प्रदेश में 9 कुल सचिव हैं जिनका प्रशासन में किसी न किसी ऊंचे अधिकारी से सम्बन्ध है। लिहाजा प्रदेश में विश्वविद्यालयों की समस्याओं का, जिसमें फैजाबाद विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, समाधान करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाय और उसके द्वारा अवध विश्वविद्यालय की भी जांच कराई जाय। स्थानान्तरण कोई सजा नहीं होती है। उनके विरुद्ध आचरण हीनता, वित्तीय साधनों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए और उनको तुरन्त मुअत्तल कर देना चाहिए। तीस साल में जो कोढ़ विरासत में मिला है उससे हमको इस तरह से छुटकारा मिल जायगा। विश्वविद्यालय जो पवित्र संस्था है जहां हम छात्रों को कुछ आदर्शों के मुताबिक भेजते हैं, उन शिक्षा संस्थाओं की काया कल्प करना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

कहने के लिए सारी संस्थाओं को पोलिटिक्स से रहित कर दिया गया है लेकिन पिछले शासन में भाई भतीजेवाद के जरिए कुछ लोगों को भरती किया गया जिनका कोई एकेडेमिक कैरियर नहीं है। प्रदेश तथा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बने, बौद्धिक स्तर ऊंचा उठे, भाई भतीजावाद का नाश हो और कुशल तथा योग्य लोगों से विश्वविद्यालय युक्त हों इसके लिए उच्चायोग की स्थापना की घोषणा की जाय जो सारे विश्वविद्यालयों की जांच करे और इस विभाग से शिक्षा सचिव को हटाया जाय और ऐसे नापाक आदमी से अगर इस विभाग का दामन छुड़ा दिया जाय तो शिक्षा मन्त्री का बड़ा उपकार होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे एक मित्र ने बहस के दौरान में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक दोनों अफसरों को यहीं रखा जाय। मैं निवेदन करूंगा कि फैजाबाद ने अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया है कि वहां गोली नहीं चली, लाठी चार्ज नहीं किया गया, विद्यार्थियों ने सड़कों पर जलूस नहीं निकाले लेकिन इस तरह की बातों को फैजाबाद आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था पूरा विश्वविद्यालय और जितने भी उससे एफिलियेटेड कालेजेज हैं उनमें टीचिंग स्टाफ से ले कर छात्रों तक दो खेमों में बंटे हुए हैं और अगर एक पक्ष एक को प्रोटेक्शन देता है तो दूसरा पक्ष दूसरे को प्रोटेक्शन देता है। आज समय का तकाजा है कि अब स्थिति को और नहीं बिगड़ने देना है तो मेरा नम्र निवेदन है कि इन दोनों अधिकारियों को अविलम्ब वहां से हटा दिया जाय जांच बाद में होती रहेगी। विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव को भी समाप्त करके नई एक्जिक्यूटिव बनाई जाय तभी उस विश्वविद्यालय की पवित्रता अक्षुण्य रह सकेगी। मुझे एक बात का दुख हुआ माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अयोध्या मंथरा की जन्म भूमि है। अगर वह इसी बात को याद रखेंगे तो अयोध्या विश्वविद्यालय के साथ इन्साफ नहीं हो पाएगा। मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वह केवल मंथरा की धरती नहीं है वहां अश्वघोष जैसे संस्कृत के महाकवि भी हुए हैं। बसुबन्धु जैसे पन्डितों ने अभिधर्म कोष को भी लिखा है जो बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है और यहीं पर तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की शुरुआत की थी ....

श्री अध्यक्ष--

आपको समाप्त करना है। आप उसके ऐतिहासिक महत्व पर चले गए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं निवेदन करूंगा कि वहां के इन दोनों अधिकारियों को अविलम्ब हटाया जाय और वहां और अधिक अव्यवस्था पैदा होने से रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कालीचरण—

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था, कुछ माननीय सदस्यों को छोड़ कर अधिकाँश लोगों ने जो भावनायें व्यक्त की वह लगभग बिलकुल हूबहू वही हैं जो उन दोनों के खिलाफ शिकायतें आई हैं। स्पष्ट है कि जो बात मैंने कही थी दोनों पक्षों के लोग दोनों पक्षों को प्रेरित कर अपनी बातों को कहाँ तक ले जायेंगे उसका वह प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, जब मेरे सामने बात आई तो मैंने साफ बताया कि मैंने जाँच के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इस सम्बन्ध में शिकायत आई कि हमारे शिक्षा सचिव चूंकि वहाँ कमिश्नर रहे हैं और क्या-क्या कहा गया है वह मैं नहीं कहूंगा। मेरा केवल इतना ही अनुरोध है कि मैंने कहा था जब जाँच रिपोर्ट आ जाती है अगर जाँच रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं होगी तो फिर जो सम्भव जांच कराई जा सकती है, कराई जाएगी।

श्रीमन्, इसके अध्ययन के बाद जो कुछ तथ्य आए हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि उसको पढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन कम दोषी है और कौन अधिक दोषी है। दोनों बिलकुल समानान्तर रूप से दोषी हैं और यह कहा जा रहा है कि दोनों को हटा देना चाहिए। शायद विश्वविद्यालय अधिनियम की जानकारी माननीय सदस्यों को पूरी-पूरी नहीं है। यदि जानकारी होती या अध्ययन किया होता तो ऐसी बात न कहते।

श्रीमन्, शिक्षा विभाग के अनुदान के समय भी मैंने बताया था कि मैं चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की जनता शासन में ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग, चाहे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हों या कुलपति उनका आदर करें लेकिन उनको भी आदर करने लायक अपने को बनाना चाहिए। एक कुलपति की जिम्मेदारी है कि वह विश्वविद्यालय का सन्चालन ठीक-ठीक करे और वह सन्चालन नहीं कर सकता है तो उसे स्वयं हट जाना चाहिए। यदि नहीं हटता है तो आज कानूनों में भले ही हमारे लिए ऐसे तथ्य न हों लेकिन इस सदन और प्रदेश के विद्यार्थियों के प्रति और प्रदेश की जनता के प्रति हम बचनबद्ध हैं कि विश्वविद्यालयों का अच्छी तरह से सन्चालन करें और उसमें अच्छे कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए कानून में जो भी संशोधन होगा वह संशोधन करने के लिए जनता पार्टी तैयार है।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में, जहाँ तक शिक्षा सचिव का सम्बन्ध है, मैं यह बता दूं कि वह कल क्या थे क्या नहीं थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है माननीय सदस्यों की शिक्षा विभाग के बारे में उनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत मिलेगी और वह प्रमाणित हो जाएगी तो चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो वह भी उससे बचेगा नहीं। शिक्षा सचिव वहाँ के कमिश्नर रहे इसलिए इस नाते से जाँच रिपोर्ट ठीक नहीं हो सकती यह बात माननीय सदस्यों की मेरी समझ में कोई उचित नहीं जान पड़ती है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नियम 8 के अनुसार इसकी पूर्ण जाँच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर दी जाएगी अभी केवल स्थानान्तरण किया गया है दोष सही प्रमाणित होने के बाद, उनसे आख्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काली चरण]

लेने के बाद जो भी वैध कार्यवाही होगी, जो कुछ भी किया जा सकता है इससे कोई बच नहीं सकेगा चाहे उसमें वाईस-चान्सलर हों, चाहे रजिस्ट्रार हों, चाहे कोई हों। माननीय सदस्यों से मेरा केवल एक ही अनुरोध है, आज जिन लोगों की बातें सुनीं मेरे पास दोनों की रिपोर्ट है मेरे पास लोग आ रहे हैं। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ लोगों को कुलपति प्रेरित करके हमारे यहां भेजते हैं अपनी बात कहलवाने के लिए और कुछ लोगों को कुल सचिव भेजते हैं। उन्हीं आग्रह और पूर्वाग्रहों के आधार पर यहाँ भी उबाल प्रकट किए हैं। उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि काम ईमानदारी से चले, विश्वविद्यालय ठीक से चले तो उनको अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। मैं सदैव उनसे मदद माँगता हूं, वह हमारी मदद करें और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि वह अपना सहयोग दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी नियमानुसार आपके भाषण के बाद मन्त्री जी ने भाषण किया तो फिर कोई प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। (व्यवधान) अब नहीं, समय भी नहीं है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी ने दिया है जो आज सुबह कार्य-स्थगन का विषय था। क्योंकि प्रातः काल जब कि कार्य-स्थगन का प्रश्न मेरे सामने विचाराधीन था, तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने माननीय सदस्य और इस सदन को आश्वस्त किया था कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे, इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है और दूसरी श्री हरिकेवल प्रसाद जी ने 'मिर्जापुर जनपद में स्थित हिन्डालको रेणूकूट में बिजली की कटौती के कारण मिल मालिकों द्वारा ले-आफ करने से मजदूरों का बेकार हो जाना तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल करना' विषय पर दिया है। इस पर इसी सदन में 1 अक्तूबर को वक्तव्य दिया जा चुका है, इसलिए मैंने इसको ग्राह्य नहीं किया है।

ग्राम मबाना, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगा देने, मुसलमानों की ईदगाह तोड़ डालने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि ग्राम मबाना, थाना टाँडा, जिला रामपुर में ग्राम के बहुसंख्यक लोगों ने हरिजनों तथा मुसलमानों के ऊपर पिछले लोक सभा निर्वाचन के पश्चात् अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिए हैं।

ग्राम मवाना, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगा देने, मुसलमानों की ईदगाह तोड़ डालने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

दिनांक 21 मार्च, 1977 को श्री श्याम लाल जाटव, निवासी ग्राम मवाना ने थाना टाँडा, जिला रामपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उस दिन करीब 10 बजे उसके घर के दो छप्परों में आग लग गई। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने बीड़ी वगैरह फेंक दी जिससे कि अचानक आग लग गई। उसने किसी को आग लगाते नहीं देखा। यह सूचना थाने के रोजनामचा आम में अंकित की गई तथा जाँच की गई। जांच से आग का लगना अचानक पाया गया। अत: थाने पर कोई अपराध अंकित नहीं किया गया। श्री लाल सिंह (न कि श्री लल्लू सिंह) वादी श्याम लाल के बड़े भाई हैं तथा दोनों एक ही घर में रहते हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल जाटव ने, कहा जाता है कि ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। इस भूमि को प्रधान ने दूसरे नौ लोगों को आवंटित कर दिया जिन्होंने इस भूमि पर कब्जा करके अपने मकान आदि बना लिए हैं। प्रधान द्वारा आबादी की इस भूमि के आवंटन के विरुद्ध मुंसिफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 8 अक्तूबर, 1977 को श्री शौकत अली, निवासी ग्राम मवाना ने थाना टाँडा, जिला रामपुर पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट की कि प्लाट संख्या–469 में बने ईदगाह की दीवार को 6/7 अक्तूबर, 1977 की रात में किसी समय किन्हीं व्यक्तियों ने गिरा दिया। इस सूचना पर धारा 295 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी दिनाँक 8 अक्तूबर, 1977 को ही घटनास्थल पर गए। गाँव में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक गार्द तैनात की गई। वहाँ पर स्थिति शाँति एवं पूर्ण नियन्त्रण में है। उक्त ईदगाह विवादित प्लाट सं0–469 पर बनी है जिसका आवंटन ईदगाह के नाम से नहीं हुआ है। समस्या का स्थायी निराकरण करने हेतु गाँव के सभी पक्षों से वार्तालाप की गयी तथा इस सम्बन्ध में प्रयास जारी है। समस्या के स्थायी समाधान निकालने की आशा में तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न होने पाए इस विचार से अभी ईदगाह की दीवार के पुनर्निर्माण के आदेश जिला प्रशासन ने पारित नहीं किए हैं। यह कहना कि क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है सही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि सन् 1975 में एस0 डी0 एम0 द्वारा 1.35 एकड़ जमीन का पट्टा हरिजनों को आवंटन किया गया था और उस वक्त उन हरिजनों की उस पर झोपड़ियां बनी हुई थीं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी––

मुंसिफ कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है और चूंकि यह मामला मुंसिफ कोर्ट में है, इसकी कोई बात बताना ठीक नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जैसा वक्तव्य में कहा गया कि 9 आदमियों को प्रधान ने जमीन आवंटित कर दी, तो क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे, जबकि यह भी स्पष्ट है कि उनके घर पर आग लगाई गई, जब रोजनामचा में रिपोर्ट लिखाई तो क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जब हरिजनों का कब्जा उस जमीन पर था तो बिला कानूनी तौर से कब्जा हटवाए हुए प्रधान ने उस जमीन को दूसरो को आवंटित कैसे कर दिया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इसी के लिए मुंसिफ कोर्ट में प्रधान के इस गलत काम को चुनौती दी गयी है।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि मुंसिफ कोर्ट में है। मुंसिफ कोर्ट में आबादी का मसला है ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो अधिष्ठाता मन्डल के सदस्य हैं, यह आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ—

क्या यह सही है, इनका कहना है कि आबादी का झगड़ा है, माननीय सदस्य ने कहा कि नौ आदमियों को जमीन आवंटित की गयी है तो मैं जानना चाहूंगा कि आबादी का मसला मुंसिफ कोर्ट में अपनी जगह पर है, माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरा है, जब हरिजनों का कब्जा था और वह जोत-बो रहे थे तो बिना डिस्पजेज किए हुए, बिना लीगल कार्यवाही किए हुए, दूसरों को क्यों दिया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस विवादग्रस्त भूमि जिसके बारे में यह चर्चा है यह आबादी की ही विवादग्रस्त भूमि की चर्चा है। उसी के बारे में मैंने यह निवेदन किया था कि इसका गलत आवंटन हुआ, इसकी चुनौती उस मुंसिफ कोर्ट में दी गयी है।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाय जब तक अजेन्डा के सभी आइटम समाप्त न हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय इतने समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कार्य सूची का कार्यक्रम समाप्त न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इससे थोड़ा सा डायटिंग हो जायगा।

ग्राम मबाना, जिला रामपुर के बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के घरों पर कब्जा करने, आग लगा देने तथा मुसलमानों की ईदगाह तोड़ डालने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं एक सूचना दे रहा हूं। इसके बारे में जांच करके कार्यवाही करें। दिनांक 21 मार्च, 1977 को उन हरिजनों के घरों में आग दे कर उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया और कब्जा कराने के लिए दिनांक 26 मार्च, 1977 को थाना टांडा के एस0 आई0 मिस्टर मेहरा, साथ गए सवर्ण लोगों के ताकि हरिजनों की उस जमीन पर कब्जा करा दिया जाय। इस चीज को आधार मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

श्रीमन्, दिनांक 21 मार्च, 1977 को श्यामलाल जाटव ने जो सूचना अंकित करायी उसके आधार पर जांच करायी गयी। उसमें पाया गया कि कहीं बीड़ी वगैरह फेंकने से आग लगी। सब इन्स्पेक्टर जिनका जिक्र किया गया, उसको फिर से दिखवा लिया जायगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी का ध्यान उनके छपे हुए स्टेटमेंट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने बीड़ी वगैरह फेंक दी जिससे अचानक आग लग गयी। एक तरफ माननीय मन्त्री जी यह स्वीकार करते हैं कि बीड़ी किसी ने फेंक दी जिससे आग लग गयी। लेकिन आग लगायी नहीं गयी। तो यह तथ्य को छिपाया गया है। लल्लू सिंह ने स्वयं बीड़ी फेंकी, क्या माननीय मन्त्री इसकी पुन: जांच कराएंगे किसी दूसरे अधिकारी से क्योंकि पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं, और तथ्यों को सामने लायेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जिसके छप्पर में आग लगी और जिसने सूचना दी, उसका कहना है कि हमारे बगल में दीवाल बन रही थी उससे किसी ने बीड़ी फेंक दी और आग लग गयी और इसकी जांच सब इन्सपेक्टर द्वारा करायी गयी और उसमें उसके ही कथन को सत्य पाया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को एस0 डी0 एम0 ने अपने आदेश के अनुसार आदेश दिया कि ईदगाह बनाया जाए और उसी दिन हेड कान्सटेबिल श्री बीर बहादुर सिंह की ड्यूटी लगा दी कि अपनी मौजूदगी में ईदगाह बनवा दे। 3 नमाजे उस पर हो चुकी हैं लेकिन फिर भी उसको रात्रि में गिरवा दिया तो ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री जी कोई विशेष जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को श्री रमेश चन्द्र शर्मा, एस0 डी0 एम0 ने यह आदेश दिया था कि इस प्लाट के पश्चिम दिशा में उनकी नमाज पढ़वा दी जाए। 3 बार नमाज पढ़ी गयी इसको मैंने स्वीकार किया है और किसी प्रकार का झगड़ा न बढ़े, दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को थानाध्यक्ष टांडा ने दोनों पक्षों--हिन्दू और मुसलमान-के 5-5 लोगों को 107/16 में निरुद्ध किया।

श्री रियासत हुसैन--

क्या ईदगाह के ऊपर कोई वाद-विवाद या वाद किसी अदालत तें चल रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

कोई वाद-विवाद या वाद नहीं चल रहा है केवल उसके गिराने के सिलसिले में एक रपट दर्ज करायी गयी है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कोई विवाद नहीं चल रहा है लेकिन माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य में यह है कि विवाद चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उनका कहना है कि ईदगाह तोड़ने की रिपोर्ट है, वह उचित है या नहीं इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या माननीय मन्त्री जी जो मस्जिद गिरा दी गयी है उसको पुन: रिपेयर या निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस समस्या का स्थायी निराकरण करने हेतु गांव के सभी पक्षों मे वार्तालाप जारी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जब कोई हल निकल आएगा तो बनवा देंगे।

श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)--

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान वक्तव्य के पैरा 3 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल जाटव ने, कहा जाता है कि ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि यह जमीन हरिजन आबादी के लिए है या सार्वजनिक आबादी के लिए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधान का कहना है कि इन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था चूंकि गलत ढंग से प्रधान ने इसका आवंटन कर दिया इसलिए मुंसिफ कोर्ट में इन कब्जों को पुन: चैलेन्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष--

इससे आपकी बात साफ हो गयी है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि उक्त ईदगाह विवादित प्लाट संख्या 469 पर बनी है जिसका आवंटन ईदगाह के नाम से नहीं हुआ है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका निर्माण कार्य सबसे पहले कब हुआ ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इसका निर्माण कार्य दिसम्बर, 1975 मे प्रारम्भ हुआ था।

श्री अशफाक अहमद--

मेरा कहना यह है कि 9 लोगों को उन्होंने आवंटित किया है इसको पहले हरिजनों को आवंटित किया गया या उन लोगों को जिन्होंने अब कब्जा कर लिया है क्या यह बात सही है ? मन्त्री जी इसे स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

यह पूरा मामला मुंसिफ ...

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि प्रधान ने कहा कि उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर लिया तो जब प्रधान ने 9 आदमियों को इसे आवंटित कर दिया है तो फिर स्वयं मुंसिफ कोर्ट में अपने ही फैसले के खिलाफ क्यों मुकदमा दायर कर दिया ? स्थिति स्पष्ट नहीं है। मन्त्री जी, आप इसे साफ करें ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जिन 9 लोगों को भूमि का आवंटन किया गया उनमें 5 गड़रिया और 4 ठाकुर थे। उस आवंटन के विरोध में प्रधान के खिलाफ मुंसिफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया।

श्री अध्यक्ष--

आपने तो लिखा है कि इस आवंटन के विरुद्ध मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है तो अगर प्रधान ने आवंटन किया तो प्रभावित पार्टी को मुन्सिफ कोर्ट में जाना चाहिए था इसे प्रधान ने क्यों दायर किया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, प्रधान मुन्सिफ कोर्ट में नहीं गया बल्कि प्रधान द्वारा आबादी की इस भूमि के आवंटन के विरुद्ध मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 9 लोगों को भूमि आवंटित की गई उनके बारे में परगनाधीश से अनुमति क्यों नहीं ली गई ? उन्होंने स्वयं एक सौ अठानवे के अन्तर्गत पट्टों का कैन्सीलेशन क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—

इससे प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन—

मेरे कहने का मतलब यह है कि एस0 डी0 एम0 ने उनके पट्टों का कैन्सीलेशन क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि मस्जिद की गिरी हुई ईटों को कोई उठा न ले जाय उनकी रखवाली पुलिस कर रही है जिससे वहाँ टैन्शन व्याप्त है। क्या माननीय मन्त्री जी उस मस्जिद को जल्द से जल्द पुनः बनवाने की कृपा करेंगे जिससे वहाँ से टेन्शन खत्म हो जाय और पुलिस वहाँ से हट जाय ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, हम लोग तो उसकी पूरी समस्या और पूरे तनाव को ही खत्म करने के लिए वहाँ के सारे लोगों को बैठाकर कोई स्थायी हल निकाल रहे हैं।

जनपद एटा के ग्राम नगला गुलरिया के 5 हरिजनों को कुख्यात डकैत अलवर के गिरोह द्वारा नदी में फेंक कर हत्या कर देने तथा ग्राम अकबरपुर कोट में अमरपाल को गोली से मारने तथा 6 अन्य व्यक्तियों की हत्या करने की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 की रात्रि के साढ़े नौ बजे वादी श्री नन्दराम पुत्र श्री मुन्शी जाटव, निवासी ग्राम ढटीगरा द्वारा थाना अलीगंज, जनपद एटा पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को अपने ग्राम से हरदयाल, राजपाल, जोधा, गंगासहाय, मनफूल व कुमारी मीरा, जो सभी हरिजन थे के साथ ग्राम बरना न्योता खाने जा रहे थे, जब 12 बजे दिन ग्राम नगलागुलरिया पहुंचे तो वहाँ सियाराम अहीर की चौपाल में देखा कि अलवर डकैत अपने अन्य साथियों के साथ खाना खा रहा था। जब वादी व उसके साथी आगे बढ़े तो दो बदमाशों ने उन्हे रोका और कहा कि तुम लोग रुक जाओ नहीं तो पुलिस में जाकर खबर करोगे। वादी के साथियों द्वारा मिन्नत किए जाने पर भी उन्हें जाने नहीं दिया गया और बदमाशों के अन्य साथियों ने उन्हें घेर लिया और उन सबको बाँधकर गाँव के पास ले गए जहाँ वादी के साथियों को मारा-पीटा गया एवं वादी व कुमारी मीरा को छोड़कर शेष पाँच साथियों के हाथ पीछे बाँधकर नदी में धकेल दिया। वादी एवं कुमारी मीरा को छोड़ दिया। दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को उपरोक्त पाँचों व्यक्तियों की लाशें नदी से निकाली गईं। उक्त सूचना के आधार पर धारा 364/302/201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया। चूंकि घटना थाना जेथरा क्षेत्र की थी अतः थानाध्यक्ष जेथरा द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को ही विवेचना आरम्भ की गई। इस सम्बन्ध में नगला गुलरिया के

6 अभियुक्तों को दिनाँक 6 अक्तूबर, 1977 को बन्दी बना कर दिनाँक 7 अक्तूबर, 1977 को जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त उक्त ग्राम की तीन औरतों के विरुद्ध अभियुक्तों को पनाह देने के सम्बन्ध में धारा 216-ए भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को सायंकाल 6.30 बजे थाना अलीगंज, जनपद एटा पर श्री लल्लू सिंह पुत्र गंगासहाय, निवासी अकबरपुर कोट, जनपद एटा ने लिखित सूचना दी कि पूर्व रंजिश के कारण आज शाम साढ़े चार बजे हथियारों से लैस होकर दस्यु अलवर ने अपने साथियों एवं कुछ नामजद स्थानीय बदमाशों के साथ उसके घर पर आक्रमण कर दिया और फायर करना शुरू किया। बदमाशों की गोली से रामफल पुत्र नरायन, कौम लोधी राजपूत जो जिला फर्रुखाबाद का निवासी था, घटनास्थल पर मारा गया। वादी का भाई श्री अमरपाल बदमाशों की गोली से घायल हुआ। वादी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। तब रास्ते में चुन्नी लाल पुत्र चिरौंजी लाल व उसकी पत्नी राम श्री तथा उसके दो लड़के गंगासिंह व मुलायम सिंह, जो बैलगाड़ी में चारा लेकर आ रहे थे, की भी उन्हीं बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना अलीगढ़ पर धारा 147/148/149/307/302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घायल श्री अमरपाल की कुछ समय पश्चात् मृत्यु हो गई। अभियोग की विवेचना निरीक्षक थाना अलीगंज द्वारा तुरन्त प्रारम्भ की गई। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस की सतर्कता से कुख्यात दस्यु अलवर तथा उसका गिरोह पिछले काफी समय से कोई अपराध नहीं कर पाया था, दिनाँक 10 फरवरी, 1977 को कासगंज कस्बे में तनाव उत्पन्न हुआ। जिला प्रशासन का उससे सम्बन्धित प्रबन्ध की ओर ध्यान जाने के अवसर का लाभ उठाकर अलवर तथा उसके गिरोह ने उपरोक्त दो घटनायें कर डाली परन्तु जैसे ही पुलिस को उनकी सूचना मिली वैसे ही पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक दस्यु उन्मूलन अभियान, आगरा तथा पुलिस अधीक्षक, एटा एवं क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुच गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति को नियन्त्रण में किया। क्षेत्राधिकारी उसी क्षेत्र में कैम्प किए हुए हैं और पुलिस तथा पी0ए0सी0 की टुकड़ियां रात दिन उस क्षेत्र में गस्त कर रही हैं। पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा डकैत अलवर गैंग को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को व्यापक आदेश दिए गए हैं तथा यह भी घोषणा की गई है कि जो पुलिस अधिकारी एव कर्मचारी इस गिरोह को पकड़ने या नष्ट करने में सफल होंगे उन्हें 5,000 रुपया का पुरुस्कार दिया जाएगा। आशा है कि पुलिस के प्रयास से उस गिरोह का निकट भविष्य में सफाया किया जा सकेगा। इस समय क्षेत्र में शान्ति है तथा स्थिति नियन्त्रण में है।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

मान्यवर, मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसके उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री ने जो 4 अक्तूबर को एक वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि "यह सही नहीं है कि एटा-फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज एवं कायमगंज क्षेत्र में गुन्डों, डकैतों व लुटेरों का आतंक है जिससे कि जनता में आतंक एवं भय व्याप्त है। अलवर गैंग, द्वारा कुछ घटनायें की गयी हैं। उक्त क्षेत्र में अपराधों की रोक-थाम के लिए पुलिस को अधिक चैतन्य कर दिया गया है और पी0ए0सी0 के सक्रिय गश्त की व्यवस्था भी की गयी है। अपराध निरोधक अभियान भी चलाया जा रहा है एवं शासन द्वारा प्रदेश की पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में सतत प्रयास किए जायें।" मान्यवर, यह 4 तारीख का मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य था और उसी दिन 4 तारीख को 12 बजे 7 हरिजनों को उस डकैत ने पकड़ा। यह कहा गया कि डकैती का डर था। ये अपनी जान बचाकर अपने खेतों में भागे लेकिन 5 को पीछे हाथ बांध कर डकैतों ने काली नदी में डाल दिया। और दूसरे दिन वे लाशें अलीगंज थाने में तैरती हुई पाई गयीं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उनके वक्तव्य के अनुसार वहां पर अपराध की स्थिति सामान्य थी और कड़े आदेश भी दिए गए थे तो यह जघन्य अपराध कैसे हुआ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह बताना तो बहुत कठिन है कि जब यहां पर बयान दिया जा रहा था और स्थिति के बारे में बताया गया था कि वह नियन्त्रण में है, आतंक नहीं है यह अपराध कैसे हो गया। यह बात सही है कि जब यह बयान हो रहा था तो डकैतों ने उन्हें पकड़ कर नदी में फेंक दिया। हम तो समझते थे कि स्थिति सामान्य है लेकिन यह अपराध क्यों हुआ, यह बताना मेरे लिए बहुत कठिन है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, 4 तारीख को 12 बजे हरिजनों को पकड़ा गया और मारा गया और 5 की रात को अर्थात् 20 घंटे बाद जब सारे जिले में सूचना फैल गयी तब भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। जब मारे गये 12 बजे तो दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट क्यों लिखी गयी?

श्री लक्ष्मण सिंह—

4 तारीख को थाने में कोई इत्तिला नहीं हुई। 5 तारीख को थाने में इत्तिला मिली। उसके बाद पुलिस गयी। इत्तिला होने के बाद कोई विलम्ब नहीं हुआ। मान्यवर, अलवर डाकू मशहूर डकैत है और उससे पब्लिक भी डरती है। पुलिस की कार्यवाही अपनी जगह पर है। जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने कार्यवाही की।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि कासगंज कस्बे में तनाव उत्पन्न हुआ। डकैती करने वालों ने जिला प्रशासन का उससे सम्बन्धित प्रबन्ध की ओर ध्यान जाने के अवसर का लाभ उठाकर, अलवर के गिरोह ने 2 घटनायें कर डाली। अलीगंज थाने की जो सारी पुलिस थी और इस क्षेत्र की जो पी0ए0सी0 थी,

उसको कासगंज कस्बे के आस पास नाकेबन्दी में लगा दिया गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नेता विरोधी दल को बदायूं के कचलाघाट में पकड़ने के लिए अलीगंज के सर्किल आफिसर को लगाया गया था और वहीं की पुलिस को कासगंज का इन्तजाम सुपुर्द कर दिया गया था? दूसरी बात यह कि पहली घटना 4 अक्तूबर को हुई। 5 को मालूम हुआ, तो 7 तक क्यों इन्तजार किया गया? कासगंज कस्बे का बहाना क्यों?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह तो सही है कि नेता विरोधी दल और इनके साथियों ने यह घोषणा करके कि कासगंज कस्बे में झंडा फहरायेंगे पुलिस को उनके मुख्य काम से हटाया और पुलिस की ड्यूटी वहां लगाना पड़ी, डाकू ने भी सुना होगा और चूंकि डकैतों को भी राजनैतिक लोगों की जानकारी रहा करती है और राजनैतिक लोगों को डकैतों की रहा करती है तो उनको जानकारी मिली होगी कि ये अपना दल लेकर जा रहे हैं तो पुलिस उधर काम करेगी, तो इधर उन्होंने हमला कर दिया...

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न है कि क्या अलीगंज के सी0 ओ0 को और वहां की पुलिस की ड्यूटी नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी करने के लिए लगायी गयी और उधर बिलकुल खाली हो गया?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पी0 ए0 सी0 नहीं बुलाई गई, पी0 ए0 सी0 अपनी जगह पर रही, लेकिन कुछ पुलिस बुलाई गयी। डकैतों को तो मौका मिला ही।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इतने खतरनाक डाकू को, कातिल को पकड़ने और उस एरिया के खौफ को कम करने के लिए इस वक्त कितनी पुलिस लगायी गयी और क्या प्रबन्ध किया गया?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इस समय वहां 4 वायरलेस सेट लगे हुए हैं। दो कम्पनी पी0 ए0 सी0 की, एस0 पी0 ऐन्टी डकैती मौके पर हैं। इसके अलावा जिले की पुलिस भी लगातार वहां सतर्क है, गश्त लगा रही है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने लिखा है पेज 2 पर, 'पुलिस की सतर्कता से कुख्यात दस्यु अलवर तथा उसका गिरोह पिछले काफी समय से कोई अपराध नहीं कर पाया था।" तो मैं जानना चाहता हूं कि दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 की घटना के पहले कौन सी घटना थी जिसमें यह गिरोह ऐक्टिव था और कितनी घटनाओं में यह गिरोह वांटेड था और कब से?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अलवर यादव के जरायम का एक इतिहास है। 1973 से उसने कत्ल एक गांव में अपने किया, उसमें उसको सजा हुई। हाई कोर्ट में मामला गया, उसको जमानत हुई तो जेल को छलांग मार कर भाग गया। उसके बाद एक कत्ल किया, उसमें यह सूचना थी कि काफी आदमी गिरोह में शामिल हैं 145 थे, जिन में से 14 अब भी ऐक्टिव कहे जाते हैं। बहुत से असलहा उनके पास थे। राइफल 30 कारबाइन, 303 बोर राइफल, 12 बोर बन्दूकें और यह गिरोह एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में आपरेट करने लगा था। इसके बावत एडीशनल आई0 जी0 ने मई, 1977 में फतेहगढ़ में, फिर बवेरू में और आगरा में जुलाई और जून में मीटिंग कीं और इनके 47 आदमियों के विरुद्ध 216(ए) की कार्यवाही की गयी जिनके खिलाफ शिकायत थी कि उनको शरण देते हैं। इसके अलावा इस गैंग के 9 आदमी मारे गये, 48 गिरफ्तार किये गये, 43 आदमी अदालत में सरेंडर कर गये, 9 लापता हैं। तब से अपना गैंग बनाकर 9 आदमियों को लेकर वारदात कर रहा है। पुलिस पीछे लगी हुई है।

यह कोई ऐसी साधारण चीज नहीं है कि यह मक्खी-मच्छर की तरह से पकड़ कर कहीं डाल दिया जाय। कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि पहले बहुत से बड़े-बड़े डकैत हो गये तो यह भी मशहूर हो गया है, यह कहना मुश्किल है कि किस एरिया में किस वक्त डकैती डाल दे। अब किस-किस एरिया में कितनी-कितनी डकैती डाल दीं, यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इतिहास मैंने बताया आपकी जानकारी के लिए।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

कितनी डकैतियां और कत्ल के उस पर मुकदमें कायम हैं यह तो बता दें? जैसे आपने कहा कि मच्छर नहीं समझते हैं, लेकिन कितनी डकैतियां और कितनी हत्यायें कीं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इस गैंग ने हाल ही में निम्नलिखित वारदातें की हैं। 6 वारदातें लिखी हुई हैं —

(1) अपराध संख्या 83/77, धारा 395/397 ता0 हि0, ग्राम मघुपुरी, थाना ओरछा, जिला मैनपुरी, दिनांक 9 सितम्बर, 1977।

(2) अपराध संख्या 198/77, धारा 380/392 ता0 हि0, ग्राम बसुरा, सुल्तानपुर, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी दिनांक 12 सितम्बर, 1977।

(3) अपराध संख्या 199/77, धारा 148/149/397 ता0 हि0, ग्राम बरखेड़ा, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी, दिनांक 12 सितम्बर, 1977।

(4) अपराध संख्या 111/77, धारा 395 ता0 हि0, ग्राम कसरौला, थाना सकीट, जिला एटा, दिनांक 20 सिम्तबर, 1977।

(5) अपराध संख्या 214/77, धारा 302/364/201 ता0 हि0, ग्राम गुलरिया, थाना जैथरा, जिला एटा, दिनांक 4 अक्तूबर, 1977।

श्री देव बहादुर सिंह—

अब समझ गये, बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष--

बस हो चुका, ठीक है।

श्री गेंदा लाल गुप्त--

जो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह मच्छर नहीं है, यह गैंग सन् 1973 से काफी सक्रिय है और अभी जुलाई में फर्रुखाबाद और एटा के हम सभी विधायकों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से विशेष तौर से यह कहा था कि अभी खरीफ बड़ी नहीं हुई है....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने इस तरह का प्रतिवेदन मुख्य मन्त्री को दिया?

श्री गेंदा लाल गुप्त--

जी हां।

श्री लक्ष्मण सिंह--

हां, मुझे जानकारी मिली है, माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री जी से मिले थे और कुछ उनको लिखित दिया था।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तारीख 2 और तारीख 7 को पुलिस वहां कम हो गयी थी क्योंकि माननीय विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में गयी थी और 7 तारीख को एटा में एस0 पी0 ने दरख्वास्त दी, जो अखबार में भी आया कि हमारे पास पुलिस कम है इसलिए हम नेता विरोधी दल और अन्य लोगों को अदालत में हाजिर नहीं कर सकते, क्योंकि ले जाने में काफी भीड़ हो जाती है और पुलिस कन्ट्रोल नहीं कर पाएगी। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो कौन सी बात सही है?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कोई परस्पर विरोधी बात इसमें नहीं है। 4 तारीख को जो घटना हुई और वक्तव्य में जैसा मैंने निवेदन किया 2 तारीख से चूंकि आपका ऐलान पहले से था कि आप बहुत बड़ी फौज लेकर वहां जा रहे हैं तो कुछ पुलिस वहीं रखी गयी और उधर डकैतों ने कार्यवाही कर दी। जो 7 तारीख की आप बात कर रहे हैं तो 7 में आपका खतरा टल गया था और पुलिस उधर भेज दी गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने मेरे पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि अलीगंज थाने की सारी पुलिस और क्षेत्राधिकारी वहां रहे और वहां नहीं भेजे गये। तो क्या मैं जान सकता हूं कि जो डकैतग्रस्त क्षेत्र है उसमें कितनी बटालियनें और टुकड़ियां पुलिस की अलीगंज थाने में थीं और कितनी कासगंज भेजी गयीं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने नहीं कहा कि सारी पुलिस वहां पर लगा दी गयी। पी0ए0सी0 की दो कम्पनी, एस0पी0 ऐन्टी डकैती मौके पर हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है आज तो मौके पर हैं, उस रोज कितनी पुलिस वहां पर थी?

श्री लक्ष्मण सिंह—

तीन जिलों में, जैसा मैंने निवेदन किया, पी0 ए0 सी0 डकैतों की तलाश में इधर-उधर घूमा करती है।

श्री अध्यक्ष—

अब इसको समाप्त करना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जनपद एटा में जो आतंक व्याप्त है, भूतपूर्व कांग्रेसी विधायकों द्वारा इस पूरे गरोह को और अलवर डकैत को पूरा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो स्पष्ट है नहीं, कौन कांग्रेसी विधायक है? अगर उसका नाम नहीं है तो इसलिए यह प्रश्न नहीं।

श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह यह कहते हैं कि 4 तारीख को घटना हुई और 5 को रिपोर्ट हो गयी, फिर यह जब मालूम हो गया कि 4 तारीख को 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, तो क्यों नहीं वहां पर पुलिस लगाई गयी?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य ने दोहरायी है, एक माननीय सदस्य ने पहले भी कहा था। मैंने किसी और उद्देश्य से यह बात नहीं कही, केवल मेरा उद्देश्य यह था, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वह डकैत कुख्यात डकैत हैं और उसको पकड़ना या मारा जाना आसान नहीं है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और यह ठीक है कि 4 तारीख में घटना हो गयी, 5 में रिपोर्ट हो गयी, तो अचानक बहुत बड़ी पुलिस एक जगह नहीं नियुक्त की जा सकती थी। पी0 ए0 सी0 वहां पर पहले से थीं, ऐन्टी डकैती पुलिस पहले से तैनात थी, उसी में दूसरी वारदात उसने कर दिया।

एक सदस्य—

मान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न पूछने का मौका दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है, 25 मिनट हो चुका, अब नहीं।

मेरठ जिला जेल में अधिकारियों तथा कैदियों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य†

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम नम्बर 15, माननीय न्याय मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

न्याय मन्त्री जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

ठीक है।

मेरठ जिला जेल में 12 अक्तूबर, 1977 को लगभग 4.30 बजे शाम को काँग्रेस आन्दोलनकारियों की जेल स्टाफ के बीच हुए संघर्ष से सम्बन्धित घटना के बारे में कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ तथा जेल अधीक्षक, जिला जेल, मेरठ से प्राप्त सूचना के आधार पर यह विदित होता है कि 4 अक्तूबर, 1977 से जिला कारागार, मेरठ में काँग्रेस आन्दोलनकारियों का प्रवेश आरम्भ हुआ। 12 अक्तूबर, 1977 को उनकी संख्या 672 तक पहुंच गयी थी। जेल अधिकारी नियमानुसार सभी सुविधायें उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे थे। आन्दोलनकारियों की माँग बराबर बढ़ती जा रही थी। 672 व्यक्तियों में 60 व्यक्तियों को उच्च श्रेणी के आदेश जिलाधिकारी के आदेश पर दे दिए गए थे।

काँग्रेस आन्दोलनकारी बन्दियों की संक्षेप में मुख्य माँगें निम्नांकित थी :--

(1) सभी काँग्रेस आन्दोलनकारी बन्दियों को उच्च श्रेणी प्रदान की जाय।

(2) बन्दियों को घी, मसाला, चाय, दूध और विभिन्न प्रकार की तरकारी इत्यादि उपलब्ध कराई जाय।

(3) महिला आन्दोलनकारी बन्दियों के वार्ड के हाते के गेट को खुला रखा जाय ताकि वे पुरुष आन्दोलनकारी बन्दी से समय-समय पर मिलती रहें।

(4) मिलाई का समय 9 बजे प्रातःकाल से 5 बजे सायंकाल तक रखा जाय।

(5) हातों के अड़गड़ सुबह की गिनती से लेकर दिन भर खुले रहें और सभी आन्दोलनकारी बन्दियों को यह सुविधा प्रदान की जाय कि वें एक हाते से दूसरे हाते में बिना रोक-टोक के घूमते फिरते रहें।

जेल अधिकारियों ने जैसा कहा जा चुका है कि जिलाधिकारी के आदेश से 60 बन्दियों को उच्च श्रेणी दे दी थी। दूसरी माँगों के बारे में बन्दियों को सूचित कर दिया गया था कि सभी आन्दोलनकारी बन्दियों को उच्च श्रेणी जैसी सुविधा नहीं दी जा सकती। महिला

---

†पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

बन्दियों के फाटक खुला रखने की माँग को मानना नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से सम्भव नहीं था। यह बात बन्दियों को समझा दी गयी थी। मिलाई का समय नियमानुसार 10 बजे प्रात: से 3 बजे सायंकाल तक रखा गया था जिसके बारे में आन्दोलनकारियों के कुछ मुख्य लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी। नियमानुसार जेल के फाटक 5 बजे बन्द कर दिए जाते हैं और जो व्यकित 3 बजे तक आ जाता है उनको मिलाई के बाद धीरे-धीरे बाहर कर दिया जाता है। जहाँ तक हातों के अड़गड़ों को खुला रखने की माँग का प्रश्न है, नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से इस मांग को स्वीकार करना भी सम्भव नहीं था।

12 अक्तूबर, 1977 को करीब 4 बजे (अपराह्न) एक महिला आन्दोलनकारी बन्दी श्रीमती काजिमी ने महिला कक्ष से बाहर जाना चाहा जिन्हें महिला बन्दी रक्षक ने मना किया। उस पर आन्दोलनकारी बन्दियों ने असन्तोष व्यक्त किया और नारे लगाने लगे। उस समय 2 आन्दोलनकारी बन्दी जो करीब के वार्ड के थे, महिला वार्ड के सामने आ गए। इनमें श्रीमती काजिमी के पति श्री काजिमी भी थे। श्री काजिमी के अनुरोध पर महिला बन्दी रक्षक ने महिला कक्ष का दरवाजा खोला और श्री काजिमी से कहा कि आपने श्रीमती काजिमी से कुछ समय पहले भेंट कर ली थी और अब उनको बाहर जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इस विषय को लेकर महिला आन्दोलनकारी उत्तेजित हो गयीं तथा नारे लगाने लगीं। महिला वार्ड के बाहर खड़े हुए व्यक्ति भी जोर-जोर से नारे लगाने लगे। शोर-गुल सुनकर वार्ड नं0 1 तथा 2 के आन्दोलनकारी बन्दियों ने भी जोर-जोर से नारें लगाना आरम्भ किया और सभी लोग जिनकी संख्या लगभग 200 थी, हाता नं0 1 के चक्र के फाटक पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जंगला जोर-जोर से हिलाकर उसकी जंजीर तथा ताले तोड़ दिए। उसके उपरान्त सभी नारे लगाते हुए गिरदे की तरफ भागे। गिरदा जेल के दूसरे फाटक और प्रवेश द्वार के बीच के मैदान की शक्ल में है।

इन आन्दोलनकारियों की आवाज सुनकर वार्ड नं0 14 के आन्दोलनकारी बन्दी भी ग्रेटेड फाटक तोड़ कर उत्तेजित होकर गिरदे में आ गए। वार्ड नं0 14 के बन्दी रक्षक ने दरवाजा तोड़ने से मना किया इस पर आन्दोलनकारियों ने उस पर आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया। लगभग 400 आन्दोलनकारी गिरदे में एकत्र हो गए। श्री मन्जूर अहमद, एम0एल0ए0 ने जेल कर्मचारियों एव अनुशासन के विरुद्ध आन्दोलनकारियों को उनकी माँगों को पूरा न करने के कारण उत्तेजित किया। इस पर श्री एस0 सी0 ढल, कार्यवाहक जलर तुरन्त अपने कार्यालय से गिरदे में पहुचे और आन्दोलनकारियों को नारे लगाने से रोका और उनको अपनी-अपनी बैरकों में लौट जाने के लिए कहा। परन्तु आन्दोलनकारी और भड़क गए और बराबर नारे लगाते रहे। आन्दोलनकारियों में श्री दामोदर ने जेलर पर आक्रमण किया और उनसे लिपट गए। श्री लखेड़ा, बुनाई प्रशिक्षक उस समय मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने जेलर को बचाने का प्रयास किया। आन्दोलनकारी श्री लखेड़ा पर टूट पड़े जिससे उनको भी चोट आयीं। ड्यूटी वार्डर ने बड़े गेट की छोटी खिड़की से जेलर को दोनों फाटकों के बीच में ले लिया। जेलर को अन्दर घुसते देख कर आन्दोलनकारियों में से कुछ फाटक को तोड़ने और कुछ सर्किल गैलरी के प्रवेश द्वार को तोड़ने में लग गए। जेलर ने जल को असुरक्षित

देखकर अलार्म करवा दिया। उस समय लगभग 4.30 बजे सायंकाल का समय था अलार्म के बाद जेल स्टाफ आ गया और उसने स्थिति को काबू में लाने का प्रयास किया। इस पर आन्दोलनकारियों ने उस पर ईंटें बरसाने शुरू किए। स्थिति को गम्भीर देखकर जेल स्टाफ ने अपने बल का प्रयोग करके आन्दोलनकारियों को अपने-अपने वार्ड को ढकेला और बैन्टन का भी प्रयोग किया गया। इसी समय जेल अधीक्षक भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उनकी रिपोर्ट के अनुसार वार्ड न0 14 से आन्दोलनकारी पूरी तरह से पथराव कर रहे थे। जेल अधीक्षक ने मौके पर पहुंच कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका ताकि जेल कर्मचारी घायल न हो सकें। इन प्रयासों से स्थिति नियन्त्रण में आ गयी।

उक्त घटना में 24 जेल कर्मचारियों तथा 16 कांग्रेस आन्दोलनकारी को चोटें आयीं। इन सभी के डाक्टरी मुआयने किए गए और चोटें जेल डाक्टर द्वारा नोट की गयीं। जेल कर्मचारियों और आन्दोलनकारियों में 22 व्यक्तियों को साधारण चोट और 2 व्यक्तियों को गम्भीर चोट होने के कारण परीक्षणाधीन (अण्डर आबजरवेशन) में रखा गया। श्री मन्जूर अहमद विधायक, जो इस घटना में घायल हो गए थे, उनकी प्रारम्भिक चिकित्सा की तत्काल व्यवस्था की गयी और उसके उपरान्त घायल बन्दियों तथा कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाई गई। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा विशिष्ट डाक्टरों की एक टीम शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुंची और उसने सभी घायल व्यक्तियों का परीक्षण किया। डाक्टरों की राय के अनुसार 4 आन्दोलनकारी सर्वश्री सलीम, मासूम अली, मकसूद अली तथा डी0 के0 सक्सेना को स्थानीय मेडिकल कालेज तथा दो कर्मचारी और एक बन्दी को सदर अस्पताल में उपचार हेतु उसी रात भेज दिया गया। दो आन्दोलनकारी बन्दी मेडिकल कालेज से 13 अक्तूबर, 1977 को जेल वापस आ गए। श्री डी0 के0 सक्सेना, बन्दी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया जिस पर मेडिकल कालेज में प्लास्टर किया गया और वे जेल वापस आ गए हैं। अन्य आन्दोलनकारी बन्दियों की मुख्य चिकित्साधिकारी की देख रेख में जेल के अन्दर आवश्यक उपचार हो रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी की राय से 13 अक्तूबर, 1977 को श्री मन्जूर अहमद, एम0एल0ए0 और श्री रवीन्द्र जैन को स्थानीय मेडिकल कालेज में एक्सरे हेतु भेजा गया था, जो एक्सरे के बाद जेल वापस आ गए। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उनको कोई फ्रैक्चर नहीं है। डाक्टरी जांच के अनुसार श्री मन्जूर अहमद के शरीर पर 8 चोटें बताई गयी हैं। इसके उपरान्त जेल की स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है और जेल में शान्ति एवं व्यवस्था कायम है। राजनैतिक बन्दी काफी बड़ी संख्या में अब तक छूट भी चुके हैं।

उक्त घटना की स्थिति जिले के प्रशासन अधिकारियों को तत्काल दे दी गयी थी और वे भी घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ ने तुरन्त घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिए थे। मैजिस्टीरियल जांच से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मुझे तो बहुत असन्तोष है, इस वक्तव्य से मैं एक-दो सवाल करना चाहता हूं और इसमें आप देखें, मैंने एक प्रश्न जो दिया था कार्य-स्थगन के रूप में, मन्जूर अहमद, एम0एल0ए0 को 8-8 चोटें आई, लिखा है, डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार 8 चोट बताई गयी हैं। हम लोगों को इत्तला है कि फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन इसमें काफी गम्भीर चोटें

[श्री श्याम धर मिश्र]

आई थीं क्योंकि वह हम लोगों के पास तो आये नहीं हैं लेकिन हम लोगों को मालूम हुआ कि उनको काफी चोटें आयीं। इसके अलावा जो उनकी मांगें हैं तो मांगों के सम्बन्ध में पेज एक पर लिखा गया। नम्बर 1 से 5 तक लिखा है कि मुख्य मांग निम्नांकित हैं। तो मान्यवर, मांगें केवल इतनी ही नहीं थीं, उनकी अनेक मांगे थी। उनकी मांग श्रेणी के सम्बन्ध में थी। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं एक सूचना धारा 51 में दी थी, उसमें यह था कि जो लोग ग्रेजुएट थे उनको श्रेणी नहीं दी गयी थी। इसके 4 दिन बाद भी उनको श्रेणी नहीं दी गयी। इसके बारे में भी इसमें चर्चा नहीं की है। तो श्रीमन्, यह बताया जाय कि कब उन्होंने श्रेणी की मांग की और कब उनको श्रेणी दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

60 व्यक्तियों को तो उच्च श्रेणी मिल गयी।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना इक्जेक्ट तो नहीं है कि कब-कब, किस तारीख को दी गई। लेकिन निश्चित रूप से 60 व्यक्तियों को उच्च श्रेणी दी गयी यह निर्विवाद है।

श्री श्याम धर मिश्र--

मेरा मतलब तारीख से नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जिस दिन वह गिरफ्तार किए गए उसके कितने दिन बाद उन लोगों को श्रेणी दी गयी। इतना बता दिया जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, उच्च श्रेणी जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश से दी गयी थी। उसका क्रमिक विवरण नहीं है कि किस-किस तारीख को दिया गया है। लेकिन 12 तारीख से पहले 60 लोगों को दे दी गयी थी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कुल 672 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 60 व्यक्तियों को उच्च श्रेणी दी गयी है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 672 में से कितने व्यक्ति ऐसे थे जिनको उच्च श्रेणी दी जानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जो उनकी मांग थी, उसमें यह बात थी कि रोटी, सब्जी वगैरह जो दी जा रही है उसमें, कंकर, पत्थर मिले हैं और साफ नहीं है। ऐसी क्या उनकी मांग थी ? तीसरी बात यह कि माननीय मन्जूर अहमद को 8 चोटें आई हैं, मुझे सूचना है कि उनके फ्रैक्चर है। तो क्या उनका एक्स-रे किसी बाहर के अस्पताल में कराने की कृपा करेंगे ?

एक सदस्य--

आपने साल भर मीसा वालों को बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त रहें।

श्री देव बहादुर सिंह--

आप क्या मन्त्री जी की जगह पर उत्तर दे रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह ---

मान्यवर, जहां तक रोटी का सवाल है, आन्दोलनकारियों को बर्तन दिए गए थे, भोजन बनाने का सामान दिया गया था। इसके अलावा कैदी उनको दिए गए थे जिससे वह खाना बनवाते थे और खाते थे। इसलिए सड़ी गली सब्जी का प्रश्न नहीं उठता। सामान उनको दिया जाता था। कैदी उनको दिए जाते थे बनवाने के लिए। दूसरे जो श्री मन्जूर अहमद को चोटें आयीं, इसके बारे में यह है कि उसकी सी0एम0ओ0 ने और अन्य डाक्टरों ने जांच किया और मेडिकल कालेज में भेज कर उनका एक्स-रे भी किया गया, तो कोई फ्रैक्चर नहीं निकला। सी0एम0ओ0 ने जो कहा तो दवाई दी गयी। तो पुनः एक्स-रे कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, कितने व्यक्ति ऐसे थे जिनको उच्च श्रेणी दी जानी चाहिए थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं बता दूं कि उच्च श्रेणी मैनुअल के अन्दर जो है उसके अनुसार मैजिस्ट्रेट के विवेक पर है। वह जिसको उचित समझते हैं, जिसको देने की आवश्यकता समझी है, उसको दिया है। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि एटा में 442 में से 164 को दिया है। मैंने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया था कि इनको दी जाय। मैनपुरी में 143 में से 60 को मिली। वाराणसी में 75 में से 75 को मिली। बस्ती में 360 में से 104 को मिली। इटावा में 281 में से 154 को मिली। इस तरह मैजिस्ट्रेट ने अपने विवेक से जो उचित समझा, वह दिया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, अपर क्लास देने के लिए क्या कुछ खास नियम लगा हुआ है कि ग्रेजुएट हों या इनकम टैक्स इतना देते हों, उनको दिया जायगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जो नियम बने हुए हैं, तो उसमें उनको अपर क्लास दिया गया या उनकी दरख्वास्त पर दिया गया या अपने से ही क्लासीफाई कर दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, जो हमें जानकारी मिली है उसमें, बहुत से लोगों को मैजिस्ट्रेट ने स्वयं दे दिया' बहुत से लोगों को एप्लीकेशन पर दिया और बहुतों को इंकार किया। इस पर कोई मैन्डेट नहीं है। मैजिस्ट्रेट के विचार पर है। मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर है। जो आधार पहले था उससे यह आधार लिबरल रहा है। यदि मैजिस्ट्रेट को पहले होता, तो हम लोगों को आपातकाल में इतना परेशान न होना पड़ता।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि बयान को पढ़ने से मालूम होता है कि जिस मांग को लेकर तथा कथित झगड़ा शुरू हुआ जिसके कारण आन्दोलनकारियों को जेल स्टाफ द्वारा हमला किया गया। यह इसलिए हुआ कि जो पांचवीं मांग है कि हातों के अड़गड़े खुले रहें और सभी आन्दोलनकारियों बन्दियों को एक हाते से दूसरे हाते में बिना रोक टोक के घूमते

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फिरते रहे। तो अड़गड़े खुले रहें यह मुख्य मांग थी जिस पर झगड़ा हुआ। श्रीमती काजिमी को अपने पति से मिलने की बात आयी, जोकि बन्द थी और उनके पति भी बन्द थे। तो 4 बजे शाम की बात है कि श्रीमती काजिमी को अपने पति से मिलने को मना किया गया कि एक बार तो बात हो गयी, दुबारा क्यों करती है। इसलिए मांग थी कि अड़गड़े दिन भर खोले जायं। यह मांग नामन्जूर कर दी गयी। क्या मन्त्री जी को मालूम है कि उनकी कोई ऐसी नीति है कि राजनीतिक लोगों के लिए रात में भी अड़गड़े खुले रहने की प्रथा है ? यदि हां, तो मेरठ जेल में अड़गड़े राजनीतिक नेताओं के लिए खुले रहने पर पाबन्दी क्यों की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, प्रथा की बात कही जाय तो आपातकाल में राजनैतिक लोगों को नजरबन्द करके कोठरी में रहने की प्रथा की गयी थी। इसमें हमने 10 बजे से 3 बजे तक लोगों को मिलने की छूट दिया था और जैसा कि वक्तव्य में है कि श्रीमती काजिमी, अपने पति से पहले मिल चुकी थीं। जेल में मिलने की अनुमति दी जाय इस तरह का कोई नियम नहीं है। नियम है कि पुरुष अलग रहेंगे और औरतें अलग रहेंगी। इस सम्बन्ध में कोई छूट नहीं है। न ऐसी कोई परम्परा भूतपूर्व मन्त्री ने डाली है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मैजिस्ट्रेट की डीस्क्रीशनरी पावर है और उसके आधार पर वह किसी को बी-क्लास या सी-क्लास दे सकता है। तो क्या यह समझा जाय कि यदि कोई एम0पी0 या एम0एल0ए0 भी पोलिटिकल में जायगा, तो उस पर भी वह डिस्क्रीशनरी पावर एप्लाई करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, आपातकाल में जैसा डिस्क्रीशन एप्लाई किया गया था वैसा यह शासन डी0एम0 को नहीं करने देगा। यदि एम0पी0 या एम0एल0ए0 जायगा, तो उसको अपर क्लास दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 144 को तोड़कर 188 में जाया जाता है, इसमें क्या डी0एम0 को डिस्क्रीशनरी पावर होगा कि एम0पी0 या एम0एल0ए0 को सी—क्लास में भेज दे और अपर क्लास में न भेजे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई डिस्क्रीशन नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि लगभग 400 आन्दोलनकारी गिरदें में एकत्र हो गए। फिर एलार्म बजा तो जेल स्टाफ आ गया और उसने स्थिति को काबू में लाने का प्रयास किया। तो क्या यह सही है कि जो लोग जेल स्टाफ में नहीं बल्कि क्रिमिनल कैदी हैं, उन का भी प्रयोग आन्दोलनकारियों को मारने-पीटने में किया गया और तमाम क्रिमिनल कैदियों को मारने-पीटने के लिए इस्तेमाल किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, सौभाग्य है कि हम लोगों को जेल की हर बात को देखने का मौका मिला है कि किस तरह से जेल में डण्डे पड़ते हैं। मान्यवर, जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि जेलों में जो लम्बरदार होते हैं, वे भी जेल की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। तो निश्चित है कि वे सजायाफ्ता कैदी होते हैं। अगर उस स्थिति को सम्भालने के लिए उनका भी उपयोग किया गया है, तो कुछ बन्दी उसमें घायल हुए हैं। तो निश्चित है कि जो लम्बरदार हैं, उनका उपयोग हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लेकिन इनके वक्तव्य में उसका कोई उल्लेख नहीं है। क्रिमिनल कैदियों और लम्बरदारों का कोई उल्लेख वक्तव्य में नहीं है। अब मान्यवर, एक प्रश्न यह है कि पृष्ठ 4 में पहली पंक्ति में दिया है—जो एक बन्दी घायल था, वह लम्बरदार था या गैर-लम्बरदार कैदी था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, वह सजायाफ्ता कैदी था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लेकिन मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि केवल लम्बरदार ही लगाए गए थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, वह लम्बरदार ही था।

श्री अध्यक्ष—

उसमें आप यह पूछ लें कि सजायाफ्ता क्या सी0ओ0 था या कनविक्ट वार्डर था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह स्पेसिफिक नहीं मालूम।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने सजायाफ्ता बन्दियों ने इन 400 आन्दोलनकारियों पर हमला किया ? उसमें कितना जेल स्टाफ था, कितने वार्डर थे, कितने हेड वार्डर थे, कितने लम्बरदार थे ? कितने सजायाफ्ता का इस्तेमाल हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

संख्या बताने के लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। एलार्म बजने के बाद जो जेल के नियम हैं, जितने सुरक्षा से सम्बन्धित होते हैं, सभी वहां एकत्र हो जाते हैं। संख्या चाहेंगे, तो वह भी बतला दी जायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या यह सही है कि तमाम वार्डों के कटघरों को खोल दिया गया था और तमाम क्रिमिनल कैदियों द्वारा बगली लेकर पिटवाया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

नहीं, मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह--

उसमें लिखा है कि बन्दियों को उपचार के लिए भेज दिया गया। तो कितने बंदियों को प्रथम उपचार के बाद भेज दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

कुल 24 जेल कर्मचारी घायल हुए हैं जिसमें 16 कांग्रेस आन्दोलनकारी हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो 24 घायल हुए हैं, उसमें कितने बन्दी थे ?

श्री अध्यक्ष--

वे जानना चाहते हैं कि कितने कनविक्ट वार्डर और कितने सी0ओ0 थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

6--7 थे लगभग।

श्री अध्यक्ष--

इस पर विवाद समाप्त कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इतना महत्वपूर्ण विषय है, . . .

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अन्त में इतना कह देना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में हमने कहा है कि हम किसी को भी संरक्षण देना नहीं चाहते। मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी हो रही है। जेल अधिकारी भी दोषी पाए जायेंगे तो उन को दंडित किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह सारी मार-पीट जो क्रिमिनल कैदियों द्वारा की गयी इसकी जूडिशियल इंक्वायरी करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी आवश्यकता न है न ही ऐसी परम्परा है। मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी से सन्तोष नहीं हुआ, कुछ गलतियां पाई गई तो फिर विचार किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ऐसा असन्तोषजनक उत्तर है। वक्तव्य में क्रिमिनल कैदियों ने मारा-पीटा उसका उल्लेख नहीं किया और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को कैदियों से मारा पीटा जा रहा है।

हम सदन का वहिष्कार करते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री रियासत हुसैन--

गम्भीर घटना के बाद भी जूडिशियल इंक्वायरी के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है इसलिए हम भी वाक-आउट करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गए।)

दैनिक आज व जागरण के मालिकों व व्यवस्थापकों द्वारा कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

आइटम नं0 16, इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अनुरोध किया है कि सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने किसी दूसरी तारीख के लिए कहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में वक्तव्य पहली नवम्बर को दिया जायगा। और जो यह माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने नेशनल हेराल्ड के बारे में कहा है इसकी सूचना भी पहली नवम्बर को दे दीजिए।

परिवहन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों के निलम्बन के विषय में 10 अक्तूबर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरे 10 अक्तूबर, 1977 के प्रश्न के बारे में जो परिवहन विभाग के दो उच्च अधिकारियों के निलम्बन के बारे में है, हमारे परिवहन मन्त्री जी ने यह कहा था कि इन अधिकारियों के खिलाफ सी0आई0डी0 की इंक्वायरी चल रही है। जिस तरह सदन में यह बताया गया उससे यह चर्चा का विषय बना और वह नियम 49 के अन्दर चर्चा कर रहा हूं।

श्रीमन्, उन अधिकारियों के खिलाफ यह कहा गया है कि उन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और क्या दुरुपयोग किया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी की सभाओं में भीड़ इकट्ठा कराने के लिए मोटर कारों का इन्तजाम किया। महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हुं कि प्रजातन्त्र देश में है और प्रजातन्त्र में जो उच्चतम सत्ता है, वह कैबिनेट और मन्त्रियों में निहित होती है। अगर कोई मन्त्री या कैबिनेट किसी अधिकारी को यह आदेश देता है मौखिक या लिखित, तो उस आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। आप श्रीमन, यह देखें। तो जब इन अधिकारियों को यह आदेश दिया गया और साथ ही परिवहन आयुक्त ने यह आदेश पहले मौखिक दिया और फिर लिखित दिया तो फिर उन अधिकारियों ने बसों का प्रबन्ध किया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया बल्कि उन बसों के लिए पैसा, जिन लोगों ने दिया उन पैसों से वे बसें आईं और लाकर के हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के मजमें में भीड़ लगाई।

मान्यवर, भीड़ लगाने का प्रश्न नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सवाल इस बात का है कि अगर हमारे कैबिनेट और हमारे मन्त्रीगण कोई आदेश दें किसी बात के लिए आपने अधिकारियों को कहा तो क्या आप उनको इस बात की छूट देंगे कि वे जिले में अपने कार्यालय में बैठकर यह तय करें कि कौन सा मन्त्री जी का आदेश सही है और कौन सा गलत है। आज प्रदेश का शासन स्टेगनेंट है। मन्त्री जी का आदेश कौने में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

फेंक दिया जाता है। कारण इसका यह है कि आपको कार्य उन्हीं अधिकारियों से कराना पड़ेगा जो उस कार्य को कर रहे थे और आज भी वही अधिकारी हैं और आपके आदेशों का पालन करवाना उन्हीं अधिकारियों का काम है। आज प्रदेश में अधिकारी वर्ग डर गया है अगर हम उनके आदेशों का पालन करेंगे तो जब दूसरी सरकार आएगी तो उस समय फिर हमारे साथ ज्यादती की जायगी। इस तरह की एक भयावह स्थिति अपने प्रदेश में फैल गयी है। मुझे यह जानकारी हुई है कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्या है और क्या यह सही है कि परिवहन मन्त्री तथा परिवहन आयुक्त इन गाड़ियों के इन्तजाम के लिए स्वयं रायबरेली गए और वहाँ गाड़ियों का इन्तजाम किया। तो क्या उस सम्बन्ध में केवल दो ही अधिकारी दण्ड के भागी हैं और प्रदेश के जो भूतपूर्व परिवहन मन्त्री हैं वे क्यों नहीं इसकी परिधि में आए ? मन्त्री जी इस बात का साफ-साफ जवाब देने की कृपा करेंगे।

*परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, यह मामला जैसा मैंने पहले निवेदन किया था सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द है जोकि लोगों के बयानात ले रही है और जाँच कर रही है। इस जाँच के दौरान उसको यह पता लगा कि ये दो आफिसर्स जो आप्रेटर्स हैं, उन पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं कि वह बयान न दें। जब ये बातें उनकी इत्तिला में आयीं, तो इस पर उनको सस्पेंड किया गया। इन दोनों के लिए ही उन्होंने कहा और किसी के लिए नहीं कहा। अब इसके बाद जैसी कार्यवाही होगी, देखी जायगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

परिवहन विभाग के अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में माननीय गनेशी लाल ने जो प्रश्न उठाया है यह श्री संजय गाँधी की रैली के सम्बन्ध में और श्रीमती इंदिरा गाँधी की रैली के सम्बन्ध में, जो प्रदेश के हर कोने से अधिकारियों ने बस ला-लाकर पहुचाई थीं, उससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पाण्डेय, आप नियम के अनुसार प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब भूतपूर्व परिवहन मन्त्री श्री एस0 पी0 सिंह न 31 मार्च, 1976 को पत्र लिखकर सचिव को आदेश दिया कि वह बसों का प्रबन्ध करें और सचिव महोदय तैयार नहीं हुए और आयुक्त महोदय तथा अन्य अधिकारी बसों को ले आए, तो क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ? रायबरेली में जब रैली थी संजय गाँधी की उसमें आयुक्त महोदय स्वयं गए थ और अधिकारियों को भी भेजा था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आबिद अली—

उसमें कौन गया, क्या हुआ यह सब चीज सी0आई0डी0 इंक्वायरी में हैं। अभी चूंकि इन्क्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है इस वास्ते मुश्किल है यह बताना कि कौन गया; कौन नहीं गया।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि परिवहन मन्त्री श्री शिव प्रसाद सिंह ने यह लिखित आदेश दिये कि आप गाड़ी और ट्रकों की व्यवस्था करें, रैली के लिए और उनके लिखित आदेश और चिट्ठी पायनियर अखबार में और तमाम अखबारों में भी प्रकाशित हुई। इन आदेश के आधार पर अधिकारियों ने बस और ट्रक चलाई, उन मन्त्री के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरा यह कि दो अधिकारियों पर कार्यवाही की गयी है जैसा कि मन्त्री जी का कहना है कि यह लोग कुछ लोगों पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए कार्यवाही की गयी। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दो व्यक्ति छोड़ दिये गये, उसमें एक आदमी ऐसा है जो श्री चतुर्वेदी अतिरिक्त निदेशक हैं जिनके सगे भाई राज्य सम्पत्ति कार्यालय में निजी सचिव हैं और एक भूतपूर्व मुख्य सचिव के भाई हैं। इन दो वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव से. . .

श्री अध्यक्ष—

श्री हरिकेवल जी यह आक्षेप आप न करें आप प्रश्न कीजिए।

श्री हरि केवल प्रसाद—

दो वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव के कारण जो दो लोग छोड़े गये हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरा यह कि जिन भूतपूर्व परिवहन मन्त्री जी ने पत्र लिखा, जो प्रकाशित भी हुआ, उनके ऊपर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली—

यह सब चीजें सी0आई0डी0 की इंक्वायरी में हैं जिस वक्त इंक्वायरी कम्पलीट होगी, जिसके खिलाफ चार्ज पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। चाहे वह परिवहन मन्त्री हो या कोई ऑफिशियल हो।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विभागीय मन्त्री का आदेश मानने के लिए अधिकारी बाध्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि क्या विभागीय अधिकारी मन्त्री का आदेश पालन करने के लिए बाध्य हैं ?

श्री आबिद अली—

अगर गलत आर्डर दिया जाता है तो मानने के लिए मजबूर नहीं हैं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने दो अधिकारियों के निलम्बन की बात कही। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उस समय मन्त्री थे उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उसमें वह 5(2) करप्शन ऐक्ट के मुलजिम हैं तो क्या वह केन्द्र के गृह मन्त्रालय को लिखेंगे कि उस समय के जो मन्त्री थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय या उसकी जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त हो ?

श्री आबिद अली—

यह होम डिपार्टमेंट के जरिए से हो रहा है। मैं समझता हूं अगर इस कार्यवाही की जरूरत होगी तो जरूर की जायगी।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि जो आदेश गलत हों उनको अधिकारी मानें या न मानें।

(व्यवधान)

ठीक है नहीं मानना चाहिए। तो मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आदेश दिए जाते हैं उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया है या स्टैंडर्ड है जिसमें नापा जा सके कि यह आदेश गलत है, इसको नहीं मानना चाहिए।

श्री आबिद अली—

अब कोई स्टैन्डर्ड तो नहीं है। केवल अकल का, कायदे-कानून का स्टैंडर्ड होता है। यह तो ठीक नहीं है कि बस, ट्रक ली जाय और उनका किराया भी न दिया जाय तथा प्रेशर डाला जाय।

श्री शम्भूनाथ—

मन्त्री महोदय मन्त्री हो गए हैं, इसलिए जो चाहे वह न कह दें। यह बहुत ही आब्जेक्शनेबिल चीज है। उनको बहुत सीरियसली इस पर विचार करना चाहिए था और जवाब देने के पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि इस देश में प्रजातन्त्र रहेगा या नहीं ? प्रजातन्त्र के विरुद्ध अधिकारी व कर्मचारी उस आदेश का पालन किस तरह करेगा। बहुत असन्तोषजनक है कह देना इस तरह से। मैं आब्स्ट्रैक्ट अन्सर उनका मानता हूं। स्टैंडर्ड वही है उनके पास तो कैसे मानते हैं आप कि अवहेलना की तो कैसे आप दंडित कर सकते हैं। वह नहीं मानता है तो किस कोर्ट में, किस हिसाब से वह अधिकारी दंडित किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी गाड़ी को लेना हो तो उसका रिक्वीजीशन किया जाता है। तो अगर कोई मन्त्री संजय गांधी के आगमन पर नाजायज तौर पर किसी अधिकारी को अधिकार देता है, आदेश देता है कि इस बस का रिक्वीजीशन करो, तो रिक्वीजीशन करने का आदेश उसे नहीं मानना चाहिए था। अब यहां प्रश्न यह होता है कि आप इसे उस तरह से कह सकते थे कि तत्कालीन सचिव और उस समय के आयुक्त जो थे, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ, जो गलत तरीके से बसें लाये, कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की ? और नहीं की तो क्या वह आपके अनुसार गलत आदेश पालन करने के दोषी नहीं थे ?

श्री आबिद अली—

चूंकि यह जांच हो रही है. .

श्री अध्यक्ष—

आप बड़ी असन्तोषजनक बात कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे साफ है—जिस समय मार्च में ये गाड़ियां मंगाई गई थीं, उन अधिकारियों ने नाजायज गाड़ियां लीं, तो उसके लिए परिवहन आयुक्त और सचिव ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए, मुख्य सचिव ने क्या कदम उठाए और क्यों नहीं इनको सस्पेंड किया था ? यदि नहीं किया तो, जिन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, क्या वे दोषी नहीं हैं ?

यह सीधा प्रश्न है। लेकिन आप सी0आई0डी0 की बात बार-बार कह कर इसे एवाइड कर रहे हैं।

श्री आबिद अली—

अब इस पर विचार किया जायगा।

श्री शम्भू नाथ—

श्रीमन्, फिर अब्स्ट्रैक्ट उत्तर मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कहना जनहित में अत्यन्त अनुचित है। प्रश्न मार्च का है, जिसके बारे में माननीय सदस्य का कहना है कि एक लेटर लिखा था और अधिकारियों ने भूल की, नाजायज गाड़ियां ली, तो इन अधिकारियों ने जो उस समय थे, क्या कार्यवाही की ? और नहीं की, तो क्या आज कोई उनके खिलाफ आप स्टेप ले रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

यह माननीय मन्त्री जी इसके लिए बाध्य नहीं हैं कि जो माननीय सदस्य कहें वह उत्तर वह दें।

श्री अध्यक्ष—

यह सही है, लेकिन. . . . .

(व्यवधान)

स्टेट की सुरक्षा में वह कोई उत्तर न दें, ठीक है, लेकिन यह पूछा जाय कि 2 और 2, 4 होते हैं या 5, तो यह कहें कि जनहित में बताना ठीक नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है ? आपने चूंकि शपथ ली है कि जो भी कार्य आपके सामने लाया जायगा, उसे आप निष्पक्ष होकर करेंगे, तो इसमें तो सीधा प्रश्न था कि जिन अधिकारियों ने ऐक्शन नहीं लिया वे भी इसमें उतने ही दोषी हैं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक के राज्यपाल के दामाद होने के नाते माडविल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री आबिद अली--

ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

घंटी बजायी जाय ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

कोरम पूरा हो जायगा तो सदन चलेगा, नहीं तो सारे प्रश्न स्थगित हो जायेंगे ।

श्री शम्भूनाथ--

आखिरी समय में जब एक घंटा की बहस होती है तो उसमें कनवेंशन है कि उसमें कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

परम्परा है । यदि आपत्ति नहीं की जाती है तो चल सकता है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, वे लोक सभा में रह कर आये हैं । लोक सभा की मान्यताएं हो सकती हैं । लेकिन हम लोग मृत्यु लोक के प्राणी हैं जो नियम दिये गये हैं उनके अनुसार चलेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आध घंटे की चर्चा स्थगित नहीं हो सकती है । अपने आप समाप्त है क्योंकि सदन की जिम्मेदारी है । मैं नियम के अनुसार स्थगित नहीं कर सकता । आपने कोरम बनाने की कोशिश नहीं की ।

(गणपूर्ति न होने पर)

अब हम उठते हैं । पहली नवम्बर, 1977 को पूर्वाह्न 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 53 मिनट पर मंगलवार, 1 नवम्बर, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
18 अक्तूबर, 1977 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर।)

रेडियोग्राम क्रैश

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

होमअप,

लखनऊ।

ओरिजनेटर नं0 82/2/78/77–सी0 एक्स0–7, दिनांक 23 मार्च, 1977

भारत सरकार ने, डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के रूल 33 के सब रूल (1) के अधीन जारी किए गए अपने आदेश संख्या एस0ओ0 303(ई) से एस0ओ0 307(ई) तक दिनांक 3 जुलाई, 1975 और एस0ओ0 310(ई), दिनांक 4 जुलाई, 1975 को विखंडित करने का निर्णय लिया है जिनमें 25 जून, 1975 को उद्घोषित आपात-स्थिति के सन्दर्भ में कतिपय ऐसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था जिनके कार्य-कलाप आन्तरिक संरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल समझे गए। सम्बन्धित संगठन ये हैं, "(एक) आनन्द मार्ग (दो) प्राउटिस्ट फोरम आफ इंडिया (तीन) प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इंडिया (चार) विश्व संक्रान्ति सेवा जो वालंटियर सोशल सर्विस भी कहलाती है (पांच) सेवा धर्म मिशन (छः) एजूकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेयर सेक्शन (सात) प्रगतिशील भोजपुरी समाज (आठ) अंगिका समाज (नौ) बघेल खण्ड समाज (दस) यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन (ग्यारह) यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन (बारह) रिनायसेन्स यूनिवर्सल क्लब (तेरह) रिनायसेन्स आर्टिस्ट एण्ड राइटर्स एसोसिएशन (चौदह) आनन्द मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम (पन्द्रह) कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (चारू मजूमदार ग्रुप प्रो-लिन पियाओ फैक्शन) (सोलह) कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (चारु मजूमदार ग्रुप ऐंटी लिन पियाओ फैक्शन) (सत्रह) यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (एस0एन0 सिंह चन्द्र पुल्ला रेड्डी ग्रुप) (अठारह) दि आंध्र प्रदेश कम्युनिस्ट कमेटी (रेवल्यूशनरीज) (टी0 नागी रेड्डी ग्रुप) (उन्नीस) कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (सुनीति घोष शर्मा फैक्शन) (बीस) इस्टर्न इंडिया जोनल कन्सालिडेशन कमेटी आफ दि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (इक्कीस) माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (बाइस) दि मुक्ति युद्ध ग्रुप (तेइस) यूनिटी सेन्टर आफ कम्युनिस्ट रेव्यूलूशनरीज आफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (चौबीस) सेन्टर आफ इंडियन कम्युनिस्ट (पच्चीस) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (छब्बीस) जमायते इस्लामी-ए-हिन्द (सत्ताइस) जमायते इस्लामी-ए-जम्मू ऐंड काश्मीर। राज्य सरकार ने, डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के रूल 33 के सब रूल (1) के अधीन जारी किए गए अपने आदेश संख्या 83/37/76–सी0एक्स0–7 दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 को भी विखंडित कर दिया है जिसके

द्वारा "जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ" पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। ऐसी सभी अधिसूचनाएं और आदेश भी जो राज्य सरकार द्वारा इन संगठनों के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले स्थानों पर कब्जा करने, इन संगठनों की निधियां जब्त करने और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट, 1908 की धारा 17-ए से 17-ई तक के अधीन इन संगठनों की चल सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए जारी किए गए हों, परिणामस्वरूप विखंडित हो गए हैं। सभी चल तथा अचल सम्पत्ति, निधियों, बैंक खाते इत्यादि को जिन्हें कब्जे में ले लिया गया हो, तुरन्त हीं उन व्यक्तियों को वापस कर दिया जाय, जिनके नियत्रंण में ऐसे संगठन हों। उनके ब्योरे तथा उनके वापस किए जाने के दिनांक राज्य सरकार को तुरन्त सूचित किए जायं। रूल 33 के अधीन (चाहे रूल 33 का उल्लेख अभिव्यक्त रूप से किया गया हो या न किया गया हो) अभियोग हेतु डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के सभी मुकदमें जो इन संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन हों, तुरन्त वापस ले लिए जायं और पब्लिक प्राजीक्यूटर को ये अनुदेश दे दिये जायें कि वे इन मुकदमों में डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के अधीन अभियोग की वापसी के लिए सम्बद्ध न्यायालयों में तुरन्त आवेदन करें। इस प्रकार वापस लिए जाने वाले मुकदमों की सूची, अभियुक्तों के नाम सहित सरकार को तुरन्त भेजी जाय। इन संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरुद्ध डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के मुकदमों में, जिनकी पुलिस जांच कर रही हो, अन्तिम रूप से रिपोर्ट दे दी जाय और उनका विवरण राज्य सरकार को शीघ्र भेजा जाय। यह सन्देश सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। ये आदेश न्याय विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

मेरा गुरुदेव

रेडियोग्राम क्रैश

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

होमअप,

लखनऊ।

ओरिजनेटर नं0 82/2/78/77–सी0एक्स0–7, दिनांक लखनऊ, 31 मार्च, 1977

दिनांक 23 मार्च, 1977 का समसंख्यक सरकारी रेडियोग्राम देखें जिसमें कतिपय संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिए जाने तथा अनुवर्ती कार्यवाही की सूचना दी गयी थी। इस रेडियोग्राम में अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया गया था कि सभी चल तथा अचल सम्पत्ति, निधियों, बैंक खाते, इत्यादि को जिन्हें कब्जे में ले लिया गया हो, तुरन्त ही उन व्यक्तियों को वापस कर दिया जाय जिनके नियन्त्रण में ऐसे संगठन हों और उनके ब्योरे तथा उनके वापस किए जाने के दिनांक राज्य सरकार को तुरन्त सूचित किये जायं। खेद है कि आप से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सम्पत्तियों के ब्योरे और उन्हें वापस किए जाने के दिनांक वापसी सिगनल द्वारा सरकार को सूचित किए जायं। जिन सम्पत्तियों को उन्हें अब तक वापस न किया गया हो उनके ब्योरे तथा ऐसा न किए जाने के कारणों के बारे में भी सरकार को तुरन्त रिपोर्ट भेजी जाय।

दिनांक 23 मार्च, 1977 का समसंख्यक सरकारी रेडियोग्राम और सरकारी रेडियोग्राम संख्या 82/2/6/77–सी0एक्स0–7, दिनांक 26 मार्च, 1977 में सरकार ने यह भी आदेश दिया था कि रूल 33 के अधीन अभियोग हेतु डिफेंस एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स के सभी मुकदमें जो भूतपूर्व प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरुद्ध तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गुप्त साहित्य का प्रालेख तैयार करने, उन्हें प्रस्तुत करने, प्रकाशित करने और उसके वितरण का प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार हों, न्यायालयों के विचाराधीन हों, तुरन्त वापस ले लिए जायं और जिन मुकदमों में, जिनकी पुलिस की जांच हो रही हो, उनमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी जाय और ऐसे व्यक्तियों की सूची सरकार को भेज दी जाय। खेद है कि ये सूचियां अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकारी आदेश संख्या 82/2/6/77–सी0एक्स0–7, दिनांक 24 जनवरी, 1977 के अनुसार वापस ले लिए जाने के पात्र सभी मामलों के वापस ले लिए जाने के बारे में कुछ जिलों ने संस्तुति भी नहीं की है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपर्युक्त सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट सभी मामलों के विषय में एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही निश्चित रूप से पूरी कर ली जाय और वापस लिए गए मुकदमों या ऐसे मुकदमों की जिनके सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट दे दी गयी हो, की सूचियां सरकार को तुरन्त भेजी जायं। कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि इन निर्देशों का पालन किए जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेटों तथा उन अधिकारियों की भी, जिन्हें वे इस कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत करें, होगी। यह सन्देश सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इस पर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

रेडियोग्राम

क्रंश

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

होमअप,

लखनऊ।

ओरिजनेटर नं0 82/2/78/77-सी0एक्स0-7, दिनांक लखनऊ 6 अप्रैल, 1977

दिनांक 23 मार्च, 1977 का समसंख्यक सरकारी रेडियोग्राम देखें जिसमें कतिपय संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिए जाने तथा अनुवर्ती कार्यवाही किए जान की सूचना दी गयी थी (.) इस रेडियोग्राम में अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया गया था कि ऐसी सभी सूचनाएं और आदेश भी जो राज्य सरकार द्वारा, इन संगठनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले स्थानों पर कब्जा करने, इन संगठनों की निधियां जब्त करने और क्रिमिनल ला अमेंडमेन्ट ऐक्ट, 1908 की धारा 17-ए से 17-ई तक के अधीन इन संगठनों की चल सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए जारी किए गए हों, विखंडित हो गए हैं। यह भी आदेश दिया गया कि सभी चल तथा अचल सम्पत्ति, निधियां, बैंक खाते इत्यादि को जिन्हें कब्जे में ले लिया गया हो, तुरन्त ही उन व्यक्तियों को वापस कर दिया जाय जिनके नियन्त्रण में ऐसे संगठन हों और उनके ब्योरे तथा उनके वापस किए जाने के दिनांक राज्य सरकार को तुरन्त सूचित किए जायं (.) इस सम्बन्ध में कृपया उन चल तथा अचल सम्पत्ति, निधियों, बैंक खातों इत्यादि के बारे में भी सूचित करें जो आपके जिले में अधिकार में लिए गए हों और जो अब तक वापस कर दिए गए हों और जिन्हें अब तक वापस न किया गया हो और उनके वापस न किए जाने का कारण भी सूचित करें। यह भी सूचित करें कि अपेक्षित सम्पत्ति इत्यादि तैयार की गयी सूची के अनुसार ही वापस की गयी हैं या नहीं। सरकार को यह भी सूचित करें कि इस प्रकार के कितने भवन इत्यादि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन अन्य लोगों को आवंटित किए गए हैं और कितने रिक्त भवन इत्यादि उन व्यक्तियों को वापस किए गए हैं जिनके नियन्त्रण में ऐसे संगठन हैं (.) सरकार को ऐसे भवनों इत्यादि के ब्योरे भी दिए जायं जो अधिकार में लिए गए हों और तत्पश्चात किसी विधि के अधीन अर्जित किए गए हों और अब उनको वापस किए जाने में कठिनाई हो रही हो (.) यह सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त सूचना, पूरे ब्योरे सहित, तीन दिन के भीतर विशेष वाहक द्वारा सरकार को भेज दी जाय (.) यह सन्देश सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इस पर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है (.)

गोपनीय शासनादेश संख्या 82/2/6/77—सी0एक्स0—7, दिनांक 21 अप्रैल, 1977 के प्रस्तर 4 का उद्धरण

जहां तक तत्कालीन प्रतिबन्धित संस्थाओं की तथा अचल सम्पत्ति, जो अधिग्रहण की गयी थी, का प्रश्न है, शासन ने अपने रेडियोग्राम, दिनांक 23 मार्च, 1977 द्वारा यह आदेश पहले ही प्रसारित कर दिए हैं कि ऐसी संस्थाओं की चल तथा अचल सम्पत्ति, धनराशि, बैंक खाते इत्यादि, जिनको कब्जे में लिया गया था तुरन्त उन लोगों को लौटा दिए जायं जिनके नियन्त्रण में अब ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं। आप से यह भी निवेदन किया गया था कि लौटाई गयी सम्पत्तियों के पूरे विवरण शासन को भेजें और यह सुनिश्चित करें कि वापसी इनवेन्ट्री के अनुसार ही की जावे। कुछ जिलों से यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि किन्हीं विधिक कारणों से अथवा अन्य कारणों से ऐसी कुछ सम्पत्तियां अभी लौटाई नहीं गयी हैं। अतः उपरोक्त सूचना भेजते समय आप इस बात का भी विवरण भेजें कि कौन-कौन अचल सम्पत्ति इस बीच एक्वायर कर ली गयी है अथवा रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गयी है और अब उसका खाली कब्जा देना सम्भव नहीं हो पा रहा है। यह सभी विवरण आप शासन को एक सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें ताकि उसका विधिक परीक्षण कराके आवश्यक आदेश जारी किये जा सकें।

विधान परिषद उ०प्र०

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न सख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 223 पर)

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	स्वीकृत ऋण			वितरित ऋण		तकनीकी अधिकारी का नाम व पद	रिपोट
		तिथि	धनराशि	प्रयोजन	तिथि	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेसर्स बी0को0 साइकिल्स, कानपुर (मेसर्स बाइको साइ-किल्स एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर) 1	30-10-69 (प्रथम ऋण)	3,50,000	साइकिल के पुर्जों के निर्माण हेतु	17-12-71 64,000.00 16-6-72 8,750.00 30-8-72 10,200.00 15-9-72 15,00.00 12-10-72 20,000·00 24-1-73 42,000.00 2-2-77 1,90,000.00 3,50,000.00		श्री किशोर मोहन, विकास अधिकारी, उद्योग निदेशालय, कानपुर।	योजना आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण है। ऋण स्वीकृत किए जाने के पक्ष में हैं। रिपोर्ट विस्तृत है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	24-12-76 (द्वितीय ऋण)	1,08,700	ट्यूबलर पोल्स निर्माण हेतु।	..	..	श्री आर0 एन0 पाँडे प्रबन्धक (तकनीकी) उ0 प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।	मुख्य तकनीकी प्रबन्धक की राय में योजना चलाने योग्य तथा लाभ पूर्ण है ट्यूबलर खम्भे बनाने की योजना लाभप्रद बनाने के सम्बन्ध में इसे परिवर्तित करने के बाद ही और धन देना श्रेयस्कर होगा। रिपोर्ट विस्तृत है।
2 मैसर्स कैनम इन्डिया लखनऊ।	24-1-75 (प्रथम ऋण)	11,00,000	कैनिंग उद्योग	6-2-74 18-3-74 17-4-74 10-5-74 13-1-75 6-2-76 4-7-76 30-11-76	83,000.00 1,20,000.00 54,000.00 5,00,000.00 1,25,000.00 22,000.00 53,000.00 1,43,000.00 --- 11,00,000.00	श्री आई0 पी0 एस0 सेगल सहायक तकनीकी अधिकारी तथा श्री डी0के0पुनथा, सहायक तकनीकी अधिकारी, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर (द्वारा ऋण के पूर्व योजना का अप्रेजल नोट बोर्ड के समक्ष बनाकर प्रस्तुत किया गया था)।	योजना चलाने योग्य तथा लाभपूर्ण है। रिपोर्ट विस्तृत है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28-11-75 (द्वितीय ऋण)	3,40,000	तदैव	20-5-77 1-6-77 11-7-77 22-7-77 27-8-77	50,000 00 50,000.00 1,08,572.00 85,790.00 14,100.00 ——— 3,08,462.00 ———	श्री डी0के0 पुनेथा प्रबन्धक (तकनीकी) उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर (द्वारा निरीक्षण के आधार पर अप्रेजलनोट बोर्ड समक्ष प्रस्तुत किया गया था)।	योजना के अतिरिक्त व्यय आदि की पूर्ति हेतु अतिरिक्त ऋण दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट विस्तृत है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 228 पर)

सूची

(1) गेहूं करीब 10 क्विन्टल, (2) दाल अरहर करीब डेढ़ मन, (3) सरसों करीब ढाई क्विन्टल, (4) धान करीब 7 क्विन्टल, (5) जौं करीब 4 पसेरी, (6) भेली करीब 20 के0 जी0, (7) सावाँ करीब डेढ़ क्विन्टल, (8) अरहर करीब 30 के0 जी0, (9) मटर करीब 2 क्विन्टल, (10) चना करीब 1 मन, (11) गगरा पीतल एक, (12) बटूला कसकुट 2 अदद, (13) लोटा पीतल 1 मुरादाबादी, (14) गिलास पीतल 1, (15) गिलास गिलट, 1 (16) परात पीतल 2 अदद, (17) थाली कसकूट व फूल 5 अदद, (18) कटोरा कसकुट 3 अदद, (19) कलछुल पीतल 1, (20) तावा 1, (21) कड़ाही 1 अलमुनियम (22) पतीली 1, (13) बड़ा पतीला 1, (24) बाल्टी 1 (25) पेट्रोमेक्स (26) रजाई कुल 7 अदद (27) कम्बल 2 (28) चद्दर बिछाने की दो, (28) तकिया 1 (30) गद्दा चारखाना 2 (31) कथरी 4 (32) ओढ़ने की चादर 1, (33) पैजामा सफेद बड़ा 6 अदद, (34) पैजामा सफेद व बनियाइन 6 अदद, (35) बुसर्ट बचकाना 2 अदद, (36) जाकेट 2 (37) पतलून 2 अदद, (38) स्वेटर पूरी बांह 2, (39) स्वेटर हाफ 1, (40) बुसर्ट बड़ी एक, (41) छोटी 2, (42) साल सूती 2, (43) जम्पर 2, (44) ब्लाऊज 2 अदद, (45) साड़ी जनानी, (46) पेटीकोट 1, (47) सलवार बड़ा 2, (48) पंखा 1, (49) साबुन 5 अदद, (50) साड़ी लाल छपी 2, (51) पेटीकोट 3, (52) फराक बचकाना 2 अदद, (53) सलवार बचकाना 2 अदद (54) साड़ी गुलाबी 1, (55) साड़ी बैगनी 1 (56) बचकाना, (57) ब्लाऊज नया 7 (58) पीस ब्लाऊज (59) तौलिया गाँधी आश्रम की एक फटी, (60) लक्स रेक्सोना का 1 (61) बक्स तीन बड़ा (62) ब्रीफ केस 1 (63) बक्स तीन छोटा (64) सुतरी 6 के0 जी0 (65) छाता एक, (66) चौकी एक सेट, (67) कुदाल 2, (68) फावड़ा 2 अदद (69) साइकिल, 1 (70) चारा काटने की मशीन 1, (71) चारपाई छोटी बड़ी 10, (72) हल 3, (73) जुआठा 2, (74) कुरता फटा 1, (75) चद्दर सूती 1, (76) पहरुवा दो, (77) प्याज करीब 15 के0 जी0 (78) तीस करीब 2 के0 जी 0।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 230 पर)

संलग्नक

वर्ष 1976 में बरेली में हुई मन्डलीय उप समिति की बदायूं जिले की योजनाओं पर लिए गए निर्णय व कृत कार्यवाही का विवरण

लिए गए निर्णय	कृत कार्यवाही
1--तहसील दातागंज की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :	
निश्चय हुआ कि योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को संस्तुति के साथ स्वीकृति हेतु भेजी जाय।	रु0 72.07 लाख की योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी गयी है। अभी स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय अपेक्षित है।
2--सड़कें--	
बदायूं-कादर चौक सड़क (9 किलोमीटर) के आधुनीकरण के लिए 11.74 लाख रुपए स्वीकृत हुआ।	वर्ष 1976-77 में 1.20 लाख रुपए का व्यय हुआ तथा वर्तमान वर्ष में दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक 0.61 लाख का व्यय हुआ है।
3--सिंचाई--	
(1) रसूलपुर लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हुआ। निर्माण इसी वर्ष पूरा किया जाय।	सूचना एकत्रित की जा रही है।
(2) गंगा-नरौरा बाँध से तहसील गुन्नौर के लिए एक लिफ्ट कैनाल बनवाने की परियोजना बनायी जाय। सर्वेक्षण का कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाय।	
(3) लाभकारी 10 नलकूपों को चालू किया जाय। मुख्य सचिव, आयुक्त कृषि उत्पादन तथा सिंचाई सचिव इस बात का परीक्षण करें कि ट्यूबवेल्स जो लग चुके हैं उनको क्यों बन्द किया जा रहा है।	
(4) सिंचाई विभाग इस जनपद की सिंचाई के लिए एक योजना तैयार करें और उसे अगली बैठक में प्रस्तुत करें।	

विधान सभा

4—रेलें—

मीरानपुर-बटरा-बहजोई बड़ी लाइन के निर्माण की संस्तुति भारत सरकार को भेज दी जाय।	4—भारत सरकार के रेल मन्त्रालय से अनुरोध किया गया था परन्तु उन्होंने पत्र संख्या 77/डब्लू-4/सी0एन0 एल0 एन0-120, दिनाँक 7 जुलाई, 1977 द्वारा सूचित किया है कि संसाधनों की कमी के कारण प्रस्तावित रेल मार्ग के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं है।

5—चिकित्सा—

(1) एक नई एम्बुलेंस गाड़ी क्रय किए जाने के लिए 80,000.00 रु0 की स्वीकृति दी गयी।	1—एम्बुलेंस क्रय कर ली गई है।
(2) बवराला में महिला चिकित्सालय आगामी वर्ष में खोले जाने की स्वीकृति दी गयी।	बावराला में दानस्वरूप प्राप्त भवन में महिला चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव निदेशक स्वास्थ्य सेवा से प्राप्त हो गया है। 1977-78 का बजट पास होने पर विचार किया जाएगा।

6—उद्योग—

वेजीटेबिल इन्डस्ट्रियल काम्पलैक्स, वितरोई:

निश्चय हुआ कि इस फैक्टरी के लिए वनस्पति घी का लाइसेन्स भारत सरकार से विशेष मामले की भाति प्राप्त किया जाय। हर दशा में वनस्पति घी का उत्पादन जनवरी 1,1977 से प्रारम्भ कर दिया जाय। आवश्यक धन की व्यवस्था पी0 सी0 एफ0 अपने स्रोतों तथा संस्थागत वित्त से सुनिश्चित करे। फैक्टरी की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय। फैक्टरी वितरोई में ही रहेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त इस पर विचार करके मुख्य सचिव महोदय को अपनी आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें।	उद्योग विभाग मन्त्रालय को लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भेजा गया है। लाइसेन्स की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

7—शिक्षा—

200 प्राइमरी स्कूल खोलने और उनमें 400 अध्यापकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर यह निर्णय हुआ कि सर्वेक्षण के पश्चात् एक विस्तृत नोट अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	मण्डलीय समिति के लिए टिप्पणी तैयार कर ली गयी थी किन्तु मन्त्रि परिषद् के विघटन के फलस्वरूप प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

विधान सभा

8—बाढ़ नियन्त्रण—

(1) पिपरौल-चन्दनपुर-हुसेनपुर बांधों का विस्तार स्वीकृत हुआ।	(1) कार्य प्रगति पर है।
(2) गंगा-महावा बांध का विस्तार तथा मरम्मत स्वीकृत हुई।	(2) कार्य प्रगति पर है।
(3) द्वितीय उसैहत बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी।	(3) कार्य प्रगति पर है
(4) सहसवान नाला का निर्माण स्वीकृत हुआ।	(4) कार्य प्रगति पर है।

9—आई0 टी0 आई0 :—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0) की स्थापना स्वीकृत हुई। आई0 टी0 आई0 हरिजन इन्डस्ट्रियल इस्टेट के खाली शेडों में प्रारम्भ की जाय।	बदायूं में दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है।

10—मोबाइल स्वायल टेस्टिंग लैब :—

जनपद के लिए एक सचल भूमि संरक्षण इकाई की स्वीकृति दी गयी। इसकी स्थापना तुरन्त की जाय।	बरेली मण्डल में एक सचल मृदा परीक्षण इकाई काम कर रही है, बदायूं में एक स्थिर प्रयोगशाला कार्यरत है। आवश्यकता पड़ने पर बदायूं में मण्डलीय सचल इकाई का प्रयोग भी किया जा सकता है।

11—सहकारी दुग्ध संघ :—

बदायूं जनपद में एस0 एफ0 डी0 ए0 के माध्यम से एक सहकारी दुग्ध संघ खोले जाने की स्वीकृति दी गयी। राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।	एस0 एफ0 डी0 ए0 बदायूं द्वारा प्रोजेक्टर बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति के लिए दिनांक 26 मार्च, 1977 को भेजी गयी थी। 2 लाख रु0 एस0 एफ0 डी0 ए0 द्वारा दिये जाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। संस्थागत वित्त में 2 लाख रुपए प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है।

12—ट्रेजरी गार्ड के कमरे का निर्माण :—

तहसील बिसौली में ट्रेजरी गार्ड के कमरे के निर्माण के लिए 15,000.00 रु0 की स्वीकृति दी गयी।	15,000.00 रु0 की धनराशि 3 अक्तूबर, 1976 को अवमुक्त कर दी गयी थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 234 पर)

	उत्पादन (टन में)		उत्पादन (क्षमता का प्रतिशत)	
	चुर्क	डाला	चुर्क	डाला
1	2	3	4	5
			प्रतिशत	प्रतिशत
1—आपात्काल के पूर्व—				
1974–75 ..	3,02,076	2,28,600	62.93	57.15
अप्रैल-जून 1975 ..	69,553	56,266	57.96	56.27
2—आपात्काल में—				
जुलाई 1975 से मार्च 1976	3,14,942	2,59,094	87.48	86.56
1976-77 ..	3,86,154	2,96,700	80.45	74.18
3—आपातकाल के पश्चात्—				
अप्रैल-सितम्बर, 1977 ..	1,41,730	1,19,149	59.05	59.57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 235 पर)

हस्तक्षेपीय अपराध 1-1-77 से 31-8-77 जनपद—गोरखपुर

क्रम सं0	नाम थाना	रिपोर्ट	अदम तफतीश	तफतीश	खारिज	बाकी	चालान	सजा	रिहा	सुलह	जेर तजबीज	जेर तफतीश	लापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कैन्ट	..	7	1	6	2	4	..	..	..	..	4	..
2	कोतवाली	..	5	इस्तगासा	5	2	3	3	..	..	..	3	..	..
3	राजघाट	..	8	..	8	..	8	7	..	..	..	73	..	1
4	पिपराइच	..	2	..	2	..	2	1	..	..	..	1	1	..
5	गुलरिहा	..	7	..	7	3	4	2	..	..	..	2	..	2
6	झगहाँ	..	15	..	15	1	14	3	..	..	..	3	6	5
7	चौरीचौरा	..	5	..	5	..	5	3	..	..	..	3	..	2
8	खोराबार	..	3	..	3	1	2	1	..	..	..	1	..	1
9	खजनी	..	14	..	14	1	13	4	..	..	..	4	6	3
10	बेलीपार	..	8	..	8	..	8	7	..	..	..	7	1	..
11	सहजनवां	..	15	..	15	5	10	9	..	..	..	9	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12	चिलुवाताल	..	6	..	6	..	6	3	..	..	..	3	1	2
13	बाँसगाँव	..	11	1	10	1	9	6	..	..	..	6	2	1
14	गगहा	..	4	सुबह	4	1	3	3	..	..	..	3	..	..
15	सिकरीगंज	..	14	..	14	..	14	7	..	..	..	7	4	3
16	गोला	..	8	..	8	1	7	3	..	..	..	3	3	1
17	बेलघाट	..	11	..	11	15	10	6	..	..	..	6	3	1
18	बड़हलगंज	..	11	..	11	..	11	6	..	..	..	6	3	2
19	महराजगंज	..	6	..	6	1	5	3	..	..	..	3	1	1
20	श्यामदेउरवा	..	5	..	5	1	4	2	..	..	..	2	1	1
21	निचलौल	..	4	..	4	2	2	2	..	..	..	2	..	..
22	कोठीभार	..	4	..	4	..	4	2	..	..	..	2	1	1
23	धुधुली	..	9	..	9	2	7	5	..	..	..	5	..	2
24	फरेन्दा	..	3	..	3	1	2	1	..	..	..	1	..	1
25	पीपीगंज	..	7	..	7	..	7	4	..	..	..	4	1	2
26	कम्पियरगंज	..	10	..	10	3	7	3	..	..	..	3	3	1
27	पुरन्दरपुर	..	7	..	7	2	5	5	..	..	..	5	..	..
28	नौतनवाँ	..	7	..	7	1	6	5	..	..	..	5	1	..
	योग	..	216	2	214	32	182	106	..	..	..	106	42	34

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गैर दस्तन्दाजी अपराध जनपद-गोरखपुर 1-1-77 से 31-8-77 तक

क्रम सं०	नाम थाना	रिपोर्ट	अदम तफ्तीश	तफ्तीश	खारिज	बाकी	चालान	सजा	रिहा	सुलह	जेर तजबीज	जर तफ्तीश	लापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कैन्ट	..	27	4	23	..	23	7	..	2	2	5	11	5
2	कोतवाली	..	21	4	17	2	16	14	..	..	..	14	2	..
3	राजघाट	..	12	2	10	..	10	6	..	..	..	6	..	4
4	पिपराइच	..	10	3	7	..	7	5	..	..	..	5	1	1
5	गुलरिहा	..	10	..	10	..	10	9	..	..	..	9	..	1
6	झगहाँ	..	16	10	6	..	6	2	..	..	..	2	1	3
7	चौरीचौरा	..	16	..	6	..	6	7	..	..	..	7	..	1
8	खोराँवार	..	19	7	12	2	10	4	..	..	..	4	2	4
9	खजनी	..	29	24	15	..	15	13	..	..	..	13	2	..
10	बेलीपार	..	5	2	3	..	3	3	..	..	..	3	..	..
11	सहजनवाँ	..	22	2	20	..	20	16	..	..	..	16	..	4
12	चिलुवाताल	..	12	5	7	..	7	6	..	..	..	6	1	..
13	बाँसगाँव	..	14	4	10	..	10	8	..	..	..	8	..	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14	गगहा	..	12	1	11	..	11	10	..	..	..	10	..	1
15	सिकरीगंज		18	8	10		10	10				10		..
16	गोला	..	18	2	16	8	18	8	..	..	..	8	5	..
17	बेलघाट	..	9	2	7	..	7	2	.	..	..	2	5	..
18	बड़हलगंज	..	25	4	21		21	18				18		3
19	महराजगंज		27	4	28		23	19			..	19		4
20	श्यामदेउरवा		12	4	8	..	8	5	..	..	..	5	3	..
21	निचलौल		10	4	6	1	5	2	..	..	..	3	1	1
22	कोठीभार	..	8	6	2	..	..	2	..	..	..	2	..	..
23	धुधुली	..	12	2	10	..	10	6	..	..	..	6	4	..
24	फरेन्दा	..	7	4	8	..	3	3	..	..	..	3	..	..
25	पीपीगंज	..	25	16	9	..	9	6	..	..	..	6	1	2
26	कम्पियरगंज	..	19	15	4	..	4	3	..	..	..	3	1	..
27	पुरन्दरपुर		26	19	7		7	7				7		..
28	नौतनवां		20	17	3		3	3				3	..	..
	योग		461	173	268	8	280	205	8	2	2	203	39	36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 237 पर)

तालिका

क्रम सं0	थाना	मुकदमे				उकती	
		दर्ज	चार्जशीट	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	दर्ज	विवेचनाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोतवाली	..	..	..	..	3	3
2	मोहम्मदपुर	..	1	1	..	5	5
3	फतेहपुर	..	5	..	..	..	..
4	देवा	..	..	..	..	1	1
5	रामनगर	..	2	1	..	2	2
6	पटरंगा	..	1	..	..	..	..
7	रामसनेही घाट		1	..	..	3	3
8	मवई		1	..	..	..	..
9	टिकैतनगर		2	1	..	1	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	[illegible]	..	..	..	..	..	..	1	1
11	रुदौली	..	..	..	..	..	..	1	1
12	नौदपुर	..	..	..	..	..	..	3	3
13	कोठी	..	..	1	1	...	..	1	1
14	जोनीकटरा	..	..	2	1	1	..	2	2
15	असन्दरा	..	..	..	..	..	..	1	1
16	मसौढी	..	..	2	..	..	2	1	1
			योग ..	18	5	1	12	25	25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिए पीछे पृष्ठ 267 पर)

अध्यक्ष महोदय,

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। यदि मूल्यों में वृद्धि होगी तो उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस रूप में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, मूल्यों की वह स्थिति नहीं है। अक्तूबर, 1977 के प्रथम सप्ताह से मूल्यों में गिरावट प्रारम्भ हो गयी है। सितम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह से खाद्यान्नों के मूल्य में रु0 2.86 से लेकर 11.84 प्रति क्विन्टल की गिरावट आयी है। इसी प्रकार दलहनों के मूल्य में रु0 5.54 से लेकर 37.51 की कमी आयी है। पूर्व केवल 6 जिलों से समाचार मिले हैं कि गेहूं के मूल्य में साधारण सी वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस पर नियन्त्रण पाने के लिए सम्बन्धित जिलों को आदेश भेजे गए हैं कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं का पर्याप्त भन्डार रखा जाय। वनस्पति के 16.50 किलोग्राम टिन के मूल्य में रु0 20.82 पैसे की गिरावट आयी है तथा मूंगफली के तेल के मूल्य में 115.55 प्रति क्विन्टल की गिरावट आयी है। मैं विभिन्न वस्तुओं के गिरते हुए मूल्य का विवरण प्रस्तुत करता हूं जो निम्न प्रकार हैं :—

प्रति कुन्तल औसत थोक मूल्य

वस्तु		बढ़े हुए मूल्य	14-10-77	बढ़े हुए मूल्य से 14-10-77 के मूल्यों का अन्तर
1		2	3	4
उर्द दाल	..	366.68	329.17	—37.51
मूंग दाल	..	298.17	273.94	—24.23
मसूर दाल	..	366.44	356.21	—12.23
अरहर दाल	..	376.14	370.14	—5.54
अरहर साबुत	..	278.25	259.48	—18.77
वनस्पति 16.5 किलोग्राम का एक टिन	..	176.75	155.93	—28.82
गेहूं	..	119.92	121.44	—1.52

1		2	3	4
मूंगफली तेल	..	983.33	867.68	−11−55
चना	..	186.92	175.08	−11.84
चावल−3	..	166.33	159.88	−6.45
ज्वार	..	93.16	90.30	−2.86
बाजरा	..	107.10	103.50	−3.60
मक्का	..	109.63	100.00	−9.63
गुड़	..	159.56	156.52	−3.04
खांडसारी	..	296.69	286.00	−10.69
चीनी	..	407.10	393.90	−13.20

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इन महीनों (मार्च-अगस्त) में मूल्यों में जो वृद्धि प्रवृत्त विगत छ: वर्षों से चली आ रही थी उसको कम करने में वर्तमान सरकार सफल रही है। यदि मार्च, 1971 के मूल्य को 100 मान लिया जाय तो उसी वर्ष के पाँच महीनों की मूल्य वृद्धि 6.4 प्रतिशत थी। इसी प्रकार यदि 1972, 1973, 1974, 1975 तथा 1976 के मूल्य वृद्धि के आंकड़े देखें जायें तो उनमें क्रमश: 8.6, 12.4, 14.1, 1.7 तथा 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु 1977 के इन्हीं पांच महीनों में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत केवल 2.8 है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जिन नीतियों का अनुसरण किया था उनके आधार पर मूल्य वृद्धि रोकना सम्भव नहीं था। फिर भी वर्तमान सरकार ने विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा बढ़ते हुए मूल्य को रोकने में सफलता प्राप्त की है। तत्कालीन सरकार ने विगत छ: वर्षों में उत्पादन तथा मुद्रा प्रसार के बीच कोई सामंजस्य नहीं रखा। देश का उत्पादन जब कि 2 प्रतिशत वार्षिक की गति से भी नही बढ़ सका, ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रसार 19 प्रतिशत से अधिक वार्षिक की दर से बढ़ता रहा। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करती रही। मंथर गति से बढ़ने वाले उत्पादन और द्रुत गति से भागने वाले मुद्रा प्रसार के बीच आवश्यक वस्तुओं के निर्यात ने देश के आर्थिक संतुलन को बिगाड़ डाला था जिसका मूल्य-वृद्धि के रूप में स्वाभाविक था, परन्तु केन्द्र और प्रदेश की सरकारों ने जिस प्रकार के कदम उठाये हैं, उसी का फल है कि मूल्यों में वर्तमान गिरावट प्रारम्भ हो गयी है। यह जान कर सदन को सन्तोष होगा कि केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को पूर्णत: तथा कुछ वस्तुओं के निर्यात को अंशत: बन्द कर दिया है। साथ ही मुद्रा प्रसार की नीति में परिवर्तन कर मूल्यवृद्धि पर नियन्त्रण किया है और उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से अनेकों

ऐसे कदम उठाए गए हैं जो किसानों के लिए प्रोत्साहक सिद्ध होंगे। केन्द्रीय सरकार ने खाद का मूल्य रु0 100 प्रति टन कम कर दिया है। प्रदेशीय सरकार ने भी खाद के मूल्य पर 30 प्रतिशत तक की छूट घोषित की है।

दलहनों और तिलहनों का उत्पादन जो विगत वर्ष में क्रमश: 25, 82,000 मी0 टन और 15,10,000 मी0 टन था उसे वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाने के उद्देश्य से उनका लक्ष्य क्रमश: 35 लाख टन और 22 लाख टन कर दिया है।

जिस समय बाजार में माल की आवश्यकता हो, उस समय में गोदामों में अधिक माल रखने की छूट नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा अभी अभी केन्द्रीय सरकार ने भी बाजार में माल की उपलब्धता बनाये रखने की दृष्टि से गोदामों की संग्रह-सीमा को घटा दिया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए चीनी का रिलीज जो अगस्त में 37,562.7 मी0 टन था, उसे विगत माह में बढ़ाकर 49,125 मी0 टन कर दिया है। जिसके कारण चीनी के मूल्य में गिरावट आयी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों से दिये जाने वाले प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 8 किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल को बढ़ाकर क्रमश: 10 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम कर दिया गया है। क्षेत्र की आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दुकानों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी गेहूं और चावल के वितरण की व्यवस्था है।

यह जान कर सदन को प्रसन्नता होगी कि जो द्वितीय श्रेणी के चावल का मूल्य जो पिछली सरकार के कार्यकाल में 2·25 प्रति किलो ग्राम था, उसे इस समय 1.80 प्रति किलोग्राम के भाव से साधारण जनता को दिया जा रहा है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने सरसों के तेल के मूल्य को भी रु0 10 प्रति किलो निर्धारित कर दिया है। सरसों का तेल निर्धारित मूल्य पर जनता को मिलता रहे, इसके लिए वर्तमान सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया है। सरसों के तेल की भी संग्रह-सीमा को घटाकर थोक व्यापारियों के लिए 200 कुन्तल तथा फुटकर व्यापारियों के लिए 5 कुन्तल कर दिया गया है।

मूल्यों पर नियन्त्रण बनाए रखने की दृष्टि से जिलों में मानीटरिंग समितियों का गठन किया गया है जिनकी बैठकों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा की जाती है और मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों पर विचार करके आवश्यक कदम उठाए जाते हैं मूल्यों पर नियन्त्रण बनाए रखने की दृष्टि से इस बात की कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि दुकानदार दुकानों पर मूल्यों की प्रदर्शन पट्टी टांगे। स्टाक की चैकिंग भी कड़ाई से की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला मुख्यालयों से मिली रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अभी तक 25,008 दुकानों/गोदामो की चेकिंग की गई, 316 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तथा 296 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सचल दस्तों के द्वारा इसी प्रकार की चेकिंग की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के इस साहसिक कदम पर सदन को निश्चित रूप से संतोष होगा कि खाद्यान्न के मामले में सम्पूर्ण देश एक जोन बन गया है। इससे सारे देश में वस्तुओं का मूल्य लगभग समान होता जा रहा है और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में पूर्ति की स्थिति ठीक होती जा रही है तथा उत्पादक को उचित मूल्य भी मिलेगा।

केन्द्रीय सरकार ने अभी-अभी कुछ मसालों तथा बर्तनों को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया है जिससे कि उनके मूल्यों पर भी नियन्त्रण रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा कि सरकार उस मामले में सजग है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस मानवीय प्रश्न पर सदा सक्रिय रहेंगे तथा अपने अमूल्य सु ावों से सरकार को अवगत कराते रहेंगे।

विधान सभा प्रदेश पुस्तकालय

नत्थी "झ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 250 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1976 के दूसरे सोमवार के लिए श्री मोहम्मद असरार अहमद के तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर।

प्रश्न	मूल उत्तर
6—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह में अमीनाबाद, लखनऊ की पुलिस ने एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को गिरफ्तार किया है जो लड़कियों का व्यापार करती थी? यदि हाँ, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार हुए?	6—दिनाँक 29 मार्च, 1976 को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना अमीनाबाद, लखनऊ की पुलिस ने कश्मीर होटल अमीनाबाद के एक कमरे से श्रीमती रोजलिन सिडैनी को फुलवरिया थाना कैन्ट, जिला वाराणसी में किंडरगार्डन प्राइमरी स्कूल चलाती हैं और जो अपनी पुत्री तथा कलकत्ता से बहला फुसला कर लाई हुई एक लड़की को व्यभिचार कराकर पैसा कमाने के लिए होटल में लायी थीं, को उनकी पुत्री सहित गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध में थाना अमीनाबाद पर धारा 363/366 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गयी। विवेचना से श्रीमती सिडनी के दामाद हेरी फिलिप्स को भी अपराध में सम्मिलित पाया गया। अत: तीनों के विरुद्ध दिनाँक 28 मई, 1976 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस ने होटल के मैनजर को भी 29 मार्च, 1976 को ही धारा 388 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद दिनाँक 28 मई, 1976 को ही उसके विरुद्ध भी आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मन्त्री।

की0एस0यू0पी0—एल0 385 वि0 सभा (682)—1979—835।